एपीडा
APEDA

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

India Organic
जैविक भारत
Jaivik Bharat

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)

आठवां संस्करण: 2024

राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम (एनपीओपी)

आठवां संस्करण : 2024

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

प्रस्तावना

भारत में कृषि-जलवायु परिस्थितियों में विविधता के कारण जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है। देश के कई हिस्सों में जैविक कृषि की विरासत में मिली परंपरा एक अतिरिक्त लाभ है। यह जैविक उत्पादकों के लिए घरेलू और निर्यात क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे बाजार का लाभ उठाने का समर्थन करता है।

जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली ग्राहकों को यह आश्वासन देती है कि उत्पाद की कृषि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना जैविक रूप से की गई है। स्वस्थ और सुरक्षित भोजन के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती जागरूकता के साथ, विश्व स्तर पर जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है।

जैविक उत्पादों के लिए तृतीय-पक्ष प्रमाणन प्रणाली की निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 2001 से निर्यात के लिए विदेशी व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के तहत अधिसूचित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) शुरू किया। देश से निर्यात किए जाने वाले किसी भी जैविक उत्पाद को एनपीओपी के तहत नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एनपीओपी के कार्यान्वियन के लिए सचिवालय है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का अष्टम संस्करण सतत टिकाऊ कृषि और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपनी स्थापना के बाद से, एनपीओपी ने जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण, उत्पादन और व्यापार के लिए एक मजबूत ढांचे के साथ भारत में जैविक कृषि के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है।

यह नवीनतम संस्करण वैश्विक और घरेलू जैविक बाजारों में उभरती चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करते हुए, जैविक कृषि की विकसित होती गतिशीलता को दर्शाता है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए मानकों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अपडेट शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत के जैविक उत्पाद गुणवत्ता और विश्वास के उच्चतम स्तर को पूरा करते रहें।

हम उन सभी हितधारकों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनके बहुमूल्य योगदान ने इस दस्तावेज़ को आकार दिया है और जो भारत की जैविक यात्रा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। हमें उम्मीद है कि यह दस्तावेज़ जैविक उत्पादकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों, प्रमाणन निकायों और अन्य जैविक हितधारकों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

विषय तालिका

अध्याय सं.	परिचय	पृष्ठ सं.
1.	**परिभाषाएं**	1 - 11
2.	**राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का क्षेत्र और प्रचालनात्मक संरचना**	**12 - 19**
	2.1 कार्यक्षेत्र	12
	2.2 उद्देश्य	12
	2.3 प्रचालनात्मक संरचना	13
	2.4 प्रचालनात्मक ढांचा	13
	2.4.1 वाणिज्य विभाग (डीओसी)	14
	2.4.2 राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी)	14
	2.4.3 राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी)	15
	2.4.4 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिका	17
	2.4.5 तकनीकी समिति	18
	2.4.6 मूल्यांकन समिति (ईसी)	18
	2.4.7 प्रमाणन निकाय	19
	2.4.8 प्रचालक	19
	2.4.9 ट्रेसनेट	19
3.	**जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक (एनएसओपी)**	**20 - 148**
	3.1 जैविक फसल उत्पादन	20
	3.1.1 फसल उत्पादन योजना	20
	3.1.2 रूपांतरण आवश्यकताएं	21
	3.1.3 रूपांतरण काल की अवधि	22
	3.1.4 रूपांतरण अवधि में छूट	22
	3.1.5 रूपांतरण में जैविक उत्पाद	24
	3.1.6 पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem)	24
	3.1.7 फसलों और किस्मों का चयन	25
	3.1.8 फसल उत्पादन में विविधता और प्रबंधन योजना	25
	3.1.9 पोषक तत्व प्रबंधन	26

	3.1.10 कीट रोग और खरपतवार प्रबंधन	27
	3.1.11 संदूषण नियंत्रण	28
	3.1.12 मृदा एवं जल संरक्षण	29
	3.1.13 पादप मूल/वन उपज की गैर-कृषि सामग्री का संग्रहण	29
	3.2 जैविक पशुधन मुर्गीपालन और उत्पाद	31
	3.2.1 कार्यक्षेत्र विस्तार	31
	3.2.2 सामान्य सिद्धांत	31
	3.2.3 जैविक प्रबंधन योजना	32
	3.2.4 नस्लों का चयन, स्रोत और उत्पत्ति	32
	3.2.5 पशुधन पहचान और पशु रिकॉर्ड रखना	33
	3.2.6 आवास और प्रबंधन	34
	3.2.7 पशु उत्पादन के लिए रूपांतरण अवधि	39
	3.2.8 फ़ीड (पशु आहार)	41
	3.2.9 स्वास्थ्य देखभाल	44
	3.2.10 प्रजनन एवं प्रबंधन	47
	3.2.11 खाद और मूत्र मल प्रबंधन	48
	3.2.12 परिवहन	48
	3.2.13 पशु वध	50
	3.3 जैविक मधुमक्खी पालन	51
	3.3.1 नस्ल/प्रजाति का चयन	51
	3.3.2 रूपांतरण अवधि	51
	3.3.3 मधुमक्खियां पालना	52
	3.3.4 मधुमक्खी-पालनगृह प्रबंधन	52
	3.3.5 चारा/भोजन	53
	3.3.6 स्वास्थ्य देखभाल	53
	3.3.7 प्रजनन एवं प्रबंधन	54
	3.3.8 आवधिक सफाई	54
	3.3.9 रिकॉर्ड रखना	54
	3.3.10 परिवहन/प्रवासन	55
	3.3.11 उत्पाद निकालना	56
	3.3.12 शहद निष्कर्षण	57

	3.3.13 मधुमक्खी के मोम का निष्कर्षण	58
	3.3.14 फसल परागन	59
	3.3.15 मधुमक्खी वनस्पतियों का संरक्षण	59
	3.4 जैविक जलकृषि उत्पादन	59
	3.4.1 जैविक प्रबंधन योजना	59
	3.4.2 जैविक रूपांतरण अवधि	59
	3.4.3 पारिस्थिकी तंत्र प्रबंधन	60
	3.4.4 स्थल का चयन	61
	3.4.5 नस्लों और प्रजातियों का चयन	62
	3.4.6 बीज का स्रोत और प्रजनन	62
	3.4.7 सांस्कृतिक प्रथाएँ	65
	3.4.8 तालाब की तैयारी	65
	3.4.9 स्टॉकिंग	66
	3.4.10 तालाब प्रबंधन	67
	3.4.11 बाईवाल्व की खेती	68
	3.4.12 अनुपूरक पोषण	68
	3.4.13 स्वास्थ्य प्रबंधन	70
	3.4.14 फसल कटाई और परिवहन	71
	3.4.15 प्रसंस्करण	71
	3.4.16 प्रमाणन निकायों के लिए अनिवार्य दौरा	72
	3.5 जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण और प्रबंधन	72
	3.5.1 विशिष्ट आवश्यकताएं	72
	3.5.2 कच्चा माल	73
	3.5.3 कीट नियंत्रण	73
	3.5.4 सामग्री	74
	3.5.5 प्रसंस्करण विधियाँ	75
	3.5.6 पैकेजिंग	76
	3.5.7 लेबलिंग	76
	3.5.8 भंडारण	78
	3.5.9 परिवहन	79
	3.6 जैविक पशु खाद्य प्रसंस्करण और संचालक मानक	80

	3.6.1 सामान्य आवश्यकताएं	80
	3.6.2 कच्चा माल	81
	3.6.3 सफाई, कीटाणुशोधन और कीट नियंत्रण	81
	3.6.4 सामग्री	82
	3.6.5 प्रसंस्करण	83
	3.6.6 प्रसंस्करण सुविधाएं	83
	3.6.7 प्रसंस्कृत उत्पाद	84
	3.6.8 पैकेजिंग	84
	3.6.9 लेबलिंग	85
	3.6.10 भंडारण	85
	3.6.11 परिवहन	85
	3.7 जैविक मशरूम उत्पादन	85
	3.7.1 सामान्य	85
	3.7.2 जैविक प्रबंधन योजना	86
	3.7.3 उत्पादन स्थल का प्रबंधन	86
	3.7.4 स्त्रोत और वृद्धि करने वाले अवयव	86
	3.7.5 कवक बीज	87
	3.7.6 रूपांतरण	87
	3.7.7 कीट नियंत्रण और स्वच्छता	88
	3.8 जैविक समुद्री शैवाल, जलीय पौधे और ग्रीन हाउस फसल उत्पादन	88
	3.8.1 सामान्य नियम	88
	3.8.2 जैविक प्रबंधन योजना	89
	3.8.3 समुद्री शैवाल के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं	89
	3.8.4 शैवाल सहित जलीय पौधे	91
	3.8.5 ग्रीन हाउस फसल उत्पादन	92
	अनुलग्नक 3 (1 से 19)	95-148
4.	**प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन**	**149 – 183**
	4.1 प्रत्यायन की श्रेणियां	149
	4.2 प्रत्यायन मापदंड	150
	4.2.1 सामान्य मापदंड और सिद्धांत	150
	4.2.2 कानूनी इकाई	150

	4.2.3 संगठनात्मक ढांचा	150
	4.2.4 देनदारी और वित्तीय स्थिति	150
	4.2.5 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)	151
	4.2.6 कार्मिक	153
	4.2.7 उप-संविदा	154
	4.2.8 सक्षमता	155
	4.2.9 निष्पक्षता	155
	4.2.10 गैर-भेदभाव	156
	4.2.11 स्वतंत्रता	156
	4.2.12 गोपनीयता	156
	4.2.13 हित संघर्ष (Conflict of interest)	156
	4.2.14 विश्वसनीयता	158
	4.2.15 जवाबदेही और जिम्मेदारी	158
	4.2.16 प्रलेखन और प्रलेख नियंत्रण	158
	4.2.17 वार्षिक रिपोर्ट	159
	4.2.18 आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा	159
	4.2.19 सार्वजनिक सूचना	160
	4.3 प्रत्यायन की प्रक्रिया	161
	4.3.1 प्रत्यायन के लिए आवेदन	161
	4.3.2 पात्रता मापदंड	162
	4.3.3 आवेदन का मूल्यांकन	162
	4.3.4 प्रत्यायन की स्वीकृति	163
	4.3.5 संविदा के संबंध में प्रत्यायन	163
	4.3.6 प्रत्यायन का प्रमाण-पत्र	164
	4.3.7 ट्रेसनेट	164
	4.3.8 प्रमाणन निकायों का वार्षिक आवेक्षण और समीक्षा मूल्यांकन	164
	4.3.9 अघोषित मूल्यांकन दौरे	164
	4.3.10 प्रत्यायन का नवीकरण	164
	4.4 निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया	165
	4.4.1 निरीक्षण	165
	4.4.2 प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणन	171

	4.4.3 प्रमाणन अभिलेख और रिपोर्ट	173
	4.4.4 चिह्न और प्रमाण-पत्र	175
	4.4.5 प्रमाणित प्रचालक	177
	4.4.6 ऑफ फार्म इनपुट्स का इनपुट अनुमोदन	177
	4.4.7 वाणिज्यिक इनपुट्स का अनुमोदन	177
	4.4.8 प्रचालकों का स्थानांतरण	178
	4.4.9 सूचना का आदान-प्रदान	180
	4.5 पारस्परिक आदान-प्रदान	180
	4.6 जैविक उत्पादों का आयात	180
	4.7 आयातित जैविक सामग्री का उपयोग	181
	4.8 आयातित जैविक सामग्री से बने उत्पाद का पुनः निर्यात	181
	4.9 प्रचालक द्वारा उल्लंघन और प्रमाणन निकाय द्वारा जांच	182
	4.9.1 अनुशासनिक कार्यवाही और प्रतिबंध	182
	4.9.2 प्रमाणन को वापस लेना	182
	4.9.3 प्रमाणन निकाय के निर्णय के विरुद्ध अपील	183
	4.9.4 शिकायत अभिलेख	183
	4.9.5 अपील अभिलेख	183
5.	**उत्पादक समूहों का प्रमाणन**	**184 – 195**
	5.1.कार्यक्षेत्र	184
	5.2.उत्पादक समूहों के लिए अपेक्षाएं	184
	5.3.राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत उत्पादक समूह में पंजीकृत किसानों के लिए पूर्वापेक्षा	185
	5.4.आंतरिक नियंत्रण पद्धति	186
	5.5.उत्पादक समूह की आंतरिक नियंत्रण पद्धति (आईसीएस) का गठन, आवश्यकताएं और कर्तव्य	186
	5.6.सदस्यों द्वारा चूक (डिफ़ाल्ट)	188
	5.7. आईसीएस कार्मिक	188
	5.7.1 आंतरिक नियंत्रण पद्धति प्रबंधक (आईसीएस प्रबंधक)	188
	5.7.2. आंतरिक निरीक्षक	189
	5.7.3. अनुमोदन प्रबंधक/समिति	189
	5.7.4. क्षेत्र अधिकारी	189

	5.7.5. क्रय अधिकारी	189
	5.7.6. गोदाम प्रबंधक	190
	5.7.7. लेखा/अभिलेखपाल	190
	5.8. सार्वजनिक सूचना	190
	5.9. आंतरिक मानदंड	191
	5.10 हित संघर्ष (Conflict of interest)	191
	5.11 प्रमाणन	191
	5.12 व्यापार	191
	5.13 उपज अनुमान	192
	5.14 खरीद प्रक्रिया	192
	5.15 भंडारण और हैंडलिंग	192
	5.16 आईसीएस कार्मिकों का प्रशिक्षण	192
	5.17 किसानों का प्रशिक्षण	193
	5.18 प्रमाणन निकायों द्वारा बाह्य निरीक्षण	193
	5.18.1.नमूनाकरण योजना (Sampling Plan)	193
	5.18.2.जोखिम निर्धारण	194
	5.18.3.बाह्य (External) निरीक्षण	194
	5.18.4. उत्पादक समूह (Grower Group) के सदस्यों द्वारा अननुपालन और आईसीएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध	195
6.	**प्रतिबंध और अपील**	**196- 206**
	6.1. प्रमाणन निकाय और/या ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन	196
	6.1.1. प्रमाणन निकाय और/या ऑपरेटर की शिकायतें और जांच प्रक्रिया	196
	6.1.2 प्रतिबंध	196
	6.1.3. अननुरूपता (non-conformity) की श्रेणियाँ	197
	6.1.4 माइनर अननुरूपता (Minor non-conformity)	197
	6.1.5 प्रमुख अननुरूपता (Major non-conformity)	198
	6.1.6. प्रतिबंधों की श्रेणियाँ	198
	6.1.7. आर्थिक दंड लगाने के लिए	198
	6.1.8. शास्तियों का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना	199
	6.1.9. प्रमाणन निकाय/ऑपरेटर द्वारा अपील	199

	6.2. सेवा प्रदाता द्वारा आईसीएस का उल्लंघन	200
	अनुलग्नक-6(1)	201 – 206
7.	**जैविक प्रमाणन चिह्न**	**207 – 232**
	7.1 परिचय	207
	7.2 इंडिया ऑर्गेनिक लोगो	207
	7.3 जैविक लोगो की अवधारणा	209
	7.4 प्रमाणन ट्रेडमार्क 'इंडिया ऑर्गेनिक लोगो' के उपयोग को नियंत्रित करने वाले विनियम	209
	7.4.1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	209
	7.4.2.परिभाषाएँ	209
	7.4.3. भारत ऑर्गेनिक लोगो का उपयोग; अधिकृत उपयोगकर्ता	211
	7.5 लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका	212
	7.6 लाइसेंस की मंजूरी	214
	7.7 लाइसेंस की शर्तें	215
	7.8 शुल्क	219
	7.9 वचनबंध (Undertaking)	219
	7.10 निगरानी और नियमित समीक्षा	220
	7.11 प्रमाणन ट्रेड मार्क का उपयोग	220
	7.12 प्रचार	220
	7.13 आवेदक के दायित्व	221
	7.14 लाइसेंस का अभ्यर्पण (surrender)	222
	7.15 प्रमाणन निकाय के अधिकार	222
	7.16 लाइसेंस का दुरुपयोग	223
	7.17 अपील	224
	फार्म/ प्रपत्र	225 – 232

नोट: यह एनपीओपी 2024 (8वां संस्करण) का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की सामग्री को अंतिम माना जाएगा।

1

परिचय

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (जिसे आगे 'एनपीओपी' या 'विनियम'/ नियम कहा गया है) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एनएसओपी) के कार्यान्वियन के लिए संस्थागत तंत्र, प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए प्रमाणन प्रणाली, पात्रता और कार्य-विधि, प्रमाणन निकायों के प्रचालन के लिए मानक, राष्ट्रीय (जैविक भारत) लोगो और इसके उपयोग हेतु निर्धारित विनियम उपलब्ध कराता है।

इन मानकों और कार्यविधियों को जैविक उत्पादों के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। एनपीओपी जैविक फसलों और बागवानी उत्पादों, जैविक पशुधन और मुर्गी पालन उत्पादों, जैविक मधुमक्खी पालन, जैविक मत्स्य पालन प्रक्रिया पर लागू हैं,परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देश का सशर्त अनुपालन जैविक उत्पादन प्रणाली और निर्यात के कार्यान्वियन हेतु अपेक्षित है।

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम विदेश व्यापार विकास और विनियम अधिनियम, 1992 (एफटीडीआर) के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिसूचित जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।

ये विनियम विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (डीजीएफटी) द्वारा की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे। इन विनियमों के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रमाणन निकायों और प्रचालकों के पास छह महीने की अवधि होगी।

परिभाषाएं

इन विनियमों के अंतर्गत से निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

1. प्रत्यायन

प्रत्यायन, राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया है जिसके अधीन जैविक कृषि, उत्पादों और प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित करने की सक्षमता निर्धारित की जाती है ।

2. प्रत्यायित कार्यक्रम

प्रत्यायित कार्यक्रम प्रमाणन निकाय का वह कार्यक्रम है जिसका अनुमोदन राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा इस आधार पर किया गया है कि यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

3. कृषि संबंधी कच्चा माल

कृषि संबंधी कच्चे माल से तात्पर्य, वह सामाग्री जो जैविक कृषि उत्पादों के उत्पादन अथवा हैंडलिंग में उपयोग किए जाने वाले किसी भी प्रकार के संरक्षण या प्रसंस्करण के प्रक्रियाधीन नहीं उपयोग किया गया हो ।

4. वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट में विगत वर्ष की प्रमाणन गतिविधियां और वार्षिक योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध है जिसमें, प्रमाणन, प्रचालक, निर्यात, जोखिम वर्गीकरण आदि से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं । इसमें पिछले वर्ष प्रमाणन निकायों द्वारा किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा और परिणामी गैर-अनुपालनों की संख्या और प्रकृति भी होंगे।

5. आवेदक निकाय

आवेदक निकाय का आशय उस संगठन से है जो एक प्रमाणन निकाय के रूप में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यायन/ प्रमाणन प्राप्त करना चाहता है।

6. बफर जोन

एक स्पष्ट रूप से परिभाषित और चिन्हित क्षेत्र है जो जैविक उत्पादन क्षेत्र को जैविक रूपान्तरण क्षेत्र से अलग रेखांकित करता है।

7. प्रत्यायन प्रमाण-पत्र

प्रत्यायन प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एपीडा), एनपीओपी सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) की ओर से जारी किया जाता है, जो एक प्रमाणन निकाय को प्रमाणित करता है कि वह एनपीओपी के तहत निर्धारित मानकों का पालन कर रहा है और जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऑपरेटरों को प्रमाणित करने के लिए सक्षम है।

8. प्रमाणन

प्रमाणन से तात्पर्य है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक प्रमाणन निकाय द्वारा एक स्कोप सर्टिफिकेट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑपरेटर की उत्पादन या प्रसंस्करण प्रणाली का विधिपूर्वक मूल्यांकन किया गया है और वह एनपीओपी में निर्धारित जैविक उत्पादन/प्रसंस्करण के लिए अनिवार्यताओं के अनुपालन में है।

9. प्रमाणन निकाय

एनपीओपी के तहत आवश्यकतों के अनुसार जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए, ऑपरेटरों के निरीक्षण और प्रमाणन निकाय की ओर से ऑपरेटरों को प्रमाण ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार प्रदान करने हेतु एनएबी द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन।

10. प्रमाणन चिह्न

प्रमाणन चिह्न का तात्पर्य भारत जैविक लोगो से है, जो वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

11. प्रमाणन कार्यक्रम

प्रमाणन कार्यक्रम वह प्रणाली है जो एक आवेदक निकाय या एक प्रमाणन निकाय द्वारा संचालित की जाती है जिसमें मानकों के अनुसार अनुरूपता का प्रमाणन किया जाता है।

12. चेन ऑफ कस्टडी

जैविक उत्पादों के लिए चेन ऑफ कस्टडी प्रलेखित प्रक्रिया है जो जैविक उत्पादों के मूल (खेत) से अंतिम उपभोक्ता तक हैंडलिंग, प्रसंस्करण और वितरण को ट्रैक करती है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि जैविक अखंडता को हर चरण में बनाए रखा जाए, जिससे संदूषण, प्रतिस्थापन या गैर-जैविक उत्पादों के साथ मिश्रण को रोका जा सके।

13. अनुपालन

अनुपालन का अभिप्राय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों/ आवश्यकताओं और कार्यविधियों के अनुपालन से होगा।

14. सह-मिश्रण (Co-mingling)

सह-मिश्रण का तात्पर्य गैर-जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादों के मिश्रण से है।

15. परामर्श सेवा

परामर्श सेवा का अभिप्राय जैविक प्रचालनों के लिए परामर्श सेवा से है और इसमें निरीक्षण और/अथवा प्रमाणन प्रक्रिया/कार्यविधियां शामिल नहीं हैं।

16. खेप

खेप का अभिप्राय उत्पादों की मात्रा से होगा जो डीजीएफ़टी द्वारा अधिसूचित एक अथवा उससे अधिक हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोडों के अंतर्गत एक प्रमाणन निकाय द्वारा जारी एकल ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र में आच्छादित, जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए परिवहन के उसी माध्यम से भेजा गया हो।

17. पारंपरिक/ गैर-जैविक कृषि

पारंपरिक/ गैर-जैविक खेती का तात्पर्य उन कृषि प्रणालियों से है जो कृषि रसायनों के उपयोग पर निर्भर हैं और जो जैविक उत्पादन से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधित नहीं की जाती हैं।

18. जैविक रूपांतरण

जैविक रूपांतरण का अर्थ है एक उत्पादन इकाई का पारंपरिक/ गैर-जैविक खेती से जैविक उत्पादन में, निर्धारित रूपांतरण अवधि के दौरान परिवर्तन, जिसमें एनपीओपी के तहत निर्धारित मानदंड लागू होते हैं।

19. जैविक रूपांतरण की अवधि

जैविक रूपांतरण अवधि को विनियमन 3.1.2 में परिभाषित किया गया है।

20. स्थानीय प्रजातियां

स्थानीय प्रजाति से तात्पर्य एक ऐसी प्रजाति से है जो केवल एक निश्चित भौगोलिक स्थान पर पाई जाती है।

21. मूल्यांकन

मूल्यांकन एक आवेदक निकाय अथवा प्रमाणन निकाय की प्रणालीगत आकलन प्रक्रिया है, जो प्रत्यायन प्राप्त करना चाहता है, जब तक वह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है और जिसमें आवेदक निकाय अथवा प्रमाणन निकाय का सर्विलांस तथा प्रमाणन निकाय के प्रत्यायन का नवीकरण शामिल है |

22. मूल्यांकन समिति

एक समिति जो एनपीओपी सचिवालय द्वारा एनएबी द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों के पैनल से, आवेदक निकायों और प्रमाणन निकायों के लिए एनपीओपी के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने और ऑडिट करने के लिए गठित की गई है।

23. मूल्यांकन रिपोर्ट

मूल्यांकन रिपोर्ट का अभिप्राय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रमाणन निकाय के कार्यक्रम के संबंध में मूल्यांकन समिति की आकलन रिपोर्ट से होगा।

24. समतुल्य

समतुल्य का अर्थ है, विभिन्न प्रणालियों के संदर्भ में, समान लक्ष्यों और सिद्धांतों को प्राप्त करने में सक्षम होना, आवश्यकताओं को लागू करके यह सुनिश्चित करना कि अनुपालन के समान स्तर का आश्वासन प्रदान किया जाए।

25. फार्म इकाई

फार्म इकाई एक खेत, कृषि क्षेत्र अथवा उत्पादन इकाई है जिसका प्रबंधन एक किसान अथवा किसानों के समूह द्वारा किया जाता है।

26. खाद्य

खाद्य का अर्थ किसी भी ऐसे पदार्थ से है, चाहे वह प्रसंस्कृत, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत, या अप्रसंस्कृत हो, जिसे मानव उपभोग के लिए बनाया गया हो।

27 खाद्य योज्य (Additive)

एक खाद्य योज्य कोई भी पदार्थ है जिसे किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और निरंतरता को बनाए रखने तथा प्रभावित करने वाले पूरक अथवा समृद्ध करने वाले पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है।

28. चारा

चारा से तात्पर्य कि वे प्रसंस्कृत या अप्रसंस्कृत रूप में, जिनमें योजक शामिल होते हैं, जो जानवरों को पोषण और जीवन यापन के लिए दिया जाता है।

29. आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ)

जीएमओ से संदर्भ उस जीव से है जिसका जीनोम इच्छित लक्षणों की अभिव्यक्ति अथवा इच्छित जैविक उत्पादों की उत्पत्ति के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है।

30. उत्पादक समूह (Grower group)

उत्पादक समूह किसानों का एक संगठित समूह है जो जैविक उत्पादों का उत्पादन करता है और/अथवा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक उत्पादन प्रक्रियाओं में कार्यरत है और इस राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अध्याय 5 के अनुकूल है।

31. हैचरी (मत्स्य पालन)

हैचरी वह सुविधा है जहाँ मछली पालन/जलकृषि के लिए चयनित प्रजातियों के प्रारंभिक जीवन के चरणों का प्रजनन, अंडे सेना (hatching) और पालन-पोषण किया जाता है।

32. आंतरिक जैविक रूपांतरण उत्पादन इकाई

आतंरिक जैविक रूपांतरण उत्पादन इकाई का अभिप्राय उस भूमि से है, जो जैविक कृषि में परिवर्तित होने हेतु रूपांतरण अवधि के अन्तर्गत है। रूपांतरण अवधि का प्रथम वर्ष का संदर्भ आंतरिक रूपांतरण (आईसी) 1 आंतरिक रूपांतरण 2 के रूप में दूसरा वर्ष और रूपांतरण अवधि 3 के रूप में तीसरा वर्ष (दीर्घकालिक के संदर्भ में) से है।

33. निरीक्षण

निरीक्षण में एनपीओपी द्वारा निर्धारित आवश्यकतों के अनुसार साइट पर जाने की प्रक्रिया शामिल होगी, जिसमें खेत, प्रसंस्करण इकाई, और/या व्यापार इकाई शामिल हैं, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि ऑपरेटर का प्रदर्शन एनपीओपी द्वारा निर्धारित उत्पादन, प्रसंस्करण और श्रृंखला प्रबंधन आवश्यकताओं का पालन करता है।

34. निरीक्षक

निरीक्षण के लिए प्रमाणन निकाय द्वारा नामित व्यक्ति।

35 . आंतरिक समीक्षा

आंतरिक समीक्षा एक आकलन है जो प्रमाणन निकाय द्वारा इसके प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यचालन के संबंध में किया जाता है।

36. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस)

प्रत्येक उत्पादक समूह की एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होगी जिसमें वे किसान जो उस उत्पादक समूह के सदस्य हैं, शामिल होंगे तथा ऐसी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की कार्यविधियों के अन्तर्गत सभी आवश्यकताओं को ऐसे उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा पूरा किया जाता है।

37. आईएसओ 17065

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) ने आईएसओ 17065 मानक निर्धारित किया है जिसमें प्रमाणन प्रणाली को प्रचालित करने वाले प्रमाणन निकायों के लिए सामान्य आवश्यकताओं का प्रावधान है।

38. आईएसओ 17011

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) ने आईएसओ 17011 मानक निर्धारित किया है जिसमें प्रमाणन निकायों को प्रत्यायन की स्वीकृति देने के लिए एक प्रत्यायन निकाय के लिए सामान्य आवश्यकताओं का प्रावधान है।

39 . लेबलिंग

लेबलिंग का तात्पर्य किसी भी प्रकार के लिखित, मुद्रित या ग्राफिक संकेत से है, जो किसी उत्पाद के दस्तावेज़, पैकेजिंग, लेबल आदि पर मौजूद है और जो उत्पाद से संबंधित होता है या उसका उल्लेख करता है।

40. लाइसेंस

लाइसेंस एक अनुमति है जो एक प्रमाणन निकाय द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय की ओर से

एक ऑपरेटर को दी जाती है, ताकि वह प्रमाणन ट्रेडमार्क 'भारत जैविक लोगो' का उपयोग कर सके, जिससे यह प्रमाणित होता है कि उनके उत्पाद और/या प्रक्रियाएँ जैविक हैं।

41. पशुधन

पशुधन में किसी भी घरेलू या पालतू जानवर को शामिल किया जाता है, जिसमें बोवाइन (जिसमें भैंस और बाइसन शामिल हैं), भेड़, सूअर, बकरी, घोड़े, मुर्गी और मधुमक्खियाँ शामिल हैं, जिन्हें भोजन के लिए पाला जाता है या जो खाद्य उत्पादन में शामिल होते हैं। जंगली जानवरों के शिकार या मछली पकड़ने के उत्पादों को इस परिभाषा का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

42. लघु अननुरूपता

लघु अननुरूपता की परिभाषा विनियम 6.1.4 में दी गई है।

43. प्रमुख अननुरूपता

प्रमुख अननुरूपता की परिभाषा विनियम 6.1.5 में दी गई है।

44. प्रबंधन समीक्षा

प्रबंधन समीक्षा संगठन की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के समग्र कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन है जो संगठन के शीर्ष प्रबंधन द्वारा नियमित आधार पर सुधार के अवसरों की पहचान करने के लिए किया जाता है ।

45. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जो जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

46. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक (एनएसओपी)

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक उन मानकों को निर्धारित करते हैं जिन्हें जैविक उत्पादों की खेती, कटाई, उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

47. अननुरूपता

अननुरूपता वह स्थिति है जहां एक उत्पाद, प्रक्रिया, कार्यविधि, प्रणाली अथवा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक(एनएसओपी) की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।

48 . अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) एक अनुमोदन है जो एक प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किया जाता है जब उसका ऑपरेटर एनपीओपी के तहत किसी अन्य प्रमाणन निकाय में स्थानांतरित होना चाहता है।

49. नर्सरी (जलीय जीव उत्पादन)

नर्सरी का अभिप्राय एक सुविधा से है जहां हैचरी से पोषित बीज ग्रो-आउट तालाबों में भंडारण के पूर्व उगाए जाते हैं।

50. प्रचालक/ऑपरेटर

एक ऑपरेटर वह उत्पादक, प्रसंस्कर्ता, व्यापारी, या उत्पादक समूह है जो एनपीओपी मानकों के अनुसार जैविक उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, संचालन और व्यापार जैसे गतिविधियों में संलग्न होता है, और जो एनपीओपी के तहत पंजीकृत होता है तथा प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणित होता है।

51. प्रचालन नियमावली (manual)

प्रचालन नियमावली एक दस्तावेज है जो आवेदक निकाय अथवा प्रमाणन निकायों द्वारा उनके प्रचालनों के लिए अपनाई जाने वाली मानक कार्यविधियों का उल्लेख करता है।

52 . जैविक

जैविक का संदर्भ उस उत्पाद अथवा प्रक्रिया से है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निर्धारित मानदंडों का पालन करता हो।

53 . जैविक उत्पादन

उत्पादन जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अन्तर्गत यथा-निर्धारित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों के अनुकूल हो वह "जैविक उत्पादन" है।

54 . जैविक उत्पादन इकाई

जैविक उत्पादन इकाई का संदर्भ उस इकाई से है जहां जैविक उत्पादन कार्यकलापों को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

55 . जैविक उत्पाद

जैविक उत्पाद का अभिप्राय उस उत्पाद से है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों के प्रसंस्करण के फलस्वरूप उत्पादित होता है।

56. समानांतर उत्पादन

समानांतर उत्पादन वह प्रणाली है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों पद्धतियों से फसल या उत्पादों का एक ही समय में उत्पादन/प्रसंस्करण और हैंडलिंग किया जाता है, जहां फसलें या उत्पाद दृश्य रूप से एक समान होते हैं।

57. पेरिफाइटन (जलीय जीव उत्पादन)

पेरिफाइटन जलीय वातावरण में पाए जाने वाले छोटे जलीय पौधों और जानवरों का एक समुदाय है, जो जलीय पौधों और अन्य वस्तुओं से जुड़े रहते हैं।

58. कृषि संरक्षण उत्पाद

कृषि संरक्षण उत्पाद से अभिप्राय उन पदार्थों से है जिनका उद्देश्य खाद्य, कृषि वस्तुओं, या पशु आहार के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और प्रसंस्करण के दौरान किसी भी कीट या रोग अवांछित पौधों या जानवरों की प्रजातियों को रोकने, नष्ट करने, आकर्षित करने, प्रतिकर्षित(repel) करने या नियंत्रित करने के लिए है।

59. बहुकृषि (polyculture)

बहुकृषि / पॉलीकल्चर का तात्पर्य जलकृषि में एक ही इकाई के भीतर दो या दो से अधिक प्रजातियों के पालन करने के अभ्यास से है, जो आमतौर पर विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों (trophic levels) से होती हैं।

60. प्रसंस्करण सहायक सामग्री

वह पदार्थ या सामग्री जो स्वयं भोजन सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं की जाती है, लेकिन कच्चे माल, खाद्य या उसके अवयवों की प्रसंस्करण में एक निश्चित तकनीकी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपचार या प्रसंस्करण के दौरान उपयोग की जाती है।

61. प्रसंस्कृत उत्पाद

प्रसंस्कृत उत्पाद उन खाद्य सामग्रियों को संदर्भित करता है जो अप्रसंस्कृत उत्पादों के प्रसंस्करण से प्राप्त होती हैं।

62. उत्पादक

उत्पादक का तात्पर्य एक व्यक्तिगत किसान/किसानों के समूह/व्यवसाय उद्यम से है, जो जैविक खेती या जैविक प्रसंस्करण करते हैं, जिसमें उत्पादक समूह शामिल नहीं होते हैं।

63. उत्पादन चक्र (जलीय जीव उत्पादन)

उत्पादन चक्र का अभिप्राय जलीय जीव उत्पादन में उम्मीदवार प्रजातियों के जीवन चक्र के दौरान अंडों, लारवा, लारवा के बाद के चरण, किशोर अथवा वयस्क के उत्पादन से होगा।

64. उत्पादन इकाई (जलीय जीवन उत्पादन)

उत्पादन इकाई का अभिप्राय जलीय जीव उत्पादन की प्रक्रिया के किसी चरण के उत्पादन के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले बैक्टीरिया, नर्सरी और ग्रो-आउट सुविधाएं या तो वे भूमि आधारित अथवा जलीय आधारित हों, सहित उत्पादन उद्देश्यों हेतु उपयोग की जाने वाली विशिष्ट इकाई से होगा।

65. गुणवत्ता नियमावली (Manual)

गुणवत्ता नियमावली एक दस्तावेज़ है जिसमें गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता उद्देश्य, संगठन की गुणवत्ता प्रणाली की संरचना और विवरण शामिल होता है। गुणवत्ता नियमावली यह इंगित करती है कि गुणवत्ता मानक की आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाना है और गुणवत्ता प्रबंधन कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को चिह्नित करती है।

66. रिमोट सेटिंग (जलीय जीव उत्पाद)

रिमोट सेटिंग एक तकनीक है जो हैचरी लारवा का उपयोग ओइस्टर ग्राउंड लगाने के लिए शैल पर स्पैट के उत्पादन हेतु किया जाता है।

67. जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन उत्पाद की जैविक प्रकृति को बनाए रखने के लिए समग्र प्रक्रिया में उल्लंघन की जांच करने के उद्देश्य से जैविक उत्पाद उत्पादन और प्रबंधन प्रणाली में संभावित जोखिम की पहचान करने के लिए किया जाता है।

68. स्कोप प्रमाण पत्र

एनपीओपी के तहत स्कोप प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो एक प्रमाणन निकाय द्वारा एक ऑपरेटर को वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाता है, जो उत्पादन, प्रसंस्करण, और संचालन के संदर्भ में ऑपरेटर के कार्यक्षेत्र को निर्दिष्ट करता है।

69. सेवा प्रदाता (Service provider)

सेवा प्रदाता एक बाहरी निकाय (जैसे, स्वयं सहायता समूह / गैर सरकारी संगठन / निजी एजेंसी / सरकारी एजेंसी / सहकारी समिति) है जो पारस्परिक रूप से सहमत सेवा शुल्क के भुगतान पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक उत्पादक समूह द्वारा नियुक्त किया गया है और जो एनपीओपी के तहत आईसीएस के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करेगा और एनपीओपी के तहत आईसीएस पर लागू सभी प्रावधान, प्रतिबंधों सहित, ऐसे सेवा प्रदाता पर पूर्ण रूप से लागू होंगे।

70. मानक

मानक का तात्पर्य उन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानकों से हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत अनुमोदित किया गया है।

71. स्टाकिंग डेन्सिटी (जलीय जीव उत्पादन)

स्टाकिंग डेन्सिटी का अभिप्राय उत्पादन इकाई के प्रति इकाई क्षेत्रफल जैसे तालाब के वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर भंडारित पशुओं की संख्या से है।

72. ट्रेसबिलिटी (traceability)

जैविक सामग्रियों के उत्पादन, प्रसंस्करण, और व्यापार के सभी चरणों में गतिविधियों की ट्रेसेबिलिटी ।

73. ट्रेसनेट

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणन निकायों और प्रचालकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए एपीडा द्वारा कार्यान्वित तथा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणन की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए एक वेब आधारित प्रमाणन सह ट्रेसेबिलिटी प्रणाली है।

74. ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र

ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र अथवा टीसी एक प्रमाण-पत्र है जिसे एक प्रमाणन निकाय द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक उत्पादों की बिक्री के प्रत्येक लेनदेन के लिए अपने प्रचालकों/ऑपरेटर को जारी किया जाता है। ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र आपूर्ति श्रृंखला में जैविक उत्पाद के प्रचालनों में पारदर्शिता और उसकी ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन पर एक प्रमाणन निकाय द्वारा जारी किया जाता है।

75. प्रोविजनल ट्रांजेक्शन प्रमाण पत्र

प्रोविजनल ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र अथवा पीटीसी वह ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र है जिसे निर्धारित प्रपत्र में निर्यात के पूर्व जारी किया जाता है, जिसमें ढुलाई के ब्यौरे (transportation details) को छोड़कर एक विशेष जैविक खेप के लदान (shipment) से संबंधित सभी ब्यौरे होते हैं। लदान के बाद, ढुलाई के ब्यौरे निर्यात के लिए ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र के जारी होने के लिए प्रविष्ट किए जाते हैं।

76. व्यापारी

व्यापारी एक विधिक/कानूनी इकाई है जो जैविक उत्पाद में कोई परिवर्तन/संशोधन किए बिना या तो घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों के लेनदेन में शामिल है।

77. पशु चिकित्सीय औषधि

पशु चिकित्सीय औषधि का तात्पर्य पशुधन, जैसे मांस या दूध उत्पादन करने वाले जानवरों, मुर्गियों, मछलियों, या मधुमक्खियों पर लागू की गई या प्रशासित किसी भी पदार्थ से है, चाहे वह चिकित्सीय, रोगनिवारक या निदानात्मक उद्देश्यों के लिए हो, या शारीरिक कार्यों या व्यवहार को संशोधित करने के लिए हो।

****

2 राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र एवं प्रचालनात्मक संरचना

2.1 कार्यक्षेत्र

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर यथा-अधिसूचित जैविक उत्पादों के विकास और प्रमाणन के लिए नीतियां।

ख. जैविक उत्पादों, प्रसाधन, प्रबंधन और लेबलिंग के लिए राष्ट्रीय मानदंड।

ग. प्रमाणन निकायों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले प्रमाणन कार्यक्रमों का प्रत्यायन।

घ. जैविक उत्पादों का प्रमाणन।

ड.. भारतीय जैविक लोगो और उसके उपयोग को शासित करने वाले विनियम।

2.2 उद्देश्य

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यायन प्राप्त करने वाले प्रत्यायन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रम का आकलन और प्रत्यायन करना।

ख. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए कार्य-विधि उपलब्ध कराना।

ग. विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रबंधन और लेबलिंग के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित करना।

घ. आपसी मान्यता करार के अनुसार आयात करने वाले देशों के जैविक मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों का प्रमाणन आसान बनाना।

ड. सतत और पर्यावरणीय तरीके के अनुकूल फार्म पारिस्थितिकी प्रणाली (Ecosystem) को प्रोत्साहन देना।

च. यह सुनिश्चित करना कि प्रमाणन प्रणाली पारदर्शी, सहज और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों (Best practices) के अनुरूप है।

छ. प्रचालकों के प्रचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

2.3 प्रचालनात्मक संरचना

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की प्रचालनात्मक संरचना नीचे चित्र.1 में दिया गया है:

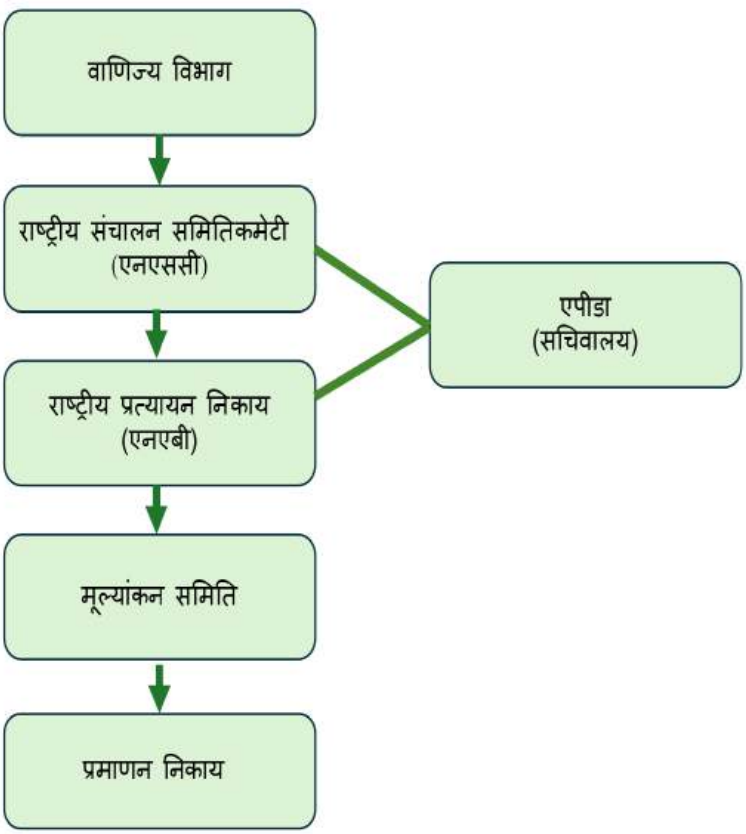

चित्र. 1

2.4 प्रचालनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचालनात्मक ढांचा निम्नानुसार है:

क. वाणिज्य विभाग (डीओसी)

ख. राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी)

ग. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी)

घ. तकनीकी समिति

ड. मूल्यांकन समिति

च. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) – राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम सचिवालय

छ. प्रमाणन निकाय

ज. प्रचालक/ऑपरेटर

2.4.1 वाणिज्य विभाग (डीओसी)

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के समग्र मार्गदर्शन और निदेशों के अन्तर्गत प्रचालित किया जाता है। वाणिज्य विभाग राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा।

2.4.2 राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी)

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति (जिसे आगे 'एनएससी' कहा गया है) नामक एक शीर्ष नीति निर्माण समिति का गठन करेगा। वाणिज्य सचिव यथावश्यक एनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी अन्य अधिकारी को नामित कर सकते हैं।

एनएससी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। एनएससी का सचिवालय एपीडा (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम सचिवालय) होगा।

एनएससी के सदस्यों में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:

i. अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ।
ii. महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।
iii. संयुक्त सचिव, आईएनएम प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
iv. संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
v. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय।
vi संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
vii. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
viii. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु रूपांतरण मंत्रालय।
ix. संयुक्त सचिव, मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी मंत्रालय।
x. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)।
xi. अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।
xii. अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा)।

xiii. सचिव, स्पाइसेज(Spices) बोर्ड।

xiv. सचिव, कॉफी बोर्ड।

xv. उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड।

xvi. बागवानी आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

xvii. चार प्रतिनिधि, दो वर्ष के चक्रानुक्रम अनुसार, निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समूहों से,:

क. हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से एक प्रतिनिधि,

ख. पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से एक प्रतिनिधि, और

ग. अन्य शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से दो प्रतिनिधि।

xviii. एनएससी अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले जैविक व्यापार/उद्योग से एक प्रतिनिधि।

मंत्रालयों/विभागों के सदस्यों से नामित प्रतिनिधिगण एनएससी के पदेन सदस्य होंगे। एनएससी के पास इस उपबंध में उल्लिखित अथवा समय समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तियों को छोड़कर सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा ।

एनएससी के उत्तरदायित्व में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का अनुमोदन करना जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम तथा प्रमाणन ट्रेड मार्क "भारतीय जैविक लोगो" के उपयोग के लिए विनियमों को शामिल करेंगे।

ख. एनएससी के सदस्यों की संरचना में परिवर्तनों का अनुमोदन करना।

ग. राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) का गठन करना।

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यचालन की समीक्षा करने और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन और कार्यचालन के संबंध में विभिन्न नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने के लिए एनएससी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी । ऐसी बैठक के लिए कोरम इसकी कुल संख्या का 30% होगा।

2.4.3 राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी)

राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन, उनके प्रत्यायन कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और समीक्षा तथा प्रमाणन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रम में विपठन/उल्लंघन देखे जाने पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए शीर्ष निकाय है।

क. एनएबी में निम्नलिखित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे:

i. संयुक्त सचिव, आईएनएम प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ।

ii. संयुक्त सचिव (विपणन), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

iii. संयुक्त सचिव, सहकारिता मंत्रालय

iv. अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।

v. अध्यक्ष, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा)।

vi. सचिव, स्पाइसेज(Spices) बोर्ड।

vii. सचिव, कॉफी बोर्ड।

viii. उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड

ix. बागवानी आयुक्त, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।

x. कार्यकारी निदेशक (विनियामक अनुपालन) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)

xi. निदेशक/उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

xii. प्रमुख, विस्तार विभाग, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान(आईवीआरआई)

ख. वाणिज्य सचिव द्वारा नामित अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, एनएबी के अध्यक्ष होंगे।

ग. एनएबी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए उप-समितियों जिसे यह उपयुक्त मानें, की नियुक्ति कर सकता है।

घ. एनएबी के पास भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा।

ड. एनएबी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यचालन और प्रचालन की समीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगा।

च. एनएबी के उत्तरदायित्व में निम्नलिखित शामिल होगा:

i. प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन और मूल्यांकन के लिए कार्य-विधियां बनाना।

ii. प्रमाणन निकायों की कार्यविधियों/प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण।

iii. मूल्यांकन समिति के सदस्यों को पैनल में शामिल करना।

iv. प्रमाणन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रम की समीक्षा करना।

v. प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन।

vi. प्रमाणन निकायों पर प्रतिबंध लगाना।

vii. प्रचालकों का पर्यवेक्षण करना।

viii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई अन्य मामला।

ix. प्रचालकों पर प्रतिबंध लगाना।

x. कोई अन्य भूमिका अथवा उत्तरदायित्व जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत समय समय पर एनएबी को सौंपा गया हो।

छ. एनएबी की बैठक के लिए कोरम इसकी कुल संख्या का 30% होगा।

2.4.4 कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) - राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिका

एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। एपीडा का अपने सचिवालय के रूप में उत्तरदायित्व में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी बैठकों का आयोजन एवं संयोजना करना।

ii. आवेदक निकायों से आवेदनों को प्राप्त करना और उसकी छानबीन करना तथा उनके मूल्यांकनों का समन्वय और व्यवस्था करना।

iii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक उत्पादन में शामिल सभी स्टेकहोल्डरों के प्रचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

iv. प्रमाणन निकायों की लेखा परीक्षा/मूल्यांकन/आवेक्षण(survillance)।

v. एनएबी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आकलन रिपोर्ट तैयार करना।

vi राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित एनएससी, एनएबी और समितियों के निर्णयों का कार्यान्वियन।

vii. आयात करने वाले देशों/स्टेकहोल्डरों से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के प्रचालन में प्राप्त शिकायतों की जांच।

viii. निरीक्षण और प्रमाणन के लिए प्रमाणन निकायों को समय समय पर आवश्यक कार्यान्वियन दिशा-निर्देश जारी करना।

ix. संभावित व्यापार भागीदारों के साथ जैविक उत्पादों में व्यापार के लिए आपसी मान्यता करार (MRA) करना।

x. व्यापार भागीदारों के साथ मान्यता करार का कार्यान्वियन।

xi. प्रचालकों की ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी प्रणाली ट्रेसनेट और पर्यवेक्षण के माध्यम से प्रमाणन निकायों की मॉनिटरिंग और आवेक्षण।

xii. संबंधित स्टेकहोल्डरों का राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानकों के संबंध में क्षमता निर्माण।

xiii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम हेल्प डेस्क को प्रचालित करना और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम प्रणालियों की ट्रेसेबिलिटी / राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम दिशा-निर्देशों का अनुपालन/प्रमाणन निकायों के संबंध में प्रचालकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करना।

xiv. भारत में जैविक पारिस्थितिकी प्रणाली के विकास के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।

xv. आयात करने वाले देशों के मानदंडों/आवश्यकताओं के अनुसार जैविक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी प्रणाली स्थापित और सुदृढ़ करना।

xvi. कोई अन्य कार्य जिसे एनएससी/एनएबी द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए।

एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए आईएसओ 17011 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

2.4.5 तकनीकी समिति

एनएबी तकनीकी मानकों को तैयार करने, मौजूदा मानकों में संशोधन/परिवर्तनों का सुझाव देने, समय समय पर मानकों की समीक्षा करने और संगठित क्षेत्र से संबंधित संगत मुद्दों पर सलाह देने के लिए संबंधित क्षेत्र/संगठनों से लिए गए विशेषज्ञों वाली विभिन्न तकनीकी समितियां गठित कर सकती है।

2.4.6 मूल्यांकन समिति (ईसी)

क. एपीडा प्रमाणन निकाय के प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यान्वियन का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन समिति गठित करेगा। एनएबी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अथवा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल किए गए कृषि संबंधित क्षेत्र में योग्य विशेषज्ञों का पैनल अनुमोदित करेगा। ये विशेषज्ञ संगठनों अथवा स्वतंत्र लेखा परीक्षक जो प्रमाणन कार्यकलापों में शामिल नहीं हैं, से लिए जाएंगे। वे एपीडा के साथ गोपनीयता के अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। विशेषज्ञ लेखा परीक्षा की कार्यविधियों में निपुण होने चाहिए।

ख. मूल्यांकन समिति विशेषज्ञ इस पैनल से लिए जाएंगे और इसमें तीन विशेषज्ञ होंगे। दो विशेषज्ञ कोरम पूरा करेंगे। ऐसी मूल्यांकन समिति वर्ष में कम से कम एक बार प्रमाणन निकाय का मूल्यांकन करेगी और मूल्यांकन के पूरा होने के बाद एपीडा को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ग. पारदर्शिता और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए किसी एक मूल्यांकन समिति द्वारा प्रमाणन निकाय का मूल्यांकन लगातार 2 वर्षों तक नहीं किया जाएगा।

2.4.7 प्रमाणन निकाय

प्रमाणन निकाय वे एजेंसियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय द्वारा जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यायित किया गया है। प्रमाणन निकाय एनएबी द्वारा अनुमोदित प्रत्यायन के क्षेत्र के अनुसार प्रचालक(कों) को प्रमाणित करेगा।

2.4.8 प्रचालक

जैसा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के उपबंध 50 , परिभाषा अध्याय 1 में परिभाषित किया गया है।

2.4.9 ट्रेसनेट

i. ट्रेसनेट एक वेब आधारित प्रमाणन-सह-ट्रेसेबिलिटी प्रणाली है जिसका विकास और कार्यान्वियन एपीडा द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अनुपालन में भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रक्रिया प्रमाणन (उत्पादन, प्रचालन और व्यापार) की निगरानी के लिए किया गया है।

ii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रमाणन निकायों और प्रचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ट्रेसनेट के माध्यम से प्रचालित करे।

iii. केवल अधिकृत पंजीकृत स्टेकहोल्डर(प्रमाणन निकाय और प्रचालक) ट्रेसनेट प्रणाली तक पहुंच सकता है। सभी अपेक्षित जैविक प्रक्रिया, प्रमाणन और प्रमाण-पत्र जैसे क्षेत्र प्रमाण-पत्र और ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र (अनंतिम सहित) एक उत्कृष्ट सत्यापन योग्य कोड के साथ ट्रेसनेट के माध्यम से जारी किया जाएगा।

iv. प्रमाणन के मानक प्रचालनों के अलावा, ट्रेसनेट राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणन प्रक्रियाओं की समग्र मॉनिटरिंग और आवेक्षण शामिल करेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   क. आंकड़े विश्लेषक के माध्यम से जोखिम की पहचान करना

   ख. रियल टाइम मॉनिटरिंग

   ग. पूर्वानुमान संबंधी विश्लेषण

v. प्रणाली द्वारा पता लगाए गए जोखिम और चेतावनियों के आधार पर, उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी, जहां राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं से विपठन और मानकों का जानबूझकर उल्लंघन देखा जाता हो।

3 जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक (एनएसओपी)

एनपीओपी का यह अध्याय निम्नलिखित उत्पाद श्रेणियों के जैविक उत्पादन के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग और लेबलिंग मानकों का उल्लेख करता है:

i. फसल उत्पादन

ii. पशुधन, मुर्गी पालन और उत्पाद

iii. मधुमक्खी पालन

iv. जलकृषि उत्पादन

v. प्रसंस्करण और हैंडलिंग

vi. पशु चारा प्रसंस्करण और हैंडलिंग

vii. मशरूम उत्पादन

viii. समुद्री खरपतवार, जलीय पौधे और ग्रीन हाउस फसल उत्पादन

3.1. जैविक फसल उत्पादन

जैविक फसल उत्पादन प्रबंधन में विविध रोपण योजना शामिल होनी चाहिए। दीर्घकालिक फसलों के लिए, इसमें भूमि को ढकने वाली फसलें शामिल होनी चाहिए। वार्षिक फसलों के लिए, इसमें विविध फसल चक्र पद्धतियाँ, आवरण फसलें (हरी खाद), अंतर-फसल या अन्य विविध पौध उत्पादन विधियाँ शामिल होनी चाहिए।

3.1.1. फसल उत्पादन योजना

क) एनएसओपी (जिसे आगे 'मानक' कहा जाएगा) के तहत प्रमाणन चाहने वाले उत्पादक को जैविक फसल उत्पादन योजना विकसित करनी होगी। इस योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. फसल चक्र के अनुसार उत्पादन चक्र (मुख्य फसल और अंतर फसल) में फसलों का विवरण।

ii. निष्पादित और बनाए रखने की प्रथाओं और प्रक्रियाओं का विवरण।

iii. उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट की सूची, उनकी संरचना, उपयोग की आवृत्ति, आवेदन दर और वाणिज्यिक उपलब्धता के स्रोत के साथ।

iv. जैविक रोपण सामग्री (बीज और अंकुर) का स्रोत।

v. यह सत्यापित करने के लिए कि उत्पादन योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जा रही है, निष्पादित और बनाए रखने की निगरानी प्रथाओं और प्रक्रियाओं का विवरण।

vi. पारंपरिक खेत, विभाजित संचालन और समानांतर संचालन से जैविक उत्पादन इकाई के सह-मिश्रण और संदूषण को रोकने के लिए स्थापित प्रबंधन प्रथाओं और भौतिक अवरोध का विवरण।

vii. आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कार्यान्वित रिकॉर्ड-कीपिंग प्रणाली का विवरण।

ख) ऑपरेटरों को जैविक प्रणाली योजना/जैविक उत्पादन एवं हैंडलिंग योजना में किसी भी रूपांतरण के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

3.1. 2. रूपांतरण आवश्यकताएँ

i. जैविक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना और मिट्टी की उर्वरता के निर्माण के लिए एक अंतरिम अवधि की आवश्यकता होती है, जिसे रूपांतरण अवधि के रूप में जाना जाता है। यह वह अवधि है जिसमें इन लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आवश्यक सभी क्रियाएँ शुरू की जाती हैं।

ii. रूपांतरण के साथ आगे बढ़ने के तरीके की स्पष्ट योजना के माध्यम से एक खेत को परिवर्तित किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो इस योजना को उत्पादक द्वारा अद्यतन किया जाएगा और इन मानकों के तहत पूरी की जाने वाली सभी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाएगा।

iii. इन मानकों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को रूपांतरण अवधि के दौरान पूरा किया जाएगा। ये सभी आवश्यकताएँ रूपांतरण अवधि के प्रारंभ से लागू होंगी।

iv. रूपांतरण अवधि की शुरूआत की गणना प्रमाणन निकाय द्वारा ऑपरेटर के

पहले निरीक्षण की तारीख से की जाएगी।

v. उपरोक्त आवश्यकताओं के बावजूद, एक पूर्ण रूपांतरण अवधि की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ इन मानकों के तहत निर्धारित वास्तविक आवश्यकताएँ कई वर्षों से पूरी हो चुकी हैं और जहाँ उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर उनका सत्यापन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निरीक्षण पहली कटाई से पहले उचित समय अंतराल में किया जाएगा।

3.1. 3. रूपांतरण काल की अवधि

i. वार्षिक और द्विवार्षिक फसलों के मामले में, उत्पादित पौधों के उत्पादों को जैविक प्रमाणित किया जा सकता है, जब बुवाई (उत्पादन चक्र की शुरुआत) से पहले कम से कम दो (2) वर्षों (जैविक प्रबंधन) की रूपांतरण अवधि के दौरान इन मानकों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो।

ii. चरागाह (चारागाह और घास के मैदानों को छोड़कर) के अलावा दीर्घकालिक पौधों के मामले में, इन मानकों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, कम से कम तीन(3) वर्षों के जैविक प्रबंधन के बाद पहली फसल को जैविक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है।

iii. प्रमाणन निकाय भूमि की पिछली स्थिति/उपयोग और पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर रूपांतरण अवधि के विस्तार या कमी के लिए (कुछ मामलों में) निर्णय लेंगे।

3.1. 4. रूपांतरण अवधि में छूट

अपवाद के रूप में, पिछली अवधि को वार्षिक और दीर्घकालिक फसलों के लिए पूरे 3 साल तक की रूपांतरण अवधि के रूप में माना जा सकता है यदि दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है कि न्यूनतम तीन (3) वर्ष या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए नि-म्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

क. आवश्यकताएं

रूपांतरण अवधि में अवमूल्यन की अनुमति निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों में से किसी एक के लिए दी जा सकती है:

I. भूमि को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (पीजीएस) के तहत तीन (3) वर्षों की निरंतर अवधि के लिए प्रमाणित किया गया है, जो उस अवधि से ठीक पहले है जिसके लिए रूपांतरण अवधि के रूप में मान्यता मांगी गई है।इस अवधि के दौरान आवेदक पर

जैविक प्रक्रियाओं की अखंडता को प्रभावित करने वाले गैर-अनुपालन से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो।

II. यह भूमि हिमालयी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों[1] में स्थित है, और उक्त क्षेत्र को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राकृतिक के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें तीन वर्षों की न्यूनतम निरंतर अवधि के लिए उन उत्पादों या पदार्थों का प्रयोग नहीं किया गया है जिनकी इन मानकों के तहत निर्धारित जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अनुमति नहीं है।

ख. दस्तावेजी साक्ष्य

आवेदक द्वारा अवमूल्यन के लिए आवेदन प्रमाणन निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे:

I: 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' के तहत प्रमाणित भूमि

i. वैध पीजीएस प्रमाणपत्र जमा करना।

ii. पीजीएस समूह की स्थिति के बारे में नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग (एनसीओएनएफ) से प्रस्तुत पीजीएस प्रमाण पत्र की वैधता और लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हो, का सत्यापन ।

II: हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अधिसूचित क्षेत्र, जहां भूमि प्राकृतिक है तथा न्यूनतम तीन वर्षों से अनधिकृत पदार्थों से उपचारित नहीं की गई है।

i. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की एक प्रति, जिसमें उक्त क्षेत्र (जहां आवेदक की भूमि स्थित है) को प्राकृतिक के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें न्यूनतम तीन (3) वर्षों की निरंतर अवधि के लिए उन उत्पादों या पदार्थों का प्रयोग नहीं किया गया है जिनकी जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अनुमति नहीं है, जैसा कि इन मानकों के तहत निर्धारित है।

ii. भू-निर्देशांक (geo coordinates) के साथ एक नक्शा जिसमें भूमि को दर्शाया गया है जिसके लिए रूपांतरण अवधि में कटौती का अनुरोध किया गया है।

---

1 राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के अनुसार औसत समुंदर तल से 600 मीटर से अधिक की उंचाई या 30 डिग्री की औसत ढलान वाला कोई भी क्षेत्र।

ग. प्रमाणन निकाय द्वारा सत्यापन

ख (I) or ख (II) के तहत निर्धारित उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सत्यापन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

i. प्रमाणन निकाय उस भूमि के स्थान का भौतिक सत्यापन करेगा जिसके लिए अवमूल्यन का अनुरोध किया गया है।

ii. प्रमाणन निकाय प्रयोग की गई खेती प्रथाओं के लिए ऑपरेटरों के रिकॉर्ड को सत्यापित करेगा।

iii. पिछले तीन वर्षों के लिए अनधिकृत पदार्थों के उपयोग के लिए एक विस्तृत जोखिम विश्लेषण करेंगा। समूहों के प्रत्येक सदस्य के खेतों से अवशेष विश्लेषण के लिए मिट्टी और पौधों के नमूने लेगा ।

iv. विस्तृत औचित्य के साथ परिवर्तन अवधि के लिए अनुरोधित अवमूल्यन पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और कार्यवाही के लिए एपीडा को प्रस्तुत करें।

v. अंतिम निर्णय इस उद्देश्य के लिए गठित NAB सब- कमिटी द्वारा किया जाएगा।

3.1. 5. रूपांतरण अवधि में जैविक उत्पाद

रूपांतरण अवधि के समय/दौरान जैविक उत्पादों को जैविक के रूप में नहीं बेचा जाएगा।

हालांकि, निम्नलिखित उत्पादों को नीचे उल्लिखित शर्तों के साथ रूपांतरण अवधि में जैविक कृषि उपज के रूप में बेचा जा सकता है:

क. पादप प्रजनन सामग्री, जहाँ इन मानकों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं को कम से कम बारह महीनों तक पूरा किया गया हो।

ख. केवल एक कृषि फसल घटक वाले पादप मूल के खाद्य और चारा उत्पाद, बशर्ते कि इन मानकों के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो और कटाई से कम से कम 12 महीने पहले रूपांतरण अवधि का अनुपालन किया गया हो। ऐसे उत्पादों को जैविक के रूप में लेबल नहीं किया जाएगा और रूपांतरण उत्पादों में भारतीय जैविक लोगो का उपयोग नहीं किया जाएगा।

3.1. 6. पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem)

I. जैविक खेती पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए लाभकारी होगी।

प्रमाणन कार्यक्रम जैव विविधता और प्रकृति संरक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र के न्यूनतम प्रतिशत के लिए मानक/प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगा।

II. जैविक रूप से प्रबंधित क्षेत्र जैव विविधता और प्रकृति संरक्षण को सुविधाजनक बनाएंगे।

3.1. 7 फसलों और किस्मों का चयन

i. सभी बीज और पौध सामग्री जैविक प्रमाणित होनी चाहिए। उगाई जाने वाली प्रजातियाँ और किस्में मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए और कीटों और बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए। किस्मों के चयन में आनुवंशिक विविधता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ii. जब जैविक बीज और पौध सामग्री उपलब्ध हो, तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

क. जब प्रमाणित जैविक बीज और पौध सामग्री उपलब्ध न हो, तो रासायनिक रूप से अनुपचारित पारंपरिक बीज और पौध सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

ख. उत्पादक अपने सिस्टम प्लान में मौसम के अनुसार परिवर्तित या गैर-जैविक बीजों और पौध सामग्री के उपयोग के लिए प्रमाणन निकाय को सूचित करेगा और प्रमाणन निकाय द्वारा निरीक्षण के दौरान इसका सत्यापन किया जाएगा।

ग. आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों, ट्रांसजेनिक पौधों या पौध सामग्री का उपयोग सख्त वर्जित है।

3.1. 8 फसल उत्पादन में विविधता एवं प्रबंधन योजना

i. जैविक खेती में फसल उत्पादन का आधार मिट्टी और आस-पास के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की संरचना और उर्वरता को ध्यान में रखना होगा, ताकि पोषक तत्वों की हानि को कम किया जा सके।

ii. जहां उपयुक्त हो, जैविक खेतों को कीटों, खरपतवारों, बीमारियों और अन्य कीटों के दबाव को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त विविधता बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जबकि मिट्टी, कार्बनिक पदार्थ, उर्वरता, सूक्ष्मजीव गतिविधि और सामान्य मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना या बढ़ाना होगा।

iii. मिट्टी की उर्वरता को अन्य चीजों के अलावा, फलियों या गहरी जड़ वाले पौधों की खेती और हरी खाद के उपयोग के माध्यम से बनाए रखा जाएगा, साथ ही साल में कई बार फसल चक्रण का कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा और जैविक इनपुट के साथ निषेचन (fertilization) किया जाएगा।

3.1. 9. पोषक तत्व प्रबंधन

i. जैविक खेतों पर उत्पादित सूक्ष्मजीवी, पौधे या पशु मूल की जैवनिम्नीकरणीय (biodegradable) सामग्री की पर्याप्त मात्रा पोषक तत्व प्रबंधन कार्यक्रम का आधार बनेगी, ताकि इसकी उर्वरता और इसके भीतर जैविक गतिविधि को बढ़ाया या संधारित (maintain) किया जा सके।

ii. उर्वरक प्रबंधन को पोषक तत्वों की हानि को कम करना चाहिए। भारी धातुओं (heavy metals) और अन्य प्रदूषकों के संचय को रोका जाना चाहिए ।

iii. गैर-कृत्रिम खनिज उर्वरक और आयातित जैव उर्वरक (जैविक मूल के) को पोषक तत्व पुनर्चक्रण के प्रतिस्थापन के रूप में नहीं बल्कि पूरक के रूप में माना जाएगा।

iv. उत्पादक द्वारा मिट्टी में वांछित पीएच स्तर बनाए रखा जाएगा।

v. प्रमाणन कार्यक्रम स्थानीय परिस्थितियों और फसलों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए फार्म इकाई पर लाए गए सूक्ष्मजीवी, पौधे या पशु मूल की जैवनिम्नीकरणीय (biodegradable) सामग्री की कुल मात्रा पर सीमाएँ निर्धारित करेगा।

vi. खनिज उर्वरकों का उपयोग केवल कार्बन आधारित सामग्रियों की पूरक भूमिका में किया जाएगा। केवल उन जैविक या खनिज उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा जो खेत में लाए जाते हैं (पॉटिंग कम्पोस्ट सहित) जब, परिस्थितियों की मांग **अनुलग्नक 3(1)** के अनुसार हो।

vii. उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब अन्य उर्वरता प्रबंधन पद्धतियों को अनुकूलित/समाप्त कर दिया गया हो।

viii. मानव मल (मल और मूत्र) युक्त खाद का उपयोग कीटों, परजीवियों और संक्रामक एजेंटों के संचरण को रोकने के लिए नहीं किया जाएगा।

ix. खनिज उर्वरकों को उनकी प्राकृतिक संरचना में लागू किया जाएगा और रासायनिक उपचार द्वारा उन्हें अधिक घुलनशील नहीं बनाया जाएगा।

प्रमाणन कार्यक्रम अनुलग्नक 3(1) में निर्धारित अपवाद प्रदान कर सकता है। इन अपवादों में नाइट्रोजन युक्त खनिज उर्वरक शामिल नहीं होंगे।

x. प्रमाणन कार्यक्रम में खनिज पोटेशियम, मैग्नीशियम उर्वरक, ट्रेस तत्व, खाद और अपेक्षाकृत उच्च भारी धातु सामग्री और/या अन्य अवांछित पदार्थों, जैसे कि मूल स्लैग, रॉक फॉस्फेट और सीवेज कीचड़ वाले उर्वरकों जैसे इनपुट के उपयोग के लिए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सभी सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक निषिद्ध हैं।

3.1. 10. कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन

i. जैविक खेती प्रणाली को इस तरह से चलाया जाएगा कि कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। संतुलित उर्वरक कार्यक्रम, पर्यावरण के अनुकूल फसलों और किस्मों के उपयोग, अनुकूलित चक्रों, अंतर-फसल, हरी खाद आदि पर जोर दिया जाता है। वृद्धि और विकास प्राकृतिक तरीके से होगा।

ii. खरपतवारों, कीटों और बीमारियों को कई निवारक सांस्कृतिक तकनीकों के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा जो संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन कार्यक्रम में उनके विकास को सीमित करते हैं, जैसे उपयुक्त चक्र, हरी खाद, प्रारंभिक और प्री-ड्रिलिंग बीज बिस्तर की तैयारी, मल्चिंग, यांत्रिक नियंत्रण और कीट विकास चक्रों की गड़बड़ी। मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेंगे कि कीटों, परजीवियों और संक्रामक एजेंटों के संचरण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

iii. कीटों की पारिस्थितिक आवश्यकताओं को समझकर और उन्हें बाधित करके कीट प्रबंधन को विनियमित किया जाएगा। कीटों और बीमारियों के प्राकृतिक शत्रुओं को हेज, घोंसले के शिकार स्थलों आदि के उचित आवास प्रबंधन के माध्यम से संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा। कीट शिकारी चक्र में संतुलन लाने के लिए एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जाएगा।

iv. स्थानीय पौधों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों से खेत में तैयार कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की अनुमति दी जाएगी। यदि पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) या जैविक उत्पादों की गुणवत्ता खतरे में पड़ सकती है, तो प्रमाणन कार्यक्रम यह तय करेगा कि उत्पाद जैविक कृषि में अतिरिक्त इनपुट का मूल्यांकन करने के लिए दी गई प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार्य है या नहीं।

v. कीट, रोग और खरपतवार प्रबंधन के लिए थर्मिक खरपतवार नियंत्रण और भौतिक तरीकों की अनुमति दी जाएगी।

vi. कीटों और बीमारियों से निपटने के लिए मिट्टी का थर्मिक बंध्यीकरण (thermic sterilization) उन परिस्थितियों तक सीमित होगा जहां मिट्टी का उचित रोटेशन या नवीनीकरण नहीं हो सकता है। प्रमाणन कार्यक्रम मामला-दर-मामला आधार पर केवल अनुमति दे सकता है।

vii. पारंपरिक खेती प्रणालियों के सभी उपकरणों को जैविक रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में उपयोग करने से पहले ठीक से साफ किया जाना चाहिए और अवशेषों से मुक्त होना चाहिए।

viii. कृत्रिम शाकनाशी, कवकनाशी, वृद्धि नियामक, कृत्रिम रंग कीटनाशक और अन्य कीटनाशकों का उपयोग निषिद्ध है।

ix. एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) का उपयोग सख्त वर्जित है

x. पौधों के कीट और रोग नियंत्रण के लिए अनुमत उत्पाद अनुलग्नक-3(2) में सूचीबद्ध हैं। उत्पादक को उत्पाद के उपयोग की आवश्यकता के दस्तावेजी साक्ष्य रखने होंगे।

xi. इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक उत्पादों का उपयोग के लिए अनुमोदन दिए जाने से पहले प्रमाणन निकाय द्वारा अनुलग्नक-3(3) में दिए गए मानदंडों के अनुसार सदैव मूल्यांकन किया जाएगा।

xii. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या उत्पादों का उपयोग निषिद्ध है।

3.1.11. संदूषण (contamination) नियंत्रण

i. खेत के बाहर और भीतर से संदूषण को कम करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए जाएंगे।

ii. पारंपरिक खेतों से संदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाएगा। बफर जोन का आकार इतना होना चाहिए कि आस-पास के पारंपरिक भूमि क्षेत्रों/खेतों पर लगाए गए निषिद्ध पदार्थों के अनपेक्षित संपर्क की संभावनाओं को रोका जा सके ।

iii. बफर जोन में बीज और चारा सहित फसलें गैर-जैविक होने के कारण जैविक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में नहीं लाई जाएंगी।

iv. बफर जोन और पृथक्करण उपायों (separation measures) को वार्षिक निरीक्षणों के दौरान प्रमाणन निकाय द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

v. संदूषण के उचित संदेह के मामले में, प्रमाणन कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि संदूषण के स्तर को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक उत्पादों और प्रदूषण के संभावित स्रोतों (मिट्टी और पानी) का विश्लेषण किया जाए।

vi. पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपाइलीन या अन्य पॉलीकार्बोनेट कवरिंग जैसे प्लास्टिक मल्च, ऊन, कीट जाल और साइलेज रैपिंग की ही अनुमति है। इन्हें भी उपयोग के बाद मिट्टी से हटा दिया जाएगा और खेत में नहीं जलाया जाएगा। पॉलीक्लोराइड आधारित उत्पादों का उपयोग निषिद्ध है।

3.1. 12. मृदा एवं जल संरक्षण

i. मृदा और जल संसाधन दीर्घकालीन रूप से व्यवस्थित किये जायेंगे। भूमिक्षरण, लवणीकरण (salination) को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे, ताकि पानी के अत्यधिक और अनुचित उपयोग और भूजल तथा सतही जल के प्रदूषण को रोका जा सके।

ii. कार्बनिक पदार्थों को जलाने के माध्यम से भूमि को साफ करना, जैसे कि स्लैश-एंड-बर्न, पुआल जलाना, न्यूनतम तक सीमित किया जाएगा। प्राथमिक वनों की कटाई सख्त वर्जित है।

iii. प्रमाणन कार्यक्रम उचित भंडारण दरों की जांच करेगा, जिससे भूमि का क्षरण और भूजल तथा सतही जल का प्रदूषण न हो।

3.1.13. पौधा मूल/वन उपज की गैर-कृषि सामग्री का संग्रहण।

i. प्राकृतिक रूप से तथा जंगल में उगाए गए जंगली पौधों तथा उनके भागों का संग्रह जैविक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, बशर्ते संग्रह क्षेत्रों में जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत उत्पादों के अलावा किसी अन्य उत्पाद से कोई उपचार न किया गया हो।

ii. यदि खेती वन क्षेत्र में की जाती है, तो संचालक जैविक कृषि खेती की समान प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।

iii. जैविक संग्रह प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लघु वन उपज संग्रह

के मामले में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का कानून लागू होगा तथा संग्रहित प्रजातियों की संधारणीय उपज से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को अन्यथा खतरा नहीं होना चाहिए।

iv. संग्रह का कार्य प्राकृतिक क्षेत्रों के रखरखाव में सकारात्मक रूप से योगदान देना चाहिए। उत्पादों की कटाई या संग्रह करते समय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के रखरखाव और संधारणीयता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैविक संचालकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित जंगली संग्रह क्षेत्र की सीमाओं के भीतर से ही उत्पाद एकत्र करने चाहिए।

v. जंगली रूप से काटे गए उत्पाद केवल तभी प्रमाणित जैविक माने जाएंगे, जब वे स्थिर और बढ़ते संधारणीय वातावरण से प्राप्त हों। उत्पाद की कटाई या संग्रह पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की संधारणीय उपज से अधिक नहीं होना चाहिए अथवा पौधे या पशु प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं पहुंचाना चाहिए।

vi. उत्पाद तभी प्रमाणित जैविक हो सकते हैं, जब उन्हें संग्रहण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से प्राप्त किया गया हो, जिसे वन विभाग या राज्य विभाग द्वारा संग्रहण के अधिकृत क्षेत्र के मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, जो निरीक्षण के अधीन है।

vii. एनपीओपी के तहत प्रमाणित वन्य संग्राहक के पास वन क्षेत्र से संग्रहण और परिवहन के लिए आवश्यक अनुमति पत्र (Permit) होना चाहिए।

viii. प्रमाणन निकाय संग्रहण के लिए अनुमत उत्पाद और उपज के लिए वन विभाग के अनुमति पत्र का सत्यापन करेगा। इसके अलावा, संग्रहण क्षेत्र को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए वन विभाग का एक अनुमोदित मानचित्र संचालक के पास उपलब्ध होना चाहिए और वन्य संग्रहण के लिए प्रमाणित करने से पहले प्रमाणन निकाय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

ix. संग्रहण क्षेत्र पारंपरिक खेती से उचित दूरी पर होना चाहिए ताकि प्रदूषण और संदूषण को रोका जा सके।

x. उत्पादों की कटाई या संग्रह का प्रबंधन करने वाले उत्पादक को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए और संबंधित संग्रहण क्षेत्र से परिचित होना चाहिए।

3. 2. जैविक पशुधन मुर्गीपालन और उत्पाद

3.2.1 कार्यक्षेत्र

इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित पशुधन मानकों में गोजातीय (भैंस, मिथुन सहित), भेड़, सूअर, बकरी, खरगोश, मुर्गी, कीड़े और मधुमक्खियां तथा/या समय-समय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य पशु शामिल है, जिसे भोजन/फाइबर के लिए, उनके व्युत्पन्न(derivatives) और उप-उत्पादों के उत्पादन के लिए पाला जाता है। जंगली जानवरों के शिकार या मछली पकड़ने से उत्पन्न उत्पादों को पशुधन मानकों का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

3.2.2. सामान्य सिद्धांत

जैविक पशुधन उत्पादन सामान्यतः भूमि आधारित गतिविधि है तथा यह जैविक कृषि इकाई का अभिन्न अंग होता है तथा पशुधन का प्रबंधन जैविक खेती के सिद्धांतों के अनुरूप होगा तथा इसका आधार होगा:

क. प्राकृतिक प्रजनन;

ख. पशु स्वास्थ्य एवं कल्याण की सुरक्षा;

ग. जैविक चारा एवं आहार दिया जाना;

घ. जैविक खेतों में चरने की सुविधा;

ङ प्राकृतिक व्यवहार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता;

च. तनाव में कमी तथा

छ. रासायनिक रूप से संश्लेषित एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं, एंटीबायोटिक्स, हार्मोन, वृद्धि वर्धक, चारा योजक आदि के उपयोग पर प्रतिबंध।

भूमिहीन पशुधन उत्पादन वहां निषिद्ध है, जहां संचालक के पास जैविक रूप से प्रबंधित भूमि नहीं है और /या उसने इन नियमों के 3.1 में निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन में किसी अन्य प्रमाणित जैविक संचालक के साथ लिखित सहयोग समझौता स्थापित नहीं किया है।

ऐसे मामलों में जहां फार्म की पारंपरिक पालन प्रणाली और/या प्रतिकूल जलवायु परि-स्थितियां चारागाह तक आसान पहुंच की अनुमति नहीं देती हैं, इन नियमों के तहत प्रमाणित जैविक चारा प्रदान करके पशुधन का उत्पादन किया जा सकता है, बशर्ते कि इन नियमों के तहत निर्दिष्ट इनडोर और आउटडोर स्थान की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन हो (धारा 3.2.6)।

3.2.3. जैविक प्रबंधन योजना

प्रमाणन निकाय द्वारा फार्म के पंजीकरण के दौरान, उत्पादक को एक जैविक प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होती है, जिसे निरीक्षण के दौरान सत्यापित किया जाना आवश्यक है। इस योजना को सालाना अपडेट किया जाएगा। ऑपरेटरों को जैविक प्रबंधन योजना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

3.2.4. नस्लों का चयन, स्रोत और उत्पत्ति

3.2.4.1. नस्लों का चयन

पशुधन और मुर्गीपालन, नस्लों और प्रजनन विधियों का चयन जैविक खेती के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

क. स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के प्रति उनका अनुकूलन और

ख. उनकी जीवन शक्ति और रोगों के प्रति प्रतिरोध

3.2.4.2. स्रोत/उत्पत्ति

i. जैविक पशुधन का जन्म या पालन-पोषण जैविक उत्पादन इकाइयों में किया जाना चाहिए, जो इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती हों, या इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित शर्तों के तहत पाले गए जानवरों की संतान होनी चाहिए;

ii. जैविक और गैर-जैविक इकाइयों के बीच पशुधन और मुर्गी के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य इकाइयों से लाए गए पशुधन और मुर्गी इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हों;

iii. गैर-जैविक उत्पादन इकाइयों पर पाले गए पशुधन और मुर्गी को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार जैविक में परिवर्तित किया जाएगा;

iv. जब कोई उत्पादक प्रमाणन निकाय की संतुष्टि के लिए प्रदर्शित करता है कि जैविक स्रोत पशुधन उपलब्ध नहीं है, तो प्रमाणन निकाय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसे पशुधन और मुर्गी को अनुमति दे सकता है:

क. जब उत्पादक पहली बार जैविक पशुधन और मुर्गी पालन का संचालन शुरू कर रहा हो;

ख. जब उत्पादक पशुधन और मुर्गी की नस्ल/प्रजाति बदलना चाहता हो या जब नया पशुधन और मुर्गी पालन विशेषज्ञता विकसित की जा रही हो;

ग. झुंड के नवीनीकरण के लिए, उदाहरण के लिए, आपदाजनक परिस्थितियों के कारण पशुओं की उच्च मृत्यु दर के कारण; और

घ. जब उत्पादक फार्म में प्रजनन करने वाले नरों को लाना चाहता हो। ऐसे सभी मामलों में ऐसे पशुओं का उत्पाद एनपीओपी के विनियमन **3.2.7** के तहत निर्दिष्ट रूपांतरण अवधि के पूरा होने के बाद ही जैविक के लिए योग्य होगा।

v. जब पहली बार झुंड/ समूह का गठन किया जाता है, तो प्रजनन के उद्देश्य से गैर-जैविक युवा जानवरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें दूध छुड़ाने के तुरंत बाद एनएसओपी के अनुसार पाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिस तिथि को वे पशु झुंड में शामिल होंगे, उस तिथि पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे:

क. गोजातीय पशु छह महीने से कम उम्र के होंगे;

ख. अंडा देने योग्य पशु और बकरा **60** दिन से कम उम्र के होंगे;

ग. सूअर का वजन **35** किलोग्राम से कम होगा;

घ. खरगोश तीन महीने से कम उम्र के होंगे।

vi. जब झुंड का प्रारंभिक गठन, नवीनीकरण या पुनर्गठन किया जाता है, और यदि किसानों की गुणात्मक और मात्रात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं, तो प्रमाणन निकाय की मंजूरी के साथ गैर-जैविक रूप से पाले गए पोल्ट्री को जैविक पोल्ट्री उत्पादन इकाई में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे पोल्ट्री की आयु तीन दिन से कम होनी चाहिए, तथा उनके उत्पाद केवल निर्दिष्ट रूपांतरण अवधि का पालन करने के बाद ही जैविक पदनाम के लिए पात्र होंगे।

3. 2. 5. पशुधन पहचान और पशु रिकॉर्ड रखना

3. 2. 5. 1. पशुधन पहचान

प्रत्येक पशु/झुंड/बैच पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होगी। बड़े पशुओं जैसे गोजातीय, अंडाणु, बकरी, सूअर आदि पर टैग के रूप में अलग-अलग संख्या अंकित होगी, जबकि

पोल्ट्री पक्षियों और छोटे स्तनधारियों की पहचान झुंड/बैच से की जाएगी;

पशुओं पर पहचान के लिए कान के टैग, आरएफआईडी टैग, बारकोड या कोई अन्य उपयुक्त टैग मुद्रित किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

3. 2. 5. 2. रिकॉर्ड रखना

प्रत्येक पशु/झुंड या बैच के लिए निम्नलिखित डेटा बनाए रखा जाएगा और निरीक्षण के दौरान सत्यापन के लिए प्रमाणन निकाय को उपलब्ध कराया जाएगा:

i. माता-पिता का विवरण;

ii. स्रोत और खरीद का विवरण;

iii. पशु का विवरण;

iv. प्रजनन का विवरण;

v. आहार का विवरण;

vi. टीकाकरण, दवा, पशु चिकित्सक के पर्चे और वापसी की अवधि आदि के विवरण सहित स्वास्थ्य देखभाल का विवरण;

vii. उत्पादन का विवरण;

viii. बिक्री का विवरण और

ix. कोई अन्य प्रासंगिक विवरण

3.2.6. आवास और प्रबंधन

i. पशुओं के आवास और दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन, स्वच्छता, जैव सुरक्षा और पर्यावरण के रखरखाव की योजना पशुधन और मुर्गीपालन की विशिष्ट व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जाएगी और मुक्त आवागमन और सामान्य व्यवहार पैटर्न को व्यक्त करने के अवसर को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाएगा;

ii. पशुओं को बांधा नहीं जाना चाहिए, हालांकि पशुओं को विशिष्ट कारणों से बांधा जा सकता है, जैसे कि दूध दुहना, कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए, नियंत्रित चराई, रात के समय और पशु के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए।

iii. 50 से कम वयस्क पशुओं वाले फार्म ही मवेशियों को बांधने के लिए पात्र हैं, बशर्ते प्रमाणन निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

iv. जहां पशुधन और मुर्गीपालन के सामान्य व्यवहार के लिए समूह में रहना आवश्यक है, वहां पशुओं को अलग-थलग नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें समान प्रकार के लोगों के साथ रखा जाएगा;

v. जहां तक संभव हो दो अलग-अलग प्रकार के पशुओं को एक साथ नहीं रखा जाएगा, जब तक कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए न रखा जाए, जैसे कि टिक्स और अन्य कीटों को खाने के लिए गाय/भैंस के शेड में खुले में घूमने वाले पोल्ट्री पक्षी;

vi. आवास व्यवस्था असामान्य व्यवहार, चोट और बीमारी की रोकथाम सुनिश्चित करेगी;

vii. आग लगने, आवश्यक यांत्रिक सेवाओं के टूटने और आपूर्ति में व्यवधान जैसी आपात स्थितियों को कवर करने के लिए उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध होंगी;

viii. पशुधन और मुर्गी पालन के लिए आवास उन क्षेत्रों में अनिवार्य नहीं होगा जहाँ पशुओं को उनके आराम, स्वास्थ्य और कल्याण से समझौता किए बिना बाहर रहने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त जलवायु परिस्थितियाँ मौजूद हों। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान आश्रय या छायादार क्षेत्र प्रदान किए जा सकते हैं। परिस्थितियों का निरीक्षण और अनुमति प्रमाणन निकाय द्वारा उत्पादक और स्थान-दर-स्थान के आधार पर की जाएगी। बाहरी खुले क्षेत्रों को आंशिक रूप से कवर किया जा सकता है;

ix. आवास की स्थितियाँ पशुधन और मुर्गी पालन की जैविक और व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, जिससे उन्हें भोजन और पानी की आसान पहुँच मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा:

   क. भवन का इन्सुलेशन, हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन सुनिश्चित करना ताकि वायु परिसंचरण, धूल का स्तर, तापमान, सापेक्ष वायु आर्द्रता और गैस सांद्रता को ऐसी सीमाओं के भीतर रखा जाए जो पशुधन और मुर्गी पालन के लिए हानिकारक न हों;

   ख. प्रचुर प्राकृतिक वेंटिलेशन और प्रकाश प्रवेश के लिए;

   ग. पशुओं के लिए हानिकारक न होने वाली उचित बाड़ लगाना।

x. निम्नलिखित शर्तों के तहत परिरोध की अनुमति दी जाएगी:

क. खराब मौसम में पशुओं को चोट से बचाने के लिए;

ख. स्वास्थ्य सुरक्षा या कल्याण सुनिश्चित करने हेतु;

ग. पौधे, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता की रक्षा करने हेतु;

xi. इनडोर आवास और बाहरी रन और पेन(मवेशियों का बाड़ा) के लिए सतह क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता अनुलग्नक -3 (4) में दी गई है।

xii. चरागाह, घास के मैदान या अन्य प्राकृतिक या अर्ध-प्राकृतिक आवासों पर रखे गए पशुओं का बाहरी स्टॉकिंग घनत्व, मिट्टी के क्षरण और वनस्पति के अति-चराई को रोकने के लिए पर्याप्त से कम होना चाहिए।

3.2.6.1. स्तनधारियों के लिए विशेष परिस्थितियाँ

i. सभी स्तनधारियों को खुली हवा में घूमने या आराम करने के लिए जगह, बाड़ा या दौड़ने की जगह मिलनी चाहिए जो आंशिक रूप से ढकी हो और/या बारिश और तेज धूप से बचाने के लिए जगह हो;

ii. प्रमाणन निकाय नियंत्रित प्रजनन के लिए मादा पशुओं के साथ घुलने-मिलने से बचने के लिए नर या बैलों को खुले क्षेत्रों में जाने की छूट देगा;

iii. अन्य पशुओं को भी भारी बारिश, कठोर सर्दी/गर्मी या अंतिम मोटा होने के चरण (final fattening phase) के दौरान खुली हवा में घूमने या दौड़ने की जगह नहीं मिलनी चाहिए;

iv. पशुधन शेड में उचित रूप से बिछा हुआ और चिकना फर्श होना चाहिए, हालांकि यह फिसलन वाला नहीं होना चाहिए। फर्श पूरी तरह से स्लेटेड या ग्रिड निर्माण का नहीं होना चाहिए;

v. आवास की स्थिति का उद्देश्य पर्याप्त आकार का आरामदायक, साफ और सूखा बिछाने/आराम करने का क्षेत्र प्रदान करना होगा, जिसमें ठोस निर्माण शामिल हो। जहां भी संभव हो, पुआल बिस्तर प्रदान किया जाएगा;

vi. बछड़ों को अलग से रखा जा सकता है और कभी भी वयस्क पशु शेड में नहीं रखा जा सकता है;

vii. गर्भावस्था के अंतिम चरणों और दूध पिलाने की अवधि को छोड़कर, सूअरों को समूहों में रखा जाना चाहिए। सूअरों को समतल डेक या पिंजरों में नहीं रखा जा सकता। व्यायाम क्षेत्रों में पशुओं द्वारा गोबर और जड़ें डालने की अनुमति

होनी चाहिए। प्रजनन करने वाले सूअरों को अलग से रखा जा सकता है;

viii. मांस उत्पादन के लिए वयस्क मवेशियों का अंतिम मोटा होने का चरण (final fattening phase) केवल घर के अंदर नहीं होना चाहिए;

ix. इनडोर और आउटडोर स्थानों के न्यूनतम सतह क्षेत्र का कम से कम आधा हिस्सा कठोर सतह वाला होना चाहिए;

x. पशुओं को परिस्थितियों के अनुकूल होते ही बाहर जाने की अनुमति होनी चाहिए। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाए कि बाड़ों का निर्माण गीली या दलदली भूमि पर नहीं किया जा सकता है;

xi. इमारतों में अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व और इनडोर और आउटडोर स्थानों के न्यूनतम क्षेत्रों के अपवादों को आपदा स्थितियों, जैसे कि भूकंप या बाढ़ के कारण चारागाह या इमारतों के नष्ट होने की स्थिति में अनुमति दी जा सकती है।

3.2.6.2 पोल्ट्री के लिए विशेष परिस्थितियाँ

i. पिंजरों में मुर्गी पालन की अनुमति नहीं होगी;

ii. जल पक्षी/बत्तख को जब भी मौसम की स्थिति अनुमति दे, धारा, तालाब या झील तक पहुंच मिलनी चाहिए;

iii. मुर्गी घर का फर्श ठोस निर्माण का होना चाहिए, जिस पर पुआल, लकड़ी की छीलन, रेत या टर्फ जैसी सामग्री से ढका होना चाहिए। लेयर्स के मामले में, फर्श का क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि मल इकट्ठा हो सके। समूह और पक्षियों की प्रजातियों और आकार के अनुरूप आकार और संख्या के बसेरे/ऊंचे सोने के क्षेत्र प्रदान किए जाने चाहिए। बाहरी पहुंच के लिए पर्याप्त आकार के उचित निकास/प्रवेश प्रदान किए जाने चाहिए;

iv. अंडा देने वाली मुर्गियों के मामले में, कृत्रिम रोशनी के उपयोग के माध्यम से दिन की लंबाई में बदलाव की अनुमति दी जा सकती है;

v. मुर्गी को **अनुलग्नक-3(4)** में निर्दिष्ट के अनुसार खुले क्षेत्र तक पहुंच प्राप्त होगी। और उसे इनडोर और आउटडोर क्षेत्र के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता होगी;

vi. पोल्ट्री के लिए खुले वायु क्षेत्र मुख्य रूप से वनस्पति से ढके होने चाहिए तथा उनमें सुरक्षात्मक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए तथा पक्षियों को पर्याप्त

संख्या में पीने तथा भोजन के कुंडों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए;

vii. जहां प्रांतीय कानून के आधार पर लगाए गए प्रतिबंधों या दायित्वों के कारण पोल्ट्री को घर के अंदर रखा जाता है, वहां उन्हें अपनी आचारशास्त्र संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थायी रूप से पर्याप्त मात्रा में चारा तथा उपयुक्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए;

viii. लेयर्स के लिए बहु-स्तरीय एवियरी सिस्टम में भूमि के स्तर से ऊपर तीन से अधिक स्तर या टियर नहीं होने चाहिए। कुल फर्श क्षेत्र **अनुलग्नक-3(4)** में निर्दिष्ट न्यूनतम इनडोर तथा आउटडोर सतह क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ऐसे सभी मामलों में, झुंडों के बीच पक्षियों के मिश्रण से बचने के लिए, ऑल-इन तथा ऑल-आउट प्रणाली के तहत खुली हवा वाले स्थान तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए;

ix. झुंडों के रहने के स्थान को खाली, साफ तथा कीटाणुरहित किया जाना चाहिए, तथा वनस्पति को फिर से उगने देने के लिए जगह को खाली छोड़ दिया जाना चाहिए;

x. दिन के उजाले तथा कृत्रिम प्रकाश का संचयन(accumulation) प्रतिदिन 14 घंटे तक सीमित होना चाहिए;

xi. बाहरी क्षेत्रों में पक्षियों के लिए उपलब्ध सभी स्थानों का संतुलित उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे, पेड़ और झाड़ियाँ बिखरी हुई हों। खुली हवा वाली जगह निकटतम प्रवेश/निकास पॉप-होल से 150 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, यदि मौसम और शिकारियों से बचने के लिए नियमित अंतराल पर पर्याप्त आश्रय प्रदान किए जाते हैं (प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 4 आश्रय) तो 350 मीटर तक का विस्तार स्वीकार्य हो सकता है। चरागाह पक्षियों के लिए, उनकी चराई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए घास की उपस्थिति आवश्यक है। जलपक्षियों को अपने पंखों की सफाई के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए, भले ही वे अस्थायी रूप से घर के अंदर सीमित हों;

xii. बरामदे के सतही क्षेत्र को स्टॉकिंग घनत्व और न्यूनतम इनडोर क्षेत्रों की गणना से बाहर रखा गया है, जब तक कि स्थान इनडोर पालन के लिए विशिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करता है। इसमें निरंतर 24 घंटे की पहुँच, पशु कल्याण मानकों का अनुपालन और बाहरी जलवायु से अलग स्थितियाँ

प्रदान करने के लिए कवरेज और इन्सुलेशन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मुर्गी पालन के लिए, बरामदे के सतह क्षेत्र को मुर्गी घरों की कुल उपयोगी सतह में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इसकी अधिकतम सीमा 1600 वर्ग मीटर होनी चाहिए।

3.2.6.3. रेशमकीटों के लिए विशेष परिस्थितियाँ

i. रेशमकीट पालन खुले और पालतू दोनों स्थितियों में किया जाता है। खुली स्थितियों में कीड़ों को परपोषी (host) पौधों पर या तो जंगली या खेती की स्थितियों में पाला जाता है। दोनों ही मामलों में परपोषी (host) पौधों को इन नियमों के 3.1 के तहत निर्दिष्ट जंगली फसल संग्रह या फसल उत्पादन के तहत प्रमाणित किया जाएगा;

ii. घरेलू पालन स्थितियों के तहत आवास स्वच्छ और हवादार होना चाहिए जिसमें पालन ट्रे के बीच आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह हो। बहुपरत पालन प्रणाली को भी अपनाया जा सकता है बशर्ते ट्रे के बीच पर्याप्त जगह रखी जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जाए कि ट्रे ऊपरी परतों में कीड़ों के गिरने वाले मल से दूषित न हो;

iii. मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियां स्थानीय प्रथाओं और उपयोग की जाने वाली प्रजातियों के अनुसार आवश्यक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त आवास और पालन स्थितियों को परिभाषित करेंगी।

3.2.6.4. खरगोशों के लिए विशेष परिस्थितियाँ

i. खरगोशों को पिंजरे में रखने की अनुमति नहीं होगी। यदि आराम और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो खरगोशों को अस्थायी रूप से, उदाहरण के लिए रात भर, पिंजरे या झोपड़ियों में रखा जा सकता है। लगातार बंद रखना प्रतिबंधित है।

ii. खरगोशों को दौड़ने, कूदने और खुदाई करने तथा कान सीधे करके अपने पिछले पैरों पर सीधे बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। न्यूनतम इनडोर और आउटडोर स्थान की आवश्यकताएँ **अनुलग्नक -3(4)** में दर्शाई गई हैं।

3.2.7. पशु उत्पादन के लिए रूपांतरण अवधि

i. एक ही इकाई के भीतर पशुधन और मुर्गीपालन तथा चारा पालन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का एक साथ रूपांतरण एक बेहतर दृष्टिकोण

होना चाहिए। चारा, चारागाह, चराई आदि के उत्पादन के लिए भूमि को रूपांतरण आवश्यकताओं सहित इन नियमों के अध्याय 3 के अंतर्गत 3.1 के प्रावधानों के अनुसार प्रमाणित जैविक होना चाहिए;

ii. जब पशुधन उत्पादन इकाई, जिसमें भेड़/बकरी का पूरा झुंड या मुर्गी पक्षियों या खरगोश जैसे छोटे स्तनधारियों का समूह हो, जैविक उत्पादन में संक्रमण की स्थिति में हो, तो भूमि पर उत्पादित चारागाह और चारा, जो रूपांतरण अवधि की न्यूनतम 12 महीने की अवधि से गुजरा हो, जैविक पशुधन को खिलाने के लिए जैविक माना जा सकता है;

iii. रेशमकीट पालन के मामले में, रूपांतरण अवधि की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते लार्वा को उनके पूरे जीवनकाल की अवधि के लिए न्यूनतम 12 महीने की अवधि के लिए इन नियमों के अनुपालन में उगाए गए जैविक चारे के साथ खिलाया जाए;

iv. रूपांतरण अवधि प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी और रूपांतरण अवधि को पहले निरीक्षण की तारीख से माना जाएगा;

v. ऐसे मामलों में, जहां भूमि और पशुधन तथा मुर्गीपालन का जैविक स्थिति में रूपांतरण एक साथ नहीं हुआ है तथा केवल भूमि ही जैविक स्थिति में पहुंच गई है तथा पशुधन और मुर्गीपालन को गैर-जैविक स्रोत से लाया गया है, तो उनके उत्पादों को जैविक के रूप में बेचे जाने से पहले कम से कम निम्नलिखित अनुपालन अवधि के लिए इन दिशानिर्देशों के अनुसार उनका पालन किया जाना चाहिए:

क. भैंस सहित गोजातीय

i. मांस उत्पाद: बारह (12) महीने और उनके जीवनकाल का कम से कम ¾ हिस्सा जैविक प्रबंधन प्रणाली में व्यतीत होता है;

ii. मांस उत्पादन के लिए बछड़े: छह (6) महीने, जब उन्हें दूध छुड़ाते ही लाया जाता है और वे छह (6) महीने से कम उम्र के होते हैं;

iii. दूध उत्पाद: छह (6) महीने।

ख. अंडा और बकरी (भेड़ और बकरी)

i. मांस उत्पाद: छह (6) महीने;

ii. दूध उत्पाद: छह (6) महीने।

ग. सूअर

i. मांस उत्पाद: छह (6) महीने।

घ. छोटे स्तनधारी (जैसे खरगोश)

i. मांस उत्पाद: जन्म के दूसरे सप्ताह से लेकर प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित पूरे जीवनकाल तक।

ड. मुर्गी

i. मांस उत्पाद: हैचिंग के दूसरे दिन से लेकर प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित पूरे जीवनकाल तक;

ii. अंडे: छह (6) सप्ताह।

iii. 3 दिन से अधिक उम्र की मुर्गियों को पालने के लिए जैविक मानकों (एनएसओपी) का पालन करना चाहिए, विशेष रूप से आवास की स्थिति और इनडोर और आउटडोर घनत्व के संबंध में।

3.2.8 फ़ीड (पशु आहार)

पशुधन और पोल्ट्री फार्म इन दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार जैविक रूप से उत्पादित फीडस्टफ ('अपरिवर्तित' फीडस्टफ सहित) से अधिकतम आहार प्रदान करेंगे। जैविक मूल के कृषि प्रसंस्कृत अवशेष, जैसे अनाज किण्वन (fermentation), फल प्रसंस्करण, सब्जी प्रसंस्करण, आदि को खिलाने के उद्देश्य से अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि समग्र खिलाने की पद्धतियां संबंधित पशुओं की दैनिक ऊर्जा और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

पशुधन और पोल्ट्री के लिए चारे के रूप में उपयोग किए जाने वाले चारा/चारा फसलों की खेती के लिए प्रतिबद्ध कृषि भूमि पर जैविक रूप से उगाई जाएगी।

संचालन के दौरान, उत्पाद अपनी जैविक स्थिति बनाए रखेंगे, बशर्ते कि पशुधन और पोल्ट्री को शुष्क पदार्थ के आधार पर गणना की गई जुगाली करने वाले पशुओं के लिए कम से कम 85% और गैर-जुगाली करने वाले पशुओं के लिए 80% फ़ीड खिलाया जाए, जो इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में उत्पादित जैविक स्रोतों से प्राप्त किया गया हो।

प्रमाणन निकाय सीमित समय के लिए इन दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्पादित नहीं किए गए फ़ीडस्टफ़ के सख्त प्रतिशत को खिलाने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि इसमें आनुवंशिक **रूप से इंजीनियर/संशोधित जीव या उनके उत्पाद शामिल न हों।**

3.2.8.1 विशिष्ट पशुधन और मुर्गीपालन राशन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा:

i. युवा पशुओं को प्राकृतिक आहार की आवश्यकता, जैसे कि माँ का दूध, अन्य स्तनपायी का दूध या जैविक मूल का दूध प्रतिस्थापक जो माँ के दूध से अधिकतम समानता रखता हो, बशर्ते कि उसमें कोई आनुवंशिक रूप से संशोधित घटक, एंटीबायोटिक, हार्मोन आदि न हो। यदि पशुओं को माँ का दूध पिलाना संभव न हो, तो जैविक दूध प्रतिस्थापक में केवल 100% दूध होना चाहिए। इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक रासायनिक घटक नहीं होना चाहिए जो दूध छुड़ाने से पहले योजक के रूप में अधिकृत हो या जैविक घटकों सहित पौधे की उत्पत्ति के घटक हों;

ii. शाकाहारियों में, दैनिक राशन में ऊर्जा के पूरक के लिए शुष्क पदार्थ, मोटा, ताजा या सूखा चारा, या साइलेज होना चाहिए; मुर्गी और पशुधन के पालन-पोषण चरण में अनाज को शामिल करने की आवश्यकता और मुर्गी को पूर्ण स्वास्थ्य और उत्पादकता बनाए रखने के लिए पर्याप्त, मुक्त पानी उपलब्ध होना चाहिए;

iii. पशु कल्याण, स्वास्थ्य और उत्पादकता के कारणों से, यदि पूरक जोड़े जाने हैं, तो योग्य पशु चिकित्सक की सलाह पर इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे अनुपूरकों, आहार सामग्रियों (प्रोबायोटिक्स, और जैविक, प्रतिरक्षा और खरीद सहायक सामग्री आदि) और प्रसंस्करण सहायक सामग्री की अनुमत सूची, जो इन नियमों के तहत दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, **अनुलग्नक-3(5)** में दी गई है।

3.2.8.2 आहार सामग्री और पोषण घटकों के लिए सामान्य मानदंड

i. अनुलग्नक-3(5) के अनुसार पदार्थों की अनुमति होगी। ऐसे पदार्थों को पशुधन और मुर्गी पालन की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण रूप से पूरा करना चाहिए, जो संबंधित प्रजातियों की शारीरिक, व्यवहारिक और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हों; और ऐसे पदार्थों में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर/संशोधित जीव और उनके उत्पाद नहीं होने चाहिए; और वे गैर-कृत्रिम हों और मुख्य रूप से पौधे, खनिज या पशु मूल के हों। प्रमाणन निकाय अनुलग्नक-3(5) में शामिल नहीं किए गए और पशु चिकित्सक द्वारा अनुशंसित किए गए फ़ीडस्टफ़ के उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ऐसे सभी पदार्थ गैर-कृत्रिम हों और मुख्य रूप से पौधे, खनिज या पशु मूल के हों।

ii. गैर-जैविक प्रोटीन फ़ीड, प्रति 12 महीने की अवधि में अधिकतम 5% तक, अभी भी विशिष्ट परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। यह छूट तब लागू होती है जब जैविक प्रोटीन फ़ीड अनुपलब्ध हो, और गैर-जैविक फ़ीड रासायनिक सॉल्वैंट्स के बिना तैयार किए गए हों। हालाँकि, यह प्रावधान अधिकतम 35 किलोग्राम वजन वाले पिगलेट तक सीमित है और इसे अस्थायी माना जाना चाहिए, जो पर्याप्त मात्रा में जैविक प्रोटीन फ़ीड की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

iii. असाधारण परिस्थितियों में, गैर-जैविक पशुओं या गैर-जैविक चारे के उपयोग के लिए छूट दी जा सकती है। इन स्थितियों में प्रतिकूल जलवायु घटनाएँ, पशु रोग, पर्यावरणीय घटनाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ या कोई अन्य विनाशकारी घटना जैसी मान्यता प्राप्त आपदाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इमारतों में स्टॉकिंग घनत्व और भूकंप या बाढ़ जैसे इनडोर और आउटडोर स्थानों के लिए न्यूनतम क्षेत्रों जैसे कारकों के लिए छूट पर विचार किया जा सकता है।

iv. चरम मौसम की घटनाओं के कारण फ़ीड उत्पादन में कमी की स्थिति में, अवमूल्यन के माध्यम से गैर-जैविक चारे का उपयोग एक संभावना बनी हुई है। हालाँकि, कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

v. दैनिक राशन में रूफ़ेज, ताज़ा, सूखा या साइलेज चारा शामिल करने वाले सूखे पदार्थ का प्रतिशत कम किया जा सकता है, बशर्ते कि पशुओं की पोषण संबंधी ज़रूरतें अभी भी पर्याप्त रूप से पूरी हों।

3.2.8.3 फ़ीडस्टफ़ और पोषण तत्वों के लिए विशिष्ट मानदंड

i. फ़ीड सामग्री को रासायनिक विलायकों और रासायनिक उपचार का उपयोग करके तैयार नहीं किया जाना चाहिए। जैविक पशुओं को खिलाए जाने वाले पूरक सहित फ़ीड के सभी तत्व जैविक स्रोतों से होने चाहिए। इन पदार्थों की कमी के मामले में, या असामान्य परिस्थितियों में, सुपरिभाषित सूचीबद्ध एनालॉग पदार्थों के अनुलग्नक -3 (6) के तहत उपयोग किया जा सकता है।

ii. दूध और दूध उत्पादों, मछली, अन्य समुद्री जानवरों और उनसे प्राप्त उत्पादों को छोड़कर पशु मूल के फ़ीड सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। दूध और दूध उत्पादों को छोड़कर जुगाली करने वाले जानवरों को स्तनधारी सामग्री खिलाने की अनुमति नहीं है।

iii. सिंथेटिक नाइट्रोजन या गैर-प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग नहीं

किया जाएगा।

iv. जब बर्फ या शुष्कता जैसी स्थितियों के कारण फ़ीड अब प्राकृतिक रूप से बाहर उपलब्ध नहीं है, तो जानवरों को रौगेज प्रदान किया जाना चाहिए।

3.2.8.4. योजक और प्रसंस्करण सहायक सामग्री के लिए विशिष्ट मानदंड:

i. पूरक प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने चाहिए;

ii. प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त फ़ीड प्रसंस्करण सहायक पूरक जैसे बाइंडर, एंटी-केकिंग एजेंट, इमल्सीफायर, स्टेबलाइज़र, गाढ़ा करने वाले, सर्फेक्टेंट, कोएगुलेंट्स का उपयोग किया जा सकता है;

iii. एंटीऑक्सीडेंट: केवल प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की ही अनुमति दी जाएगी;

iv. परिरक्षक: केवल प्राकृतिक एसिड की अनुमति है;

v. रंग एजेंट (पिगमेंट सहित), स्वाद, गंध मास्किंग एजेंट और भूख उत्तेजक: केवल प्राकृतिक स्रोतों की अनुमति है;

vi. प्रोबायोटिक्स, एंजाइम और सूक्ष्मजीवों की अनुमति है, लेकिन वे आनुवंशिक रूप से संशोधित स्रोतों से नहीं होने चाहिए;

vii. कोई भी सिंथेटिक रसायन, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, कोक्सीडियोस्टैट, दवा, विकास प्रवर्तक या विकास या उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूरक कोई अन्य पदार्थ जैविक पशुधन और मुर्गी पालन को नहीं खिलाया जाएगा;

viii. साइलेज एडिटिव्स, फसल अवशेषों को समृद्ध करने के लिए एडिटिव्स और प्रसंस्करण सहायक पदार्थ आनुवंशिक रूप से इंजीनियर/संशोधित जीवों या उनके उत्पादों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, और इनमें केवल निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

क. समुद्री नमक;

ख. मोटा सेंधा नमक;

ग. खमीर;

घ. एंजाइम;

ङ मट्ठा;

च. चीनी, या चीनी उत्पाद जैसे गुड़, गुड़, अनाज चोकर;

छ. शहद;

ज. लैक्टिक, एसिटिक, फॉर्मिक और प्रोपियोनिक बैक्टीरिया, या उनके प्राकृतिक एसिड उत्पाद जब मौसम की स्थिति पर्याप्त किण्वन की अनुमति नहीं देती है और उनके उपयोग को प्रमाणन निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

3.2.9. स्वास्थ्य देखभाल

जैविक पशुधन और मुर्गीपालन को सामान्यतः निवारक स्वास्थ्य और उत्पादकता प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जिसमें बीमारियों की रोकथाम, अंतर्निहित प्रजनन और उत्पादन समस्याओं का पता लगाने और उनके सुधार पर मुख्य रूप से प्रबंधन, पोषण और स्वच्छता को सही करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

i. उत्पादक को पशु चिकित्सक के परामर्श से पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्यक्रम बनाना चाहिए और झुंड में होने वाली सामान्य बीमारियों के अनुसार ही परीक्षण करना चाहिए (अनुलग्नक -3(7))। स्वास्थ्य देखभाल निम्नलिखित व्यापक सिद्धांतों पर आधारित होगी:

   क. पशुओं की उपयुक्त नस्लों या नस्लों का चयन जो इन मानकों के अनुसार पर्यावरण के अनुकूल हो सकें;

   ख. पशुपालन प्रथाओं की स्थापना प्रत्येक प्रजाति की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और रोग के प्रति मजबूत प्रतिरोध को प्रोत्साहित करने और संक्रमण की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए;

   ग. अच्छी गुणवत्ता वाले जैविक चारे का उपयोग, नियमित घूमना और चारा/रौगेज़ तक पहुंच और/या खुली हवा में दौड़ना, ताकि पशु की प्राकृतिक प्रतिरक्षा रक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़े;

   घ. पशुधन और मुर्गी पालन का उचित घनत्व ताकि भीड़भाड़ और संक्रमण के प्रसार या चारे की प्रतिस्पर्धा से बचा जा सके।

ii. फार्म में उप-नैदानिक (sub-clinical), बीमार या घायल पशुओं का पता लगाने की एक स्थापित प्रणाली होनी चाहिए और यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां अलगाव आवश्यक है तो ऐसा उपयुक्त आवास क्षेत्रों में ही किया जाएगा। बीमारी के मामले में पशु कल्याण हित सर्वोपरि और दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए

उत्पादक दवाओं के उपयोग को नहीं रोकेगा, भले ही ऐसी दवा के उपयोग से पशु अपनी जैविक स्थिति खो दे;

iii. जैविक खेती में पशु चिकित्सा औषधीय उत्पादों का उपयोग निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा:

क. देश के कानून द्वारा आवश्यक सभी टीकाकरण की अनुमति होगी। जहां विशिष्ट बीमारी या स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, या होने की भविष्यवाणी की जाती है और कोई वैकल्पिक अनुमत उपचार या प्रबंधन अभ्यास मौजूद नहीं है, परजीवीनाशकों का उपयोग, या पशु चिकित्सा दवाओं के चिकित्सीय उपयोग को पंजीकृत पशु चिकित्सक के पर्चे और पर्यवेक्षण के तहत अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि अनुलग्नक -3 (8) के तहत इन दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य वापसी अवधि का पालन किया जाए। जिन दवाओं में इन दिशानिर्देशों में वापसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उनमें कम से कम 48 घंटे की वापसी अवधि का पालन किया जाएगा;

ख. रोगों और कम प्रदर्शन के उपचार और रोकथाम के उद्देश्य से, हर्बल/फाइटो-थेरेप्यूटिक (एंटीबायोटिक को छोड़कर), होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक उत्पादों को एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि उनका चिकित्सीय प्रभाव पशु की प्रजाति और उस स्थिति के लिए प्रभावी हो जिसके लिए उपचार का इरादा है;

ग. यदि बीमारी या चोट से निपटने में वैकल्पिक चिकित्सीय या निवारक उपायों के प्रभावी होने की संभावना नहीं है, तो एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग पशु चिकित्सक की जिम्मेदारी और देखरेख में किया जा सकता है।

घ. एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए वापसी की अवधि दोगुनी होनी चाहिए और किसी भी मामले में, कम से कम 48 घंटे होनी चाहिए।

iv. निवारक उपचारों और उत्पादकता या प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं या आनुवंशिक रूप से संशोधित स्रोत से प्राप्त दवाओं का उपयोग निषिद्ध है;

v. हार्मोनल उपचार का उपयोग केवल चिकित्सीय कारणों और पशु चिकित्सा

पर्यवेक्षण के तहत किया जा सकता है;

vi. विकास या उत्पादन को उत्तेजित करने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले विकास उत्तेजक, एजेंट या पदार्थों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.10. प्रजनन एवं प्रबंधन

i. पशुधन और मुर्गीपालन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पशुओं को देखभाल, आराम और सम्मान प्रदान करना तथा कृषि प्रणाली में उनके कल्याण को सुनिश्चित करना होगा;

ii. पशुधन और मुर्गीपालन प्रजनन विधियाँ जैविक खेती के सिद्धांतों के अनुरूप और उनके अनुरूप होंगी तथा इनमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाएगा:

क. स्थानीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त नस्लें;

ख. प्राकृतिक विधियों के माध्यम से प्रजनन को प्राथमिकता, यद्यपि कृत्रिम गर्भाधान का उपयोग किया जा सकता है;

ग. भ्रूण स्थानांतरण तकनीक और आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करने वाली किसी भी अन्य प्रजनन तकनीक का उपयोग नहीं किया जाएगा;

घ. हार्मोनल प्रजनन उपचार का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि शारीरिक समस्या को ठीक करने के लिए चिकित्सीय उपचार निर्धारित न किया गया हो।

iii. विकृति, जैसे कि पूंछ काटना, दांतों को काटना/छंटाई करना, चोंच को काटना और सींग निकालने की अनुमति नहीं है। अपवादात्मक मामलों में, इनमें से कुछ को प्रमाणन निकाय द्वारा सुरक्षा कारणों से अधिकृत किया जा सकता है (जैसे कि युवा जानवरों में सींग निकालना, खुर काटना, सूअरों में पिन के दांत काटना आदि) या यदि उनका उद्देश्य पशुधन और मुर्गी के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना है। ऐसी शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं सबसे उपयुक्त उम्र में पंजीकृत पशु चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए; और किसी भी तरह की पीड़ा और दर्द को कम से कम किया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक का उपयोग किया जाना चाहिए। शारीरिक बधियाकरण की अनुमति केवल उत्पादों की गुणवत्ता और पारंपरिक उत्पादन प्रथाओं (मांस-प्रकार के सूअर, बैल, कैपोन, आदि) को बनाए रखने के लिए दी जाती है। मामला-दर-मामला आधार पर अपवादात्मक रूप

से अनुमत प्रथाएँ: भेड़ों के लिए पूंछ काटना, चोंच काटना, सींग निकालना और कलियाँ निकालना।

3.2.11. खाद और मूत्र मल प्रबंधन

i. शेड, पैडॉक, खुले मैदान या चरागाह क्षेत्रों से गोबर और मूत्र का संग्रह, प्रबंधन और निपटान इस तरह से किया जाएगा कि:

   क. मिट्टी और पानी के क्षरण को कम से कम किया जाए;

   ख. नाइट्रेट्स, फॉस्फेट और रोगजनक बैक्टीरिया द्वारा पानी के संदूषण में महत्वपूर्ण योगदान न दिया जाए;

   ग. पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को अनुकूलित किया जाए और

   घ. इसमें जलाना या जैविक प्रथाओं के साथ असंगत कोई भी अभ्यास शामिल न हो।

ii. खाद भंडारण और प्रबंधन सुविधाओं, जिसमें खाद बनाने की सुविधाएँ भी शामिल हैं, को भूमि और/या सतही जल के संदूषण को रोकने के लिए डिज़ाइन, निर्मित और संचालित किया जाएगा;

iii. खाद के अनुप्रयोग की दरें उस स्तर से अधिक होनी चाहिए जो भूमि और/या सतही जल संदूषण में योगदान न दे। प्रमाणन निकाय स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खाद या भंडारण घनत्व के लिए अधिकतम अनुप्रयोग दरें निर्धारित करेगा। अनुप्रयोग का समय और अनुप्रयोग विधियाँ तालाबों, नदियों और धाराओं में अपवाह की संभावना को नहीं बढ़ाएंगी।

3.2.12. परिवहन

i. परिवहन के दौरान, उत्पादक को परिवहन के दौरान तनाव, चोट, भूख, प्यास, कुपोषण, भय, संकट, शारीरिक और तापीय असुविधा, दर्द, बीमारी को रोकना चाहिए और देश के कानून के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

   क. यात्रा की लंबाई को कम करने और यात्रा के दौरान पशु की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए;

   ख. पशु इच्छित यात्रा के लिए स्वस्थ होने चाहिए;

   ग. परिवहन के साधनों के साथ-साथ लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाओं

को चोट और पीड़ा से बचने और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन, निर्माण, रखरखाव और संचालन किया जाना चाहिए;

घ. पशुओं को संभालने वाले कर्मियों को इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित और सक्षम होना चाहिए और उन्हें हिंसा या किसी अन्य तरीके का उपयोग किए बिना अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए, जिससे अनावश्यक भय, चोट या पीड़ा होने की संभावना हो;

ङ परिवहन को गंतव्य स्थान पर बिना देरी के ले जाना चाहिए और पशुओं की कल्याण स्थितियों की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए और उचित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए;

च. पशुओं के लिए पर्याप्त फर्श क्षेत्र, ऊँचाई और अन्य रिक्ति की आवश्यकताएँ प्रदान की जानी चाहिए, जो उनके आकार और इच्छित यात्रा के लिए उपयुक्त हों और

छ. पशुओं को उचित अंतराल पर पानी, चारा और आराम दिया जाना चाहिए तथा उनकी प्रजाति, आकार और आयु के अनुसार गुणवत्ता और मात्रा उचित होनी चाहिए।

ii. निम्नलिखित तनाव कारकों से बचने या उन्हें कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए:

क. एकत्रीकरण और संभालने के कारण तनाव;

ख. भोजन और पानी की मात्रा या गुणवत्ता में कमी या रूपांतरण के कारण तनाव;

ग. तापमान में अत्यधिक रूपांतरण या जलवायु परिस्थितियों में रूपांतरण के कारण तनाव;

घ. प्रजातियों के भीतर और उनके बीच एक-दूसरे से अपरिचित पशुओं के समूह के कारण तनाव;

ङ अपने ही प्रकार के अन्य पशुओं से अलग होने के कारण तनाव;

च. अपरिचित परिवेश, शोर और संवेदनाओं के कारण तनाव;

छ. अधिक भीड़ और अलगाव के कारण तनाव;

ज. थकान के कारण तनाव;

झ. बीमारी के संपर्क में आने के कारण तनाव।

iii. पशुओं को चढ़ाने और उतारने के दौरान विद्युत उत्तेजना या एलोपैथिक ट्रैं-क्विलाइज़र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.13. पशु वध

i. पशुओं और मुर्गियों का वध इस तरह से किया जाना चाहिए, जिससे तनाव और पीड़ा कम से कम हो, और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए लागू नियमों के अनुसार हो;

ii. इमारतों और प्रतिष्ठानों की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए स्वीकृत उत्पाद **अनुलग्नक-3(9)** में दिए गए हैं;

iii. पशुओं और मुर्गियों का वध, आंत निकालना और पैकिंग इस तरह से की जानी चाहिए, जिससे स्वच्छ और पौष्टिक मांस और मांस उत्पादों के उत्पादन के लिए स्वच्छ प्रसंस्करण, उचित निरीक्षण और संरक्षण हो सके। स्वच्छ-ता मानकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए, इस अपवाद के साथ कि इन नियमों के तहत अनुमति नहीं दिए गए रसायनों को इन नियमों के तहत अनुमत पदार्थों से बदला जाएगा;

iv. निम्नलिखित के लिए अलग कमरे उपलब्ध कराए जाने चाहिए:

क. पशुओं और मुर्गियों को प्राप्त करना और रखना;

ख. दड़बे की धुलाई और कीटाणुशोधन;

ग. वध और रक्तस्राव;

घ. पंख निकालना;

ङ आंत निकालना, ठंडा करना और पैक करना;

च. अखाद्य उत्पादों का कमरा।

v. जल आपूर्ति: पानी की गुणवत्ता पीने योग्य पानी की आवश्यकताओं को पूरा करनी चाहिए;

vi. वेंटिलेशन: वेंटिलेशन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। रोशनी पर्याप्त रूप से मजबूत होनी चाहिए, ठीक से स्थित होनी चाहिए और चमक पैदा नहीं करनी चाहिए;

vii. कार्मिक स्वच्छता: कार्मिकों को धोने योग्य सामग्री के विशेष कार्य कपड़े पहनने चाहिए। स्वच्छता, बार-बार हाथ धोने, कीटाणुशोधन आदि के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और

viii. अचेत करना, खून बहना, झुलसना, प्लकिंग, पैर निकालना, आंत निकालना और ठंडा करना, जल निकासी, ग्रेडिंग आदि जैसी गतिविधियाँ इस उद्देश्य के लिए बनाए गए लागू नियमों के अनुसार की जानी चाहिए।

3.3. जैविक मधुमक्खी पालन

3.3.1. नस्ल/प्रजाति का चयन

पालन के लिए मधुमक्खियों के चयन में स्थानीय प्रजातियों जैसे एपिस सेरेना इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस लोरा, एपिस डोरसाटा, मेलिपोना एसपीपी एवं ट्रिगोना एस-पीपी-डैमर (भारतीय डंक रहित मधुमक्खियां) और उनके स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को प्राथमिकता दी जाएगी।

3.3.1.1 स्रोत/उत्पत्ति

i. मधुमक्खी नर्सरी स्थापित करने के लिए एक योजनाबद्ध कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ii. पर्यावरण और मधुमक्खी पालन उत्पादों को दूषित होने से बचाने के लिए छत्ते प्राकृतिक सामग्री से बनाए जाएंगे।

iii. नई नींव के लिए मधुमक्खी मोम जैविक उत्पादन इकाइयों से प्राप्त किया जाएगा।

iv. छत्तों में केवल प्राकृतिक उत्पाद जैसे प्रोपोलिस, मोम और पौधों के तेल का उपयोग किया जाएगा।

v. अनुलग्नक-3(10) में से किसी एक अधिसूचित रोग से ग्रसित कॉलोनी को प्रमाणित नहीं किया जाएगा और छत्तों, दीवारों, गमलों, लकड़ियों आदि से बेचने, खरीदने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.3.2 रूपांतरण अवधि

i. जब मधुमक्खियाँ जंगली और प्राकृतिक परिस्थितियों में पाली जाती हैं, तो रूपांतरण अवधि लागू नहीं होगी।

ii. बारह महीने की रूपांतरण अवधि मधुमक्खी कालोनियों/मधुमक्खियों के

पालन-पोषण के लिए लागू होगी।

iii. रूपांतरण के दौरान मधुमक्खी कालोनियों को अलग-थलग रखा जाएगा और आधार छत्ता जैविक मोम से बनाया जाएगा।

3.3.3. मधुमक्खियां पालना

i. जहां दीवार छत्ते का उपयोग किया जा रहा है, वहां इनमें मधुमक्खी प्रजातियों की आवश्यकता के आधार पर चलने योग्य मानक फ्रेम लगाए जाएंगे।

ii. आधार छत्ता जैविक मोम से बनाया जाएगा।

iii. प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में मुख्य रूप से प्राकृतिक सामग्री होगी। संभावित रूप से विषाक्त प्रभाव वाली निर्माण सामग्री का उपयोग निषिद्ध है।

iv. मधुमक्खी के छत्तों में स्थायी सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है, जहां शहद के फैलने की संभावना है और जहां मृत मधुमक्खियों के माध्यम से अवशेष क्षेत्र में वितरित हो सकते हैं।

v. मधुमक्खी पालन केंद्रों को जैविक खेतों से 3 किलोमीटर के दायरे में रखा जाना चाहिए। ये शर्तें तब लागू नहीं होंगी जब खेत फूलने की अवस्था में न हों या जब छत्ते निष्क्रिय अवस्था में हों।

vi. छत्तों में प्रोपोलिस, मोम और पौधों के तेल जैसे प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। शहद निष्कर्षण कार्यों के दौरान रासायनिक रिपेलेंट्स का उपयोग निषिद्ध है।

3.3.4. मधुमक्खी-पालनगृह प्रबंधन

i. एक ऐसा स्थान जहाँ एक या एक से अधिक मधुमक्खियाँ एक साथ इकट्ठी होती हैं और सामूहिक रूप से प्रबंधित होती हैं, उसे मधुवाटिका माना जा सकता है।

ii. मधुमक्षिका स्थल स्वच्छ जल और मधुमक्खी वनस्पतियों के प्राकृतिक स्रोत के जितना संभव हो सके उतना करीब होना चाहिए, हवा, सीधी धूप, भीषण गर्मी, भीषण ठंड, बारिश, जंगली जानवरों, चींटियों, दीमकों और कीटनाशकों या जहरीले धुएं या जहरीले रसायनों के संपर्क से सुरक्षित होना चाहिए। मधुमक्खियाँ पालना गंदे क्षेत्रों या ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए जहाँ मधुमक्खियों की उपस्थिति से सार्वजनिक उपद्रव होने की संभावना हो। यह सार्वजनिक पथ या राजमार्ग से 5 मीटर दूर होना चाहिए।

iii. जंगली संग्रह के मामले में, संग्रह क्षेत्र जैविक या जंगली होना चाहिए, और कॉलोनी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और अच्छे स्वास्थ्य में योगदान देने के लिए यथासंभव विविधतापूर्ण होना चाहिए।

iv. ऐसे मधुमक्खियाँ पालना में रखी जाने वाली मधुमक्खियाँ पालना की संख्या एक ही उड़ान, सीमा के भीतर चारा संसाधनों के संबंध में इष्टतम तक सीमित होनी चाहिए, ताकि अधिक स्टॉकिंग से बचा जा सके।

v. सभी ब्रूड या पूर्ण गहराई वाले फ्रेमों को निरीक्षण, माइग्रेशन और निष्कर्षण आदि के दौरान कंघों के टूटने से बचाने के लिए तार लगाए जाएंगे।

3.3.5. चारा/भोजन

i. स्थानीय अभाव अवधि के छोटे अंतराल के दौरान, यदि कॉलोनी में पर्याप्त शहद और पराग भंडार नहीं हैं, तो उत्पादक जैविक चीनी खिलाना या जैविक पराग पूरक या दोनों प्रदान करेगा ताकि कॉलोनी की ताकत बनी रहे या दोनों ताकि मधुमक्खी को भूखा न रहना पड़े। खिलाई केवल अंतिम फसल के बाद ही की जाएगी, जब मौसम से पहले कोई चारा उपलब्ध न हो।

ii. उत्पादन के मौसम के अंत में, छत्तों में सर्दियों में जीवित रहने के लिए शहद और पराग के पर्याप्त भंडार छोड़े जाएंगे। जलवायु परिस्थितियों के कारण अस्थायी फ़ीड की कमी को दूर करने के लिए कॉलोनियों को खिलाना एक अपवाद के रूप में देखा जाएगा।

iii. कॉलोनियों को खिलाने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब जलवायु परिस्थितियों के कारण छत्तों का अस्तित्व खतरे में हो और केवल अंतिम शहद की फसल और अगले नेक्टर या शहद के प्रवाह की अवधि शुरू होने से 15 दिन पहले के बीच। आपूर्ति की जाने वाली फ़ीड पूरी तरह से जैविक होगी। खिलाना (feeding) जैविक शहद, जैविक चीनी सिरप या जैविक चीनी के साथ होगा।

3.3.6. स्वास्थ्य देखभाल

i. मधुमक्खी पालन में पशु दवाईयों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ii. कीट और रोग नियंत्रण तथा छत्ते के कीटाणुशोधन के लिए अनुलग्नक-3(11) में उल्लिखित उत्पादों की अनुमति है।

iii. फ्रेम, छत्ते और कंघों को विशेष रूप से कीटों से बचाने के उद्देश्य से

अनुलग्नक-3(11) में सूचीबद्ध उत्पादों की अनुमति है।

iv. मधुमक्खी पालन गृहों के कीटाणुशोधन के लिए भाप या प्रत्यक्ष लौ जैसे भौतिक उपचार की अनुमति है।

v. नर बच्चों को नष्ट करने की प्रथा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कॉलोनी में वरोआ डिस्ट्रक्टर(varroa) का संक्रमण हो।

vi. यदि सभी निवारक उपायों के बावजूद, कॉलोनियाँ बीमार या संक्रमित हो जाती हैं, तो उनका तुरंत उपचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो कॉलोनियों को अलग-अलग मधुमक्खी पालन गृहों में रखा जा सकता है।

3.3.7. प्रजनन एवं प्रबंधन

i. रानी मधुमक्खियों के पंखों का कतरन प्रतिबंधित है।

ii. मधुमक्खियां पालन केन्द्रों के जीर्णोद्धार के लिए, जैविक उत्पादन इकाई में प्रति वर्ष 20% रानी मधुमक्खियों और झुंडों को गैर-जैविक रानी मधुमक्खियों और झुंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, बशर्ते कि रानी मधुमक्खियों और झुंडों को जैविक स्रोतों से आने वाले कंघों या कंघियों की नींव वाले छत्ते में रखा जाए।

3.3.8. आवधिक सफाई

i. मधुमक्खियों के छत्तों की समय-समय पर सफाई की जाएगी। प्रत्येक कॉलोनी का महीने में एक या दो बार नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा और इस तरह से कि मधुमक्खियों को कम से कम परेशानी और उत्तेजना हो। निचले बोर्ड पर जमा हुए मलबे को एक कंटेनर में इकट्ठा करके जला दिया जाएगा। मोम के छत्तों के टुकड़ों को एक साथ रखा जाएगा और मोम की वसूली के लिए पिघलाया जाएगा। पुराने छत्तों को पिघलाया जाएगा और छत्तों को नया बनाया जाएगा।

ii. जहां कॉलोनियों को सर्दियों में रखा जाता है और पैक किया जाता है, वहां पैक की अवधि के दौरान आवधिक सफाई की आवश्यकता नहीं होगी।

3.3.9. रिकॉर्ड रखना

आवधिक निरीक्षणों के दौरान प्रत्येक कॉलोनी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि किसी बीमारी के होने का संदेह हो तो तत्काल उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

3.3.10. परिवहन/प्रवासन

i. यदि स्थानीय अभाव अवधि या अवधि लगातार 6 से 8 सप्ताह से अधिक लंबी हो जाती है, तो उत्पादक, यदि संभव हो तो, व्यक्तिगत या सामूहिक प्रवास के माध्यम से कॉलोनियों को खेत(ओं) या जंगल(ओं) से जैविक चारे के नि-कटतम स्रोतों पर स्थानांतरित कर देगा। उत्पादक अलग-अलग वनस्पतियों और अलग-अलग पुष्पन अवधि वाले अन्य जैविक इलाकों में भी प्रवास कर सकते हैं।

ii. प्रवास से पहले सभी कॉलोनियों की रानी मधुमक्खी की अनुपस्थिति, भोजन की कमी आदि जैसी किसी भी कमी के लिए पूरी तरह से जांच की जाएगी और ऐसी कमी को दूर किया जाएगा।

iii. कॉलोनियों को इस तरह से पैक किया जाएगा:

क. विभिन्न छत्ते के घटकों, विशेष रूप से फ्रेम को सुरक्षित स्थिति में रखें;

ख. परिवहन के दौरान हिलने से बचें;

ग. मधुमक्खियों को पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान करें;

घ. अंदर भीड़ को रोकें;

ङ यदि आवश्यक हो तो परिवहन में भोजन या पानी प्रदान करें; और

च. प्रवेश द्वारों और अन्य घटकों में अंतराल के माध्यम से मधुमक्खियों को भागने से रोकें।

iv. प्रवास अधिमानतः रात में या ठंडे मौसम में प्रतिकूल तापमान से बचने के लिए किया जाना चाहिए। ट्रकों के मामले में कॉलोनियों को उनके फ्रेम के साथ आंदोलन की दिशा के समानांतर और ट्रेन परिवहन के मामले में समकोण पर लोड किया जाना चाहिए। हवाई, रेल या ट्रक द्वारा प्रवास की योजना पहले से ही बनाई जानी चाहिए ताकि पारगमन में होने वाली देरी के कारण होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

v. प्रवासी स्थल पर कॉलोनियों के पहुंचने से पहले उचित व्यवस्था जैसे कि मधुमक्खी पालन स्थल की सफाई, छत्ते की व्यवस्था, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना आदि किया जाना चाहिए।

vi. प्रवासी स्थल पर पहुंचने पर, कॉलोनियों को छत्ते के स्टैंड पर तुरंत व्यवस्थित किया जाना चाहिए और प्रवेश द्वार जल्द से जल्द उचित समय पर खोले जाने चाहिए।

vii. प्रवास के बाद पहला निरीक्षण कॉलोनियों के काम पर बसने के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इस निरीक्षण के दौरान, यह देखा जा सकता है कि क्या कोई छत्ते टूटे हुए हैं, रानी खो गई हैं, मधुमक्खियाँ मर गई हैं, आदि। पुराने छत्ते जिन्हें तुरंत बदलने की आवश्यकता है, उन्हें छत्ते के एक तरफ ले जाया जाना चाहिए जहाँ रानी आमतौर पर अंडे नहीं देती है। इन पुराने कंघों को बाद में हटा दिया जाएगा और मोम को पुनः प्राप्त किया जाएगा तथा खाली फ्रेम को गर्म पानी में डुबोकर जीवाणुरहित किया जाएगा तथा कंघों के नवीनीकरण के लिए आधार पट्टियाँ देने से पहले सीधे धूप में सुखाया जाएगा।

viii. शहद प्रवाह और परागण के अतिरिक्त, इस प्रवास अवधि को सरल विभाजन या नियोजित रानी पालन कार्यक्रम द्वारा कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। सेवानिवृत्त रानियों को युवा संभोग करने वाली रानियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ix. महामारी क्षेत्र, अंतर-राज्य या अंतर-क्षेत्रीय प्रवास के रूप में अधिसूचित किसी भी क्षेत्र से प्रभावित कॉलोनी को ऐसे क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया जाएगा।

x. जैविक छत्तों को गैर-अनुरूप क्षेत्रों में ले जाने की संभावना अब केवल भूकंप, आग आदि जैसी आपदाओं की स्थिति में दी जाएगी जो अमृत, पराग के स्रोत को प्रभावित करती हैं और कॉलोनी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाती हैं।

3.3.11. उत्पाद निकालना

i. कमजोर कॉलोनियों को एकजुट करके प्रवाह के मौसम की शुरुआत तक कॉलोनियों को उनकी पूरी ताकत तक विकसित किया जाएगा।

ii. सीलबंद ब्रूड कॉम्ब्स और मधुमक्खियों या दोनों के साथ मध्यम कॉलोनियों को बढ़ाना;

iii. अनुकरणीय जैविक भोजन देना; और

iv. कॉम्ब्स को खींचने और ब्रूड नेस्ट का विस्तार करने के लिए कॉम्ब फाउंडेशन स्ट्रिप्स देना।

v. डमी या डिवीजन बोर्ड का उपयोग उन कॉलोनियों के लिए किया जाएगा जो अभी भी एक-दो कंघों से पूरी ताकत से कम हैं ताकि उन्हें सुपर में प्रेरित किया जा सके। जो कॉलोनियां अभी भी कमजोर हैं उन्हें कुछ अतिरिक्त शहद

उपज प्राप्त करने के लिए नाभिक में स्थानांतरित किया जाएगा।

vi. जैसे ही अमृत आना शुरू होता है; कॉलोनियों में सुपर जोड़े जाएंगे। जब पहले सुपर कमोबेश शहद से भर जाते हैं लेकिन सील नहीं होते हैं, तो अतिरिक्त भंडारण स्थान प्रदान करने के लिए एक नया सुपर दिया जाएगा। मधुमक्खी पालन में प्रत्येक कॉलोनी के लिए तीन सुपर रखना वांछनीय हो सकता है क्योंकि सुपर कॉम्ब्स का सामान्य जीवन तीन साल है।

vii. शहद तभी निकाला जाना चाहिए जब मधुमक्खियाँ छत्तों को बंद कर दें। निकाले गए या कच्चे शहद से किण्वन और खराब होने की संभावना होगी।

viii. प्रवाह के अंत में ब्रूड पालन कम हो जाता है, और शहद को अक्सर स्थानीय कमी को पूरा करने के लिए ब्रूड छत्तों में सहज रूप से संग्रहीत किया जाता है। इसलिए, ब्रूड छत्तों से शहद कभी नहीं निकाला जाना चाहिए।

ix. प्रवाह के अंत में, और शहद निकाले जाने के बाद, खाली छत्तों को मधुमक्खियों से साफ किया जाना चाहिए और मोम कीट और अन्य निरीक्षण कीटों के खिलाफ उपयुक्त परिरक्षकों के साथ ठंडे, सूखे, चूहे-रोधी बाड़ों में सुपर में सावधानी से संरक्षित किया जाना चाहिए। अगले शहद प्रवाह के दौरान ऐसे निकाले गए छत्तों का पुन: उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक शहद प्रवाह से अधिकतम फसल प्राप्त करने के लिए एक उत्पादक को अपने मधुमक्खी पालन केंद्र में प्रत्येक कॉलोनी के लिए ऐसे निकाले गए छत्तों के कम से कम दो सुपर से खुद को सुसज्जित करना चाहिए।

3.3.12. शहद निष्कर्षण

i. शहद को केवल सीलबंद कंघों से ही निकाला जाना चाहिए।

ii. शहद निकालने के लिए ब्रूड कंघों का उपयोग निषिद्ध है।

iii. कटाई के समय, धूम्रपान को छोड़कर, निषिद्ध पदार्थों (रासायनिक सिंथेटिक रिपेलेंट्स) से बने रिपेलेंट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

iv. अत्यधिक धुआं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह शहद के स्वाद को खराब कर सकता है या इसे खराब कर सकता है।

v. निष्कर्षण केवल स्वच्छ, मक्खी-रोधी बाड़े में किया जाना चाहिए।

vi. निष्कर्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को उपयोग से पहले उबलते पानी में अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए। शहद

निकालने के लिए ब्रूड कंघों का उपयोग निषिद्ध है।

vii. निष्कर्षण के दौरान, शहद को 1.40 मिमी की छलनी से गुजारा जाना चाहिए।

viii. निकाले गए शहद को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनर स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम या यदि अन्य धातु के हैं, तो मोटे तौर पर टिन या गैल्वेनाइज्ड होने चाहिए।

ix. कंटेनर में ढक्कन लगा होना चाहिए और प्रत्येक कंटेनर पर उत्पादक का नाम, दिनांक और निष्कर्षण का स्थान अंकित होना चाहिए।

x. शहद निष्कर्षण में लगे व्यक्ति किसी भी संक्रामक रोग से मुक्त होने चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और अपने हाथों को कीटाणुनाशक साबुन से साफ करना चाहिए।

xi. संक्रामक मधुमक्खी रोगों वाली कॉलोनियों से निकाले गए शहद को अलग रखा जाना चाहिए और सामान्य लॉट के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। इस शहद को विपणन से पहले पाश्चुरीकृत किया जाना चाहिए। इसे कभी भी संसाधित या असंसाधित रूप में मधुमक्खियों को नहीं खिलाया जाना चाहिए।

xii. निकाले गए शहद को वायुरोधी कंटेनरों में यथाशीघ्र पूलिंग और प्रसंस्करण केंद्रों पर ले जाया जाना चाहिए। यहां तक कि जब तक शहद उत्पादक के पास रहता है, तब तक इसे ठंडे, सूखे और स्वच्छ स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए और इसे धुएं, गर्मी और कीड़ों से बचाया जाना चाहिए।

3.3.13. मधुमक्खी के मोम का निष्कर्षण

i. प्रत्येक उत्पादक को मधु मोम के प्रत्येक टुकड़े को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करना चाहिए। यह आमतौर पर नवीनीकरण के दौरान पुराने कंघों, बर के टुकड़ों और ब्रेस-हनी कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। विभिन्न मधुमक्खी प्रजातियों से मोम को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।

ii. कैपिंग से प्राप्त मोम, मधु मोम का सबसे शुद्ध रूप है और इसे मधुमक्खी पालन में सामान्य रूप से प्राप्त मोम के साथ मिलाए बिना अलग से संग्रहित किया जाना चाहिए।

iii. पुराने और फेंके गए कंघों को कसकर बंद ढक्कन वाले कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द पिघलाया जाना चाहिए ताकि आगे की गिरावट और मोम कीट के संक्रमण से बचा जा सके। इन पिघले हुए

कंघों को वांछित आकार, आकृति और द्रव्यमान के स्लैब में ढाला जा सकता है।

3.3.14. फसल परागण

उत्पादक को यह समझना चाहिए कि शहद और मोम की हार्वेस्टिंग के अलावा, उसे कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि/बागवानी फसलों के परागण के लिए भी अपनी मधु-मक्खियों को सक्रिय करना चाहिए।

3.3.15 मधुमक्खी वनस्पतियों का संरक्षण

मधुमक्खी पालन उद्योग की व्यवहार्यता स्थानीय वनस्पतियों के घनत्व और संरचना पर निर्भर करती है। इसलिए, वन वनस्पति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मधुमक्खियों के लिए चारा उपलब्ध कराने वाले पेड़ों, झाड़ियों और जड़ी-बूटियों को विशेष रूप से सं-रक्षित किया जाना चाहिए।

3.4. जैविक जलकृषि उत्पादन

3.4.1. जैविक प्रबंधन योजना

प्रमाणन निकाय द्वारा फार्म के पंजीकरण के दौरान, उत्पादक को प्रमाणन निकाय के समक्ष एक जैविक प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होती है, जिसे निरीक्षण के दौरान सत्यापित किया जाना आवश्यक है। इस योजना को सालाना अपडेट किया जाना चाहिए और यह ताजे और खारे पानी के तालाबों और मुहाना और समुद्र में खुले जल निकायों में पाले जाने वाले सभी जलीय जीवों पर लागू होगी। (ब्लैक टाइगर श्रिम्प, इंडियन मेजर कार्प, मीठे पानी के झींगे और बाइवाल्व) इन मानकों के तहत उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रमाणन के लिए। ऑपरेटरों को जैविक प्रबंधन योजना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

3.4.2. जैविक रूपांतरण अवधि

i. जैविक जलकृषि को अपनाने के लिए एक अंतरिम अवधि, 'रूपांतरण अवधि' की आवश्यकता होती है। रूपांतरण अवधि की शुरूआत प्रमाणन निकाय द्वारा पहले निरीक्षण की तिथि के रूप में मानी जाएगी।

ii. रूपांतरण में प्रजाति-विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि पशुपालन प्रथाओं और प्रबंधन प्रणाली, अपशिष्ट और तलछट के संबंध में साइट का पिछला उपयोग और जीव के कल्याण के लिए पानी की गुणवत्ता को ध्यान में रखा जाएगा। जैविक और गैर-जैविक उत्पादन इकाई के बीच पर्याप्त पृथक्करण बनाए रखा जाना चाहिए।

iii. रूपांतरण अवधि की अवधि प्रजातियों, उत्पादन की विधि, स्थान और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगी। आम तौर पर, खुले पानी की सुविधाओं के लिए, जिसमें बाइवल्व मोलस्क का उत्पादन करने वाले भी शामिल हैं, रूपांतरण अवधि 3 महीने की होगी और जल निकासी योग्य प्रणालियों के लिए जहां सफाई और कीटाणुशोधन किया जाता है, रूपांतरण अवधि 6 महीने/एक फसल जो भी अधिक हो, होगी और जल निकासी योग्य और परती के मामले में, रूपांतरण अवधि 12 महीने होगी। गैर-जल निकासी योग्य प्रणालियों के मामले में जिन्हें कीटाणुरहित नहीं किया जा सकता है, रूपांतरण अवधि 24 महीने होगी (मीठे पानी के झींगे, कार्प)। अपवाद के रूप में और कुछ शर्तों के तहत, पिछली अवधि को रूपांतरण अवधि के हिस्से के रूप में पूर्वव्यापी रूप से मान्यता दी जा सकती है। जलकृषि फार्म जिन्होंने पिछली अवधि में खेती के जैविक सिद्धांतों का पालन किया है, वे फार्म रिकॉर्ड के समर्थन के साथ उस अवधि के लिए अपवाद की मांग कर सकते हैं। खुले पानी की खेती के मामले में, रूपांतरण अवधि 3 महीने (द्विवाल्व) मानी जाएगी।

iv. समानांतर उत्पादन का अभ्यास करने वाले हैचरी/फार्म में, उत्पादक जैविक रूप से उत्पादित और रूपांतरण में जानवरों को अलग रखेगा और अलगाव को दिखाने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड बनाए रखेगा।

3.4.3. पारिस्थिकी तंत्र प्रबंधन

i. सदाबहार वन स्थल तंत्र को जलीय तालाब में बदलना प्रतिबंधित है। खेती के लिए जल ग्रहण चैनल, पहुंच मार्ग आदि का निर्माण करते समय सदाबहार वन स्थल को नष्ट करना भी प्रतिबंधित है।

ii. मौजूदा तटीय खेतों में, जहां भी संभव हो, पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की बहाली और संरक्षण के साधन के रूप में मैंग्रोव लगाने पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

iii. तालाबों के निर्माण के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आस-पास के क्षेत्र में जलभराव की स्थिति न बने, जिससे आस-पास के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) प्रभावित हों।

iv. जैविक खेती के सिद्धांतों और पारंपरिक खेती का पालन करने वाले खेतों के बीच कम से कम 10 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाना चाहिए। प्राकृतिक स्थिति, जल वितरण प्रणाली, ज्वारीय प्रवाह, जैविक उत्पादन इकाई के

अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्थानों के आधार पर बफर जोन का आकार बढ़ाया जा सकता है। बफर जोन बंजर भूमि या तालाब/खेती की भूमि हो सकती है। इस बफर जोन का उत्पादन जैविक सिद्धांतों का पालन करेगा, लेकिन उत्पादन को पारंपरिक माना जाएगा।

v. जैविक झींगा पालन के माध्यम से आस-पास की कृषि भूमि और पेयजल स्रोतों का खारापन सख्त वर्जित है। जहाँ कहीं भी खारे पानी की खेती अपनाई जाती है, वहाँ तालाब और आस-पास की कृषि भूमि/पेयजल स्रोत के बीच लगभग 200 मीटर का बफर जोन छोड़ा जाना चाहिए।

vi. खेत के खुले क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए देशी वनस्पति लगाई जानी चाहिए। वनस्पति रहित क्षेत्रों (टीलों, रेगिस्तान) में स्थित खेतों को इस आवश्यकता से बाहर रखा जा सकता है।

vii. विशेष रूप से कटाई के दौरान जल निकायों में पोषक तत्वों के निर्वहन और/या निलंबित ठोस पदार्थों को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

viii. तालाब, चैनलों या किनारों में विषाक्त या अन्यथा हानिकारक पदार्थों के निकलने को रोका जाना चाहिए। ईंधन और स्नेहक के किसी भी रिसाव से बचने के लिए पंप, जनरेटर और एरेटर जैसे उपकरणों और मशीनरी को उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

ix. ध्यान रखा जाना चाहिए कि निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री और पदार्थ जैव विविधता और पर्यावरण को प्रभावित न करें।

x. खेती के जानवरों के भागने सहित नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय अपनाए जाने चाहिए।

xi. शिकारी पक्षियों और जानवरों को मारना प्रतिबंधित है। जलीय जीवों को बचाने के लिए डराने वाले उपकरण/सुरक्षात्मक बाड़ आदि लगाने की अनुमति है।

3.4.4. स्थल का चयन

i. स्थान का चयन करते समय, सुनिश्चित करें कि फार्म के निर्माण से होने वाले परिवर्तनों के कारण आस-पास के जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ii. भारी धातुओं या औद्योगिक प्रदूषण से संदूषण के ज्ञात रिकॉर्ड वाले क्षेत्रों से बचा जा सकता है। ISO17025 अनुमोदित और एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में संदूषकों के रिकॉर्ड के लिए परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

iii. मिट्टी की गुणवत्ता खेती के लिए अनुकूल होनी चाहिए और अत्यधिक लवणीय या अम्लीय मिट्टी जैसी चरम स्थितियों से बचा जाना चाहिए।

iv. नए फार्मों के निर्माण के लिए वन क्षेत्र या घनी वनस्पति वाली भूमि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

v. नए फार्म विकसित करने या मौजूदा फार्मों का विस्तार करने में, उत्पादक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति संरक्षित है। वनस्पति के साथ बांध क्षेत्र के पर्याप्त कवरेज का ध्यान रखा जाना चाहिए।

vi. टाइगर झींगा के पालन के उद्देश्य से भूजल का उपयोग निषिद्ध है। अन्य प्रजातियों के लिए भूजल से बचा जाना चाहिए।

vii. बाइवाल्व फार्म के मामले में, समुद्री जल के अधिकतम संचलन को सुनिश्चित करने के लिए फार्म का स्थान समुद्र के जितना संभव हो सके उतना करीब होना चाहिए।

viii. बाइवाल्व फार्म साइट को सामान्य जल गुणवत्ता, ट्रेस धातु सामग्री, बायोटॉक्सिन स्तर और माइक्रोबियल लोड (पीएच, लवणता, तापमान आदि की इष्टतम सीमा के भीतर) के संदर्भ में अनुलग्नक -3 (12) के अनुसार मानदंडों को पूरा करना चाहिए।

3.4.5. नस्लों और प्रजातियों का चयन

i. विदेशी प्रजातियों की तुलना में स्थानिक प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि विदेशी प्रजातियों का चयन किया जाना है, तो स्थानिक प्रजातियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव का पता लगाया जाना चाहिए।

ii. किसी भी तरह के आनुवंशिक रूप से निर्मित स्टॉक पर प्रतिबंध है। चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से प्राप्त स्टॉक की अनुमति है, लेकिन इस मामले में बीज उत्पादन जैविक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए।

3.4.6. बीज का स्रोत और प्रजनन

i. ब्रूड स्टॉक पर तनाव को कम करने के लिए प्रजातियों, पर्यावरण, उत्पादन प्रणालियों और स्थानीय स्थितियों के लिए उपयुक्त नस्लों और प्रजनन तकनीकों का पालन किया जाना चाहिए।

ii. स्थानीय रूप से उगाई गई प्रजातियों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें प्रजनन प्रयासों का लक्ष्य उत्पादन स्थितियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल उपभेदों का विकास करना होगा। यह दृष्टिकोण इष्टतम पशु स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करता है, साथ ही साथ चारा संसाधनों का कुशल उपयोग भी करता है। उनके मूल और उपचार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणन निकाय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

iii. जैविक रूप से प्रमाणित बीजों का उपयोग किया जाएगा।

iv. जंगली पकड़े गए या गैर-जैविक जलकृषि पशुओं को प्रजनन उद्देश्यों के लिए होल्डिंग में पेश किया जा सकता है, लेकिन केवल विशिष्ट मामलों में जहां जैविक नस्लें उपलब्ध नहीं हैं या जब प्रजनन परिणामों को बढ़ाने के लिए नया आनुवंशिक स्टॉक आवश्यक है। ऐसे परिचय के लिए प्रमाणन निकाय से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इन जानवरों को प्रजनन के लिए उपयोग किए जाने से पहले कम से कम तीन महीने तक जैविक रूप से प्रबंधित किया जाएगा। कार्प और मीठे पानी के झींगों के लिए, अधिसूचना के वर्ष से दूसरे, तीसरे और पांचवें वर्ष तक फार्म में पेश किए जाने वाले गैर-जैविक रूप से उत्पादित किशोरों का अधिकतम प्रतिशत 80%, 50% और 0% होगा।

v. टाइगर झींगा के लिए प्राकृतिक ब्रूड स्टॉक का संग्रह निषिद्ध है, क्योंकि देश में पालतू ब्रूड स्टॉक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है।

vi. एक नियम के रूप में, टाइगर झींगा में आँख के डंठल के उन्मूलन के मामले में अंडे/लार्वा प्राप्त करने के लिए जानवरों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस अभ्यास को अधिसूचना की तारीख से पांच साल तक की अनुमति दी जाएगी, जब तक यह उम्मीद की जाती है कि देश में चल रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम वाणिज्यिक पैमाने पर कैप्टिव ब्रूडस्टॉक के प्राकृतिक स्पॉनिंग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास की ओर ले जाएंगे।

vii. प्रमाणित जैविक हैचरी को ब्रूड स्टॉक गुणन केंद्र (बीएमसी) से विशिष्ट रोगज़नक़ मुक्त (एसपीएफ) ब्रूड स्टॉक प्राप्त करना चाहिए और प्रजनन से कम से कम तीन महीने पहले जैविक प्रोटोकॉल के तहत उनका पालन-पोषण करना चाहिए।

viii. हैचरी संचालन के लिए ब्रूडर और अन्य सभी इनपुट की ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ बनाए रखें।

ix. कृत्रिम प्रजनन के लिए सिंथेटिक हार्मोन के उपयोग की अनुमति नहीं है।

x. चूंकि कार्प के प्रेरित स्पॉनिंग के लिए बहिर्जात हार्मोन की आपूर्ति एक आवश्यक आवश्यकता है, इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि का उपयोग स्वीकार किया जा सकता है।

xi. पशु को तनाव से बचाने के लिए, हैचरी में प्राकृतिक सीमा से परे त्वरित लार्वा विकास/वृद्धि या परिपक्वता के लिए थर्मल हेरफेर निषिद्ध है।

xii. कार्प में, थर्मल/हार्मोनल हेरफेर के माध्यम से ब्रूड स्टॉक परिपक्वता के पूर्व और स्थगन और उनके बाद के प्रजनन को प्रमाणित जैविक हैचरी में बीज उत्पादन के लिए अनुमति नहीं है।

xiii. हैचरी में कीटाणुशोधन और सफाई का आसपास के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। केवल अनुमोदित कीटाणुनाशक और सफाई एजेंटों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अवशेष नहीं होंगे। अनुमोदित जलकृषि इनपुट की सूची **अनुलग्नक -3 (13)** में है। निषिद्ध इनपुट की सूची **अनुलग्नक 3 (14)** में है।

xiv. एंटीबायोटिक्स का उपयोग निषिद्ध है **अनुलग्नक-3(15)**। लेकिन प्रोबायोटिक्स के उपयोग की अनुमति है।

xv. हैचरी/फार्म के आस-पास के वातावरण के मिट्टी और पानी की गुणवत्ता के मापदंडों की निगरानी की जानी चाहिए और कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

xvi. हैचरी/फार्म और उसके आस-पास की उचित स्वच्छता और सफाई बनाए रखी जानी चाहिए। कुत्तों, बिल्लियों, मवेशियों आदि जैसे आवारा जानवरों के प्रवेश को उचित बाड़ लगाकर रोका जाना चाहिए।

xvii. परिवहन प्रथाओं से पशुओं का कल्याण सुनिश्चित होगा।

xviii. जैविक बीज के उत्पादन के लिए हैचरी को पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। हैचरी को जैविक और पारंपरिक रूप से उत्पादित बीज को अलग-अलग इकाइयों में रखना चाहिए और पृथक्करण को दर्शाने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड रखना चाहिए।

xix. हैचरी/फार्म उत्पादकों के पास संवर्धित प्रजातियों के स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यक बुनियादी ज्ञान और कौशल होना चाहिए।

xx. बाइवाल्व के मामले में, प्राकृतिक ब्रूड स्टॉक के संग्रह की अनुमति है, लेकिन स्पॉनिंग को ट्रिगर करने के साधन के रूप में रसायनों के उपयोग की अनुमति नहीं है।

xxi. बाइवाल्व बीजों को स्पैट कलेक्टरों का उपयोग करके प्राकृतिक बिस्तर से या जैविक हैचरी से प्राप्त किया जा सकता है। दूरस्थ सेटिंग की अनुमति है, लेकिन स्पैट निपटान के लिए रसायनों का उपयोग निषिद्ध है। उत्पादक को संग्रह क्षेत्र का पता लगाने के लिए जंगली बीजों के स्रोत के लिए रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।

3.4.7. सांस्कृतिक प्रथाएँ

पशुपालन की प्रथाओं, जिसमें आहार, प्रतिष्ठानों का डिजाइन, भंडारण घनत्व और जल की गुणवत्ता शामिल है, यह सुनिश्चित करेगी कि पशुओं की विकासात्मक, शारीरिक और व्यवहार संबंधी आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी हों।

3.4.8. तालाब की तैयारी

i. अवांछित मछलियों को खत्म करने के लिए धूप में सुखाना, जाल लगाना या चाय के बीज की खली (कैमेलिया साइनेंसिस), महुआ तेल खली (बैसिया लैटिफोलिया), डेरिस रूट पाउडर (लिंकोंकार्पस एसपी) और नीरवलम (क्रोटेलरिया टिगिलम) जैसे पौधों के डेरिवेटिव का उपयोग करने की अनुमति है। किसी भी सिंथेटिक शाकनाशी और कीटनाशकों का उपयोग निषिद्ध है।

ii. कीटाणुशोधन और अम्लता सुधार के लिए कृषि चूना, डोलोमाइट या क्विक लाइम का उपयोग करने की अनुमति है।

iii. अच्छे फाइटो और ज़ूप्लैंकटन और स्थिर तालाब के वातावरण को बनाए रखने के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित खाद/पोषक तत्वों (जैविक प्रकार - खेत की खाद, वर्मीकम्पोस्ट) वाले उर्वरकों का उपयोग किया जाना चाहिए। संवर्धित जीवों के भोजन व्यवहार के आधार पर पौधे या पशु मूल के बायोडिग्रेडेबल प्रसंस्करण उप-उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए इनपुट की सूची अनुलग्नक -3(13) के अनुसार

अपनाई जानी चाहिए। पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाया जा सकता है।

iv. कार्प फार्मिंग के लिए पोषक तत्व के स्रोत के रूप में गाय के गोबर/मुर्गी की खाद/खेत की खाद/वर्मी-कम्पोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्चर ऑपरेशन के दौरान गाय के गोबर/मुर्गी की खाद का बीच-बीच में इस्तेमाल किण्वित (fermented) रूप में होना चाहिए। इस्तेमाल की जाने वाली खाद जैविक स्रोतों से होनी चाहिए।

3.4.9. स्टॉकिंग

i. उत्पादन प्रणालियों को एकल-स्टॉकिंग का पालन करना होगा जब तक कि इसे बहु-कृषि प्रणाली के रूप में परिभाषित न किया जाए।

ii. स्टॉकिंग घनत्व को सीमित किया जाना चाहिए ताकि पशु कल्याण, साइट की पारिस्थितिक क्षमता और प्रजाति-विशिष्ट भौतिक आवश्यकता और पशु व्यवहार के साथ समझौता न हो।

iii. झींगा पालन के लिए, अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व 10 नग/मी2 है और तालाब में बायोमास 2000 किलोग्राम/हेक्टेयर/फसल से अधिक नहीं होना चाहिए और मीठे पानी के झींगों के लिए स्टॉकिंग घनत्व 5 नग/मी2 तक और तालाब में बायोमास 1600 किलोग्राम/हेक्टेयर/फसल से अधिक नहीं होना चाहिए।

iv. मीठे पानी के झींगों के नर्सरी पालन के लिए, अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व 20 नग/मी^{2} की अनुमति है।

v. नर्सरी में कार्प फ्राई और फिंगरलिंग उत्पादन के लिए, अधिकतम स्टॉकिंग घनत्व क्रमशः 2 मिलियन स्पॉन/हेक्टेयर (200 नग/मी^{2}) और 0.1 मिलियन फ्राई/हेक्टेयर (10 नग/मी^{2}) है।

vi. कार्प के उत्पादन के लिए, अधिकतम 4,000 फिंगरलिंग्स/हेक्टेयर (0.4नोस/एम^2) का स्टॉकिंग घनत्व अपनाया जा सकता है और किसी भी समय अधिकतम बायोमास 3 टन/हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

vii. कार्प फार्मिंग के मामले में, पारिस्थितिक क्षेत्र का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए संगत कार्प प्रजातियों की बहुसंस्कृति को मोनोकल्चर की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

3.4.10. तालाब प्रबंधन

i. तालाबों को स्टॉक के प्राकृतिक व्यवहार के साथ सबसे उपयुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। उत्पादन चक्र के दौरान पानी की गुणवत्ता प्रजातियों के रहने के लिए अनुकूल होनी चाहिए (पीएच, लवणता, ऑक्सीजन, तापमान, नाइट्रोजन अंश, बीओडी आदि की इष्टतम सीमा के भीतर)।

ii. सफाई और कीटाणुशोधन के लिए, केवल अनुमोदित सूची से पदार्थों का उपयोग किया जाएगा।

iii. इष्टतम जल गुणवत्ता और प्लवक को बनाए रखने के लिए जल गुणवत्ता मापदंडों (घुलित ऑक्सीजन, पीएच, लवणता, तापमान, अमोनिया आदि) की आवधिक निगरानी की जानी चाहिए।

iv. प्रवाहित जल की गुणवत्ता (पोषक तत्व भार, निलंबित ठोस, अमोनिया आदि) की खेती के मौसम में कम से कम दो बार (बीच में और फसल के दौरान) बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए।

v. कार्प खेती के मामले में, उत्पादन तालाब में पानी की सतह के 10-15% के साथ तैरता हुआ वनस्पति आवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

vi. वातन(Aeration), हीटिंग, पंपिंग आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकताओं को न्यूनतम रखा जाना चाहिए। ऊर्जा खपत से संबंधित डेटा का दस्तावेजीकरण किया जा सकता है और निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

vii. यदि संभव हो तो पंपिंग और वातन(Aeration) के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को पवन, सौर ऊर्जा आदि जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जा सकता है।

viii. स्टॉकिंग घनत्व को अनुमत स्तर से ऊपर बढ़ाने के लिए तालाब में वातन(Aeration) के उपायों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉक को बचाने के लिए केवल संस्कृति की स्थितियों की अनिवार्यताओं के तहत वातन की अनुमति है।

ix. तालाब में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेरिफाइटिक विकास के लिए सब्सट्रेट का उपयोग करने की अनुमति है। इस उद्देश्य के

लिए प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

x. जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचें, सिवाय सबसे आवश्यक वस्तुओं जैसे जाल, टोकरे, फ्लोट आदि के।

xi. मोल्टिंग के दौरान मीठे पानी के झींगों की सुरक्षा के लिए टाइल, बांस की टहनियाँ, मिट्टी के पाइप आदि जैसे छिपने के स्थान रखने की अनुमति है।

3.4.11. बाईवाल्व की खेती

i. मसल्स और ओइस्टर जैसे बाईवाल्व जीवों के मामले में, ग्रो-आउट विधियाँ ऑफ-बॉटम रैक, राफ्ट, लॉन्ग-लाइन और रस्सियों और जालों का उपयोग करने की अनुमति है।

ii. उत्पादन पोस्ट, फ्लोट या अन्य स्पष्ट सीमांकन द्वारा सीमांकित क्षेत्रों में होगा और उचित रूप से नेट बैग, पिंजरे या अन्य मानव निर्मित साधनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

iii. मसल्स के मामले में, स्टॉकिंग घनत्व 2 किलोग्राम/मी रस्सी से अधिक नहीं होना चाहिए और उत्पादन 15 किलोग्राम/मी रस्सी से अधिक नहीं होना चाहिए।

iv. बायोफाउलिंग जीवों को भौतिक साधनों से हटाया जाएगा और उचित रूप से खेती स्थल से दूर समुद्र में वापस कर दिया जाएगा। जैविक नियंत्रण उपायों की अनुमति है।

3.4.12. अनुपूरक पोषण

i. पूरक आहार पर निर्भरता कम करने के लिए तालाब की प्राकृतिक उत्पादकता का अधिकतम लाभ उठाया जाना चाहिए।

ii. पशु के प्राकृतिक आहार व्यवहार का पता लगाया जाना चाहिए ताकि उसके सभी जीवन चरणों के लिए प्रजातियों की पोषण और आहार संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। प्राकृतिक उत्पादकता से मिलने वाले हिस्से से परे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रमाणित जैविक आहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आहार/सामग्री के स्रोत के बारे में रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए।

iii. खेत में बने चारे का इस्तेमाल किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री जैविक स्रोतों से हो। प्रमाणन निकाय सामग्री की प्रामाणिकता के रिकॉर्ड को सत्यापित करेगा। यदि प्रमाणित जैविक चारा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो जैविक सामग्री से बने खेत में बने चारे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

iv. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (जीएमओ) से सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

v. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चारे में जलीय पशु प्रोटीन और तेल का इस्तेमाल न्यूनतम और सत्यापन योग्य स्रोत से होना चाहिए।

vi. टाइगर झींगा और मीठे पानी के झींगे के मामले में, फ़ीड में मछली के भोजन की मात्रा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, मछली के तेल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए और पशु मूल की कुल प्रोटीन सामग्री 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vii. कार्प फार्मिंग के मामले में पूरक आहार में मछली के भोजन सहित पशु प्रोटीन के उपयोग से बचना चाहिए।

viii. प्रक्रिया के दौरान एंटीबायोटिक्स/ कीटनाशकों/ भारी धातुओं/ एंटीऑक्सीडेंट/ संरक्षक/ विकास हार्मोन के संभावित प्रवेश से बचने के लिए प्रमाणित जैविक सामग्री से तैयार फ़ीड का उपयोग पूरक आहार के लिए किया जाना चाहिए। अधिक खिलाने से बचना चाहिए। फ़ीड सेवन का आकलन करने के लिए चेक ट्रे का उपयोग किया जा सकता है।

ix. फ़ीड में उपयोग किए जाने वाले खनिज, ट्रेस तत्व, विटामिन या प्रो-विटामिन यथासंभव प्राकृतिक मूल के होने चाहिए। विकास प्रमोटर और सिंथेटिक अमीनो एसिड की अनुमति नहीं है।

x. जैविक फ़ीड मिल जैविक फ़ीड के उत्पादन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तित हो सकती है। फ़ीड मिल जैविक और पारंपरिक रूप से उत्पादित फ़ीड को अलग रखेगी और पृथक्करण को दिखाने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड बनाए रखेगी।

xi. दैनिक राशन को संवर्धित जीवों की आहार आदत के अनुसार वितरित किया जाना चाहिए तथा इसकी बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए तथा इसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

xii. झींगा हैचरी के लिए जीवित मछली खाद्य जीवों, जैसे शैवाल, रोटिफ़र्स, आर्टेमिया आदि का संवर्द्धन, जहाँ तक संभव हो, जैविक कृषि के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए, अन्यथा अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।

3.4.13. स्वास्थ्य प्रबंधन

i. पशु स्वास्थ्य प्रबंधन योजना में जैव सुरक्षा उपायों और रोग निवारण प्रथाओं की रूपरेखा होनी चाहिए।

ii. मानव मलमूत्र और मलजल का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। स्टॉक किए गए पशुओं की नियमित स्वास्थ्य निगरानी होनी चाहिए और इसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

iii. 'रोकथाम इलाज से बेहतर है' बीज उत्पादन के साथ-साथ ग्रो-आउट खेती के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए।

iv. एलोपैथिक पशु चिकित्सा दवाओं और अन्य हानिकारक रसायनों के साथ कीमोथेरेप्यूटिक्स निषिद्ध हैं अनुलग्नक -3(15)। हर्बल फॉर्मूलेशन और होम्योपैथिक दवाओं की अनुमति है।

v. पानी/पशु-पालन की स्थिति में सुधार और रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए प्रमाणित मूल के खमीर आधारित जैविक तैयारी और प्रोबायोटिक्स की अनुमति है। जीएमओ आधारित तैयारी की अनुमति नहीं है।

vi. उपकरण और सुविधा रखरखाव के लिए केवल अधिकृत सफाई और कीटाणुशोधन पदार्थों का उपयोग किया जाएगा।

vii. प्रमाणन निकाय परती की आवश्यकता का आकलन करने और इसकी अवधि निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया को समुद्र में खुले पानी के नियंत्रण प्रणालियों में प्रत्येक उत्पादन चक्र के बाद किया जाना चाहिए और उसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

viii. पराबैंगनी प्रकाश और ओजोन का उपयोग केवल हैचरी और नर्सरी में ही किया जाना चाहिए।

ix. बाह्य(External) परजीवी जैविक नियंत्रण के लिए, स्वच्छ मछलियों को नियोजित करने और मीठे पानी, समुद्री पानी और सोडियम क्लोराइड समाधान का उपयोग करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3.4.14. हार्वेस्टिंग और परिवहन

i. कटाई की विधि मानवीय होनी चाहिए तथा जलीय जानवरों को कटाई के दौरान न्यूनतम तनाव का सामना करना चाहिए।

ii. बार-बार जाल लगाकर या तालाब के पानी को धीरे-धीरे निकालकर कटाई की जानी चाहिए। इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि जलीय पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी जैसे गैर-लक्ष्यित जीव गलती से मारे न जाएं।

iii. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कटाई की प्रक्रिया से प्राकृतिक प्रणाली और परिवेश को नुकसान न पहुंचे।

iv. जीवित बेचे जाने वाले जानवरों को न्यूनतम तनाव के साथ ले जाया जाना चाहिए। अन्य जानवरों को खेत में ही मारकर ठंडा किया जाना चाहिए।

v. सोडियम मेटाबिसल्फेट जैसे रसायनों का उपयोग निषिद्ध है, हालांकि रंग बदलने से रोकने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की अनुमति है। अनुमोदित और प्रतिबंधित इनपुट और विधियों के लिए अनुलग्नक-**3(16)**।

vi. जीवित मछलियों के परिवहन के लिए टैंकों को ठीक से साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।

vii. जीवित मछलियों को स्वच्छ पानी से भरे टैंकों में ले जाया जाना चाहिए जो तापमान और घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करते हों। तनाव को कम करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए।

viii. जीवित मछली के परिवहन के दौरान, स्टॉकिंग घनत्व इष्टतम होना चाहिए और जीवित मछली के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए।

3.4.15. प्रसंस्करण

i. पशुओं का पूर्व प्रसंस्करण और प्रसंस्करण फार्म स्थल पर नहीं किया जाना चाहिए।

ii. भंडारण और परिवहन सहित कटाई के बाद की हैंडलिंग स्वच्छतापूर्वक की जानी चाहिए।

iii. जैविक उत्पाद का प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैविक प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयों में किया जाना चाहिए। संसाधित उत्पाद की जैविक अखंडता को बनाए रखने के लिए निर्धारित उपाय किए जाने चाहिए। जलकृषि प्रसंस्करण

में उपयोग के लिए अनुमत और निषिद्ध पदार्थों की सीमा अनुलग्नक-3(16) में दी गई है।

3.4.16. प्रमाणन निकायों के लिए अनिवार्य दौरा

i. प्रमाणन निकाय उत्पादन चक्र के दौरान इकाइयों का निरीक्षण करेंगे।

ii. प्रमाणन निकायों द्वारा अधिकतम बायोमास उत्पादन से पहले और उसके दौरान बाइवाल्व उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा।

3.5. जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण और प्रबंधन

3.5.1. विशिष्ट आवश्यकताएं

जैविक उत्पादों की किसी भी हैंडलिंग और प्रसंस्करण को उत्पाद की गुणवत्ता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए।

ऑपरेटर को एक जैविक उत्पादन और हैंडलिंग योजना विकसित करनी चाहिए। एक जैविक उत्पादन और हैंडलिंग योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

i. किए जाने वाले अभ्यासों और प्रक्रियाओं का विवरण।

ii. उत्पादन, भंडारण और हैंडलिंग के दौरान उपयोग किए जाने वाले पदार्थों/ इनपुट की सूची, जिसमें इसकी संरचना, स्रोत, उपयोग किए जाने वाले स्थान और लागू होने पर वाणिज्यिक उपलब्धता का दस्तावेज़ीकरण दर्शाया गया हो। इन मानकों के तहत उपयोग की शर्तों के साथ जैविक उत्पादों के खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग के लिए सामग्री और योजक की सूची क्रमशः अनुलग्नक-3(17) और अनुलग्नक-3(18) में दी गई है।

iii. योजना के प्रभावी रूप से कार्यान्वित होने की पुष्टि करने के लिए अपनाई गई और बनाए रखी गई निगरानी प्रथाओं और प्रक्रियाओं का विवरण।

iv. एनपीओपी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए लागू रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का विवरण।

v. समानांतर प्रसंस्करण और हैंडलिंग के दौरान जैविक और अजैविक उत्पादों के मिश्रण को रोकने के लिए स्थापित प्रबंधन प्रथाओं और पृथक्करण उपायों का विवरण।

vi. प्रदूषण स्रोतों की पहचान की जाएगी और संदूषण को रोका जाएगा।

vii. जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण और हैंडलिंग गैर-जैविक उत्पादों के हैंडलिंग

और प्रसंस्करण से अलग समय या स्थान पर किया जाना चाहिए।

viii. पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी उत्पादों की पर्याप्त रूप से पहचान की जानी चाहिए।

ix. प्रमाणन कार्यक्रम अनुमत साधनों और उपायों को विनियमित करेगा।

x. उन सभी सुविधाओं के परिशोधन, सफाई या कीटाणुशोधन के लिए एसओपी जहां जैविक उत्पादों को रखा, संभाला, संसाधित या संग्रहीत किया जाता है।

xi. ऑपरेटरों को जैविक उत्पादन और हैंडलिंग योजना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

3.5.2. कच्चा माल

i. जब ऑपरेटर को कच्चा माल प्राप्त होता है, तो वे उत्पाद की स्थिति और लेबल की जांच करेंगे।

ii. वे ट्रांजेक्शन प्रमाणपत्र (**Transaction Certificate)** (टीसी) में उल्लिखित विवरण के संबंध में उत्पाद के प्रमाणन की स्थिति की जांच करेंगे।

iii. लेबल पर दिए गए विवरण को टीसी में उल्लिखित जानकारी के साथ क्रॉस सत्यापित किया जा सकता है और क्रॉस सत्यापन में टिप्पणियों को दस्तावेजित किया जाएगा।

3.5.3 कीट नियंत्रण

i. कीटों से बचने के लिए अच्छे स्वास्थ्यकर व्यवहार (जीएचपी) का पालन करना चाहिए, इसमें सामान्य सफाई और स्वच्छता शामिल है।

ii. इसलिए कीट नियंत्रण एजेंटों के साथ उपचार को अंतिम उपाय माना जाना चाहिए।

iii. अनुशंसित उपचार भौतिक अवरोध, ध्वनि, अल्ट्रा-ध्वनि, प्रकाश और यूवी-प्रकाश, जाल (फेरोमोन जाल और स्थिर चारा जाल सहित), तापमान नियंत्रण, नियंत्रित वातावरण और डायटोमेसियस पृथ्वी हैं।

iv. कीट रोकथाम और कीट नियंत्रण के लिए एक योजना विकसित की जानी चाहिए।

v. कीट प्रबंधन और नियंत्रण के लिए प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जाएगा:

क. निवारक तरीके जैसे कि व्यवधान, आवास का उन्मूलन और सुविधाओं तक पहुंच।

ख. यांत्रिक, भौतिक और जैविक तरीके।

ग. राष्ट्रीय मानकों के परिशिष्टों में अनुमत/निर्धारित कीटनाशक पदार्थ।

घ. जाल में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ।

vi. विकिरण/आयनित विकिरण निषिद्ध है।

vii. जैविक उत्पादों और निषिद्ध पदार्थों (जैसे कीटनाशक) के बीच कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क नहीं होना चाहिए।

viii. स्थायी या कैंसरकारी कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों की अनुमति नहीं है।

3.5.4. सामग्री

i. प्रसंस्करण में उपयोग की जाने वाली 100% सामग्री जैविक होगी, सिवाय इसके कि जैविक सामग्री पर्याप्त गुणवत्ता या मात्रा में उपलब्ध न हो; ऐसी परिस्थितियों में, गैर-जैविक सामग्री का उपयोग केवल आवश्यक तकनीकी आवश्यकता या विशेष पोषण संबंधी उद्देश्य के लिए न्यूनतम सीमा तक किया जा सकता है। ऐसे गैर-जैविक कच्चे माल को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर नहीं किया जाएगा। गैर-जैविक सामग्री का प्रतिशत जैविक के रूप में लेबल किए गए उत्पादों में कुल सामग्री के 5% से अधिक नहीं होगा। हालांकि यह उन आयातित सामग्रियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें प्रमाणित जैविक होना चाहिए। आयातित सामग्री के उपयोग के विवरण विनियमन 3.5.4.1 में दिए गए हैं। प्रमाणन निकाय समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन के अधीन गैर-जैविक कच्चे माल के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।

ii. एक उत्पाद के भीतर एक ही घटक जैविक और गैर-जैविक दोनों मूल से प्राप्त नहीं होना चाहिए।

iii. खाद्य प्रसंस्करण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मजीवों और एंजाइमों की तैयारी का उपयोग किया जा सकता है, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्मजीवों और उनके उत्पादों के अपवाद के साथ। एंजाइमों और

अन्य सूक्ष्म जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए, माध्यम जैविक अवयवों से बना होना चाहिए।

iv. जैविक उत्पादों में पीने योग्य पानी और नमक का उपयोग किया जा सकता है।

v. खनिज (सूक्ष्म तत्वों सहित), विटामिन और इसी तरह के पृथक अवयवों का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रमाणन कार्यक्रम अपवाद दे सकता है, जहां उपयोग कानूनी रूप से आवश्यक है या जहां गंभीर आहार या पोषण संबंधी कमी का प्रदर्शन किया जा सकता है।

vi. एथिलीन गैस को पकाने के लिए अनुमति है।

vii. इंजीनियर्ड नैनो सामग्रियों से युक्त या उससे बने खाद्य पदार्थ निषिद्ध हैं।

viii. तैयार उत्पादों में जैविक कृषि अवयवों के प्रतिशत की गणना में अधिकृत स्वाद को शामिल नहीं किया जाएगा।

ix. स्वाद पहचानने योग्य होना चाहिए (नींबू, पुदीना आदि) और प्राकृतिक स्वाद वाला हिस्सा स्वाद बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक स्रोत का कम से कम 95% होना चाहिए।

3.5.5. प्रसंस्करण विधियाँ

i. प्रसंस्करण विधियां यांत्रिक, भौतिक और जैविक प्रक्रियाओं पर आधारित होनी चाहिए।

ii. किसी जैविक घटक की महत्वपूर्ण गुणवत्ता को उसके प्रसंस्करण विधियों के प्रत्येक चरण में बनाए रखा जाएगा और योजकों और प्रसंस्करण सहायकों की संख्या और मात्रा को सीमित करने के लिए चुना जाएगा। निम्नलिखित प्रकार की प्रक्रियाओं को मंजूरी दी गई है:

क. यांत्रिक और भौतिक

ख. जैविक

ग. धूम्रपान

घ. निष्कर्षण

ङ अवक्षेपण

च. निस्पंदन

iii. निष्कर्षण या तो पानी, इथेनॉल, पौधे और पशु तेल, सिरका, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बोक्जिलिक एसिड के साथ किया जाएगा। ये खाद्य ग्रेड गुणवत्ता के होने चाहिए, जो उद्देश्य के लिए उपयुक्त हों।

iv. निस्पंदन पदार्थ एस्बेस्टस से नहीं बने होने चाहिए और न ही उनमें ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो उत्पाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

iv. विकिरण/आयनित विकिरण की अनुमति नहीं है।

3.5.6. पैकेजिंग

i. जहाँ भी संभव हो, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकिलेबल, पुनः प्रयोज्य प्रणालियों और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

ii. पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री उत्पाद को दूषित नहीं करेगी। जैविक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए पैकेजिंग फिल्मों के निर्माण में उपयोग के लिए कुछ योजक प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमत हैं (अनुलग्नक -**3 (19))**।

iii. पैकेजों को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि सामग्री का प्रतिस्थापन बिना छेड़छाड़ या सील को नुकसान पहुँचाए प्राप्त न हो सके।

iv. प्रमाणन निकाय उपयोग के लिए पैकेजिंग सामग्री को अनुमोदित करेगा।

3.5.7. लेबलिंग

3.5.7.1. लेबलिंग आवश्यकताएँ:

i. लेबलिंग से उत्पाद की जैविक स्थिति के बारे में स्पष्ट और सटीक जानकारी मिलनी चाहिए।

ii. जब मानकों की आवश्यकताओं को समग्रता में पूरा किया जाता है, तो उत्पादों को "जैविक कृषि के उत्पाद" या इसी तरह के विवरण के रूप में बेचा जाएगा।

iii. रूपांतरण (In-conversion) उत्पादों के लेबल को रूपांतरण के वर्ष का उल्लेख करके जैविक उत्पादों के लेबल से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए।

iv. उत्पाद के उत्पादन या प्रसंस्करण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार व्यक्ति या

कंपनी का नाम और पता लेबल पर उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि आयात करने वाले देश के राष्ट्रीय विनियमन में निजी लेबलिंग की आवश्यकताएं शामिल हैं, तो प्रमाणन निकाय संबंधित देश को निर्यात के लिए ऐसी आवश्यकताओं का पालन करते हुए लेबल को मंजूरी देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हैंडलिंग के किसी भी चरण में उत्पाद की ट्रेसबिलिटी स्थापित की जा सकती है। हालांकि, आयात करने वाले देश के साथ मान्यता समझौते के माध्यम से किए गए निजी लेबल वाले उत्पादों के निर्यात में समझौते की वैधता और दायरे का पालन किया जाएगा।

v. उपर्युक्त के बावजूद, विनियमन **3.5.7.2** के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

vi. उत्पाद लेबल में प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो उत्पाद के गुणों को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि तुरंत स्पष्ट न हो। योजक और प्रसंस्करण सहायक के सभी घटकों को घोषित किया जाना चाहिए।

vii. अनुरोध पर अतिरिक्त उत्पाद जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

viii. जंगली उत्पादन से प्राप्त सामग्री या उत्पादों को उसी रूप में घोषित किया जाएगा।

3.5.7.2. प्रसंस्कृत उत्पाद

i. सभी मानक आवश्यकताओं को पूरा करने पर एकल घटक उत्पादों को "जैविक" के रूप में लेबल किया जा सकता है।

ii. बहुघटक उत्पाद, जहाँ सभी घटक, योजक सहित, जैविक मूल के नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित तरीके से लेबल किया जाएगा (कच्चे माल का वजन):

क. जहाँ कम से कम 95% घटक प्रमाणित जैविक मूल के हैं, उत्पादों को "प्रमाणित जैविक" या इसी तरह का लेबल दिया जा सकता है और उस पर प्रमाणन कार्यक्रम का लोगो होना चाहिए।

ख. जहाँ 95% से कम लेकिन 70% से कम घटक प्रमाणित जैविक मूल के हैं, उत्पादों को "ऑर्गेनिक" नहीं कहा जाएगा। " जैविक" शब्द का उपयोग " जैविक अवयवों से निर्मित" जैसे कथनों में मुख्य प्रदर्शन पर किया जा सकता है, बशर्ते जैविक अवयवों के अनुपात का स्पष्ट विवरण हो। उत्पाद प्रमाणन कार्यक्रम द्वारा कवर किया गया है, इसका संकेत जैविक अवयवों के अनुपात के संकेत के करीब इस्तेमाल

किया जाना चाहिए।

ग. जहाँ 70% से कम अवयव प्रमाणित जैविक मूल के हैं, यह संकेत कि कोई घटक जैविक है, अवयवों की सूची में दिखाई दे सकता है। ऐसे उत्पाद को "जैविक" नहीं कहा जाएगा।

iii. जैविक अवयवों की प्रतिशत गणना में जोड़ा गया पानी और नमक शामिल नहीं किया जाएगा। जलकृषि उत्पादों के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग का उल्लेख लेबल पर किया जाएगा।

iv. बहु-घटक उत्पाद के सभी कच्चे माल को उनके वजन प्रतिशत के क्रम में उत्पाद लेबल पर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से कच्चे माल जैविक प्रमाणित मूल के हैं और कौन से नहीं। सभी योजकों को उनके पूरे नाम के साथ सूचीबद्ध किया जाएगा।

v. यदि जड़ी-बूटियाँ और/या मसाले उत्पाद के कुल वजन का 2% से कम हिस्सा बनाते हैं, तो उन्हें प्रतिशत बताए बिना "मसाले" या "जड़ी-बूटियाँ" के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

vi. अंतिम उत्पाद के बारे में संभावित भ्रामक दावों से बचने के लिए जैविक उत्पादों को जीई (जेनेटिक इंजीनियरिंग) या जीएम (जेनेटिक संशोधन) मुक्त के रूप में लेबल नहीं किया जाएगा। उत्पाद लेबल पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई भी संदर्भ उत्पादन विधि तक सीमित होगा।

vii. प्रमाणित जैविक उत्पाद के लेबल पर प्रमाणन निकाय का नाम और लोगो, मान्यता संख्या और भारत जैविक लोगो अंकित होना चाहिए।

viii. प्रमाणन निकाय लेबलिंग आवश्यकता की पुष्टि करेगा और लेबल का उपयोग करने से पहले अपने प्रमाणित ऑपरेटरों के लेबल को अनुमोदित करेगा।

3.5.8. भंडारण

i. जैविक, इन-कन्वर्ज़न और पारंपरिक को हैंडलिंग और भंडारण के सभी चरणों में स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए।

ii. जैविक उत्पादों को परिवेश के तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए। भंडारण की निम्नलिखित विशेष स्थितियों की अनुमति है

क. नियंत्रित वातावरण

ख. ठंडा करना

ग. जमना

घ. सुखाना

ङ आर्द्रता विनियमन

iii. जैविक उत्पादों के भंडारण के दौरान उत्पाद की अखंडता बनाए रखी जानी चाहिए। जैविक उत्पादों को हर समय गैर-जैविक उत्पादों के साथ मिलने-जुलने से और जैविक खेती और हैंडलिंग में उपयोग के लिए अनुमत सामग्री और पदार्थों के संपर्क से बचाया जाना चाहिए।

iv. जहां इकाई का केवल एक हिस्सा प्रमाणित है और अन्य उत्पाद गैर-जैविक हैं, जैविक उत्पादों को उनकी पहचान बनाए रखने के लिए अलग से संग्रहित और संभाला जाना चाहिए।

v. जैविक उत्पाद के लिए थोक भंडार पारंपरिक उत्पाद भंडार से अलग होने चाहिए और इस आशय का स्पष्ट रूप से लेबल होना चाहिए।

vi. एक जैविक घटक पारंपरिक रूप में समान घटक के साथ मौजूद नहीं होना चाहिए।

vii. एक इन-कन्वर्ज़न घटक जैविक या पारंपरिक रूप में समान घटक के साथ मौजूद नहीं होना चाहिए।

viii. जैविक उत्पाद के लिए भंडारण क्षेत्रों और परिवहन कंटेनरों को जैविक उत्पादन में अनुमत विधियों और सामग्रियों का उपयोग करके साफ किया जाना चाहिए। अनुलग्नक -3(2) में सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी कीटनाशक या अन्य उपचार से संभावित संदूषण को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

3.5.9. परिवहन

जैविक, रूपांतरित और पारंपरिक उत्पाद को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैक और परिवहन किया जाएगा।

i. जैविक, रूपांतरित और पारंपरिक का संग्रह और परिवहन एक साथ तभी किया जा सकता है जब संदूषण या मिश्रण की कोई संभावना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पृथक्करण उपाय (separation measures)

किए जाएं।

ii. कटाई अवधि/दिन, खरीद, परिवहन, सुविधा और भंडारण के लिए उत्पाद के आगमन का सही समय से संबंधित जानकारी ऑपरेटर द्वारा रखी जानी चाहिए।

3.6. जैविक पशु खाद्य प्रसंस्करण और संचालक मानक

जैविक पशु आहार प्रसंस्करण और संचालक मानक में सभी प्रकार के पालतू पशुओं, जिनमें पशुधन, मुर्गी पालन, जलीय जानवर और पालतू जानवर शामिल हैं, के लिए जैविक आहार और भोजन का प्रसंस्करण शामिल है, ताकि वाणिज्यिक जैविक पशु आहार/खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। पशुधन या जलकृषि फार्म के हिस्से के रूप में उनके बंदी उपभोग के लिए फ़ीड का ऑन-फार्म प्रसंस्करण और हैंडलिंग उनके पशुधन/जलकृषि फार्म प्रमाणन संचालन का हिस्सा बना रहेगा।

3.6.1. सामान्य आवश्यकताएँ

i. जैविक पशु आहार/खाद्य उत्पादों के संचालन और प्रसंस्करण संचालक को लिखित जैविक संचालन योजना बनानी होगी, जिसमें सभी सुविधाओं, उपकरणों और मशीनों, प्रयुक्त कच्चे माल, प्रसंस्करण विधियों और प्रसंस्करण सामग्री, भंडारण और शिपमेंट उपकरणों का विवरण हो।

ii. संचालकों को जैविक संचालन योजना में किसी भी रूपांतरण के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

iii. प्रसंस्करण और संचालन कार्यों के दौरान वायु, जल और मृदा संदूषण को कम करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

iv. योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन को सत्यापित करने के लिए पालन की जाने वाली और बनाए रखी जाने वाली निगरानी प्रथाओं और प्रक्रियाओं का विवरण।

v. एनपीओपी की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए कार्यान्वित रिकॉर्ड रखने की प्रणाली का विवरण।

vi. समानांतर प्रसंस्करण और संचालन के दौरान जैविक और अजैविक आहार उत्पादों के मिश्रण को रोकने के लिए स्थापित प्रबंधन प्रथाओं और पृथक्करण उपायों का विवरण।

vii. जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण और संचालन अजैविक उत्पादों के संचालन और प्रसंस्करण से समय या स्थान पर अलग से किया जाएगा।

viii. पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी उत्पादों की पर्याप्त रूप से पहचान की जाएगी।

3.6.2. कच्चा माल

i. जब ऑपरेटर को कच्चा माल प्राप्त होता है, तो वे उत्पाद की स्थिति और लेबल की जांच करेंगे।

ii. वे ट्रांजेक्शन प्रमाणपत्र (Transaction Certificate) में उल्लिखित विवरणों के संबंध में उत्पाद के प्रमाणन की स्थिति की जांच करेंगे।

iii. लेबल पर दिए गए विवरणों को टीसी में उल्लिखित जानकारी के साथ क्रॉस सत्यापित किया जा सकता है और क्रॉस सत्यापन के अवलोकन को दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा।

3.6.3. सफाई, कीटाणुशोधन और कीट नियंत्रण

i. जैविक चारा को उत्पादन, प्रसंस्करण, विनिर्माण या हैंडलिंग में उपयोग के लिए निषिद्ध पदार्थों से कीटों, रोगजनकों और अन्य विदेशी पदार्थों से बचाने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए।

ii. जैविक चारको सुविधाओं और उपकरणों की सफाई, स्टरलाइज़िंग और कीटाणुशोधन के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के संपर्क में नहीं आना चाहिए।

iii. सुविधाओं की सफाई और कीटाणुशोधन और उपकरणों और औजारों के स्टरलाइज़ेशन के लिए एनपीओपी के अनुलग्नक -3(9) में सूचीबद्ध पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. कीट प्रबंधन और नियंत्रण के लिए, प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया जाएगा:

क. निवारक तरीके जैसे कि व्यवधान, आवास का उन्मूलन और सुविधाओं तक पहुंच

ख. यांत्रिक, भौतिक और जैविक तरीके

ग. भौतिक अवरोध, ध्वनि, अल्ट्रा-साउंड, प्रकाश और यूवी-प्रकाश, जाल (फेरोमोन जाल और स्थिर चारा जाल सहित), तापमान नियंत्रण और

नियंत्रित वातावरण।

घ. एनपीओपी के अनुलग्नक -3(2) में निहित कीटनाशक पदार्थ।

v. विकिरण/आयनीकृत विकिरण निषिद्ध है।

vi. स्थायी या कैंसरकारी कीटनाशकों और कीटाणुनाशकों की अनुमति नहीं है।

3.6.4. सामग्री

i. जैविक फ़ीड के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और अनुपूरक चारा केवल निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की जाएगी

क. जैविक फसल उत्पाद

ख. जैविक पशु उत्पाद

ग. जैविक प्रसंस्कृत उत्पाद

घ. एनपीओपी के अनुलग्नक-3(5), अनुलग्नक-3(6) और अनुलग्नक-3(13), अनुलग्नक-3(16) में संदर्भित घटक या पूरक फ़ीड।

ii. ऐसे मामलों में जहां कोई जैविक घटक पर्याप्त गुणवत्ता या मात्रा में उपलब्ध नहीं है, गैर-जैविक अवयवों का उपयोग केवल आवश्यक तकनीकी आवश्यकता या विशेष पोषण उद्देश्य के मामले में न्यूनतम सीमा तक किया जा सकता है। ऐसे गैर-जैविक कच्चे माल को आनुवंशिक रूप से इंजीनियर नहीं किया जाएगा। प्रमाणन निकाय समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन के अधीन गैर-जैविक कच्चे माल के उपयोग को अधिकृत कर सकता है।

iii. आवश्यक आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और गंभीर आहार या पोषण संबंधी कमी के मामले में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कच्चे माल से प्राप्त खनिजों, विटामिनों और अमीनो एसिड का उपयोग किया जा सकता है। प्रमाणन निकाय प्रकृति के समान सिंथेटिक अमीनो एसिड और विटामिन के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं, उन मामलों में जहां उनकी आवश्यकता अन्य अनुमत स्रोतों से पूरी नहीं की जा सकती है।

iv. खाद्य प्रसंस्करण में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवों और एंजाइमों की तैयारी का उपयोग किया जा सकता है, आनुवंशिक रूप से निर्मित सूक्ष्म जीवों और उनके उत्पादों के अपवाद के साथ।

v. जैविक फ़ीड प्रसंस्करण में पानी और नमक का उपयोग किया जा सकता है

vi. निम्नलिखित का उपयोग निषिद्ध है:

क. आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से उत्पन्न सामग्री निषिद्ध हैं

ख. चयापचय को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंथेटिक रसायन निषिद्ध हैं

ग. सिंथेटिक नाइट्रोजन या गैर-प्रोटीन नाइट्रोजन यौगिक निषिद्ध हैं

घ. एंटीबायोटिक्स, सिंथेटिक एंटीमाइक्रोबियल, वृद्धि बढ़ाने वाले पदार्थ, परजीवीनाशक, कोक्सीडियोस्टेटिक्स या हार्मोन

ङ कृत्रिम संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित या संशोधित अन्य पदार्थ

च. जुगाली करने वाले पशुओं के लिए चारा बनाने के लिए बूचड़खाने के कचरे सहित स्तनधारी मूल का चारा या कच्चा माल।

3.6.5. प्रसंस्करण

i. प्रसंस्करण विधियां यांत्रिक, जैविक, घूमन, निष्कर्षण, अवक्षेपण और निस्पंदन पर आधारित होनी चाहिए।

ii. निष्कर्षण के लिए पानी, इथेनॉल, पौधे और पशु तेल, सिरका, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बोक्जिलिक एसिड का उपयोग किया जा सकता है।

iii. निस्पंदन पदार्थ एस्बेस्टस से नहीं बने होने चाहिए और न ही उनमें ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो उत्पाद को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

iv. विकिरण/आयनीकृत विकिरण की अनुमति नहीं है

v. जैविक उत्पादन में उपयोग या संसाधित फ़ीड सामग्री को रासायनिक रूप से संश्लेषित सॉल्वैंट्स के साथ प्रसंस्करण नहीं किया जाना चाहिए।

vi. ऑपरेटर सभी संचालन और संसाधित की गई संगत मात्राओं का दस्तावेजीकरण करने वाला एक अद्यतन रजिस्टर बनाएगा ।

3.6.6. प्रसंस्करण सुविधाएं

i. प्रसंस्करण सुविधाओं का प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि पूरी

प्रक्रिया के दौरान जैविक अखंडता बनी रहे और गैर-जैविक उत्पादों या अवयवों के साथ मिश्रण या सह-मिश्रण की कोई संभावना न हो।

ii. जैविक फ़ीड उत्पादन लाइनों को गैर-जैविक फ़ीड उत्पादन लाइन से अलग किया जाना चाहिए। यदि जैविक फ़ीड का प्रसंस्करण उसी लाइन में किया जाता है जिसमें गैर-जैविक फ़ीड का प्रसंस्करण भी किया जाता है, तो गैर-जैविक फ़ीड के उत्पादन के बाद संपूर्ण प्रसंस्करण असेंबली को साफ करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

iii. अलग-अलग भंडारण सुविधाएं होनी चाहिए और उनका अलग-अलग प्रबंधन किया जाना चाहिए ताकि जैविक फ़ीड के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री गैर-जैविक के साथ मिश्रित न हो।

3.6.7. प्रसंस्कृत उत्पाद

i. **100 प्रतिशत जैविक –** "100 प्रतिशत जैविक" के रूप में बेचे, लेबल किए या दर्शाए गए कच्चे या प्रसंस्कृत पशु आहार में (वजन या द्रव मात्रा के अनुसार, पानी और नमक को छोड़कर) **100** प्रतिशत जैविक रूप से उत्पादित सामग्री होनी चाहिए।

ii. **जैविक –** "जैविक" के रूप में बेचे, लेबल किए या दर्शाए गए कच्चे या प्रसंस्कृत पशु आहार में (वजन या द्रव मात्रा के अनुसार, पानी और नमक को छोड़कर) कम से कम **95** प्रतिशत जैविक रूप से उत्पादित कच्चे या प्रसंस्कृत कृषि सामग्री होनी चाहिए।

iii. **जैविक से निर्मित** - "जैविक (निर्दिष्ट सामग्री या खाद्य समूह) से निर्मित" के रूप में बेचे, लेबल किए या दर्शाए गए बहु-घटक पशु आहार में (वजन या द्रव मात्रा के अनुसार, पानी और नमक को छोड़कर) कम से कम **70** प्रतिशत जैविक रूप से उत्पादित सामग्री होनी चाहिए।

iv. जहां **70%** से कम सामग्री प्रमाणित जैविक मूल की है, वहां सामग्री के जैविक होने का संकेत सामग्री सूची में दिखाई दे सकता है। ऐसे उत्पाद को "जैविक" नहीं कहा जाएगा।

3.6.8. पैकेजिंग

i. पैकेजिंग के तरीके और सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो जैविक चारे की अखंडता की रक्षा करे और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाले ।

ii. बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकिल करने योग्य, पुनः उपयोग करने योग्य सिस्टम और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

iii. पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री पशु आहार को दूषित नहीं करेगी।

iv. सिंथेटिक रसायनों या निषिद्ध पदार्थों से युक्त या उपचारित पैकेजिंग सामग्री, कंटेनर और भंडारण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

v. पुनर्चक्रित पैकेजिंग सामग्री या कंटेनर जो ऐसे पदार्थों के संपर्क में आए थे जो जैविक फ़ीड की जैविक अखंडता से समझौता कर सकते हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

vi. पैकेजों को इस तरह से बंद किया जाना चाहिए कि सामग्री का प्रतिस्थापन बिना छेड़छाड़ या सील को नुकसान पहुँचाए हासिल नहीं किया जा सके।

3.6.9. लेबलिंग

सभी जैविक प्रसंस्कृत पशु आहार को एनपीओपी के विनियमन 3.5.7 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार लेबल किया जाएगा।

3.6.10. भंडारण

भंडारण आवश्यकताएँ एनपीओपी के विनियमन 3.5.8 के अनुरूप होनी चाहिए।

3.6.11. परिवहन

i. शिपिंग और परिवहन आवश्यकताओं को एनपीओपी के विनियमन 3.5.9 के अनुपालन में होना चाहिए।

ii. यदि उत्पादों को थोक में परिवहन किया जाता है, तो जैविक फ़ीड के परिवहन के लिए अभिप्रेत वाहनों को जैविक फ़ीड के साथ कोई अन्य गैर-जैविक उत्पाद नहीं ले जाना चाहिए।

3.7. जैविक मशरूम उत्पादन

3.7.1. सामान्य

मशरूम उत्पादन वैसे तो फसल उत्पादन के समान ही है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि यह नियंत्रित वातावरण में घर के अंदर की जाने वाली गतिविधि है और इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मशरूम उत्पादन मानकों में मानव उपभोग के लिए सभी खाद्य मशरूम शामिल हैं, चाहे वे खाद, कच्चे बायोमास या लकड़ी पर उगाए गए हों।

3.7.2. जैविक प्रबंधन योजना

प्रमाणन निकाय (प्रमाणन निकाय) के साथ फार्म या जैविक मशरूम उत्पादन इकाई के पंजीकरण के दौरान, ऑपरेटर को एक जैविक प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसे निरीक्षण के दौरान प्रमाणन निकाय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जैविक प्रबंधन योजना को सालाना अपडेट किया जाएगा।

ऑपरेटरों को जैविक प्रबंधन योजना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

3.7.3. उत्पादन स्थल का प्रबंधन

i. संचालक को आवास सुविधाओं सहित पूरे उत्पादन स्थल का रखरखाव इस तरह से करना चाहिए कि उत्पादन स्थल, औजारों और बक्सों/ट्रे पर निषिद्ध पदार्थों के संपर्क को रोका जा सके, कटाई और कटाई के बाद की प्रक्रिया सहित पूरे बढ़ते चक्र के दौरान प्रत्येक चरण में। मशरूम हाउस, रैक, सब्सट्रेट होल्डिंग कंटेनर, बक्से, ट्रे आदि के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी लकड़ी या पौधे की सामग्री को निषिद्ध पदार्थों से उपचारित नहीं किया जाएगा।

ii. जैविक और अजैविक उत्पादन इकाइयाँ स्थान और समय के अनुसार अलग-अलग सुविधाओं में होनी चाहिए और उनमें अलग-अलग वेंटिलेशन सिस्टम, बक्से, ट्रे, उपकरण, सब्सट्रेट होल्डिंग रैक आदि होने चाहिए, जिसमें खाद उत्पादन के लिए सुविधाएँ शामिल हैं।

3.7.4. स्त्रोत और वृद्धि करने वाले अवयव

i. मशरूम के उत्पादन के लिए सब्सट्रेट की अनुमति है, यदि उनमें केवल निम्नलिखित घटक शामिल हों:

   क. खेत की खाद और पशु मलमूत्र, जो या तो जैविक उत्पादन इकाइयों से या रूपांतरण के दूसरे वर्ष में रूपांतरण इकाइयों से प्राप्त किया गया हो;

   ख. जैविक उत्पादन इकाइयों से प्राप्त कृषि उत्पाद;

   ग. रासायनिक रूप से अनुपचारित पीट;

   घ. कटाई के बाद रासायनिक रूप से अनुपचारित लकड़ी।

ii. सभी स्त्रोत और वृद्धि करने वाले अवयव इन मानकों के अनुपालन में खेत

पर तैयार किए जाएंगे या इन नियमों के 3.1 के तहत निर्धारित फसल उत्पादन मानकों के अनुसार प्रमाणित जैविक स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे।

iii. सब्सट्रेट बनाने के लिए आवश्यक प्रमाणित जैविक कच्चे माल की अनुपलब्धता के मामले में प्रमाणन निकाय खाद बनाने के लिए 25% की अधिकतम सीमा तक रासायनिक रूप से अनुपचारित पारंपरिक रूप से उगाए गए कच्चे माल के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं।

iv. खाद बनाने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सब्सट्रेट उपयोग से पहले लगभग 6-7 दिनों के लिए कम से कम 65° C के तापमान पर पहुंच गया हो। उपयोग किए जाने वाले सभी खाद और बढ़ते मीडिया (खाद बनाने की प्रक्रिया के प्रारंभ से) का प्रमाणन निकाय द्वारा इस मानक के अनुपालन के लिए ऑडिट और सत्यापन किया जाएगा।

v. खाद के अंतिम स्टरलाइज़ेशन के लिए भाप की अनुमति है।

vi. ऐसे मामलों में जहां कच्चे फसल अवशेष/बायोमास का उपयोग सब्सट्रेट के रूप में खाद के बिना किया जाता है, जैसे कि पुआल, घास या अनाज, उन्हें इन नियमों के 3.1 के तहत निर्धारित फसल उत्पादन मानकों के अनुसार प्रमाणित जैविक संचालन से प्राप्त किया जाएगा।

vii. लॉग, चूरा या अन्य लकड़ी आधारित सामग्री जब सब्सट्रेट के रूप में उपयोग की जाती है, तो लकड़ी, पेड़ या लॉग से आनी चाहिए जिनका निषिद्ध पदार्थों के साथ व्यवहार नहीं किया गया है।

3.7.5. कवक बीज (Fungus spawn)

i. केवल जैविक कवक (बीज) का उपयोग किया जाएगा। प्रमाणन निकाय इन नियमों के तहत अनुलग्नक-**3(3)** में दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार स्पॉन उत्पादन की अनुरूपता का मूल्यांकन करेंगे। जैविक स्पॉन की अनुपलब्धता के मामले में प्रमाणन निकाय सीमित अवधि के लिए पारंपरिक रूप से उगाए गए स्पॉन के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं।

ii. उत्पादन प्रक्रिया के किसी भी चरण में जीएमओ उत्पादों या इसके व्युत्पन्न या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (कवक बीज) का उपयोग निषिद्ध है।

3.7.6. रूपांतरण

i. मौजूदा मशरूम उत्पादन प्रणालियों को जैविक प्रबंधन में परिवर्तित करने

पर प्रमाणन निकाय द्वारा किए गए प्रथम निरीक्षण की तारीख से रूपांतरण अवधि के रूप में कम से कम 12 महीने की अवधि से गुजरना होगा। रूपांतरण अवधि के दौरान सभी प्रबंधन प्रथाओं को इन मानकों के अनुपालन में होना चाहिए।

ii. नए प्रतिष्ठानों के मामले में जहां पूरी उत्पादन प्रणाली इन मानकों के अनुपालन में कार्यान्वित की जा रही है, उत्पादों को जैविक के रूप में बेचे जाने से पहले इस मानक के अनुरूप जैविक परिस्थितियों में दो या अधिक उत्पादन चक्रों का उत्पादन किया जाना चाहिए।

3.7.7. कीट नियंत्रण और स्वच्छता

i. निवारक कीट और रोग प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी। विनियमन 3.1.9 और विनियमन 3.5.3 में सूचीबद्ध पद्धतियों और उपायों का उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहां निवारक उपाय समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ii. स्थापना, उपकरणों और सुविधाओं की स्वच्छता और कीटाणुशोधन के लिए इन नियमों के **अनुलग्नक -3(9)** में सूचीबद्ध उत्पादों का उपयोग किया जा सकता है।

3.8. जैविक समुद्री शैवाल, जलीय पौधे और ग्रीन हाउस फसल उत्पादन

3.8.1. सामान्य नियम

जैविक समुद्री शैवाल, जलीय पौधे (शैवाल सहित) और ग्रीन हाउस फसल उत्पादन फसल उत्पादन गतिविधि होने के चलते, इन नियमों के 3.1 के तहत निर्धारित फसल उत्पादन नियमों की समग्र आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है, जब तक कि इन नियमों के तहत अपवाद के रूप में अन्यथा वर्णित न किया गया हो।

3.8.1.1 जैविक समुद्री शैवाल

जैविक समुद्री शैवाल उत्पादन में जंगली समुद्री शैवाल और समुद्र में प्राकृतिक रूप से उगने वाले उनके भागों का संग्रह और तटीय क्षेत्रों में मानव या पशुधन उपभोग के लिए भोजन के रूप में उपयोग करने या भोजन या चारे के प्रसंस्करण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करने के लिए खेती शामिल है।

3.8.1.2 जैविक जलीय पौधे

जैविक जलीय पौधों में खुले प्राकृतिक आवास में जलीय वातावरण के तहत या खुले

में या ग्रीन हाउस की स्थितियों में तालाबों या टैंकों में कृत्रिम परिस्थितियों में उगाए गए शैवाल सहित मैक्रो और माइक्रो ग्रीन पौधे शामिल हैं।

3.8.1.3 ग्रीन हाउस फसलें

ग्रीन हाउस फसलों में सामान्य कृषि और बागवानी फसलें शामिल हैं जो स्थायी इन--ग्राउंड मिट्टी प्रणालियों में या मिट्टी से जुड़े पौधे और मिट्टी आधारित बढ़ते सब्सट्रेट से भरे कंटेनरों में ग्रीन हाउस की स्थितियों के तहत उगाई जाती हैं, नर्सरी पौधों को छोड़कर जिन्हें पौधे आधारित बढ़ते माध्यम में पात्रों (कंटेनरों) में उगाया जा सकता है।

3.8.2. जैविक प्रबंधन योजना

i. प्रमाणन संस्था/निकाय (प्रमाणन निकाय) के साथ फार्म या उत्पादन स्थल/इकाई के पंजीकरण के दौरान, संचालक को एक जैविक प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसे निरीक्षण के दौरान प्रमाणन निकाय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जैविक प्रबंधन योजना को सालाना अपडेट किया जाएगा। जैविक प्रबंधन योजना उत्पादन इकाई के अनुपात में टिकाऊ होनी चाहिए।

ii. संचालकों को जैविक प्रबंधन योजना में किसी भी बदलाव के बारे में प्रमाणन निकायों को "वास्तविक समय के आधार पर" सूचित करना आवश्यक है।

3.8.3. समुद्री शैवाल के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं

3.8.3.1. जंगली पौधों से संग्रहण- जंगली समुद्री शैवालों और उनके भागों का संग्रह, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के अंतर्गत लागू विनियमन 3.1.12 के तहत निर्दिष्ट समग्र आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। इसके अलावा, जंगली समुद्री शैवालों का संग्रह भी निम्नलिखित के अधीन होगा:

i. संग्रह क्षेत्र मानव निवास और मानवीय गतिविधि से दूर होगा और किसी भी बाहरी संदूषण स्रोत से मुक्त होगा।

ii. संग्रह क्षेत्र अच्छी पारिस्थितिक गुणवत्ता का होगा और मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त घोषित नहीं किया जाएगा।

iii. संग्रह प्राकृतिक आवास की दीर्घकालिक स्थिरता या क्षेत्र में उगने वाली प्रजातियों के रखरखाव को प्रभावित नहीं करेगा।

3.8.3.2. समुद्र और इनलैंड टैंक में खेती - समुद्री खरपतवारों की खेती प्राकृतिक परिस्थितियों में तटीय क्षेत्रों में या विशिष्ट उद्देश्य से इनलैंड टैंक में की जा सकती है। समुद्री शैवाल

की खेती में निम्नलिखित विशिष्ट नियमों का पालन किया जाएगा:

i. तटीय क्षेत्र जहां समुद्री शैवाल की खेती की जाती है, वह किसी भी बाहरी संदूषण स्रोत से मुक्त होना चाहिए और मानव आवास से दूर होना चाहिए।

ii. खेती का क्षेत्र अच्छी पारिस्थितिक गुणवत्ता का होना चाहिए और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित नहीं किया गया हो।

iii. किशोर समुद्री शैवाल के संग्रह से लेकर कटाई तक उत्पादन के सभी चरणों में प्राकृतिक परिस्थितियों को बढ़ावा देने वाली संधारणीय प्रथाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

iv. इन नियमों में निर्दिष्ट परिस्थितियों में उगाए गए इनडोर कल्चर स्टॉक द्वारा समुद्री शैवाल की बुवाई की जा सकती है।

v. जैविक बीज सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में और/या प्राकृतिक शक्ति के साथ व्यापक जीन पूल को बनाए रखने के लिए जंगली से किशोर समुद्री शैवाल को उगाने वाले क्षेत्र में पूरक किया जा सकता है।

vi. तटों पर प्राकृतिक खेती वाले क्षेत्र में किसी भी उर्वरक या किसी भी वृद्धि बढ़ाने वाले इनपुट का उपयोग नहीं किया जाएगा।

vii. यदि टैंकों में समुद्री शैवाल की खेती की जाती है या टैंकों में किशोर समुद्री शैवाल उगाए जाते हैं, तो बिना किसी उपचार के तटीय समुद्री जल का उपयोग किया जाना चाहिए और टैंकों की निचली सतह प्राकृतिक मिट्टी के रूप में होनी चाहिए। मिट्टी के संपर्क के बिना पूरी तरह से सीमेंटेड टैंकों या कृत्रिम सामग्री से बने समुद्री शैवाल की खेती निषिद्ध है।

viii. इनलैंड टैंक की स्थितियों के तहत **अनुलग्नक-**3(1) और **अनुलग्नक-**3(2) के तहत फसल उत्पादन में उपयोग के लिए अधिकृत इनपुट को प्रमाणन निकाय द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

ix. सिंथेटिक इनपुट जैसे उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन आदि और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों या उनके उत्पादों का उपयोग निषिद्ध है।

x. टैंकों की सफाई और स्वच्छता रखरखाव के लिए **अनुलग्नक-3(9)** के तहत अनुमत इनपुट को प्रमाणन निकाय द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे कार्यों की धुलाई समुद्र में न जाए।

xi. उन क्षेत्रों में जहां खेती समुद्र तट पर की जाती है, उत्पाद को प्रमाणन निकाय द्वारा पहले निरीक्षण की तारीख से कम से कम छह महीने की अवधि के बाद जैविक के रूप में बेचने की अनुमति दी जाएगी। इनलैंड टैंक के मामले में, उत्पाद को प्रमाणन निकाय द्वारा किए गए प्रथम निरीक्षण की तिथि के बाद उत्पादन शुरू करने के **24** महीने बाद ही जैविक के रूप में बिक्री के लिए अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां ऑपरेटर एप्रमाणन निकाय की संतुष्टि के लिए यह प्रदर्शित कर सकता है कि जिस स्थान पर खेती के टैंक बनाए गए हैं, उसका उपयोग किसी भी खेती की गतिविधि के लिए नहीं किया गया है, तो रूपांतरण अवधि को पहले निरीक्षण की तारीख के बाद **12** महीने तक कम किया जा सकता है।

xii. जैविक और अजैविक उत्पादन इकाइयाँ अलग-अलग सुविधाओं में होनी चाहिए जो स्थान और समय से अलग हों और उनमें अलग-अलग उपकरण, भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाएँ और सुखाने की जगहें हों। निषिद्ध इनपुट के साथ समुद्री शैवाल की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों का उपयोग जैविक समुद्री शैवाल की खेती के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे ऊपर बताए अनुसार रूपांतरण अवधि से न गुजरे हों।

3.8.4. शैवाल सहित जलीय पौधे

जलीय पौधों की खेती एक फसल उत्पादन गतिविधि है और जलीय पर्यावरण के तहत लागू इन नियमों के 3.1, फसल उत्पादन के तहत सभी आवश्यकताएं हैं। रूपांतरण अवधि छह महीने या एक उत्पादन चक्र जो भी अधिक हो, होगी।

i. मानकों का अनुपालन करने वाले किसी भी मिट्टी के आधार या कार्बनिक सब्सट्रेट/मीडिया के बिना कृत्रिम टैंकों में जलीय पौधों की खेती इन नियमों के तहत जैविक उत्पादन के लिए योग्य नहीं है।

ii. जैविक और अजैविक उत्पादन इकाइयाँ अलग-अलग सुविधाओं में होनी चाहिए जो स्थान और समय से अलग हों और उनमें अलग-अलग उपकरण, भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाएँ और सुखाने की जगहें हों। निषिद्ध इनपुट के साथ जलीय पौधों की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों का उपयोग जैविक जलीय पौधों की खेती के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे ऊपर बताए गए रूपांतरण अवधि से नहीं गुज़रे हों

iii. खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी पीने योग्य गुणवत्ता का होना चाहिए और मिट्टी भारी धातुओं सहित किसी भी संदूषण से मुक्त होनी चाहिए।

iv. उत्पादन स्थलों की विसंक्रमण/स्वच्छता के लिए सिंथेटिक रसायनों/निषिद्ध पदार्थों का उपयोग निषिद्ध है, सिवाय इन नियमों के तहत अनुमत पदार्थों के।

v. मातृ संवर्धन या बीज सामग्री भी इन नियमों के अनुपालन में जैविक होनी चाहिए। अनुपलब्धता की स्थिति में, किसी भी रासायनिक उपचार या संदूषण के बिना गैर-जैविक बीज सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है।

vi. आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज सामग्री का उपयोग निषिद्ध है।

vii. खरपतवारों को भौतिक या जैविक रोकथाम विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

viii. रासायनिक उर्वरकों (सूक्ष्म तत्वों सहित), कीटनाशकों, हार्मोन आदि का उपयोग निषिद्ध है।

ix. खनिज उर्वरकों का उनके प्राकृतिक संयोजन में उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक अभ्यास इन नियमों के 3.1 के तहत अनुमत अभ्यासों के अनुरूप होना चाहिए।

x. कीट प्रबंधन के लिए भौतिक और जैविक अभ्यासों का उपयोग किया जा सकता है। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थों और पौधों के अर्क का उपयोग नहीं किया जाएगा।

xi. इन नियमों के 3.1 के तहत अनुमोदित इनपुट या पदार्थों का उपयोग प्रमाणन निकाय की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

xii. जलीय पौधों और उनके भागों का प्रसंस्करण इन नियमों के 3.5 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

3.8.5. ग्रीन हाउस फसल उत्पादन

ग्रीन हाउस फसल उत्पादन एक प्रक्रिया है, जिसमें अंतर यह है कि इसे आंशिक रूप से नियंत्रित स्थितियों में किया जाता है। 3.1 के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यकताएं ग्रीनहाउस (ग्लास हाउस, पॉली हाउस या नेट हाउस) स्थितियों के तहत भी लागू होंगी, जिसमें भूमि के रूपांतरण की आवश्यकताएं शामिल हैं। इसके अलावा निम्नलिखित आवश्यकताएं भी पूरी की जाएंगी:

i. ग्रीन हाउस का डिज़ाइन और इसके आस-पास का वातावरण पर्यावरण के अनुकूल परिणामों और संसाधन दक्षता की ओर उन्मुख होना चाहिए, जिसमें लागू होने पर पानी का पुनः उपयोग भी शामिल है।

ii. हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक सिस्टम जहां पौधों को मुख्य रूप से पानी के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों के माध्यम से खिलाया जाता है, उन्हें इन मानकों के तहत प्रमाणित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे स्वस्थ और जटिल मिट्टी पारिस्थितिकी में नहीं उगाए जाते हैं।

iii. ग्रीन हाउस की स्थितियों के तहत एक ही ग्रीन हाउस के तहत समानांतर(Parallel) उत्पादन या विभाजित (Split) उत्पादन निषिद्ध है। यदि कोई संचालक ग्रीन हाउस के तहत जैविक और पारंपरिक दोनों फसलों की खेती करता है, तो दोनों प्रणालियों को पर्याप्त बफर ज़ोन के साथ अलग-अलग होना चाहिए और जैविक संचालन के तहत उपयोग किए जाने वाले औजारों/उपकरणों को उपयोग करने से पहले ठीक से साफ किया जाना चाहिए।

iv. गैर-फसल उत्पादन अवधि के दौरान, मिट्टी के जीवन की सुरक्षा और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कवर फसल या हरी खाद चरण या इसी तरह की विधियों का अभ्यास किया जाएगा।

v. पौधों के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम में नारियल फाइबर और इन नियमों के अनुलग्नक -3 (1) के तहत अनुमत अन्य स्रोत शामिल हो सकते हैं या एनपीओपी के अनुलग्नक -3 (3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनकी उपयुक्तता के लिए मूल्यांकन किया गया है।

vi. माध्यम का मिट्टी के साथ संपर्क होना चाहिए या मिट्टी के साथ मिश्रित होना चाहिए और फसल चक्र के दौरान या अंत में शामिल या पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए।

vii. जहां कंटेनरों का उपयोग किया जाता है, कंटेनरों में पौधे की उत्पत्ति के गैर-दूषित उत्पाद शामिल होने चाहिए। इष्टतम रूप से ऐसे कंटेनर फाइटोसैनिटरी विचारों को संतुष्ट करने के बाद पुन: उपयोग करने योग्य होंगे।

viii. रोग प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए उगाने वाले कंटेनरों का स्टरलाइज़ेशन या तो भाप, गर्मी या अन्य भौतिक साधनों या इन नियमों के अनुलग्नक -3 (9) में सूचीबद्ध अन्य प्रथाओं या उत्पादों का उपयोग करेगा।

ix. उर्वरता प्रबंधन इन नियमों के तहत फसल उत्पादन के लिए उर्वरक नीति के अनुसार होगा।

x. फसल प्रजातियों की विविधता को किसी भी एक मौसम में अवश्य चुना

जाएगा ताकि फसल बदलाव और सामान्य विविधता सुनिश्चित की जा सके।

xi. जैव कीट नियंत्रण के लिए अंतवर्तीय और औषधि फूलों की प्रजातियों को प्रोत्साहित किया जाएगा

xii. जहाँ प्रकाश व ताप नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जायेगा वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कि सर्वोत्तम प्रबंधन प्रणाली उपयोग में वातावरण सुरक्षित रहे और जहाँ तक संभव हो पुर्नप्रयोज्य पर अधिकाधिक निर्भरता हो।

अनुलग्नक 3(1)

मृदा को उपजाऊ बनाने और उनके अनुकूलन के लिए उत्पाद

जैविक कृषि में, मिट्टी की उर्वरता को जैविक सामग्री के पुनर्चक्रण के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है, जिसके पोषक तत्वों को मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों की क्रिया के माध्यम से फसलों को उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से कई इनपुट का उपयोग जैविक उत्पादन में प्रतिबंधित है। इस अनुबंध में "प्रतिबंधित" का अर्थ है कि उपयोग की शर्तें और प्रक्रिया शर्तों के अधीन होगी।

संदूषण, पोषण असंतुलन के जोखिम और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

इनपुट्स	उपयोग की शर्त
किसी जैविक फार्म यूनिट में उत्पादित पदार्थ	
फार्मयार्ड और पोल्ट्री खाद, स्लरी, गोमूत्र (नियंत्रित किण्वन और समुचित मिश्रण के बाद उपयोग किया जाता है)	स्वीकार्य
फसल के अवशेष और हरी खाद	स्वीकार्य
पुआल और अन्य मल्च	स्वीकार्य
किसी जैविक फार्म यूनिट के बाहर उत्पादित पदार्थ	
लकड़ी का चूरा, लकड़ी की छीलन, कटाई के बाद असंसाधित लकड़ी	स्वीकार्य
पौधे के अवशेषों से कम्पोस्ट	स्वीकार्य
रक्त वाले भोज्य पदार्थ, मांस वाले भोज्य पदार्थ, हड्डी वाले भोज्य पदार्थ, खुर वाले भोज्य पदार्थ, सींग वाले भोज्य पदार्थ, पंख वाले भोज्य पदार्थ, मछली वाले भोज्य पदार्थ, बाल, ऊन, फर, परिरक्षक रहित डेयरी उत्पाद	प्रतिबंधित
किसी भी कार्बन आधारित अवशेषों (पोल्ट्री सहित पशु मल) से बनी कम्पोस्ट	प्रतिबंधित
फार्म की खाद, स्लरी, गोमूत्र (आवश्यक रूप से नियंत्रण किण्वन और/या समुचित मिश्रण के बाद) "फैक्ट्री" कृषि स्रोतों की अनुमति नहीं है	प्रतिबंधित
परिरक्षकों रहित मछली और मछली उत्पाद	प्रतिबंधित
गुआनो	प्रतिबंधित
सूक्ष्मजीव, पौधों या पशु स्रोतों से सिंथेटिक योजक रहित खाद्य और सामग्री के उपोत्पाद।	प्रतिबंधित
समुद्री शैवाल और समुद्री शैवाल के उत्पाद जो जल या जलीय अम्ल और/या क्षारीय घोल की भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।	प्रतिबंधित

अलग-अलग स्रोतों से सीवेज कीचड़ और शहरी कम्पोस्ट जिन्हें संदूषित होने से बचाने के लिए उनकी निगरानी की गई हो	प्रतिबंधित
भूसा	प्रतिबंधित
वर्मीकास्ट और केंचुए का मल (वर्मीकम्पोस्ट)	प्रतिबंधित
खाद और उपयोग किए गए मशरूम और वर्मीक्यूलेट पदार्थ	प्रतिबंधित
जैविक घरेलू कचरे से बना कंपोस्ट	प्रतिबंधित
ताड़ का उपोत्पाद, नारियल, कोको (जिसमें शामिल हैं: फलों के खाली गुच्छे, ताड़ के तेल मिल का अपशिष्ट (पीओएमई), कोको पीट, खाली कोको फली)	प्रतिबंधित
निम्नलिखित के माध्यम से सीधे प्राप्त किए गए शैवाल और शैवाल उत्पाद: i. भौतिक प्रक्रियाएँ, जैसे कि सूखना, जमाना, और पीसना। ii. जल या जलीय अम्ल और/या क्षारीय विलयनों के उपयोग से प्राप्त। iii. किण्वन।	प्रतिबंधित
सिंथेटिक योजक रहित पीट	मृदा अनुकूलन के लिए निषिद्ध किन्तु इसका उपयोग, बागवानी (जिसमें बाजार बागवानी, फूलों की खेती, वृक्ष संवर्धन, नर्सरी शामिल हैं) तक सीमित है
मानव मल	निषिद्ध
खनिज	
कैल्शियम क्लोराइड	स्वीकार्य
प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कैल्शियम कार्बोनेट (चॉक, चूना पत्थर, जिप्सम और फॉस्फेट चॉक)	स्वीकार्य
सिर्फ जैविक जलकृषि से प्राप्त मोलस्क का अपशिष्ट	स्वीकार्य
जैविक कृषि इकाई से प्राप्त अंडे की खाल	स्वीकार्य
सोडियम क्लोराइड	स्वीकार्य

मैग्नीशियम सल्फेट (एप्सम नमक)	स्वीकार्य
कैल्शियम सल्फेट (जिप्सम)	स्वीकार्य
साइलेज और साइलेज एक्सट्रेक्ट	स्वीकार्य परन्तु अमोनियम साइलेज को छोड़कर
क्ले (बेंटोनाइट, पेरलाइट, ज़ियोलाइट)	स्वीकार्य
बेसिक स्लैग (थॉमस फॉस्फेट या थॉमस स्लैग)	प्रतिबंधित
कैल्सेरस और मैग्नीशियम रॉक(rock)	प्रतिबंधित
कम क्लोरीन सामग्री वाला पोटैशियम खनिज (जैसे, पोटाश का सल्फेट, काइनाइट, सिल्विनाइट, पैटेंकाली)	प्रतिबंधित
प्राकृतिक फॉस्फेट (जैसे, रॉक(Rock) फॉस्फेट)	प्रतिबंधित
पल्वेराइज्ड रॉक (Pulverised Rock)	प्रतिबंधित
सूक्ष्म पोषक तत्व (बोरन, लौह, मैंगनीज़, मोलिब्डेनम, जस्ता)	प्रतिबंधित
कटाई के बाद असंसाधित लकड़ी से प्राप्त राख	प्रतिबंधित
पोटेशियम सल्फेट	प्रतिबंधित
एल्यूमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट	प्रतिबंधित
सल्फर	प्रतिबंधित
स्टोन मील	प्रतिबंधित
माइक्रोबायोलॉजिकल तैयारी	
जीवाणु से निर्मित (जैवउर्वरक)	स्वीकार्य
बायोडायनामिक माध्यम से निर्मित	स्वीकार्य
पौधे से निर्मित और वनस्पति अर्क	स्वीकार्य
वर्मीक्यूलेट	स्वीकार्य
पीट	स्वीकार्य
बायोचार	स्वीकार्य
पंचगव्य (गाय का गोबर, गाय का मूत्र, दूध, दही और घी)	स्वीकार्य

"फैक्ट्री" कृषि का तात्पर्य ऐसी औद्योगिक प्रबंधन प्रणालियों से है जो भारी मात्रा में पशु चिकित्सा और फ़ीड इनपुट पर निर्भर होते हैं, जिनका उपयोग जैविक कृषि में नहीं किया जा सकता।

पौधों में कीट और रोग नियंत्रण के लिए उत्पाद

जैविक कृषि में पौध उत्पादन में कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए कुछ उत्पादों का उपयोग अनुमत है। ऐसे उत्पादों का उपयोग केवल तब किया जाना चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो, और उन्हें चुनते समय पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इनमें से कई उत्पादों का उपयोग जैविक उत्पादन में प्रतिबंधित है। इस अनुबंध में "प्रतिबंधित" का अर्थ है कि उपयोग की शर्तें और प्रक्रिया शर्तों के अधीन होगी।

इनपुट्स	उपयोग की शर्त
पौधे और पशु स्रोतों से प्राप्त पदार्थ	
एज़ाडिरेक्टा इंडिका (नीम से बनी चीज़ें)	स्वीकार्य
पौधे से निकाले गए अर्क - लहसुन, आदि	स्वीकार्य
कैसीन	स्वीकार्य
सुक्रोज	स्वीकार्य
फ्रुक्टोज़	स्वीकार्य
सूरजमुखी का तेल	स्वीकार्य
सरसों के बीज का पाउडर	स्वीकार्य
प्याज़ का तेल	स्वीकार्य
गाय का दूध	स्वीकार्य
सिट्रोनेला तेल	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
लौंग का तेल	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
रेप सीड तेल	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
पुदीना तेल	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
चाय के पेड़ का तेल (tea tree oil)	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
संतरे का तेल	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
नीम का तेल	प्रतिबंधित

क्राइसेंथेमम सिनेरियाफोलियम से निकाले गए पाइरेथ्रिन के से निर्मित, जिसमें संभवतः एक सहक्रियाशील *पाइरेथ्रम सिनेराफोलियम* शामिल है	प्रतिबंधित
कीटों के प्राकृतिक परजीवी परभक्षियों को छोड़ना	प्रतिबंधित
लेसिथिन	प्रतिबंधित
प्राकृतिक अम्ल (सिरका)	प्रतिबंधित
तंबाकू की चाय और तंबाकू के अर्क	निषिद्ध
खनिज	
ताम्र लवण/अकार्बनिक लवण (बोर्डो मिश्रण, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड, ट्राइबेसिक कॉपर सल्फेट) का उपयोग फसल के आधार पर तथा प्रमाणन निकाय की देखरेख में कवकनाशी के रूप में किया जाता है।	प्रतिबंधित
डायटोमेसियस अर्थ	प्रतिबंधित
लाइम सल्फर (कैल्शियम पॉलीसल्फाइड)	प्रतिबंधित
सल्फर (एक कवकनाशी, एसारिसाइड, रिपेलेंट के रूप में)	प्रतिबंधित
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड	प्रतिबंधित
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	प्रतिबंधित
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	प्रतिबंधित
सोडियम क्लोराइड	प्रतिबंधित
पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट	प्रतिबंधित
एल्यूमीनियम सिलिकेट (काओलिन)	प्रतिबंधित (Restricted)
खनिज पाउडर जैसे: स्टोन मील	निषिद्ध (Prohibited)
जैविक कीट नियंत्रण के लिए प्रयुक्त सूक्ष्मजीव	
वायरस से निर्मित (जैसे ग्रैनुलोसिस वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस आदि।	स्वीकार्य
फंगस से निर्मित (ट्राइकोडर्मा एसपीपी)	स्वीकार्य
जीवाणुओं से निर्मित (बैसिलस एसपीपी)	स्वीकार्य
परजीवी, परभक्षी और विसंक्रामित कीट	स्वीकार्य
अन्य	

मुलायम साबुन (पोटेशियम साबुन)	स्वीकार्य
होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धति से निर्मित	स्वीकार्य
हर्बल और बायोडायनामिक पद्धति से निर्मित	स्वीकार्य
फैटी एसिड	खरपतवारनाशी को छोड़कर सभी उपयोगों के लिए स्वीकार्य
क्वार्ट्ज रेत	स्वीकार्य
यूजेनॉल	स्वीकार्य
माल्टोडेक्सट्रिन	स्वीकार्य
गेरानियोल	स्वीकार्य
थाइमोल	स्वीकार्य
इथिलीन	केवल केले और आलू की खेती में स्वीकार्य है। फ्रूट फ्लाई से होने वाली क्षति को रोकने के लिए साइट्रस पौधों की खेती में भी इसका उपयोग किया जा सकता है
कार्बन डाइऑक्साइड	प्रतिबंधित
एथिल अल्कोहल	निषिद्ध
जाल	
भौतिक पद्धतियाँ (क्रोमैटिक ट्रैप, मैकेनिकल ट्रैप, स्टिकी ट्रैप और फेरोमोन)	स्वीकार्य (फेरोमोन केवल जाल में स्वीकार्य है)

अनुलग्नक 3(3)

जैविक कृषि के लिए अतिरिक्त आदानों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया

अनुबंध 3(1) और अनुबंध 3(2) जैविक कृषि में मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और पौधों में कीटों एवं रोगों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हैं। लेकिन ऐसे और भी उत्पाद हो सकते हैं जो जैविक कृषि में उपयोग के लिए उपयोगी और उपयुक्त हो सकते हैं, जो इन श्रेणियों में नहीं आते हैं। अनुबंध 3(3) में जैविक खेती में अन्य इनपुट्स का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए स्वीकार्य पदार्थों की सूची में बदलाव करने के लिए निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग किया जाना चाहिए:

i. मृदा को उपजाऊ बनाने या इसे उर्वर बनाए रखने या विशिष्ट मृदा-अनुकूलन और रोटेशन के उद्देश्यों के लिए विशिष्ट पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री आवश्यक है, जिसे अध्याय 3 में उल्लिखित कार्यों अथवा अनुबंध 3(1) में शामिल अन्य उत्पादों से पूरा नहीं किया जा सकता है ... और ये सामग्रियां पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव या खनिज स्रोतों से प्राप्त हैं और इन्हें निम्नलिखित प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है:

   - भौतिक (यांत्रिक, तापीय)
   - एंजाइमेटिक
   - सूक्ष्मजीव संबंधी (कम्पोस्टिंग, पाचन) और

ii. उनके उपयोग से मिट्टी के जीवों सहित पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव या प्रदूषण नहीं होता है।

iii. उनके उपयोग का अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

पौधों के रोगों या कीट और खरपतवार नियंत्रण के उद्देश्य से स्वीकार्य पदार्थ सूची में बदलाव के लिए निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग किया जाना चाहिए:

i. यह सामग्री उस हानिकारक जीव या किसी विशेष रोग के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, जिसके लिए अन्य जैविक, भौतिक या पादप प्रजनन विकल्प और/या प्रभावी प्रबंधन तकनीक उपलब्ध नहीं हैं।

ii. पदार्थ (सक्रिय यौगिक) पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव या खनिज स्रोत के होने चाहिए जिन्हें निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है:

   - भौतिक

- एंजाइमेटिक
- सूक्ष्मजीव संबंधी

iii. उनका उपयोग करने पर पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव या संदूषण नहीं होता है।

iv. यदि उत्पाद अपने प्राकृतिक फार्म में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, तो रासायनिक रूप से संश्लेषित फेरोमोन जैसे समान प्रकृति वाले उत्पाद के उपयोग पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके उपयोग की शर्तों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण या उत्पाद के संदूषण में योगदान न हो।

मूल्यांकन

जब किसी इनपुट का मूल्यांकन किया जाना है, तो पहले प्रमाणन कार्यक्रमों द्वारा इसका परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह निम्नलिखित छह मानदंडों को पूरा करता है। किसी भी इनपुट को जैविक कृषि में उपयोग के लिए तभी उपयुक्त समझा जाए जब वह सभी छह आवश्यकताओं को पूरा करे।

इनपुट का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इसे विकल्पों के साथ परखा जाना चाहिए। नियमित मूल्यांकन की यह प्रक्रिया अजैविक उत्पादन को मनुष्यों, जानवरों, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए अधिक अनुकूल बनाने में सहायक होगी।

1. आवश्यकता

प्रत्येक इनपुट की आवश्यकता तय की जानी चाहिए। इसका मूल्यांकन उस संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें उस उत्पाद का उपयोग किया जाएगा।

इनपुट की आवश्यकता को साबित करने के लिए पैदावार, उत्पाद की गुणवत्ता, पर्यावरण सुरक्षा, पारिस्थितिक संरक्षण, भू-दृश्य, मानव और पशु कल्याण जैसे मानदंडों पर विचार किया जाना चाहिए।

इनपुट के उपयोग को निम्नलिखित तक सीमित किया जा सकता है:

i. विशिष्ट फसलें (विशेष रूप से बारहमासी फसलें)

ii. विशिष्ट क्षेत्र

iii. वे विशिष्ट परिस्थितियाँ जिनमें इनपुट का उपयोग किया जा सकता है

2. उत्पादन की प्रकृति और तरीका

क. प्रकृति

इनपुट का स्रोत आमतौर पर निम्नलिखित होना चाहिए (वरीयता के क्रम में):

i. जैविक- वनस्पति, पशु, सूक्ष्मजीव

ii. खनिज

वैसे गैर-प्राकृतिक उत्पाद जो रासायनिक रूप से संश्लेषित और प्राकृतिक उत्पादों के समान हैं, उपयोग में लाए जा सकते हैं।

जब कोई विकल्प उपलब्ध हो तो नवीकरणीय इनपुट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला सबसे अच्छा विकल्प खनिज स्रोत के इनपुट हैं और तीसरा विकल्प वैसे इनपुट हैं जो रासायनिक रूप से प्राकृतिक उत्पादों के समान हैं। रासायनिक रूप से समान इनपुट की स्वीकार्यता पर विचार करने के लिए पारिस्थितिक, तकनीकी या आर्थिक कारण हो सकते हैं।

ख. उत्पादन की विधि

इनपुट की सामग्री को निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है:

- यांत्रिक
- भौतिक
- एंजाइमैटिक
- सूक्ष्म जीवों की क्रिया
- रासायनिक (अपवाद और प्रतिबंधित के रूप में)

ग. संग्रहण

इनपुट में शामिल कच्चे माल के संग्रहण से प्राकृतिक आवास की स्थिरता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और न ही संग्रहण क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रजाति के रखरखाव पर इसका असर पड़ना चाहिए।

3. पर्यावरण

- **पर्यावरण सुरक्षा**

इनपुट पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए और इसका कोई दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही, इनपुट से सतही या भूजल, वायु, या मिट्टी का अस्वीकार्य प्रदूषण नहीं होना चाहिए। प्रसंस्करण, उपयोग, और विघटन के सभी चरणों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

इनपुट की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- **अपघटनशीलता**

सभी इनपुट उनके खनिज रूप में अपघटित होने चाहिए। गैर-लक्षित जीवों के लिए अत्यधिक तीव्र विषाक्तता वाले इनपुट की अधिकतम अर्ध-आयु पाँच दिनों की होनी चाहिए। इनपुट के रूप में उपयोग किए गए प्राकृतिक पदार्थ जिन्हें विषाक्त नहीं माना जाता है, उनके सीमित समय के भीतर अपघटित होने की आवश्यकता नहीं है।

- **गैर-लक्षित जीवों के लिए अत्यधिक तीव्र विषाक्तता**

जब गैर-लक्षित जीवों के लिए इनपुट में अपेक्षाकृत उच्च तीव्र विषाक्तता होती है, तो उनका उपयोग प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता होती है। इन गैर-लक्षित जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखे जाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। अनुप्रयोग के लिए स्वीकार्य अधिकतम मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। जब पर्याप्त उपाय संभव न हो, तो उस इनपुट के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

- **दीर्घकालिक क्रोनिक विषाक्तता**

ऐसे इनपुट जो जीवों या जीवों की प्रणालियों में संचय होते हैं, और जिनमें उत्परिवर्तजन (म्यूटाजेनिक) या कैंसरकारक (कार्सिनोजेनिक) गुण होते हैं, ऐसे गुण होने का संदेह है, उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई जोखिम होता है, तो इस बात के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि उस जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सके और दीर्घकालिक नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को रोका जा सके।

- **रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पाद और भारी धातु**

इनपुट में हानिकारक मात्रा में मानव निर्मित रसायन (ज़ेनोबायोटिक उत्पाद) नहीं होने चाहिए। रासायनिक रूप से संश्लेषित उत्पादों को केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब वे प्राकृतिक उत्पाद के समान हों।

खनिज इनपुट में भारी धातुएँ यथासंभव कम मात्रा में होनी चाहिए। किसी वैकल्पिक और समाधान के अभाव और जैविक कृषि में तांबे और ताम्र लवणों के दीर्घकालिक, पारंपरिक उपयोग के कारण, वर्तमान में इन्हें एक अपवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि, जैविक कृषि में तांबे का किसी भी रूप में उपयोग अस्थायी माना जाना चाहिए, और इसके पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग को सीमित रखा जाना चाहिए।

4. मानव स्वास्थ्य और गुणवत्ता

- **मानव स्वास्थ्य**

इनपुट्स मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। प्रसंस्करण, उपयोग, और विघटन के सभी चरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। किसी भी संभावित जोखिम को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, और जैविक उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट के लिए मानक निर्धारित किए जाने चाहिए।

- **उत्पाद की गुणवत्ता**

इनपुट्स का उत्पाद की गुणवत्ता, जैसे कि स्वाद, संग्रहण गुणवत्ता, दृश्य गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए।

5. नैतिक पहलू- पशु कल्याण

इनपुट्स का फार्म में रखे गए जानवरों के प्राकृतिक व्यवहार या शारीरिक प्रकार्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए।

6. सामाजिक आर्थिक पहलू

उपभोक्ताओं की धारणा: जैविक उत्पादों के उपभोक्ताओं के द्वारा इनपुट्स पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए या इसका विरोध नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता किसी इनपुट को पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित मान सकते हैं, भले ही इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध न हो। इनपुट्स प्राकृतिक या जैविक के बारे में सामान्य भावना या राय में बाधा न बनें, जैसे कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी।

अनुलग्नक 3(4)

विभिन्न प्रजातियों और उत्पादन के प्रकारों में आवास के भीतर और बाहर न्यूनतम सतह क्षेत्र और आवास की अन्य विशेषताएं

1. गोजातीय, भेड़, बकरा और सूअर

मवेशी	**भीतरी क्षेत्र (जानवरों के लिए उपलब्ध क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्रफल)**		**बाहरी क्षेत्र (व्यायाम क्षेत्र, चारागाह के अतिरिक्त)**
गोवंश का प्रजनन एवं पोषण	**जीवित वजन न्यूनतम (किलो)**	**एम2/हेड**	**एम2/हेड**
	100 तक	1.5	1.1
	200 तक	2.5	1.9
	350 तक	4.0	3
	350 से अधिक	न्यूनतम 1एम2/100 किलो के साथ 5	न्यूनतम 0.75एम2/100 किलो के साथ 3.7
दुधारू गायें		6	4.5
प्रजनन के लिए सांड		10	30
भेड़ और बकरियाँ		भेड़/बकरी के लिए 1.5	2.5
		मेमने/बच्चे के लिए 0.35	0.5
सूअर ब्याने वाले		7.5 बोने के लिए	2.5
सूअरों के 40 दिन तक के बच्चे	50 तक	0.8	0.6
	85 तक	1.1	0.8
	110 तक	1.3	1

सूअरों के बच्चे	40 दिनों से अधिक और 30 किलो तक	0.6	0.4
ब्रूड सूअर		मादा के लिए 2.5	1.9
		नर के लिए 6 (यदि पेन का उपयोग प्राकृतिक सेवा के लिए किया जाता है: 10एम2/सूअर)	8.0

पोल्ट्री

पोल्ट्री	**भीतरी क्षेत्र (जानवरों के लिए उपलब्ध क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्रफल)**	**आउटडोर रन**
लेयर्स	6 पक्षी एम ^{2}	4 पक्षी/ एम ^{2}
मादा चूजे 0-8 सप्ताह	24 पक्षी एम ^{2}	16 पक्षी एम ^{2}
मादा चूजे 9-18 सप्ताह	15 पक्षी एम ^{2}	10 पक्षी एम ^{2}
ब्रॉयलर/ मोटी होने वाली मुर्गियाँ	अधिकतम 21 किलो जीवित वजन / एम ^{2} 2 के साथ 10 पक्षी एम 2	अधिकतम 21 किलो जीवित वजन / एम ^{2} 2 के साथ 10 पक्षी एम 2
टर्की/ बड़े पक्षी	26 किलो जीवित वजन / एम ^{2} तक	17 किलो जीवित वजन / एम ^{2} तक
आउटडोर रन की आवश्यकता उस समय नहीं होती है जब झुंड का टीकाकरण कार्यक्रम हो रहा हो और जब वे मोटापा वृद्धि के अंतिम चरण में होते हैं		

खरगोशों के लिए न्यूनतम इनडोर और आउटडोर क्षेत्र की आवश्यकताएँ

खरगोश	भीतरी स्थान	आउटडोर - रन और व्यायाम	आउटडोर - चरागाह
दूध छुड़ाने (वीनिंग) से लेकर वध तक	0.3 एम^2/ हेड	2 एम^2/ हेड	5 एम^2/ हेड
प्रेग्नेंट डूज़	0.5 एम^2/ हेड	2 एम^2/ हेड	5 एम^2/ हेड
डूज़ और लिटर	0.7 एम^2/ हेड	2 एम/ हेड	-
बक्स (नर खरगोश)	0.3 एम^2/ हेड	2 एम^2/ हेड	5 एम^2/ हेड

पशु पोषण के लिए फ़ीड सामग्री, फ़ीड योजक और प्रसंस्करण सहायता की स्वीकृत सूची

1. पौध स्रोतों से फ़ीड सामग्री

1.1 सीरियल्स, अनाज, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। निम्नलिखित पदार्थ स्वीकृत हैं:

i. **ओट्स:** अनाज, फ्लेक्स, मिडलिंग्स, हुल्स, और ब्रान;

ii. **गेंहू:** अनाज, गेहूं का अंकुर, मिडलिंग, ब्रान [IS 2239:1971], ग्लूटेन फीड, ग्लूटेन, और अंकुर; [IS 2239:1971]

iii. **जौ**: अनाज, प्रोटीन, और मिडलिंग्स;

iv. **मक्का**: अनाज; ब्रान [IS 2153:1985], मिडलिंग; अंकुर एक्सपेलर और ग्लूटेन [IS 2152:1972];

v. **सोरघम** अनाज के रूप में;

vi. **चावल जर्म** एक्सपेलर और ब्रान;

vii. **बाजरा**: अनाज;

viii. **राई**: अनाज और मिडलिंग्स;

ix. **ट्रिटिकेल**: अनाज, ब्रान, मिडलिंग्स, और ब्रूअर्स' ग्रेन।

x. **अन्य अनाज और दाने**

1.2 तिलहन, तिलहन के फल, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। निम्नलिखित पदार्थों की अनुमति है:

i. **रेपसीड और सरसों** [IS 1932:1986]: एक्सपेलर और हुल्स के रूप में;

ii. **सोयाबीन**: बीज, टोस्टेड, एक्सपेलर, और हुल्स के रूप में;

iii. **सूरजमुखी के बीज** [IS 14702:1999]: बीज और एक्सपेलर के रूप में;

iv. **कपास**: बीज और बीज एक्सपेलर के रूप में;

v. **अलसी** [IS 1935:1982]: बीज और एक्सपेलर के रूप में;

vi. **तिल के बीज** [IS 1934:1982]: एक्सपेलर के रूप में;

vii. **मूंगफली के बीज** [IS 3441:1982]: एक्सपेलर के रूप में;

viii. **पाम कर्नेल्स**: एक्सपेलर के रूप में;

ix. **कुसुम की छिलकी** [IS 6242:1985]:

x. **तोरीया केक**

xi. **तरामीरा केक**

xii. **कद्दू के बीज**: एक्सपेलर के रूप में;

xiii. **अन्य तिलहन**

xiv. **वनस्पति तेल** (भौतिक रूप में निकाले गए)

1.3 फलियों के बीज, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। निम्नलिखित पदार्थों की अनुमति है:

i. **बंगाल चना**: बीज, मिडलिंग्स, और हुल्स के रूप में;

ii. **काले चने**: बीज, मिडलिंग्स, और हुल्स के रूप में;

iii. **अरहर दाल**: मिडलिंग्स और हुल्स के रूप में;

iv. **हरा चना**: मिडलिंग्स और हुल्स के रूप में;

v. **हॉर्स बीन्स**: बीज, मिडलिंग्स, और ब्रान के रूप में;

vi. **दाल**: मिडलिंग्स और हुल्स के रूप में;

vii. **चने**: बीज, मिडलिंग्स, और ब्रान के रूप में;

viii. **एर्विल**: बीज, मिडलिंग्स, और ब्रान के रूप में, जो गर्मी उपचार से गुजरे हैं;

ix. **मटर**: बीज, मिडलिंग्स, और ब्रान के रूप में;

x. **ब्रॉड बीन्स**: बीज, मिडलिंग्स, और ब्रान के रूप में;

xi. **लुपिन**: बीज, मिडलिंग्स, और ब्रान के रूप में।

xii. **अन्य फलियाँ**

1.4 कंद, जड़ें, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. चीनी चुकंदर का गूदा, आलू

ii. मीठा आलू: कंद के रूप में;

iii. आलू का गूदा (आलू के स्टार्च के निष्कर्षण का उप-उत्पाद), आलू का स्टार्च, आलू का प्रोटीन, और मनिओक;

iv. गाजर

v. शलजम

vi. अन्य कंद

1.5 अन्य बीज और फल, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। निम्नलिखित पदार्थों की अनुमति है:

i. सेब, सिट्रस फल, नाशपाती, आड़ू, अंगूर, अंजीर, अनानास, क्विन्स, कद्दू के फल और फल के गूदे;

ii. चेस्टनट, अखरोट एक्सपेलर, हेज़लनट एक्सपेलर; कोको का छिलका और एक्सपेलर; और अकोर्न्स;

iii. आम के बीज [IS 12829:1989] और इमली के बीज से बने पदार्थ।

1.6 चारा और मोटा चारा। निम्नलिखित पदार्थों की अनुमति है:

1. चारे की खेती की फसलें। इस श्रेणी में केवल निम्नलिखित चारा फसलें शामिल हैं:
   - क. सोरघम (*Sorghum vulgare*)
   - ख. मक्का (*Zea Mays*)
   - ग. बाजरा (*Pennisetum typhoides*)
   - घ. टियोसिंट (*Euchlaena Mexicana*)
   - ङ राजमा (*Vigna unguiculata*)
   - च. ग्वार (*Cyamopsis tetragonoloba*)
   - छ. ग्वार (*Avena sativa*)
   - ज. बरसीम (*Trifolium Alexadrinum*)
   - झ. ल्यूसर्न (*Medicago Sativa*)
   - ट. सेनजी (*Melilotus Parviflora*)
   - ठ. हाइब्रिड नेपियर
   - ड. पैरा घास (*Brachiaria mutica*)
   - ढ. रोड्स घास (*Chloris Gayana*)
   - ण. गिनी घास (*Panicom Maximum*)
   - त. सूडान घास (*Soreghum Sudanenes*)
   - थ. सरसों (*Brassica spp*)
2. तिपतिया घास, तिपतिया घास का भोजन, घास (चारा पौधों से प्राप्त), घास का भोजन,
3. घास, साइलेज और अनाज फसलों का पुआल और चारा बनाने के लिए मूल वाली सब्जियां।
4. चारा घास और फलियां: इस श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं:
   - i. अंजन (*Cenchrus ciliaris*)
   - ii. मार्वल (*Dichanthium Annulatum*)
   - iii. दीनानाथ (*Penniactum pedicellatum*)
   - iv. कज़ुंगला (*Setaria Sphacelata*)
   - v. सैन (*Sehima nervosum*)
   - vi. सिराट्रो (*Macroptilum atropurpureum*)
   - vii. स्टाइलो (*Stylosanthes Humilis*)
   - viii. बनकुल्थी (*Atylosia Scarabaeoides*)

ix. फील्ड बीन (*Dolichos lablab*)

x. बटरफ्लाई मटर (*Clitoria termatea*)

5. आम भारतीय पेड़ों की पत्तियां। इस श्रेणी में निम्नलिखित पेड़ शामिल हैं जिनकी पत्तियों को जानवरों को खिलाया जा सकता है।

i. अकैशिया अरेबिका (बबूल)

ii. अकैशिया सेनेगल (कुमट)

iii. आडिना कॉर्डिफोलिया (हल्दू)

iv. ऐलंथस एक्सेलसा (आदू)

v. अमारैंथस स्पिनोसा (गोझा)

vi. अल्बिज़िया लेब्बेक (सिरस)

vii. अज़ादिराच्टा इंडिका (नीम)

viii. बनहिनिया वेरिएगाटा (कचनार)

ix. कैसिया ऑरिकुलाटा (तरवड़)

x. डलबर्गिया सिस्सू (सिस्सू)

xi. फिकस बेंघालेंसिस (बरगद)

xii. फिकस रेलेगियोसा (पीपल)

xiii. फिकस ग्लोमेराटा (गुलर)

xiv. हार्डविकिया बिनाटा (आंजान)

xv. ल्यूकेना ल्यूकोसेफाला (सुबाबुल)

xvi. मोर्स अल्बा (तूत)

xvii. मारस इंडिया (मुल्बरी)

xviii. प्रोसोपिस सिनेरिया (खेजड़ी)

1.7 अन्य पौधे, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. समुद्री शैवाल से बना भोजन (समुद्री शैवाल को सुखाकर और पीसकर तैयार किया जाता है और आयोडीन की मात्रा को कम करने के लिए धोया जाता है)

ii. गुड़ का शीरा

iii. पौधों के पाउडर और अर्क

iv. पौधों के प्रोटीन अर्क (केवल युवा जानवरों को प्रदान किया जाता है)

v. मसाले और जड़ी-बूटियाँ

2. पशु स्रोतों से प्राप्त फ़ीड सामग्री

2.1 दूध और दुग्ध उत्पाद। निम्नलिखित पदार्थ इस श्रेणी में शामिल हैं, बशर्ते कि इन्हें जैविक रूप से उत्पादित किया गया हो:

i. कच्चा दूध

ii. दूध पाउडर, स्किम्ड दूध, स्किम्ड-मिल्क पाउडर,

iii. बटरमिल्क, बटरमिल्क पाउडर,

iv. मट्ठा, मट्ठा पाउडर, कम शुगर वाला मट्ठा पाउडर, मट्ठा प्रोटीन पाउडर (भौतिक रूप में निकाला गया),

v. कैसिइन पाउडर, लैक्टोज पाउडर, दही और खट्टा दूध।

2.2 मछली, अन्य समुद्री जानवर, उनके उत्पाद और उप-उत्पाद। इस श्रेणी में केवल निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. मछली, मछली का तेल और नॉन- रिफाइंड कॉड-लिवर तेल;

ii. मछली, मोलस्क या क्रस्टेशियन ऑटोलीसैट्स, हाइड्रोलिसेट और प्रोटियोलिसेट्स जो कि एंजाइम क्रिया द्वारा प्राप्त हुआ हो चाहे वह घुलनशील रूप में हो या न हो, केवल युवा जानवरों को प्रदान किया जाता है।

iii. मछली से बना भोजन **[**IS 4307:1983]

2.3 पोल्ट्री फीड के रूप में उपयोग के लिए अंडे और अंडे के उत्पाद**,** एक ही होल्डिंग से होने चाहिए।

3. खनिज स्रोत से फ़ीड सामग्री [IS 1664:2002]

इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. सोडियम:

क. सोडियम सल्फेट

ख. सोडियम कार्बोनेट

ग. सोडियम बाइकार्बोनेट

घ. सोडियम क्लोराइड **[IS 920:1972]**

ii. पोटैशियम:

क. पोटेशियम क्लोराइड;

iii. कैल्शियम:

क. लिथोटाम्नियन और मेर्ल

ख. जलीय जीवों के शेल्स (जिसमें कटलफिश की हड्डियाँ शामिल हैं)

ग. कैल्शियम कार्बोनेट

घ. कैल्शियम लैक्टेट

ङ. कैल्शियम ग्लूकोनेट

iv. फ़ॉसफ़ोरस:

क. डीफ्लोरिनेटेड डाइकैल्शियम फॉस्फेट

ख. डीफ्लोरिनेटेड मोनोकैल्शियम फॉस्फेट

ग. मोनोसोडियम फॉस्फेट

घ. कैल्शियम-मैग्नीशियम फॉस्फेट

ङ कैल्शियम-सोडियम फॉस्फेट;

v. मैगनीशियम:

क. मैग्नीशियम ऑक्साइड (निर्जल मैग्नेशिया)

ख. मैग्नीशियम सल्फेट

ग. मैग्नीशियम क्लोराइड

घ. मैग्नीशियम कार्बोनेट

ङ मैग्नीशियम फॉस्फेट;

vi. सल्फ़र:

क. सोडियम सल्फेट

4. फ़ीड योजक, पशु पोषण में उपयोग किए जाने वाले कुछ पदार्थ और फीडिंग सामग्री में उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण सहायक

4.1 फ़ीड योजक

4.1.1 सूक्ष्म तत्व, निम्नलिखित पदार्थ इस श्रेणी में शामिल हैं:

i. आयरन

क. फेरस (II) कार्बोनेट

ख. फेरस (II) सल्फेट मोनोहाइड्रेट और/या हेप्टाहाइड्रेट

ग. फेरिक (III) ऑक्साइड;

ii. आयोडीन:

क. कैल्शियम आयोडेट, निर्जल

ख. कैल्शियम आयोडेट, हेक्साहाइड्रेट

ग. सोडियम आयोडाइड;

iii. कोबाल्ट:

क. कोबाल्टस (II) सल्फेट मोनोहाइड्रेट और/या हेप्टाहाइड्रेट

ख. बेसिक कोबाल्टस (II) कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट;

iv. कॉपर:

क. कॉपर (II) ऑक्साइड बेसिक

ख. कॉपर (II) कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट

ग. कॉपर (II) सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट;

v. मैंगनीज़:

क. मैंगनस (II) कार्बोनेट

ख. मैंगनस ऑक्साइड और मैंगनिक ऑक्साइड

ग. मैंगनस (II) सल्फेट, मोनो- और/या टेट्राहाइड्रेट;

vi. ज़िंक:

क. जिंक कार्बोनेट,

ख. जिंक ऑक्साइड,

ग. जिंक सल्फेट, मोनो- और / या हेप्टाहाइड्रेट;

vii. मोलिब्डेनम:

क. अमोनियम मोलिब्डेट,

ख. सोडियम मोलिब्डेट;

viii. सेलेनियम:

क. सोडियम सेलेनेट

ख. सोडियम सेलेनाइट

4.1.2 विटामिन, प्रो-विटामिन और रासायनिक रूप से सुनिश्चित पदार्थ जिसका समान प्रभाव हो। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. अधिमानतः फीडिंग सामग्री में स्वाभाविक रूप से होने वाले कच्चे माल से व्युत्पन्न, या

ii. प्राकृतिक विटामिनों के समान कृत्रिम विटामिन केवल मोनोगैस्ट्रिक जानवरों के लिए।

पहले उप-पैराग्राफ से अपवाद के रूप में, और सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए संक्रमण काल के दौरान, चर्म वाले जानवरों के लिए विटामिन ए, डी और ई के प्रकारों के कृत्रिम विटामिनों का उपयोग अधिकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएँ:

i. कृत्रिम विटामिन प्राकृतिक विटामिन के समान हैं, और

ii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति सटीक मानदंडों पर आधारित हो।

उत्पादक इस स्वीकृति का लाभ केवल तभी उठा सकते हैं जब वे निरीक्षण करने वाले निकाय या प्राधिकरण को यह दिखा सकें कि बिना इन कृत्रिम विटामिनों के उपयोग के

उनके जानवरों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

4.1.3 सूक्ष्मजीव: निम्नलिखित सूक्ष्मजीव इस श्रेणी में शामिल हैं:

i. सूक्ष्मजीव जैसे लैक्टोबैसिलस, खमीर, आदि, जो आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं किए गए हों।

4.1.4 संरक्षक: निम्नलिखित पदार्थ इस श्रेणी में शामिल हैं:

i. सोर्बिक एसिड
ii. फॉर्मिक एसिड
iii. एसिटिक एसिड
iv. लैक्टिक एसिड
v. प्रोपियोनिक एसिड
vi. साइट्रिक एसिड
vii. सोडियम फॉर्मेट

दूध, फॉर्मिक, प्रोपियनिक और एसीटिक एसिड का उपयोग साइलेज के उत्पादन में केवल तभी स्वीकार्य होगा जब मौसम की स्थितियाँ पर्याप्त किण्वन के अनुकूल न हों।

4.1.5 बाइंडर, एंटी-केकिंग एजेंट और कोगुलंट्स। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. प्राकृतिक स्रोत का कैल्शियम स्टीयरेट
ii. कोलाइडल सिलिका
iii. कीसेलगुर
iv. बेंटोनाइट
v. काओलिनिटिक मिट्टी
vi. स्टीयराइट और क्लोराइट का प्राकृतिक मिश्रण
vii. वर्मीक्यूलाइट
viii. सेपियोलाइट
ix. परलाइट
x. ग्वार गम
xi. सोडियम फेरोसाइनाइड
xii. नैट्रोलाइट-फोनोलाइट
xiii. अवसादी स्रोत का क्लिनोप्टिलोलाइट

4.1.6 एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. टोकोफेरोल - प्राकृतिक मूल के समृद्ध अर्क

4.1.7 साइलेज योजक केवल पर्याप्त किण्वन सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत हैं। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. एंजाइम, खमीर और सूक्ष्मजीव जो आनुवंशिक रूप से संशोधित नहीं हैं।

ii. सोडियम प्रोपियोनेट

iii. सोडियम फॉर्मेट

iv. फॉर्मिक एसिड

v. प्रोपियोनिक एसिड

4.2 पशु पोषण में उपयोग किए जाने वाले कुछ उत्पाद

इस श्रेणी में निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं:

i. ब्रिउरर्स यीष्ट (खमीर)

4.3 फीडिंग सामग्री में उपयोग किया जाने वाला प्रसंस्करण सहायक

4.3.1 साइलेज के लिए प्रसंस्करण सहायक। इस श्रेणी में निम्नलिखित पदार्थ शामिल हैं:

i. समुद्री नमक, मोटे सेंधा नमक, मट्ठा, चीनी, चुकंदर का गूदा, अनाज का आटा और शीरा,

4.4 फ़ीड में जैविक और इम्यूनोलॉजिकल सामग्री:

i. **कोलोस्ट्रम पाउडर / साबुत कोलोस्ट्रम** बशर्ते कि यह संभवतः उन जानवरों से प्राप्त किया जाए जिनका पालन जैविक खेती के अंतर्गत किया जाता है)।

ii. **आयुर्वेदिक और पौधों से प्राप्त उत्पाद** जिनमें प्रतिरक्षण क्षमता को सुरक्षित रखने का गुण होने का दावा किया जाता हो।

अनुलग्नक 3(6)

एन्ज़ाइम और उनके स्रोत जिनका उपयोग पशु/मुर्गी पालन में करने की अनुमति है

एंजाइम का नाम	स्रोत
अल्फ़ा-ऐमाइलेज	ऐस्परगिलस नाइजर वेर. ऐस्परगिलस ओरिज़े वेर. बैसिलस अमाइलोलिक्वुएफ़ेसिंस, बैसिलस लेंटस, बैसिलस लाइकनिफ़ोर्मिस, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, बैसिलस सबटिलिस वेर जौ का यवरस(शराब निकालने के लिए तैयार जौ) राइज़ोपस नाइवियस, राइज़ोपस ओरिज़े वेर
माल्टोजेनिक अल्फ़ा-ऐमाइलेज	बैसिलस सबटिलिस
बीटा-ऐमाइलेज	जौ माल्ट
सेल्युलेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., ह्यूमिकोला इंसोलेन्स, ट्राइकोडर्मा लॉन्गिब्रैचिएटम (पूर्व में रीसी)
अल्फ़ा-गलेक्टोसिडेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., मॉर्टिंयरेला विनेशी वेर. राफिनोसयूटिलाइज़र, सैक्रोमाइसेस
बीटा-ग्लूकानेज	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., बैसिलस लेंटस, बैसिलस सबटिलिस वेर., ह्यूमिकोला इंसोलेन्स, ट्राइकोडर्मा लॉन्गिब्रैचिएटम (पूर्व में रीसी)
बीटा-ग्लुकोसिडेज़	ऐस्परगिलस नाइजर
ग्लुकोअमाइलेज (जिसे अमाइलो-ग्लुकोसिडेज़ भी कहा जाता है)	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., ऐस्परगिलस ओरिज़े वेर., राइज़ोपस नाइवियस, राइज़ोपस ओरिज़े वेर.
हेमिसेल्युलेज़	ऐस्परगिलस एकुलेटस, ऐस्परगिलस नाइजर वेर., बैसिलस लेंटस, बैसिलस सबटिलिस वेर., ह्यूमिकोला इंसोलेन्स, ट्राइकोडर्मा लॉन्गिब्रैचिएटम (पूर्व में रीसी)
इन्वर्टेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., सैक्रोमाइसेस

एंजाइम का नाम	स्रोत
लैक्टेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., ऐस्परगिलस ओरिज़े वेर., कैंडिडा स्यूडोट्रोपिकलिस, क्लूवरोमाइसेस मार्क्सियानिस वेर. लैक्टिस (पूर्व में सैक्रोमाइसेस स्प.)
बीटा-मान्ननेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., बैसिलस लेंटस, ट्राइकोडर्मा लॉन्गिब्रैचिएटम
पेक्तिनेज	ऐस्परगिलस एकुलेटस, ऐस्परगिलस नाइजर वेर., राइज़ोपस ओरिज़े
पुलुलानेज़	बैसिलस एसिडोपुलुलाइटिकस, बैसिलस लाइकनिफ़ोर्मिस (जिसमें बैसिलस डेरैमिफिकन्स जीन होता है)
ज़ाईलेनेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., बैसिलस लेंटस, बैसिलस सबटिलिस वेर., ह्यूमिकोला इंसोलेन्स, ट्राइकोडर्मा लॉन्गिब्रैचिएटम (पूर्व में रीसी)
लिपेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., ऐस्परगिलस ओरिज़े वेर., कैंडिडा रुगोस (पूर्व में सिलिंड्रासिया), राइज़ोम्युकॉर (म्यूकर) मियाही, राइज़ोपस ओरिज़े
ब्रोमेलिन	अनानास - तना फल
फिसिन	अंजीर
पेपेन	पपीता
प्रोटीएज़ (सामान्य)	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., ऐस्परगिलस ओरिज़े वेर., बैसिलस अमाइलोलिक्विफ़ेसिंस, बैसिलस लाइकनिफ़ोर्मिस, बैसिलस सबटिलिस वेर.
कैटालेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., माइक्रोकॉकस लाइसोडेक्टिकस
फाइटेज़	ऐस्परगिलस नाइजर वेर., ऐस्परगिलस ओरिज़े वेर.

अनुलग्नक 3(7)

पशु / पशु-समूह निदान के लिए बीमारियों की सूची

पशुचिकित्सक से परामर्श करके, पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन का कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए और निम्नलिखित बीमारियों के लिए पशु-समूह का परीक्षण किया जाना चाहिए:

गौप्रजाति भैंस सहित:

i. ब्रुसेलोसिस

ii. लेप्टोस्पाइरोसिस

iii. मैस्टाइटिस

iv. तपेदिक

v. पैराट्यूबरकुलोसिस

भेड़ और बकरी:

i. ब्रुसेलोसिस

ii. लेप्टोस्पाइरोसिस

iii. तपेदिक

iv. पैराट्यूबरकुलोसिस

सूअर:

i. स्वाइन फीवर

ii. ब्रुसेलोसिस

मुर्गी पालन:

i. माइकोप्लाज़्मा गैलिनारम

ii. फाउल टाइफाइड

अनुलग्नक 3(8)

एंटीबायोटिक / जीवाणुरोधी वापसी अवधि

स्तनग्रंथि तैयारी		दूध त्याग समय
1	बेंज़ाथीन क्लोक्सासिलिन	72 घंटे (दूध त्याग)
2	क्लोक्सासिलिन सोडियम	48 घंटे (दूध त्याग)
3	हेटासिलिन पोटैशियम	72 घंटे (दूध त्याग)
4	प्रोकेन पेनिसिलिन जी (मूंगफली तेल)	84 घंटे (दूध त्याग)

भेड़ और बकरियों के लिए वापसी अवधि (वध से पहले)

क्रम संख्या	औषधि	वध से पहले की वापसी अवधि (दिनों में)
1	क्लोर्टेट्रासाइक्लिन (मुख से)	2 दिन
2	प्रोकेन पेनिसिलिन-जी	9 दिन
3	प्रोकेन पेनिसिलिन-जी डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	30 दिन
4	डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	30 दिन
5	इरिथ्रोमाइसिन	3 दिन
6	सल्फ़ामेथाज़ीन	10 दिन
7	सल्फ़ामेथाज़ीन (मुख से)	10 दिन
8	सल्फ़ाक्विनॉक्सालिन (मुख से)	10 दिन
9	सल्फ़िसॉक्साज़ोल (मुख से)	10 दिन
10	टेट्रासाइक्लिन (मुख से)	--
11	थियाबेंडाज़ोल (मुख से)	30 दिन

सूअरों के लिए वापसी अवधि (वध से पहले)

क्रम संख्या	औषधि	वध से पहले की वापसी अवधि (दिनों में)
1	क्लोर्टेंट्रासाइक्लिन (मुख से)	2
2	प्रोकेन पेनिसिलिन-जी	30
3	प्रोकेन पेनिसिलिन-जी डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	30
4	डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	30
5	इरिथ्रोमाइसिन	7
6	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट	15
7	लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड	2
8	ऑक्सिटेट्रासाइक्लिन एचसीआई	26
9	टायलोसिन	4
10	एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट (मुख से)	15
11	एम्पिसिलिन ट्राईहाइड्रेट (मुख से)	15
12	क्लोर्टेंट्रासाइक्लिन सल्फाथियाजोल प्रोकेन पेनिसिलिन (मुख से)	7
13	क्लोर्टेंट्रासाइक्लिन सल्फामेथाज़ीन प्रोकेन पेनिसिलिन (मुख से)	15
14	क्लोर्टेंट्रासाइक्लिन एचसीआई (मुख से)	5
15	डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन (मुख से)	30
16	इरिथ्रोमाइसिन (मुख से)	7
17	फ्यूराज़ोलिडिन (मुख से)	5

18	हाइग्रोमाइसिन बी (मुख से)	2
19	लिंकोमाइसिन (मुख से)	6
20	निस्टैटिन (मुख से)	--
21	ऑक्सिटेट्रासाइक्लिन (मुख से)	26
22	पेनिसिलिन (50 ग्राम/900 किलो आहार में)	0
23	स्पेक्टिनोमाइसिन डाइहाइड्रोक्लोराइड पेंटाहाइड्रेट (मुख से)	21
24	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फाथियाजोल फथलाइलसल्फाथियाजोल (मुख से)	10
25	सल्फाक्लोरोपाइरिडाज़िन सोडियम (मुख से)	4
26	सल्फाइथॉक्सिपाइरिडाज़िन (मुख से)	10
27	सल्फामेथाज़ीन (मुख से)	15
28	सल्फाक्विनॉक्सालिन (मुख से)	10

मुर्गी पालन के लिए वापसी अवधि (वध से पहले)

क्रम संख्या	औषधि	वध से पहले की वापसी अवधि (दिनों में)
1	बैसिट्रैसिन	0
2	कार्बोमाइसिन	1
3	क्लोर्टेट्रासाइक्लिन	1
4	इरिथ्रोमाइसिन	2
5	जेंटामाइसिन सल्फेट (इंजेक्शन)	35
6	लिंकोमाइसिन	5
7	मोनेन्सिन सोडियम	5
8	नोवोबायोसिन	4
9	ओलेन्डामाइसिन	--

10	ऑक्सिटेट्रासाइक्लिन (50-200 ग्राम/900 किलो आहार में)	0
11	पेनिसिलिन (2.4-125 ग्राम/900 किलो)	0
12	स्पेक्टिनोमाइसिन	5
13	सल्फाडाइमिथॉक्सिन	5
14	सल्फाक्विनॉक्सालिन	10
15	टायलोसिन फॉस्फेट	5

पशुपालन भवनों की सफाई और कीटाणुशोधन के लिए स्वीकृत उत्पादों की सूची

i. पोटेशियम और सोडियम साबुन

ii. पानी और भाप

iii. दूधिया चूना

iv. चूना

v. तेज चूना

vi. सोडियम हाइपोक्लोराइट (जैसे लिक्विड ब्लीच)

vii. हाइड्रोजन पेरोक्साइड

viii. अलसी के तेल, लैवेंडर तेल और पुदीना तेल को छोड़कर पौधों के प्राकृतिक सार

ix. साइट्रिक एसिड, परा एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और एसिटिक एसिड

x. अल्कोहल

xi. फार्मल्डीहाइड

अधिसूचित मधुमक्खी बीमारियों की सूची (IS6695:1998)

1. अमेरिकन फाउल ब्रूड (AFB)
2. यूरोपियन फाउल ब्रूड (EFB)
3. अकैरिन रोग
4. नोसिमा रोग

अनुलग्नक 3(11)

मधुमक्खी पालन में स्वीकृत उत्पाद (कीट नियंत्रण/सफाई/रोग नियंत्रण)

i. कॉस्टिक सोडा

ii. लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड

iii. फॉर्मिक एसिड

iv. सल्फर

v. एथरिक ऑयल्स

vi. बैसिलस थुरिन्जिनसिस

vii. मेंथॉल

viii. थायमॉल

ix. यूकेलिप्टोल

x. कपूर

xi. एजेडिराक्टिन

xii. जिलेटिन

xiii. हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स

xiv. लेसिथिन

xv. पौधों के तेल

xvi. पायरीथ्रिन्स

xvii. क्वासिया

xviii. रोटेनोन (डेरिस एसपी., लॉन्कोकार्पस एसपी, और टेफ्रोसिया एसपी. से प्राप्त)

xix. सूक्ष्मजीव

xx. डायमोनियम फॉस्फेट (जाल में)

xxi. फेरोमोन (जाल और डिस्पेंसर में)

xxii. सॉफ्ट सोप

xxiii. लाइम सल्फर

xxiv. पैराफिन तेल

xxv. मिनरल तेल

xxvi. क्वाट्र्ज रेत

xxvii. सल्फर

xxviii. पोटेशियम बाइकार्बोनेट

वाईवाल्व फार्मिंग के लिए जल निकायों का वर्गीकरण

साइट सामान्य जल गुणवत्ता और सूक्ष्मजीव भार के मामले में 'स्वीकृत' श्रेणी के निर्देशों को पूरा करनी चाहिए जो कि नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	सूक्ष्मजीव मानक	फसल के बाद उपचार
ए	इन क्षेत्रों से प्राप्त जीवित द्विकपाट मोलक्ष स्क्स 100 ग्राम मांस और आंतरिक तरल में 230 MPN *E.coli* से अधिक नहीं होना चाहिए	कोई नहीं
बी	इन क्षेत्रों से प्राप्त जीवित द्विकपाट मोलक्ष स्क्स 100 ग्राम मांस और आंतरिक तरल में 4600 MPN *E.coli* से अधिक नहीं होना चाहिए	क्लास ए क्षेत्र में शुद्धिकरण या स्वीकृत विधि द्वारा पकाना
सी	इन क्षेत्रों से प्राप्त जीवित द्विकपाट मोलक्ष स्क्स 100 ग्राम मांस और आंतरिक तरल में 46000 MPN *E.coli* से अधिक नहीं होना चाहिए	लंबे समय तक शुद्धिकरण या स्वीकृत विधि द्वारा पकाना
प्रतिबंधित	46000 MPN *E.coli* प्रति 100 ग्राम मांस और आंतरिक तरल	फसल की अनुमति नहीं

अनुलग्नक 3(13)

जलकृषि में उपयोग के लिए स्वीकृत उत्पादों की सूची

हर्बल मूल के मत्स्यनाशक

i. महुआ तेल केक *(बैसिया लैटिफोलिया)*

ii. चाय के बीज का केक *(कैमेलिया साइनेंसिस)*

iii. नीरवलम *(क्रोटेलारिया टिगिलम)*

iv. डेरिस की जड़ो का पाउडर *(लिंकोकार्पस एसपी)*

पानी/मिट्टी सुधारक/कंडीशनर

i. कृषि वाला चूना (CaCO3)

ii. तेज चूना

जैविक स्रोतों से प्राप्त जैविक उर्वरक/खाद/पोषक तत्व

i. एफवाईएम से प्राप्त कंपोस्ट

ii. वर्मी-कंपोस्ट

iii. गाय का गोबर

iv. जैविक स्रोतों से प्राप्त जैव-विघटनशील प्रसंस्करण उपोत्पाद

v. सूक्ष्म पोषक तत्व और सूक्ष्म शैवाल कल्चर के लिए आवश्यक रासायनिक उर्वरक

vi. मशरूम स्पेंट वॉश

अवक्षेपक एजेंट

i. ईडीटीए (EDTA)

कीटाणुनाशक

i. आयोडीन (IP ग्रेड)

हैचरी से प्राप्त जीवित आहार

i. सूक्ष्म शैवाल

ii. आर्टेमिया

iii. मोइना

iv. ब्रैंचिओनस

v. कोपेपोड्स

बीज

i. प्रमाणित जैविक हैचरी से प्राप्त बीज सामग्री (प्रथम पसंद)

ii. पारंपरिक हैचरी से प्राप्त बीज (प्रमाणित जैविक हैचरी की अनुपस्थिति में)

चारा

i. जैविक कृषि के प्रमाणित घटक के साथ प्रमाणित जैविक फ़ीड-मिल से निर्मित मिश्रित आहार

ii. जैविक कृषि/जलकृषि के सिद्धांतों के तहत उगाए गए जीवित आहार

प्रसंस्करण

क. सफाई वाले यौगिक

i. टियापोल (लैबोलेन)

ख. प्रक्षालक

i. क्लोरीन

ग. प्रसंस्करण योजक

i. खाद्य ग्रेड ऑक्सीजन (O2)

ii. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)

iii. नाइट्रोजन (N2)

घ. स्वाद/सुगंध योजक

i. सामान्य नमक

अनुलग्नक 3(14)

जलकृषि में निषिद्ध पदार्थों की सूची

1. सभी सिंथेटिक वीडिसाइड्स, मछली-नाशक, कीटनाशक और कृमिनाशक
2. रासायनिक उर्वरक
3. जंगली बीज और GMO बीज और उनके व्युत्पन्न
4. सिंथेटिक हार्मोन
5. प्रसंस्करण रसायन जैसे एथिलीन ऑक्साइड, मिथाइल ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन (HCH), लिंडेन, पायरीथ्रम एक्सट्रैक्ट और सल्फाइट

अनुलग्नक 3(15)

जलकृषि के लिए निषिद्ध एंटीबायोटिक्स और औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों की सूची

1. क्लोरैम्फेनिकॉल
2. नाइट्रोफुरांस (फ्यूराज़ोलिडोन, नाइट्रोफुराज़ोन, फुराल्टाडोन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फ्यूरिलफ्यूरामाइड, निफुरेटल, निफुर्सॉक्साइम, निफुरप्रीन और इनके सभी व्युत्पन्न)
3. नेमाइसिन
4. नालिडिक्सिक एसिड
5. सल्फामेथॉक्साज़ोल
6. एरिस्टोलोकिया एसपी और इसके यौगिक
7. क्लोरोफॉर्म
8. क्लोरोप्रोमाज़िन
9. कोल्कीसीन
10. डैप्सोन
11. डाइमेट्रिडाज़ोल
12. मेट्रोनिडाज़ोल
13. रोनीडाज़ोल
14. क्लेनब्युटेरोल
15. डाइएथाइलस्टिलबेस्ट्रोल (DES)
16. सल्फोनामाइड्स (स्वीकृत सल्फाडाइमिथॉक्सिन, सल्फाब्रोमोमेथाज़िन और सल्फाइथॉक्सिपाइरिडाज़िन को छोड़कर)
17. फ्लोरोक्विनोलोन्स
18. ग्लाइकोपेप्टाइड्स

अनुलग्नक 3(16)

जलकृषि प्रसंस्करण में उपयोग के लिए अनुमत और निषिद्ध पदार्थों की सूची

क. प्रसंस्करण योजक

स्वीकृत प्रसंस्करण योजक:

i. नाइट्रोजन (N2) (E941)

ii. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) (E290)

iii. प्राकृतिक सब्जियों के यौगिक स्वाद के अवांछित घटकों को निष्प्रभावी करने के लिए (स्वीकृत मापदंडों के अनुसार)

निषिद्ध प्रसंस्करण योजक:

i. सल्फाइट (रंग स्थिरीकरण के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फाइट E223)

ii. फॉस्फेट (मछली के फिलेट्स को बेहतर दिखाने के लिए)

iii. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) (रंग स्थिरीकरण के लिए)

ख. प्रसंस्करण विधियाँ:

स्वीकृत विधियाँ:

आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वे सभी विधियाँ जो जलीय उत्पादों के उपचार, उत्पादन और संरक्षण के लिए होती हैं

निषिद्ध विधियाँ

i. धूम्रपान प्रक्रिया जिसमें उत्पाद को छत से लटका कर घर के चूल्हे की आग से निकले धुंए द्वारा तैयार किया जाता है

ii. ब्लैक स्मोकिंग

iii. तरल धूम्रपान उपचार

iv. इंजेक्शन द्वारा नमकीन बनाना

प्रसंस्कृत जैविक खाद्य उत्पादन में उपयोग के लिए खाद्य योजक (वाहक सहित)

अंतर्राष्ट्रीय नामांकन प्रणाली	उत्पाद	जिन जैविक खाद्य उत्पादों में इसे जोड़ा जा सकता है	उपयोग की शर्तें
INS170	कैल्शियम कार्बोनेट	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	उत्पादों के रंग/कैल्शियम बढ़ाने के उपयोग हेतु नहीं
INS220	सल्फर डाइऑक्साइड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	अंगूर के अलावा अन्य फलों से बनी वाइन में उपयोग की अनुमति, जिसमें चीनी के साथ या बिना बनाई गई सीडार/ सिरका शामिल है (अधिकतम सांद्रता 100 मिलीग्राम/लीटर SO2 के रूप में)
INS270	लैक्टिक एसिड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	संवर्धित फल/सब्जी का रस और किण्वित सब्जी उत्पादों के लिए
INS296	मैलिक एसिड	वनस्पति आधारित उत्पाद	
INS290	कार्बन डाइऑक्साइड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS300	एस्कॉर्बिक एसिड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	मांस उत्पादों के लिए
INS306	प्राकृतिक रूप में टोकोफेरॉल्स	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	वसा और तेलों के एंटीऑक्सीडेंट के रूप में

INS322	लेसिथिन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध उत्पादों के लिए (ब्लीच और कार्बनिक विलायकों के उपयोग के बिना प्राप्त किया जाना चाहिए)
INS325	सोडियम लैक्टेट	पशु आधारित उत्पाद	दूध आधारित और मांस उत्पादों के लिए
INS330	साइट्रिक एसिड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	संवर्धित फल/सब्जी जैम, किण्वित सब्जी उत्पाद के लिए
INS331	सोडियम साइट्रेट	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS333	कैल्शियम साइट्रेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	
INS334	टार्टरिक एसिड	वनस्पति आधारित उत्पाद	
INS335	सोडियम टार्ट्रेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	
INS336	पोटेशियम टार्ट्रेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	
INS341	मोनोकैल्शियम फॉस्फेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	केवल आटे के लिए
INS400	एल्गिनिक एसिड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध आधारित उत्पादों के लिए
INS401	सोडियम अल्गीनेट	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध आधारित उत्पादों और मांस आधारित सॉसेज के लिए
INS402	पोटेशियम अल्गीनेट	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध आधारित उत्पादों के लिए

INS406	अगार	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध आधारित और मांस आधारित उत्पादों के लिए
INS407	कैरेजेनन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध उत्पादों के लिए
INS410	लोकस्ट बीन गम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS412	ग्वार गम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS414	अरेबिक गम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS415	ज़ैंथम गम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS422	ग्लिसरोल	वनस्पति आधारित उत्पाद	पौधे के अर्क में उपयोग के लिए और केवल पौधे के मूल के सॉल्वैंट और पौधे के अर्क और स्वाद में वाहक के रूप में
INS440	पेक्टिन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध आधारित उत्पादों के लिए
INS464	हाइड्रॉक्सी प्रोपाइल मिथाइलसेलुलोज	पौध आधारित उत्पाद	कैप्सूल के एन्कैप्सुलेशन सामग्री के लिए
INS500	सोडियम कार्बोनेट	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध उत्पाद के लिए
INS501	पोटेशियम कार्बोनेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	अंगूर के रेजिन के सुखाने के लिए
INS503	अमोनियम कार्बोनेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	

INS504	मैग्नीशियम कार्बोनेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	
INS509	कैल्शियम क्लोराइड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	दूध जमाने के लिए
INS516	कैल्शियम सल्फेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	केवल वाहक के रूप में उपयोग के लिए प्रतिबंधित
INS524	सोडियम हाइड्रॉक्साइड	वनस्पति आधारित उत्पाद	सतह उपचार और अम्लता नियंत्रक के रूप में
INS551	सिलिकॉन डाइऑक्साइड	वनस्पति आधारित उत्पाद	जड़ी-बूटियों और मसालों के लिए एंटीकाकिंग एजेंट
INS553	टैल्क	पशु आधारित उत्पाद	मांस उत्पादों के लिए कोटिंग एजेंट
INS938	आर्गन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS939	हीलियम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS941	नाइट्रोजन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS948	ऑक्सीजन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	
INS 160b	एनाटो बिक्सिन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	चीज/पनीर
INS 160b	एनाटो नॉर्बिक्सिन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	चीज/पनीर

INS 301	सोडियम एस्कॉर्बेट	पशु आधारित उत्पाद	केवल नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के संयोजन में उपयोग किया जा सकता है
INS 417	टारा गम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	केवल जैविक उत्पादन से उत्पाद गाढ़ा करने वाला
INS 418	जेलन गम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	केवल जैविक उत्पादन से हाई-एसाइल के रूप में
INS 460	सेल्यूलोज	वनस्पति आधारित उत्पाद	जिलेटिन
INS 901	मधुमक्खी से प्राप्त मोम	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	कन्फेक्शनरी में चमकाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, केवल ऑर्गेनिक उत्पादन हेतु
INS 903	कारनौबा वैक्स	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	कन्फेक्शनरी में चमकाने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है
INS 968	एरिथ्रिटोल	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	केवल जैविक उत्पादन से आयन एक्सचेंज प्रौद्योगिकी का उपयोग किए बिना

यह सूची रूपांतरणशील प्रकृति की है और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) अधिनियम, 2011 के परिशिष्ट ए, संशोधित ("एफएसएसआर"), या आयात करने वाले देशों के किसी भी जैविक नियम में कोई भी बदलाव होने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

अनुलग्नक 3(18)

जैविक उत्पादन से प्राप्त सामग्री के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए प्रसंस्करण सहायक और अन्य उत्पाद

उत्पाद	जिन जैविक खाद्य उत्पादों में इसे जोड़ा जा सकता है	उपयोग की शर्तें (केवल निर्यात के लिए)	उपयोग की शर्तें (घरेलू बाजार के लिए)
पानी	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	पेयजल मानक के अनुसार	जहाँ भी पानी उपयोग किया जाए, वह पेयजल मानकों के अनुसार होना चाहिए ।
कैल्शियम क्लोराइड	वनस्पति आधारित मांस सॉसेज	जमावट एजेंट	मादक पेय पदार्थों में बफरिंग एजेंट के रूप में (केवल अवशेष स्तर पर GMP के अनुसार)
कैल्शियम कार्बोनेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	जमावट एजेंट	स्नेहक, रिलीज और एंटीस्टिक एजेंट, सभी खाद्य उत्पादों में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड	वनस्पति आधारित उत्पाद		इस प्रसंस्करण सहायक का उपयोग तकनीकी कार्य और FSSR के परिशिष्ट C में सूचीबद्ध खाद्य श्रेणी के अनुसार किया जाएगा
कैल्शियम सल्फेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	जमावट एजेंट	FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
मैग्नीशियम क्लोराइड	वनस्पति आधारित उत्पाद	जमावट एजेंट	FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं

पोटेशियम कार्बोनेट	वनस्पति आधारित उत्पाद	अंगूरों का सुखाना	GMP के अवशिष्ट स्तर पर कोकोआ मिक्स (पाउडर) और कोकोआ मास/केक में pH नियंत्रण एजेंट के रूप में स्वीकृत
सोडियम कार्बोनेट	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	चीनी उत्पादन	सभी खाद्य उत्पादों में pH नियंत्रण एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
लैक्टिक एसिड	पशु आधारित उत्पाद	पनीर उत्पादन में ब्राइन बाथ के pH नियमन के लिए	बिना पका हुआ पनीर (पनीर और छेना) में फ्लोक्युलेटिंग एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
साइट्रिक एसिड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	पनीर उत्पादन में ब्राइन बाथ के pH को विनियमित करने के लिए; तेल उत्पादन और स्टार्च का हाइड्रोलिसिस	बिना पका हुआ पनीर (पनीर और छेना) में फ्लोक्युलेटिंग एजेंट और वसा एवं तेलों में सीक्वेस्ट्रेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
सोडियम हाइड्रॉक्साइड	वनस्पति आधारित उत्पाद	चीनी उत्पादन, सरसों के तेल उत्पादन	सभी खाद्य पदार्थों में GMP के अवशिष्ट स्तर पर pH नियंत्रण एजेंट के रूप में स्वीकृत
सल्फ्यूरिक एसिड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन, चीनी उत्पादन	सभी खाद्य पदार्थों में GMP के अवशिष्ट स्तर पर pH नियंत्रण एजेंट के रूप में स्वीकृत
हाइड्रोक्लोरिक एसिड	पशु आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन	प्रोटीन उत्पादों के हाइड्रोलाइजिंग एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)

अमोनियम हाइड्रॉक्साइड	पशु आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन	सभी खाद्य उत्पादों में अम्लता नियंत्रक के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	पशु आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन	फलों और सब्जियों, आटा और स्टार्च में ब्लीचिंग, वॉशिंग, डीनूडिंग और पीलिंग एजेंट के रूप में (5 mg/kg अवशेष स्तर पर)
कार्बन डाइऑक्साइड	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद		इस प्रसंस्करण सहायक का उपयोग FSSR के परिशिष्ट C में सूचीबद्ध तकनीकी कार्य और खाद्य श्रेणी के अनुसार किया जाएगा
नाइट्रोजन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद		इस प्रसंस्करण सहायक का उपयोग FSSR के परिशिष्ट C में सूचीबद्ध तकनीकी कार्य और खाद्य श्रेणी के अनुसार किया जाएगा
एथेनॉल	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	विलायक	FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
टैनिक एसिड	वनस्पति आधारित उत्पाद	निस्पंदन सहायक	फलों और सब्जियों के रस, अल्कोहलिक पेय और रस में क्लैरिफाइंग एजेंट, फ्लेवर एजेंट, फ्लेवर सहायक के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)

अंडे का सफेद अल्बुमिन	वनस्पति आधारित उत्पाद		FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
केसिन	वनस्पति आधारित उत्पाद		FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
जिलेटिन	वनस्पति आधारित उत्पाद		FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
इसिंग्लास	वनस्पति आधारित उत्पाद		फलों या सब्जियों के रस, अल्कोहलिक पेय और उनके कम-अल्कोहलिक विकल्पों में क्लैरिफाइंग एजेंट और निस्पंदन एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
वनस्पति तेल	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद	स्नेहक, एंटीस्टिक एजेंट, एंटीफोमिंग एजेंट के रूप में उपयोग	GMP के अवशिष्ट स्तर पर कन्वेयर बेल्ट के लिए स्नेहक के रूप में, सभी खाद्य पदार्थों में स्नेहक, रिलीज और एंटीस्टिक एजेंट के रूप में GMP के अवशिष्ट स्तर पर
सिलिकॉन डाइऑक्साइड जेल	वनस्पति आधारित उत्पाद		FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं

सक्रिय कार्बन	वनस्पति और पशु आधारित उत्पाद		शर्करा, तेल, वसा, रस और अल्कोहलिक पेय में रंग सोखने और हटाने वाले एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
टैल्क	वनस्पति आधारित उत्पाद	खाद्य योजक के लिए विशिष्ट शुद्धता मानदंडों के अनुपालन में	कन्फेक्शनरी में स्नेहक, रिलीज और एंटीस्टिक एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
सेल्यूलोज	वनस्पति आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन	FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
डायटोमेसियस अर्थ	वनस्पति आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन	फलों या सब्जियों के रस, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों में स्पष्टीकरण एजेंट और निस्पंदन सहायक के रूप में, जिसमें कम अल्कोहल वाले और अल्कोहल रहित समकक्ष (फ़िल्टर पाउडर के रूप में), 81[गैर-अल्कोहल पेय पदार्थ, शरबत, चीनी सिरप, सिंथेटिक सिरप और फलों के सिरप] 82[और शहद] (केवल GMP अवशेष स्तर पर)

पर्लाइट	वनस्पति आधारित उत्पाद	जिलेटिन उत्पादन	स्टार्च हाइड्रोलाइसिस में निस्पंदन और स्पष्टीकरण योजक के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
हेज़लनट शेल्स	वनस्पति आधारित उत्पाद		FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
चावल का आटा	वनस्पति आधारित उत्पाद		FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
मधुमक्खी से प्राप्त मोम	वनस्पति आधारित उत्पाद	रिलीज़िंग एजेंट	FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
बेंटोनाइट	वनस्पति आधारित उत्पाद	शहद वाली मदिरा के लिए स्टिकिंग एजेंट	FSSR के तहत किसी भी खाद्य श्रेणी में प्रसंस्करण सहायक के रूप में अनुमति नहीं
कारनौबा वैक्स	वनस्पति आधारित उत्पाद	रिलीज़िंग एजेंट, केवल जैविक उत्पादन से प्राप्त	कन्फेक्शनरी में स्नेहक, रिलीज और एंटीस्टिक एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)
एसीटिक एसिड/ सिरका	वनस्पति आधारित उत्पाद	प्राकृतिक किण्वन से प्राप्त जैविक उत्पादन से	बिना पका हुआ पनीर (पनीर और छेना) में फ्लोक्युलेटिंग एजेंट के रूप में (केवल GMP अवशेष स्तर पर)

स्वाद योजक:

(i) आवश्यक तेल जो विलायकों जैसे तेल, पानी, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और भौतिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पादित होते हों ।

(ii) प्राकृतिक धुंए का स्वाद

(iii) प्राकृतिक स्वाद वाली सामग्री के उपयोग को भी प्रमाणन निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

सूक्ष्म जीवों का उत्पादन

(i) खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग के लिए सूक्ष्मजीव के उत्पादन की स्वीकृति है।

(ii) आनुवांशिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों को इससे बाहर रखा गया है।

(iii) बिना ब्लीच और कार्बनिक विलायकों के उत्पादित बेकर्स यीस्ट ।

(iv) आर्गेनिक यीस्ट के उत्पादन के लिए केवल जैविक रूप से उत्पादित सब्सट्रेट्स का उपयोग किया जा सकता है।

सामग्री

(i) पीने का पानी

(ii) नमक

(iii) खनिज (ट्रेस तत्व सहित) और विटामिन जहाँ इनका उपयोग क़ानूनी तौर पर आवश्यक हो अथवा जहाँ गंभीर आहार या पोषण संबंधी कमी का प्रदर्शन किया जा सकता है।

यह सूची रूपांतरणशील प्रकृति की है और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) अधिनियम, 2011 के परिशिष्ट ए, संशोधित ("एफएसएसआर"), या आयात करने वाले देशों के किसी भी जैविक नियम में कोई भी बदलाव होने पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

अनुलग्नक 3(19)

जैविक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए स्वीकृत उत्पाद

जैविक कृषि में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए कुछ उत्पादों का उपयोग करने की अनुमति है, हालांकि इनमें से कई जैविक उत्पादन में उपयोग के लिए प्रतिबंधित हैं। इस परिशिष्ट में "प्रतिबंधित" का मतलब है कि उपयोग की शर्तें और प्रक्रियाएँ मान्यता प्राप्त प्रमाणन कार्यक्रम द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

जैविक खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक उत्पाद

क्रम संख्या	उत्पाद	सीमा
1.	4,4'-बिस(2-बेंज़ोक्साज़ोलिल) स्टिल्बिन	प्रतिबंधित
2.	9,9-बिस(मेथॉक्सीमिथाइल) फ्लोरिन	प्रतिबंधित
3.	कार्बोनिक एसिड, कॉपर साल्ट	
4.	डाईएथिलीनग्लाइकॉल	प्रतिबंधित
5.	2-(4,6-डायफिनाइल-1,3,5-ट्राइज़िन-2-इल)-5-हेक्सिलोक्सी फिनॉल	
6.	एथिलीनडायमीनटेट्रा एसेटिक एसिड, कॉपर सॉल्ट	प्रतिबंधित
7.	2-(2-हाइड्रॉक्सी-3,5-डाय-टर्ट-ब्यूटिल-फिनाइल)-5-क्लोरो बेंज़ोट्रायाज़ोल	
8.	2-मेथाइल-4-आइसोथियाज़ोलिन-3-वन	प्रतिबंधित
9.	फॉस्फोरिक एसिड, ट्रायक्लोरोएथाइल एस्टर	

10.	एडिपिक एसिड के साथ 1,2 प्रोपेनेडियोल और/या 1,3-और 1, 4 ब्यूटेनडियोल और/या पॉलीप्रोपाइलीनग्लाइकोल के पॉलिस्टर, अंत में एसिटिक एसिड या फैटी एसिड के साथ भी कैप किए जाते हैं। सी10-सी18ऑर्न-ऑक्टानॉल और/या एन-डेकेनॉल	प्रतिबंधित
11.	1,1,1-ट्राइमेथाइलोलप्रोपेन	
12.	3-हाइड्रॉक्सीब्यूटेनोइक एसिड 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक ऐसिड, कोपॉलीमर	प्रतिबंधित

जलकृषि के लिए स्वीकृत पैकेजिंग सामग्री:

- पॉलीइथाइलीन (PE), पॉलीप्रोपाइलीन (PP), पॉलीक्राइलिक, पॉलीएमाइड (PA) (एकल यौगिक या आवरण के रूप में)
- पॉलीस्टाइरीन कोल्ड बॉक्सेस जिसमें पी ई आवरण फिल्म हो अथवा अंदर एक बैग हो
- कपड़े की पैकेजिंग (हानिकारक पदार्थों के परीक्षण के साथ)
- कांच के अन्य तरीके (क्लिप सील)
- कागज, मोम पेपर, पी ई आवरण पेपर

4 प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन

एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा। एक सचिवालय के रूप में एपीडा के उत्तरदायित्व का उल्लेख अध्याय-2 में किया गया है। एपीडा आईएसओ 17011 की अपेक्षाओं को पूरा करेगा और प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन और पद्धति के कार्यान्वियन के लिए इसकी प्रलेखित नीतियां और कार्य-विधियां होंगी।

4.1 प्रत्यायन की श्रेणियां

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्रत्यायन प्राप्त किया जा सकता है:

i. फसल उत्पादन

ii. पशु धन, मुर्गी पालन और उत्पाद

iii. मधुमक्खी पालन

iv. मत्स्य पालन उत्पादन

v. खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन

vi. पशु आहार प्रसंस्करण और प्रबंधन

vii. मशरूम उत्पादन

viii. समुद्री शैवाल, जलीय पौधों और ग्रीन हाउस फसल उत्पादन, और

ix. उत्पाद की कोई अन्य श्रेणियां जिनके मानक समय-समय पर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित किए गए हैं।

एनएबी प्रमाणन निकायों के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्यायन के लिए श्रेणियों के संबंध में निर्णय करेगा।

4.2 प्रत्यायन मापदंड

4.2.1 कार्यचालन नियमावली (Manual)

प्रत्यायन निकाय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करेगा। प्रत्यायन के सामान्य मापदंड और सिद्धांत आईएसओ 17065 के अनुसार होंगे। प्रमाणन निकाय के पास आईएसओ 17065 के अनुसार एक वैध प्रत्यायन होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन मंच का एक सदस्य/हस्ताक्षरकर्ता प्रत्यायन निकाय द्वारा प्रदत्त हो।

प्रमाणन निकाय की उन श्रेणियों के लिए निरीक्षण और प्रमाणन हेतु उनकी गुणवत्ता और कार्यचालन नियमावली(Manual) में स्पष्ट रूप से नीतियां और कार्य-विधियां निर्धारित होंगी जिनके लिए प्रत्यायन की मांग की गई है। नीति और कार्य-विधियां निम्नलिखित मापदंड और सिद्धांतों पर आधारित होंगी।

4.2.2. कानूनी इकाई

i. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यायन की मांग करने वाले आवेदक निकाय का भारतीय मूल के जैविक उत्पादों का प्रमाणन करने के लिए भारत में एक कार्यात्मक कार्यालय होगा। आवेदक निकाय सभी लागू भारतीय कानूनों का पालन करेगा।

ii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरे देश में जैविक उत्पादों का प्रमाणन करने के लिए प्रत्यायन की मांग करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय आवेदक निकाय का उसी देश में पंजीकृत कार्यालय होगा।

iii. आवेदक निकाय लागू कानून के अन्तर्गत पंजीकृत या तो एक कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, सहकारी समिति या सरकारी संगठन हो सकता है।

4.2.3. संगठनात्मक ढांचा

आवेदक निकाय का एक संगठनात्मक ढांचा होगा जिसकी भूमिका, उत्तरदायित्व और प्रबंधन के प्राधिकारी, प्रमाणन कार्मिक और प्रमाणन कार्यक्रम की परिधि में किसी समिति की परिभाषा दी हुई होगी। प्रमाणन निकाय का संगठनात्मक ढांचा ऐसा होगा जिससे कि उसके प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यान्वियन में विश्वास बढ़े ।

4.2.4. देयता और वित्तीय स्थिति

i. आवेदक निकाय के पास इसके प्रचालनों और कार्यकलापों के कारण उत्पन्न देयताओं को शामिल करने के लिए समुचित वित्तीय क्षमता होगी।

ii. आवेदक निकाय के पास उसके प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यान्वियन और

निर्माण के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिरता और संसाधन होंगे।

4.2.5 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)

i. प्रमाणन निकायों की इनके निरीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के प्रचालन और कार्यान्वयन के लिए प्रलेखित नीति और कार्य-विधियां होंगी।

ii. प्रमाणन निकाय का संगठनात्मक ढांचा, निरीक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल प्रबंधन और कार्मिकों की भूमिका और उत्तरदायित्व प्रलेखित होंगी।

iii. प्रमाणन निकाय का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

iv. प्रमाणन निकाय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर ध्यान देने के लिए अपने प्रबंधन के समग्र उत्तरदायित्व को निर्धारित करेगा:

क. प्रमाणन निकाय के कार्यचालन और इसके प्रचालनों के संबंध में नीतियां बनाना।

ख. निरीक्षण, समीक्षा और प्रमाणन का निर्णय सहित प्रमाणन कार्य-विधियां तथा प्रमाणन मंजूर करने, उसका संधारण, विस्तार, स्थगन और उसे वापस लेने के संबंधित निर्णयों के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल समितियों और समूहों की नियुक्ति और कार्य-चालन के लिए औपचारिक नियम और विनियम बनाना।

घ. आंतरिक नीतियों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करना।

ड. वित्त का पर्यवेक्षण।

च. प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए यथा-अपेक्षित नीतियों अथवा व्यक्तियों को अधिकार प्रत्यायोजित करना।

छ. इसके पास प्रमाणन कार्यक्रम को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वित्तीय स्थिरता और संसाधान होगा।

ज. प्रमाणन कार्यक्रम को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अर्हता और तकनीकी क्षमता वाले कार्मिक को पर्याप्त संख्या में नियोजित करना।

झ. इसके पास उत्पाद प्रमाणन और अन्य कार्यकलापों जिसमें यह

कार्यरत है, के बीच अंतर करने के लिए नीतियां और कार्य-विधियां हैं।

ञ. यह सुनिश्चित करना कि प्रचालकों का निरीक्षण और मूल्यांकन करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रमाणन के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

ट. किसी वाणिज्यिक, वित्तीय और अन्य दबावों, जो प्रमाणन प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, से स्वतंत्रता सुनिश्चतत करना।

ठ. यह सुनिश्चित करना कि संबंधित निकायों के कार्यकलाप इसके प्रमाणन की गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता से प्रभावित नहीं करे और यह इस प्रकार के उत्पादों जिसे यह प्रमाणित करता है, की आपूर्ति नहीं करेगा अथवा उसका डिजाइन नहीं बनाएगा।

ड. इसके पास इसके प्रमाणन कार्यक्रम के कारण की जाने वाली शिकायतों के निवारण के लिए नीतियां और कार्य-विधियां होंगी।

ढ. इसकी ऐसी संरचनाएं होंगी जो इसके प्रमाणन कार्यक्रम से संबंधित नीतियों को बनाने और उसे विकसित करने से संबंधित सभी समूहों/ व्यक्तियों की भागीदारी को समर्थ बनाएं ।

ण. न्यूजलेटर, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से आम लोगों में उपलब्ध सूचना तथा सलाह आदि भेदभाव रहित तरीके से प्रमाणन निकाय द्वारा प्रचालकों को दी जा सकती है।

v. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए एक गुणवत्ता प्रबंधक को नामित करेगा कि गुणवत्ता प्रणाली इस प्रलेख में दिए गए मानकों और मापदंडों के अनुसार स्थापित, कार्यान्वित और संधारित किया जाए। गुणवत्ता प्रबंधक प्रमाणन निकाय का एक नियमित और/अथवा पूर्ण-कालिक कर्मचारी होना चाहिए। उसे एक उप-ठेकेदार, परामर्शदाता, अथवा किसी समान व्यवस्था के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए।

गुणवत्ता नियमावली (Manual) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. आशय का एक विवरण (गुणवत्ता नीति);

ख. प्रमाणन निकाय और विशेष रूप से विगत तीन वर्षों से प्रमाणन कार्यकलापों के क्षेत्र में अपने क्रियाकलापों की कानूनी स्थिति का

संक्षिप्त विवरण;

ग. प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल कार्मिक और प्रमाणन निकाय के प्रबंधन के नाम, अर्हताएं और अनुभव;

घ. कर्त्तव्यों के आवंटन को दर्शाते हुए, प्रमाणन निकाय का संगठनात्मक ढांचा;

ड. प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल कार्मिकों का कार्य;

च. आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए कार्य-विधियां;

छ. प्रमाणन कार्यक्रम की समीक्षा सहित आंतरिक प्रबंधन समीक्षाएं करने के लिए नीति और कार्य-विधियां;

ज. प्रलेख नियंत्रण और अभिलेख रखने और उसका संधारण सहित प्रशासनिक कार्य-विधियां;

झ. गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल उन कार्मिकों के प्रचालनात्मक और कार्यात्मक कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व;

ञ. प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल कार्मिक के चयन, भर्ती, प्रशिक्षण और अनुवीक्षण के लिए नीति एवं कार्य-विधियां;

ट. विसंगतियों का प्रबंधन करने के लिए तथा की गई किसी सुधारात्मक और प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की प्रभाविता आश्वस्त करने के लिए नीति और कार्य-विधियां;

ठ. प्रमाणन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और उत्पादों का मूल्यांकन करने के लिए कार्य-विधियां। इसमें दिए गए प्रमाणन को जारी करने, उसे रोकने और उसे वापस करने के लिए शर्तें शामिल होंगी; तथा

ड. शिकायतों, अपीलों और विवादों का निपटारा करने के लिए नीति और कार्य-विधियां।

4.2.6. कार्मिक

i. प्रमाणन निकाय के कार्मिक प्रमाणन कार्यक्रम की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर अपनी भूमिका और कार्यों को निष्पादित करने के लिए सक्षम और तकनीकी रूप से योग्य होंगे। विशेषरूप से, प्रमाणन निकाय अपने गुणवत्ता नियमावली (Manual) में प्रमाणन कार्यक्रम में

शामिल सभी कार्मिकों का अनुभव, संदर्भ जांच, प्रशिक्षण और शिक्षा सहित नाम, स्थिति, विवरण, योग्यता का उल्लेख करेगा।

ii. निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रियाओं में शामिल प्रमाणन निकाय के कार्मिकों के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों का कार्य-अनुभव होना चाहिए।

iii. प्रमाणन निकाय इसके द्वारा प्रमाणित प्रचालकों की समीक्षा के अनुपात में तथा प्रमाणन प्रक्रिया के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए प्रमाणन के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में योग्य कार्मिकों को नियुक्त करेगा।

iv. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल उनके कार्मिक प्रचालन के अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।

v. निरीक्षकों को प्रचालन के उनके क्षेत्र को शामिल करते हुए वार्षिक रूप से कम से कम एक बाह्य(External) प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन हाउस प्रशिक्षण के अलावा) सफलतापूर्वक अवश्य पूरा करना चाहिए।

vi दो वर्ष से कम के अनुभव वाले प्रशिक्षु निरीक्षकों को दो वर्षों के पूरा होने पर स्वतंत्र रूप से निरीक्षण करने के पूर्व वार्षिक रूप से कम से कम दो प्रशिक्षण और 2 सांकेतिक निरीक्षण (Shadow inspection) अवश्य पूरा करना चाहिए।

vii. सभी प्रमाणन समीक्षा कार्मिक के पास प्रमाणन समीक्षा से संबंधित कम से कम दो वर्षों की विशेषज्ञता और अनुभव अवश्य होना चाहिए।

viii. स्वतंत्र लेखकों और परामर्शदाताओं को कई प्रमाणन निकायों के साथ उनकी सहभागिता के कारण संभावित हित संघर्ष को रोकने के लिए इस प्रमाणन कार्यक्रम से बाहर रखा जाएगा। तथापि, प्रमाणन निकाय अपने मानव संसाधन की विशेषज्ञता प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा तकनीकी मार्गदर्शन के लिए उपयोग कर सकता है।

4.2.7. उप-संविदा

i. प्रमाणन निकाय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी प्रमाणन कार्यकलाप को किसी अन्य प्रमाणन निकाय को आउटसोर्स नहीं करेगा अथवा उप-संविदा पर नहीं देगा।

ii. प्रमाणन निकाय परामर्श से संबंधित किसी प्रकार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा।

4.2.8. सक्षमता

i. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रबंधन और प्रमाणन कार्यक्रम से संबंधित सभी कार्मिक इसके प्रमाणन कार्यक्रम को तैयार करने और इसे कार्यान्वित करने में पेशेवर सक्षमता प्रदर्शित करेंगे।

ii. प्रमाणन निकाय अपने गुणवत्ता और प्रचालन नियमावली(Manual) में जैविक प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप मौलिक न्यूनतम योग्यता का उल्लेख करेगा।

iii. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल कार्मिक अपेक्षित सक्षमता धारित करते हैं।

iv. प्रमाणन निकाय प्रमाणन प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों के लिए नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाएगा और इसे स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण के उद्देश्य का उल्लेख करना चाहिए।

v. प्रमाणन निकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन भी करेगा।

vi. प्रमाणन निकाय सभी कार्मिकों जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन का निरीक्षण, प्रमाणन समीक्षा करते हैं और उससे संबद्ध हैं, के लिए वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा करेगा ।

vii. प्रमाणन निकाय प्रत्येक निरीक्षक के लिए आवधिक रूप से (दो वर्ष में कम से कम एक बार) और प्रशिक्षार्थी निरीक्षकों के लिए (दो वर्ष से कम अनुभव वाले) एक वर्ष में कम से कम दो बार साक्ष्य/अप्रत्यक्ष निरीक्षण करेगा और ऐसे निरीक्षणों का पूरा अभिलेख प्रमाणन निकाय द्वारा रखा जाएगा।

4.2.9. निष्पक्षता

i. प्रमाणन निकाय और प्रमाणन कार्यक्रम में शामिल सभी व्यक्ति निष्पक्ष होंगे।

ii. प्रचालकों का निरीक्षण और प्रचालन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निर्दिष्ट संगत कारकों का एक वस्तुपरक मूल्यांकन पर आधारित होगा।

iii. यह किसी वाणिज्यिक, वित्तीय और अन्य दबावों से स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा, जो प्रमाणन प्रक्रिया के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

iv. यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणन के संबंध में निर्णय उन व्यक्तियों द्वारा लिया जाता है जो प्रचालकों का निरीक्षण और मूल्यांकन नहीं करते हैं।

4.2.10. गैर-भेदभाव

प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि इसकी नीतियां और कार्य-विधियां भेदभाव रहित आधार पर बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं तथा समुदाय, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

4.2.11 स्वतंत्रता

प्रमाणन निकाय की इसके नियमावली(Manual) में इसे निहित स्वार्थ अथवा अन्य प्रकार से अनुचित प्रभाव के बिना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होने में सक्षम बनाने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित नीति और कार्य-विधियां होंगी।

4.2.12. गोपनीयता

i. प्रमाणन निकाय के पास इसके संगठन के सभी स्तरों पर जिसमें समितियां और बाहरी निकाय अथवा उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, इसके प्रमाणन कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सूचना की गोपनीयता की रक्षा करने के लिए लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी।

ii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में यथा अपेक्षित अथवा कानून के द्वारा यथा-अपेक्षित सूचना को छोड़कर, किसी विशेष उत्पाद अथवा प्रचालक के बारे में प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान संग्रह की गई सूचना किसी तीसरे पक्षकार को ऐसे प्रचालक की लिखित अनुमति के बिना नहीं बताई जाएगी। जहां कानून में किसी तीसरे पक्षकार को बताए जाने के लिए सूचना अपेक्षित हो, प्रमाणन निकाय ऐसी आवश्यकता के बारे में प्रश्नगत प्रचालक को सूचित करेगा।

4.2.13. हित संघर्ष (Conflict of interest)

i. प्रमाणन कार्यक्रम में, प्रमाणन निकाय इसके वरिष्ठ प्रबंधन और उसमें शामिल इसके सभी कार्मिकों का कोई हित संघर्ष नहीं होना चाहिए।

ii. इसके प्रमाणन कार्यक्रम के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल प्रमाणन निकाय के कार्मिक, प्रमाणन निकाय को लिखित रूप में यह घोषणा करेंगे कि उनका राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित किसी प्रचालक के साथ कोई भी व्यक्तिगत अथवा पेशेगत संबंध नहीं है।

iii. संभावित हित संघर्ष वाले सभी कार्मिक को सभी तरीके से प्रमाणन कार्यक्रम में भाग लेने से बाहर किया जाएगा।

iv. प्रमाणन निकाय, प्रमाणन कार्यक्रम में ऐसे किसी कार्मिक को प्रमाणन निकाय में नियुक्ति की तिथि से कम से कम दो वर्ष पूर्व हित संघर्ष होने पर शामिल नहीं करेगा।

v. प्रमाणन निकाय ऐसा कोई उत्पाद अथवा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराएगा जो इसके प्रमाणन कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा, गोपनीयता और/अथवा कार्यान्वियन से समझौता कर सकता है।

vi. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि इसके किसी भी संबंधित कंपनी अथवा पक्षकार का कार्य (यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार) इसके प्रमाणन के कार्यान्वियन को प्रभावित नहीं करता।

vii. प्रमाणन निकाय प्रचालकों को कोई शुल्क परामर्शदाता सेवाएं उपलब्ध नहीं कराएगा। यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निर्धारित मानकों के संबंध में प्रचालकों को सूचना उपलब्ध करा सकता है।

viii. प्रमाणन निकाय के कार्मिक इस उपबंध का पालन करने के संबंध में एक वार्षिक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

ix. यदि, कोई हित संघर्ष देखा जाता है तब प्रमाणन निकाय को कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि क्यों ऐसे प्रमाणन निकाय के प्रत्यायन को वापस नहीं लिया जाए। ऐसे प्रमाणन निकाय से उत्तर प्राप्त होने के बाद और ऐसे प्रमाणन निकाय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद (यदि उसकी मांग प्रमाणन निकाय द्वारा की गई हो), ऐसे प्रमाणन निकाय का प्रत्यायन एनएबी द्वारा कारण सहित आदेश के द्वारा वापस लिया जाएगा। ऐसा प्रमाणन निकाय हित संघर्ष के समाधान से दो वर्षों की अवधि के बाद पुन: आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, निर्धारित जुर्माना भी राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित जुर्माने के अनुसार लगाया जा सकता है।

x. एक आवेदक निकाय लिखित रूप में यह घोषणा करेगा कि इसका वरिष्ठ प्रबंधन, निदेशक और/अथवा कार्मिक का कोई हित संघर्ष नहीं है। यदि हित संघर्ष देखा जाता है तब आवेदन लिखित रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक निकाय हित संघर्ष का समाधान होने से दो वर्षों की अवधि के बाद पुन: आवेदन कर सकता है।

4.2.14 विश्वसनीयता

प्रमाणन निकाय की यह सुनिश्चित करने की कार्यविधियां होंगी कि प्रचालक को दिया गया प्रमाणन और प्रमाणन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दुरुपयोग नहीं हुआ है।

4.2.15. जवाबदेही और जिम्मेदारी

i. प्रमाणन निकाय का प्रबंधन और कार्मिक प्रमाणन कार्यक्रम में अपने कार्यों के निर्वहन में अपनी कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह होंगे।

ii. प्रमाणन निकाय अपने प्रमाणन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपने प्रबंधन, कार्मिक और उप-ठेकेदारों द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा।

4.2.16. प्रलेखन और प्रलेख नियंत्रण

i. प्रमाणन निकाय निम्नलिखित प्रलेखों (भौतिक और इलैक्ट्रानिक, दोनों रूपों में) का संधारण करेगा:

क. इस प्राधिकार के बारे में सूचना, जिसके अंतर्गत प्रमाणन निकाय अपने कार्यकलाप कर रहा है।

ख. प्रमाणन देने, उसका संधारण करने, विस्तार करने, उसके स्थगन और वापस करने के लिए नीतियों और कार्य-विधियों सहित इसके प्रमाणन कार्यक्रम का एक प्रलेखित विवरण।

ग. प्रमाणन की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में निरीक्षण और मूल्यांकन कार्य-विधियों और प्रमाणन प्रक्रिया के बारे में सूचना।

घ. उस साधन का विवरण जिसके द्वारा प्रमाणन निकाय प्रमाणित किए जाने के इच्छुक प्रचालकों से लिए गए शुल्क के संबंध में आम सूचना और वित्तीय सहायता प्राप्त करता है।

ड. शिकायतों, अपीलों और विवादों का प्रबंधन करने के लिए कार्य-विधियों के बारे में सूचना।

च. प्रमाणित उत्पादों की एक निदेशिका।

छ. कोई अन्य सूचना, जिसे संगत माना गया हो।

ii. प्रमाणन निकाय ऐसे सभी प्रलेखों और आंकड़ों के सृजन और नियंत्रण के लिए नीतियां और कार्य-विधियां स्थापित और संधारण करेगा जो उसके

प्रमाणन कार्यक्रम से संबंधित हो। ये प्रलेख मूल्यांकन समिति को उनके दौरे के दौरान उपलब्ध होंगे। मूल्यांकन समिति के पास यह अधिकार होगा कि वह अपनी फीडबैक और सिफारिशें प्रमाणन निकाय को आवश्यकता पड़ने पर प्रलेखों के बेहतर संधारण के लिए दे।

iii. प्रमाणन निकाय सभी प्रलेख के नियंत्रण के लिए प्रमाणन प्रणाली से संबंधित प्रणाली का अनुरक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि:

क. संगत प्रलेख की नवीनतम प्रति उपलब्ध है।

ख. इन प्रलेखों में सभी संशोधन अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं।

ग. सभी रूपांतरण इस तरीके से किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

घ. अप्रचलित प्रलेखों को उपयोग से हटा दिया जाता है।

ड. सभी प्रमाणित प्रचालकों को इन परिवर्तनों के बारे में सूचना दी जाती हो।

च. प्रलेखों को फिर से जारी किया जाएगा जब ठोस संशोधन किए गए हों।

छ. जारी करने की संबंधित तिथि के साथ सभी उपयुक्त प्रलेखों की एक पंजी संधारित की जाएगी।

iv. प्रशिक्षण के संबंध में सूचना का प्रलेखन मूल्यांकन समिति द्वारा निरीक्षण के लिए रखा जाएगा।

4.2.17. वार्षिक रिपोर्ट

प्रमाणन निकाय से यह अपेक्षित होगा कि वह आगामी वर्ष के 31 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष एपीडा- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम सचिवालय को निर्धारित प्रपत्र में (निर्धारित और समय समय पर एपीडा द्वारा अद्यतित किए गए अनुसार) कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) की प्रमाणन कार्यकलापों के सभी ब्यौरों को शामिल करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट बनाएगा और उसे प्रस्तुत करेगा।

4.2.18 आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा

i. प्रमाणन निकाय प्रमाणन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए एक नियोजित और व्यवस्थित तरीके से वार्षिक आधार पर आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा करेगा।

ii. आंतरिक लेखा परीक्षा में अप्रत्यक्ष लेखा परीक्षण/साक्ष्य निरीक्षणों के परिणाम सहित निरीक्षण स्टॉफ का मूल्यांकन शामिल होगा।

iii. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि:

क. सक्षमता लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी कार्मिक(कों) को ऐसे लेखा परीक्षण के परिणाम के बारे में सूचना दी जाती है;

ख. सुधारात्मक कार्यवाही समय पर और उपयुक्त तरीके से की जाती है; और

ग. लेखा परीक्षण के परिणाम प्रलेखित किए जाते हैं।

iv. प्रमाणन निकाय का प्रबंधन प्रमाणन कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से उसकी गुणवत्ता प्रणाली की समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षाओं को प्रलेखित किया जाएगा।

4.2.19. सार्वजनिक सूचना

i. प्रमाणन निकाय इसके प्रमाणन के क्षेत्र और इसकी प्रत्यायन स्थिति के बारे में आम जनता को सक्रिय रूप से सूचना देगा;

ii. प्रमाणन निकाय निम्नलिखित का प्रकटन सुनिश्चित करेगा:

क. प्रमाणन निकायों का मानक और सामान्य विवरण;

ख. उत्पादक समूह (Grower Group) के अन्तर्गत किसानों का विवरण और इसके प्रमाणित प्रचालकों की अद्यतित सूची, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

iii. पिता/पति के नाम के साथ किसान का पूरा नाम,

iv. पिन कोड(स्थान) के साथ पता

v. उपजाई गई फसल और/अथवा उत्पाद का विवरण, जो भी लागू हो;

vi. खेत की अवस्थिति;

vii. खेत के आकार का विवरण;

viii. जैविक स्थिति;

ix. अन्य ब्यौरे और सूचना, जिसे समय समय पर निर्धारित किया जाए, आदि

क. इस प्रकार की सूचना नियमित अंतरालों पर समय समय पर अद्यतित की जाएगी और इसे सार्वजनिक जानकारी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और संबंधित प्रमाणन निकाय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा तथा उत्पादक समूहों (Grower Groups) के संबंध में भी उनके आईसीएस कार्यालय में दर्शाया जाएगा। यह सूचना संबंधित स्टेकहोल्डरों, सरकारी (केन्द्र/राज्य) एजेंसियों को जैविक उत्पादन से संबंधित उनकी योजनाओं और सत्यापन के उद्देश्यों आदि से सहज रूप में पहुंच योग्य बनाया जाएगा।

x. एपीडा-राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम सचिवालय ऐसी सूचना जैविक प्रमाणन पद्धति की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियामक आवश्यकताओं के आधार पर समय समय पर मांग सकता है।

4.3 प्रत्यायन की प्रक्रिया

4.3.1 प्रत्यायन के लिए आवेदन

i. कोई भी संगठन (जिसे आगे "आवेदक निकाय" कहा गया है) जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रमाणन निकाय के रूप में प्रत्यायन की मांग करना चाहता है, सचिवालय (एपीडा) को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अन्तर्गत यथा-निर्धारित सभी अपेक्षित विवरणों, प्रलेखों और लागू शुल्कों और समय समय पर यथा-अधिसूचित इसकी प्रक्रियाओं के साथ आवेदन करेगा।

ii. आवेदन और प्रलेख के प्राप्त होने पर, सचिवालय (एपीडा) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यायन मानदंडों और/सूचना/प्रलेखों के आधार पर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रमाणन निकाय के रूप में प्रत्यायन हेतु आवेदक निकाय की पात्रता का आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारण करेगा।

iii. आवेदक को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम तथा समय समय पर अधिसूचित कार्य-विधियों के क्रमश: विनियमन 4.2 और 4.3.2 में निर्धारित प्रत्यायन मानदंडों और पात्रता मानदंडों को अवश्य पूरा करना चाहिए।

iv. आवेदन का प्रपत्र, अपेक्षित प्रलेख और विवरण राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम तथा समय समय पर यथा-अधिसूचित कार्य-विधियों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है।

4.3.2 पात्रता मापदंड

i. आवेदक निकाय तीन वर्षों के प्रचालन के साथ लागू कानून के अन्तर्गत पंजीकृत एक कानूनी इकाई होना चाहिए।

ii. इसका प्रचालन के देश में एक स्थापित पंजीकृत कार्यालय हो।

iii. प्रबंधन के प्राधिकारियों के साथ एक परिभाषित और कार्यात्मक संगठनात्मक ढांचा, भूमिकाओं और उत्तरदायित्व होना चाहिए।

iv. देयताओं को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो।

v. पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति [तुलन पत्र (Balanace sheet), आयकर विवरण (ITR) आदि]।

vi प्रमाणन कार्यक्रम के प्रचालन और कार्यान्वियन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित और कार्यात्मक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली।

vii. विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों के लिए प्रमाणन के क्षेत्र में इसके कार्यकलापों का विवरण।

viii. अपनी भूमिकाओं और कार्यों को प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर निर्वहन करने के लिए योग्य और अनुभव कार्मिक।

ix. इकाई और उसके कार्मिक हित के टकराव (Conflict of interest) से मुक्त होने चाहिए।

आवेदक निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि वह प्रत्यायन के लिए आवेदन करने के पूर्व पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हों।

4.3.3. आवेदन का मूल्यांकन

i. आवेदक निकाय द्वारा प्रस्तुत आवेदन और प्रलेख की संवीक्षा (scrutiny) प्रत्यायन मापदंडों की पूर्ति के लिए की जाएगी। आवेदन की समीक्षा में प्रथमदृष्टया और तकनीकी समीक्षा शामिल होगी। इसके बाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक मूल्यांकन समिति द्वारा भौतिक मूल्यांकन/ऑनसाइट लेखा परीक्षण किया जाएगा।

ii. आवेदक निकाय की भौतिक मूल्यांकन/ऑनलाइन लेखा परीक्षण में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षाओं का इसके अनुपालन का निर्धारिण करने के लिए कार्यालय का लेखा परीक्षण और साक्ष्य लेखा परीक्षण शामिल होगा।

iii. ऑनसाइट लेखा परीक्षण में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, इसके कार्मिकों की सक्षमता और कौशल समुच्चय, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यायन मापदंडों की पूर्ति, निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया और लेखा परीक्षा के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य अपेक्षा का मूल्यांकन शामिल होगा।

iv. साक्ष्य लेखा परीक्षा आवेदक निकाय के निरीक्षक की लेखा परीक्षा कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा।

v. आवेदक निकाय द्वारा मूल्यांकन समिति द्वारा बताई गई विषमताओं के विरुद्ध की गई ऑनसाइट लेखा परीक्षण और सुधारात्मक कार्यवाही की टिप्पणियां एपीडा को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में तथा कार्य-विधि, 2024 में निर्धारित समय अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

vi एपीडा आवेदक निकाय द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और विषमताओं को सफलतापूर्वक दूर करने के बाद, एपीडा एनएबी द्वारा समीक्षा के लिए एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा।

vii. आवेदक निकाय की मूल्यांकन रिपोर्ट एनएबी के समक्ष आवेदक निकाय को प्रत्यायन की स्वीकृति देने संबंधी निर्णय और समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रत्यायन की विस्तृत कार्यविधियों का निर्धारण एनएबी द्वारा समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्यविधि, 2024 के अन्तर्गत किया गया है।

4.3.4. प्रत्यायन की स्वीकृति

एनएबी द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा प्रत्यायन हेतु श्रेणियों के संबंध में आवेदक निकाय के एक प्रमाणन निकाय के रूप में प्रत्यायन के लिए निर्णय किया जाएगा जिसके लिए यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सक्षम और योग्य है।

4.3.5. प्रत्यायन संविदा

i. मान्यता प्रदान करने के लिए एनएबी के निर्णय की सूचना मिलने पर प्रमाणन निकाय एक प्रत्यायन संविदा और आचरण संविदा पर हस्ताक्षर करेगा। प्रमाणन निकाय एनएबी द्वारा निर्धारित राशि के लिए एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमुख विसंगतियों और जान-बूझकर किए गए उल्लंघन के मामले में, एनएबी द्वारा लिखित रूप में दिए गए निदेश के अनुसार उस राशि की कटौती चूक करने वाले प्रमाणन निकाय को एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद बैंक गारंटी से की जाएगी।

ii. प्रमाणन निकाय एपीडा को वार्षिक रूप से प्रचालकों पर लगाए जाने वाले शुल्क का ढांचा भी प्रस्तुत करेगा और विभिन्न कार्यकलापों के लिए किसी बदलाव के मामले में इसे उनकी वेबसाइट और कार्यालय की साइट पर प्रमुख रूप से दर्शाया जाएगा।

4.3.6 प्रत्यायन का प्रमाण-पत्र

i. प्रमाणन निकाय से विधिवत किए गए प्रत्यायन संविदा, आचार संहिता, बैंक गारंटी और शुल्क ढांचा के प्राप्त होने पर, एनएबी की ओर से एपीडा प्रत्यायन की श्रेणियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रमाण-पत्र के जारी होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध प्रमाणन निकाय को प्रत्यायन का प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

ii. प्रमाणन निकाय अपने सभी प्रमाण-पत्रों और अनुमोदित लेबलों पर प्रत्यायन संख्या दर्शाना सुनिश्चित करेगा। दिए गए प्रत्यायन का नवीकरण भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार किया जा सकता है।

4.3.7. ट्रेसनेट

सभी प्रमाणन निकायों और प्रचालकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे एपीडा की ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन कौशल जिसे "ट्रेसनेट" का जाता है, के माध्यम से कार्य करेंगे, यह सुविधा एपीडा द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

4.3.8. प्रमाणन निकायों का वार्षिक आवेक्षण(survillance) और समीक्षा मूल्यांकन

भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रमाणन निकाय का मूल्यांकन समिति द्वारा एक वार्षिक मूल्यांकन/आकलन प्रक्रिया होगी।

4.3.9. अघोषित मूल्यांकन दौरे

वार्षिक आवेक्षण दौरे के अलावा, प्रत्यायन की अवधि के दौरान भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के सचिवालय द्वारा प्रमाणन निकाय के कार्यालय अथवा प्रचालकों में से किसी प्रचालक के परिसरों/क्षेत्रों के दो अघोषित मूल्यांकन दौरे आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त अघोषित निरीक्षण भी उन परिस्थितियों में किए जा सकते हैं यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है और उसकी जांच एनएबी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार की जा सकती है।

4.3.10. प्रत्यायन का नवीकरण

i. प्रमाणन निकाय इसके प्रत्यायन के समाप्त होने की तिथि से तीन महीने पूर्व

एपीडा को निर्धारित शुल्क के साथ उसके भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम प्रत्यायन का नवीकरण के लिए लिखित रूप में आवेदन करेगा।

ii. आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्यायन का विस्तार भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए एनएबी द्वारा मूल्यांकन के अध्यधीन किया जाएगा।

iii. ईसी द्वारा सूचित प्रमाणन कार्यक्रम में बार बार प्रमुख विषमताओं को पाए जाने की स्थिति में, एनएबी के पास यह अधिकार होगा कि वह प्रमाणन के क्षेत्र, क्षेत्राधिकार को कम करे अथवा प्रत्यायन की वैधता अवधि कम करे अथवा प्रत्यायन का नवीकरण ऐसे प्रमाणन निकाय को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के बाद और लिखित रूप में कारणों का उल्लेख करने के साथ अस्वीकार करे।

4.4 निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया

जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मापदंड (अध्याय 3) और भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्य-विधि, 2024 (समय समय पर संशोधित) के साथ इस अध्याय में उल्लिखित प्रक्रिया उन अपेक्षाओं को अच्छादित करती है जिन्हें इस अध्याय के अन्तर्गत प्रचालकों के प्रमाणन के लिए भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणन निकायों द्वारा पूरा किया जाना है। प्रमाणन निकाय इन कार्य-विधियों के व्यवहारिक प्रयोग में उच्च मात्रा की सक्षमता, निरंतरता और प्रभावित दर्शाएगा जिसे प्रमाणन निकाय के ऑपरेटिंग नियमावली(Manual) में शामिल किया जाएगा।

4.4.1. निरीक्षण

प्रमाणन निकाय आईएसओ 19011 और समय समय पर यथा-संशोधित भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्यविधि, 2024 के अनुसार मानक निरीक्षण कार्य-विधियों का अनुसरण करेगा।

4.4.1.1 निरीक्षण की पद्धति और बारंबारता (Frequency)

i. प्रमाणन निकाय के पास निरीक्षण की पद्धतियों और बारंबारता के संबंध में निर्धारित नीति और कार्य-विधि होगी जिसका निर्धारण अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित से किया जाएगा:

क. उत्पादन की गहनता (Intensity)

ख. उत्पादन का प्रकार

ग. प्रचालन का आकार

घ. पूर्व में किए गए निरीक्षण का परिणाम और प्रचालक का अनुपालन का रिकॉर्ड

ङ भारतीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त कोई शिकायत

च. क्या इकाई अथवा प्रचालक केवल प्रमाणित उत्पादन में कार्यरत है?

छ. संदूषण और प्रवृत्त जोखिम

ज. उत्पादन की जटिलता

ii. निरीक्षणों के लिए विस्तृत पद्धति का उल्लेख समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्यविधि 2024 में किया गया है।

iii. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अनुसार निरीक्षण की आवश्यकताओं और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्य-विधि, 2024 (समय समय पर संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अनुसार कार्य-विधि का पालन विभिन्न प्रचालनों जैसे उत्पादन, अत्यधिक संग्रहण, प्रसाधन, संचालन, आदि और उत्पादक समूह (Grower Group) के निरीक्षण के लिए किया जाएगा।

क. घोषित वार्षिक निरीक्षण

i. प्रचालकों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार होगा। इसमें सभी सुविधाओं/इकाईयों या तो वे प्रचालक के स्वामित्व में हों अथवा उनके द्वारा संविदा पर लिए गए हों, का निरीक्षण शामिल होगा।

ii. निरीक्षणों का समय इतना नियमित नहीं होगा जिससे कि यह पूर्व में ही पता चल जाए।

iii. वार्षिक निरीक्षणों के अलावा, अतिरिक्त और अघोषित निरीक्षण प्रमाणन निकाय द्वारा जोखिम आकलन के आधार पर किया जाएगा। प्रमाणन निकाय के पास अतिरिक्त और अघोषित निरीक्षण के लिए निर्धारित नीति और कार्यविधि तथा मापदंड होंगे।

ख. अतिरिक्त निरीक्षण

प्रमाणन निकाय प्रचालकों के जोखिम आकलन के आधार पर वर्ष में कम से कम 10% अतिरिक्त निरीक्षण करेगा।

ग. अघोषित निरीक्षण

i. प्रमाणन निकाय वार्षिक निरीक्षण (100%) और 10% अतिरिक्त निरीक्षणों के अलावा, जोखिम आकलन के आधार पर कम से कम 10% अघोषित निरीक्षण

(वार्षिक और अतिरिक्त निरीक्षणों का कुल) करेगा।

ii. अघोषित निरीक्षणों के लिए प्रचालकों का चयन वार्षिक आधार पर प्रमाणन निकाय द्वारा किए जाने वाले जोखिम विश्लेषण पर आधारित होगा।

घ. उत्पादक समूह (Grower Group) का निरीक्षण

उत्पादक समूह के निरीक्षण की प्रक्रिया राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निर्धारित मापदंडों के अनुसार अध्याय 5 में निर्धारित है।

4.4.1.2. जोखिम आकलन

i. प्रमाणन निकाय के पास कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए उसके पंजीकृत प्रचालकों की जैविक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने के लिए जोखिम आकलन की प्रलेखित कार्य-विधि होगी। इसमें कपटपूर्ण कार्यकलाप का जोखिम और गैर-जैविक उत्पादकों को जैविक उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने का जोखिम शामिल होना चाहिए।

ii. जोखिम आकलन की कार्य-विधि में उच्च, मध्य अथवा निम्न के रूप में जोखिम श्रेणी का निर्धारण करने के लिए मापदंड शामिल होंगे ।

iii. प्रचालकों का चयन जोखिम आकलन तथा जोखिम के पहचान किए गए स्तर पर आधारित होगा और इसमें कार्यकलाप के सभी क्षेत्र शामिल होंगे।

iv. इसके पंजीकृत प्रचालकों के लिए किया गया जोखिम आकलन प्रलेखित होगा और यह प्रमाणन निकाय के पास सत्यापन के लिए उपलब्ध होगा।

4.4.1.3. विश्लेषण और शेष परीक्षण

इस विषय पर एपीडा- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम सचिवालय द्वारा जारी सलाह/ निदेशों के अलावा:

i. प्रमाणन निकायों के पास शेष परीक्षण, आनुवांशिक परीक्षण और अन्य विश्लेषण के संबंध में प्रलेखित नीतियां और कार्य-विधियां होंगी।

ii. इन नीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अवश्य शामिल होना चाहिए:

क. उन मामलों की पहचान, जिनमें नमूने जैविक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने से जोखिम के सामान्य मूल्यांकन पर आधारित विश्लेषण के लिए लिया जाएगा।

ख. सामान्य विश्लेषण में उत्पादन के सभी चरणों, प्रसंस्करण और अभिरक्षा की श्रृंखला पर विचार किया जाएगा।

ग. प्रमाणन निकाय की फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों में जोखिम आधारित नमूना के लिए कार्य-विधियां होंगी।

घ. इसके अलावा, प्रमाणन निकाय के पास परीक्षण तक नमूना लेने के बाद और नमूना लेने के दौरान नमूने की संदूषण से बचने के लिए पर्याप्त नमूने लेने के बाद की कार्य-विधियां और उपाय होंगे।

iii. प्रमाणन निकाय जैविक प्रक्रियाओं में अनाधिकृत पदार्थों की मौजूदगी की पहचान करने के लिए नमूने लेगा और उसका विश्लेषण करेगा। प्रमाणन निकाय द्वारा प्रति वर्ष लिए जाने वाले और विश्लेषण किए जाने वाले नमूनों की संख्या इसके नियंत्रण के अधीन प्रचालकों की कुल संख्या का कम से कम 5% होगा। इसके अतिरिक्त, जैविक प्रक्रिया में अनधिकृत पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रत्येक उत्पादक समूह के न्यूनतम 2% किसानों के नमूनों का भी विश्लेषण किया जाएगा।

iv. प्रमाणन निकाय इस विनियम के अन्तर्गत अपेक्षित 5% अनिवार्य परीक्षण के लिए विश्लेषण और शेष परीक्षण की लागत का वहन करेगा।

v. प्रमाणन निकाय प्रत्येक मामले में नमूने लेगा और उसका विश्लेषण करेगा, जहां जैविक उत्पादन के लिए अधिकृत न किए गए उत्पादों अथवा तकनीकों का उपयोग संदिग्ध है। ऐसे मामलों में, 5% के अलावा नमूने लिए जाएंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा।

vi विश्लेषण और परीक्षण के लिए नमूने बफर जोन से लिए जाएंगे जहां संदूषण के जोखिम का निर्धारण किया जाता है।

vii. परीक्षण आईएसओ 17025 प्रमाणित और एपीडा से मान्यता प्राप्त जैविक उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में किया जाएगा।

viii. परीक्षण में आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के अनुसार और समय समय पर यथा-अधिसूचित प्रयोगशाला विश्लेषणों में अनाधिकृत सामग्रियों का अपेक्षित दायरा शामिल होना चाहिए।

ix. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षण उन प्रयोगशालाओं में किया जाता है जो उस समग्र दायरे के लिए प्रत्यायित हैं।

x. निर्यात खेप के लिए, परीक्षण मापदंडों को आयात करने वाले देश की

आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

xi. यदि अपेक्षित हो, तब अतिरिक्त परीक्षण एपीडा द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयात करने वाले देशों से शिकायतों अथवा जोखिम के आधार पर किया जाएगा।

xii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक उत्पादों का विश्लेषण और परीक्षण करने के लिए तृतीय पक्षकार के नमूने लिए जाएंगे।

xiii. नमूने प्रशिक्षित प्रयोगशाला कार्मिक/प्रमाणन निकाय निरीक्षक द्वारा लिए जाने चाहिएं।

4.4.1.4. फार्मों का समानांतर उत्पादन का निरीक्षण

यदि कोई फार्म समानांतर उत्पादन में कार्यरत है तब प्रमाणन निकाय अपनी नीति और कार्य-विधियों के माध्यम से आंशिक रूपांतरण के लिए आवश्यकताओं के अलावा निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

i. बफर जोन का सीमांकन के लिए संधारण किया जाता है।

ii. फसल दृश्य रूप से विशिष्ट हैं।

iii. निरीक्षण फसल चक्र के महत्वपूर्ण चरण में किया जाता है।

iv. निरीक्षण क्षेत्र चक्र के भीतर समय पर किया जाता है।

v. परीक्षण वहां किया जाना है, जहां क्रॉस संदूषण के जोखिम की पहचान कर ली गई है।

vi. विश्लेषण और परीक्षण के लिए नमूने बफर जोन से लिए जाने चाहिए जहां संदूषण का जोखिम निर्धारित किया जाता है।

vii. सटीक उत्पादन अनुमान उपलब्ध हैं।

viii. फसलों की कटाई इस तरह से की जाती है कि संबंधित फसल की वास्तविक कटाई का सत्यापन करने के लिए विश्वसनीय पद्धतियां हैं।

ix. उपयुक्त भंडारण क्षमता अलग प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है।

x. उत्पादन के संबंध में प्रलेखन का प्रबंधन अच्छे तरीके से किया जाता है और यह प्रमाणित और गैर-प्रमाणित उत्पादन के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाता है।

इस प्रकार की प्रणाली का अनुमोदन प्रचालक के प्रत्येक अलग अलग प्रचालन के लिए प्रमाणन निकाय द्वारा किया जाएगा।

4.4.1.5. पैक किए गए उत्पादों का निरीक्षण

मानक परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रत्यायित प्रमाणन निकाय पर यह दायित्व नहीं है कि उनके पास उन उत्पादों के निरीक्षण के लिए एक प्रणाली हो जिन्हें आगे अंतिम उपभोक्ता पैकेज में पैक किए जाने के बाद और/अथवा ट्रांजेक्शन प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद आगे प्रबंधित किया जाता है। तथापि, प्रमाणन निकाय का यह दायित्व है कि वे वहां कार्यवाही करें जहां उनके यह विश्वास करने का कारण हो कि मानक का उल्लंघन किया गया है अथवा बाद के चरणों में किया जा सकता है।

4.4.1.6. भंडारण सुविधाओं का निरीक्षण

उत्पाद, पैकिंग, प्रचलित भंडारण कार्य-पद्धतियां और भंडारण के समय पर निर्भर करते हुए, निरीक्षण अपेक्षित होगा। प्रमाणन निकाय पोर्ट सुविधाओं सहित सभी भंडारण सुविधाओं के लिए निरीक्षण हेतु भावी आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए जोखिम का आकलन करेगा।

4.4.1.7. परिवहन सुविधाओं का निरीक्षण

इस तरह से परिवहन प्रमाणित नहीं है परंतु यह गोदाम से प्रसंस्करण इकाई अथवा प्रसंस्करण इकाई से गोदाम तक किसी उत्पाद की ढुलाई सहित ढुलाई के दौरान उत्पाद के स्वामी प्रचालक के उत्तरदायित्व के अधीन है।

4.4.1.8. अभिरक्षा की श्रृंखला का निरीक्षण

प्रमाणन निकाय तब तक अपना प्रमाणन चिन्ह का उपयोग करने के लिए कोई लाइसेंस अथवा किसी उत्पाद के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा जब तक कि यह उत्पाद की अभिरक्षा की श्रृंखला से आश्वस्त नहीं हो जाता है, जहां उत्पादन श्रृंखला में कदमों को राष्ट्रीय उत्पादन मानक के अनुसार राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्ग अन्य प्रमाणन निकायों द्वारा प्रमाणित नहीं किए गए हैं।

4.4.1.9. आनुवांशिक रूप से बनाए गए उत्पादों के उपयोग की पहचान के लिए निरीक्षण

प्रमाणन निकाय आनुवांशिक रूप से बनाए गए उत्पादों के संभावित उपयोग के लिए निरीक्षण की एक प्रणाली लागू करेगा। जब ऐसे उत्पादों के उपयोग की पहचान किसी चरण में की जाती है तब प्रमाणन नहीं दिया जाएगा।

जब आनुवांशिक रूप से बनाए गए उत्पादों के संदूषण का कोई खतरा हो तब निम्नलिखित नमूनों का परीक्षण पहचान किए गए एपीडा से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया

जाएगा।

i. बीज और पौधा भंडार

ii. उत्पादन इनपुट्स

iii. पशु चारा

iv. प्रसंस्करण सहायक सामग्री

v. सामग्री

4.4.2. प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणन

प्रमाणन प्रणाली किसी प्रमाणित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रचालन की श्रृंखला में शामिल सभी पक्षकारों के स्पष्ट उत्तरदायित्व के साथ लिखित करारों पर आधारित होगी।

प्रमाणित प्रचालक प्रमाणन निकाय के साथ संविदा/करार पर हस्ताक्षर करेंगे जिसके कारण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का दायित्व उन पर होगा:

i. प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों और अन्य प्रकाशित आवश्यकताओं का पालन करना।

ii. निरीक्षणों को स्वीकार करना।

iii. सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराना।

iv. किसी परिवर्तनों के बारे में प्रमाणन निकाय को सूचित करना।

v. आंकड़े प्रस्तुत करने, विसंगतियों के अनुपालन और अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं आदि सहित प्रमाणन के लिए समय सीमा का पालन करना।

4.4.2.1. उत्पादकों का प्रमाणन

i. अध्याय 1 के परिभाषा खंड 62 में परिभाषित अनुसार, उत्पादक का अर्थ जैविक खेती करने वाला एक व्यक्तिगत किसान या किसानों का समूह/ व्यावसायिक उद्यम होगा। एक व्यक्तिगत किसान फसल उत्पादन के स्कोप के लिए एनपीओपी के तहत प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणित हो सकता है और उक्त स्कोप प्रमाणपत्र व्यक्तिगत उत्पादक को जारी किया जाएगा। निरीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं का विवरण एनपीओपी प्रक्रिया 2024 में प्रदान किया गया है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

ii. किसान समूह एन.पी.ओ.पी. के अध्याय 5 और एन.पी.ओ.पी. प्रक्रिया 2024 में निर्धारित उत्पादक समूह प्रमाणन की आवश्यकताओं का पालन करते

हुए एकल इकाई (समूह) के रूप में प्रमाणित हो सकता है। इस मामले में, उत्पादक समूह को स्कोप प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

4.4.2.2. प्रमाणन कार्य-विधियां

ये आवश्यकताएं राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम कार्य-विधियां, 2024 (समय समय पर संशोधित) में निर्धारित की गई हैं।

4.4.2.3 पुन:प्रमाणन

i. प्रमाणन निकाय प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि के भीतर राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अन्य प्रमाणन निकाय द्वारा पहले से प्रमाणित उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार इकाईयों के लिए उसी कार्यकलाप को फिर से प्रमाणित नहीं करेगा।

ii. प्रचालक के पास राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग अलग प्रमाणन निकायों के अन्तर्गत कार्यकलाप के उसी क्षेत्र के लिए अनेक प्रमाणन नहीं होंगे।

4.4.2.4. प्रमाणन संबंधी निर्णय

i. प्रमाणन संबंधी निर्णय निरीक्षण और समीक्षा रिपोर्टों की ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद किया जाएगा। यह न केवल प्रचालकों का अनुमोदन को शामिल करेगा बल्कि क्षेत्र का अनुमोदन और प्रमाणित उत्पाद, अनुशासनिक उपाय आदि को भी शामिल किरेगा।

ii. प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि प्रमाणन के संबंध में प्रत्येक निर्णय निरीक्षण और समीक्षा करने वाले व्यक्तियों से अलग लिया जाता है।

iii. जहां प्रमाणन संबंधी निर्णय एक लघु समिति अथवा अधिकारियेां को प्रत्यायोजित किया जाता है, वहां प्रमाणन निकाय उनके कार्यों की समीक्षा करेगा।

4.4.2.5. समाप्त किए गए प्रचालकों का पुन:प्रमाणन

i. उन मामलों में जहां किसी प्रचालक का प्रमाणन समाप्त कर दिया गया है, प्रचालक समाप्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के बाद पुन: प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, उत्पादक को पूर्ण रूपांतरण अवधि (वार्षिक के लिए 2 वर्ष और दीर्घकालिक के लिए 3 वर्ष) से गुजरना होगा ।

ii. ऐसे प्रचालकों को पुन: प्रमाणित करते समय वही अथवा एक अन्य प्रमाणन

निकाय को प्रचालक द्वारा प्रमाणन की आवश्यकताओं का अनुपालन और उसे ध्यानपूर्वक देखना अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

iii. उन प्रचालकों के मामले में जिनमें प्रमाणन दो बार समाप्त किया जा चुका है, ऐसे प्रचालकों को पांच वर्षों के लिए जैविक प्रमाणन से वंचित कर दिया जाएगा।

iv. यदि यह पता चलता है कि प्रचालक/कंपनी, इसके निदेशकों और प्रवर्तकों ने किसी अन्य पहचान से पंजीकृत करने के लिए अपनी पहचान को बदल लिया है, एनएबी द्वारा, जैसा भी उचित समझा जाएगा, कठोर कार्यवाही की जाएगी।

4.4.3. प्रमाणन अभिलेख और रिपोर्ट

4.4.3.1. प्रचालक के साथ संविदा

प्रमाणन निकायों के पास पंजीकृत प्रचालकों के साथ लिखित करार/हस्ताक्षरित संविदा होगी जो उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दायित्व सौंपेगा:

i. प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों और अन्य प्रकाशित आवश्यकताओं का पालन करना।

ii. निरीक्षणों को स्वीकार करना।

iii. सटीक सूचनाएं उपलब्ध कराना।

iv. यदि उन्होंने जैविक प्रमाणन वापस करने का निर्णय लिया तब उनके प्रमाणन निकाय को कार्यक्षेत्र प्रमाण-पत्र के बारे में सूचना देना और उसे सुपुर्द करना।

v. प्रमाणन निकाय को उनके प्रचालनों में इन्हीं परिवर्तनों को अधिसूचित करना।

vi. आंकड़े प्रस्तुत करने, विसंगतियों के अनुपालन और अन्य प्रमाणन आवश्यकताओं आदि सहित प्रमाणन के लिए समय सीमा का पालन करना।

vii. प्रचालक प्रमाणन निकायों को जैविक पद्धति योजना/जैविक उत्पादन और संचालन योजना में किन्हीं परिवर्तनों के बारे में "वास्तविक समय आधार पर" प्रमाणन निकायों को सूचना देगा।

4.4.3.2. प्रचालक फाइल

प्रमाणन निकाय प्रत्येक प्रमाणित प्रचालकों के लिए एक प्रचालक फाइल का संधारण करेगा।

i. प्रचालक फाइल में किसी उप-ठेकेदार और उत्पादक समूह (Grower Group) के सदस्यों सहित प्रमाणित उत्पादन इकाईयों के लिए उपलब्ध संगत आंकड़े होंगे।

ii. ऐसा प्रचालक फाइल को अद्यतित रखा जाएगा और इसमें विगत घटनाओं का तथ्य, उत्पाद विनिर्देश, नक्शे, लेवल का अनुमोदन सहित सभी संगत सूचना होंगी।

iii. निरीक्षण रिपोर्ट और लिखित प्रलेख प्रमाणन निकायों को सक्षम और वस्तुपरक निर्णय लेने के समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक सूचना उपलब्ध कराएगा।

iv. यह फाइल उस तरीके को दर्शाएगा जिसमें प्रत्येक प्रमाणन कार्य-विधि लागू की गई थी जिसमें निरीक्षण रिपोर्ट और की गई अनुशासनिक कार्यवाही का परिणाम शामिल था।

4.4.3.3. अभिलेख

i. प्रमाणन निकाय मौजूदा विनियमों का अनुपालन करने के लिए अभिलेख (डिजिटल/भौतिक) प्रणाली का संधारण करेगा। ये अभिलेख इस तथ्य को प्रदर्शित करेंगे कि प्रमाणन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया है। इन अभिलेखों की पहचान, प्रबंधन और निपटारा इस प्रकार से किया जाएगा जिससे प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित हो सके। अभिलेख प्रणाली का संधारण प्रत्यायन की समग्र अवधि के दौरान की जाएगी।

ii. प्रमाणन निकाय निम्नलिखित का अभिलेख रखेगा:

क. शिकायतें

ख. उल्लंघन

ग. पूर्व उदाहरण

घ. अपवाद

ङ अनुशासनिक कार्यवाही

iii. इसका सामान्य रूप से अभिप्राय यह होगा कि इस प्रकार की सूचना प्रचालक के तथा एक पृथक अभिलेख अथवा प्रमाणन निकाय के डाटा-बेस प्रणाली में पंजीकृत अभिलेख दोनों में उपलब्ध रहेगा।

क. निरीक्षण रिपोर्ट, प्रमाणन संबंधी निर्णय, प्रमाण-पत्र और अन्य संगत अभिलेखों पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।

ख. अभिलेख रखने की प्रणाली पारदर्शी होगी और सूचना को आसानी से फिर से प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

ग. प्रमाणन निकाय जैसे और जब आवश्यकता पड़ेगी, मूल्यांकन समिति द्वारा निरीक्षण के लिए अभिलेख प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

घ. सभी अभिलेखों को सुरक्षित रूप से भंडारित किया जाएगा और उसेपांच वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय रखा जाएगा।

4.4.4. चिह्न और प्रमाण-पत्र

i. प्रमाणन निकाय अपने लाइसेंसों, प्रमाण-पत्रों और प्रमाणन चिह्नों के उपयोग पर उचित नियंत्रण रखेगा। प्रमाणन निकाय निम्नलिखित स्थापित करेगा:

क. अपने चिह्न, प्रत्यायन संख्या, राष्ट्रीय जैविक लोगो अथवा प्रमाणन के अन्य संदर्भों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश विकसित करेगा।

ख. भारत जैविक लोगो के उपयोग की अनुमति इस प्रलेख के अध्याय 7 में संदर्भित इसके उपयोग की शर्तों और नियमों के अध्यधीन होगी।

ग. प्रमाणन प्रणाली का गलत संदर्भ अथवा लाइसेंस, प्रमाण-पत्र, चिह्नों के भ्रामक उपयोग को प्रमाणन निकाय द्वारा उपयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही के द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। यह किसी गैर-प्रमाणित प्रचालकों द्वारा चिह्नों, लाइसेंस अथवा प्रमाण-पत्रों के उपयोग पर भी लागू होगा।

ii. प्रमाणन निकाय के पास संविदाओं, प्रमाण-पत्रों और प्रमाणन चिह्नों को वापस लेने और उसे रद्द करने के लिए प्रलेखित कार्य-विधियां होंगी।

4.4.4.1. कार्यक्षेत्र (Scope) प्रमाण-पत्र

कार्यक्षेत्र (Scope) प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र के अनुसार ट्रेसनेट पर प्रमाणन निकाय द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाएगा।

4.4.4.2. लेन-देन प्रमाण-पत्र (Transaction certificate-TC)

i. प्रमाणन निकाय सभी लेन-देन के लिए लेन-देन प्रमाण-पत्र(टीसी) जारी करेगा।

ii. यह सभी जैविक प्रचालकों जो या तो घरेलू अथवा निर्यात बाजार में जैविक उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं, के लिए यह आवश्यक होगा कि वे लेन-देन प्रमाण-पत्र लें।

iii. लेन-देन प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रचालक द्वारा सभी अपेक्षित प्रलेखों को उपलब्ध कराए जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र में ट्रेसनेट पर जारी किया जाता है। प्रमाणन निकाय इस तथ्य का सत्यापन करने के लिए तर्कसंगत कदम उठाएंगे कि दी गई सूचना सही है और सभी दस्तावेज लेन-देन प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के पूर्व मूल रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

iv. प्रमाणन निकाय सभी दस्तावेजों के प्राप्त होने और इस तथ्य का सत्यापन करने के बाद कि वे सही हैं, लेन-देन प्रमाण-पत्र को जारी करने में विलंब नहीं करेगा, उन्हें निम्न समय सीमा के अनुसार जारी करेगा:

   क. उत्पादक समूह/व्यक्तिगत उत्पादक से व्यापारी/प्रोसेसर को टीसी: 5 कार्य दिवस के अंदर ।

   ख. प्रोसेसर/व्यापारी और प्रोसेसर/ व्यापारी/रिटेलर (घरेलू लेनदेन) के बीच टीसी: 3 कार्य दिवस के अंदर।

   ग. निर्यात टीसी: 7 कार्य दिवस के अंदर ।

v. उपरोक्त समयसीमा पूर्ण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है और उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां जोखिम विश्लेषण (Risk Analysis) के आधार पर भौतिक सत्यापन की आवश्यकता है।

vi. जहां कहीं भी लागू हो, खरीदे गए उत्पाद जिनकी आपूर्ति और प्रमाणन एक अन्य प्रमाणन निकाय द्वारा किया गया है, का मूल लेन-देन प्रमाण-पत्र का सत्यापन लेन-देन प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के पूर्व किया जाएगा।

vii. लेन-देन प्रमाण-पत्रों और उनके समर्थन में प्रलेखों जिन्हें प्रचालकों को जारी किया गया है का भंडारण इस तरीके से किया जाएगा जो प्रत्येक प्रचालक के संबंध में दी गई सूचना को आसानी से पुन: प्राप्त करने में सक्षम बनाता हो।

4.4.5. प्रमाणित प्रचालक

प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणित प्रचालक का यह दायित्व होगा कि वे निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करे और वे आवश्यक प्रलेखों का संधारण करेंगे।

4.4.5.1. प्रचालकों को सूचना

प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक प्रमाणित प्रचालक को आवेदन के समय निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा:

क. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मापदंडों का एक अद्यतित रूपांतर

ख. निरीक्षण, प्रमाणन और अपील के लिए कार्य-विधि का एक समुचित विवरण

4.4.5.2. मौजूदा प्रचालकों के लिए

i. मानकों और संबंधित कार्य-विधियों में किन्हीं परिवर्तनों के बारे में संप्रेषण

ii. प्रमाणन निकाय के पास वैध संविदा

iii. प्रमाणित उत्पादों का उल्लेख करते हुए एक वैध प्रमाण-पत्र

प्रचालकों के पास यह अधिकार होगा कि वे अपने उत्पादों के प्रमाणन से संबंधित अन्य प्रलेख और निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करें।

4.4.5.3. प्रमाणित प्रचालक द्वारा संधारित अभिलेख और प्रलेखन

प्रमाणन निकाय से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रमाणित प्रचालक के पास उत्पादन के प्रकार के अनुकूल अभिलेख रखने की उचित प्रणाली हो, जो प्रमाणन निकाय को आवश्यक सूचना पुन: प्राप्त करने और उत्पादन, भंडारण, प्रसाधन, खरीद और बिक्री का सत्यापन प्राप्त करने में सक्षम बनाता हो। दौरा करने वाले निरीक्षक सत्यापित प्रलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे।

4.4.6. ऑफ फार्म इनपुट्स का इनपुट अनुमोदन

प्रमाणन निकाय उत्पादक/निर्माता को भारतीय जैविक लोगो का लाइसेंस अथवा अधिकारों के किसी रूप को जारी किए बिना ऑफ फार्म जैविक इनपुट/निर्मणि इकाइयों का अनुमोदन करेंगे।

4.4.7. वाणिज्यिक इनपुट्स का अनुमोदन

प्रमाणन निकाय के पास अनुबंध-3(3) के अन्तर्गत इस प्रलेख के अध्याय 3 में यथा-उल्लिखित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पाद (वाणिज्यिक इनपुट) का मूल्यांकन करने के लिए प्रलेखित कार्य-विधियां होंगी।

कार्य विधि के अनुमोदन में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. निर्मित उत्पाद की संरचना के संबंधित उत्पादक की आवश्यक प्रलेखों के सत्यापन के लिए इकाइयों का वार्षिक आधार पर दौरा करना;

ख. वह अवधि, जिसके लिए अनुमोदन दिया जाता है;

ग. संरचना अथवा अन्य संगत कारकों में परिवर्तनों की सूचना देने के लिए निर्माता के लिए आवश्यकता; और

घ. अनुमोदन की प्रकृति और गारंटी का एक स्पष्ट विवरण।

4.4.8. प्रचालकों का स्थानांतरण

i. जब कोई प्रचालक अपना प्रमाणन निकाय बदलना चाहता हो, तब वह मौजूदा प्रमाणन निकाय को ट्रेसनेट पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के लिए आवेदन करेगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कार्यक्षेत्र (Scope) प्रमाण-पत्र के समाप्त होने के कम से कम 45 दिन पूर्व किया जाएगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन दायर करते समय, प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि इसने मौजूदा प्रमाणन निकाय की सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है और लंबित गैर-अनुपालनों, यदि कोई हो, के लिए सुधारात्मक कार्यवाही प्रस्तुत कर दी है।

ii. प्रमाणन निकाय प्रचालक की ओर से सभी बकाया राशि का भुगतान किए जाने और लंबित गैर-अनुपालनों, यदि कोई हो को बंद किए जाने के अध्यधीन प्रचालक द्वारा आवेदन दायर करने की तिथि से तीन सप्ताहों के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

iii. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जारी करने के परिणामस्वरूप प्रचालक की रिपोर्ट के साथ-साथ फाइल का ऑनलाइन अंतरण बाद के प्रमाणन निकाय को हो जाएगा।

iv. प्रचालक के पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के दौरान एक वैध प्रमाण-पत्र और नई प्रमाणन निकाय के साथ पंजीकरण होगा।

v. कार्यक्षेत्र (Scope) प्रमाण-पत्र के समाप्त होने के बाद, प्रचालक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद भी अन्य प्रमाणन निकाय के पास पंजीकरण करने में सक्षम नहीं होंगे।

vi नया प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्व के प्रमाणन निकाय द्वारा सूचित की गई विसंगतियां कार्यक्षेत्र (Scope) प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पूर्व बंद कर दी गई है।

4.4.8.1. किसानों का हस्तांतरण

i. उत्पादक समूह (Grower Group) का किसान उसी अथवा किसी अन्य प्रमाणन निकाय के अन्तर्गत अन्य उत्पादक समूह में स्थानांतरित हो सकता है, यदि किसान अपने मौजूदा उत्पादक समूह के साथ बने नहीं रहना चाहते हैं।

ii. उत्पादक समूह से संबंधित किसान उसी भौगोलिक क्षेत्र में एक अन्य उत्पादक समूह में स्थानांतरण के लिए एक नए मौसम (New season) के प्रारंभ में प्रमाणन निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) ले सकते हैं और उसी भौगोलिक क्षेत्र में अन्य किसानों के साथ अन्य उत्पादक समूह बना सकते हैं।

iii. उपर्युक्त उदाहरणों में, उत्पादक समूह का किसान जो रूपांतरण करना चाहता है, प्रमाणन निकाय को ट्रेसनेट पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करेगा। किसान से अनापत्ति प्रमाण-पत्र का अनुरोध प्राप्त होने के बाद, प्रमाणन निकाय अपने आईसीएस से विगत रिकॉर्ड, स्वीकृतियों (यदि कोई हो) सहित आवेदक किसान के ब्यौरे का सत्यापन करेगा और इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अनापत्ति आवेदन का निस्तारण करेगा।

iv. यदि प्रमाणन निकाय ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदक किसान के अनापत्ति आवेदन का निस्तारण नहीं करता है, तब ऐसा अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वत: ट्रेसनेट के माध्यम से एपीडा को अग्रेषित हो जाएंगे और एपीडा आवश्यक सत्यापन करेगा तथा संतुष्ट होने पर, एपीडा संबंधित प्रमाणन निकाय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा।

v. यदि प्रमाणन निकाय आवेदक किसान के अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन को अस्वीकार करता है, तब आवेदक किसान प्रमाणन निकाय के इस निर्णय के विरुद्ध एनएबी उप-समिति के समक्ष एक अपील दायर कर सकता है। एनएबी उप-समिति आवश्यक सत्यापन करेगा और संतुष्ट होने पर एपीडा संबंधित प्रमाणन निकाय को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा।

vi एपीडा द्वारा इसमें लिया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और प्रमाणन निकाय द्वारा उसके प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर उसका अनुपालन किया जाएगा।

vii. प्रमाणन निकाय द्वारा ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसमें एपीडा अनापत्ति प्रमाण-पत्र का निस्तारण नहीं करना राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के विनियम 6.1.4 के अन्तर्गत विसंगति मानी जाएगी।

viii. यदि किसान स्वयं साफ्टवेयर को चलाने में सक्षम न हों, तब प्रमाणन निकाय किसान को उचित शुल्क लेकर ट्रेसनेट साफ्टवेयर पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना संभव बनाएगा।

4.4.9 सूचना का आदान-प्रदान

i. यदि पंजीकृत प्रचालक के प्रमाणन निकाय द्वारा कोई अनियमितता अथवा उल्लंघन देखा जाता हो तब यह बिना किसी विलंब के एपीडा को सूचना देगा।

ii. जब कोई प्रमाणन निकाय प्रचालक के उत्पादों के संबंध में जो पूर्व प्रमाणन निकाय के प्रमाणन के अधीन था, किसी अनियमितता अथवा उल्लंघन को पाता है तब वह बिना किसी विलंब के प्रमाणन निकाय को सूचित करेगा।

iii. जब एपीडा किसी अनियमितता अथवा उल्लंघन को देखता है अथवा पाता है तब यह सभी प्रमाणन निकायों को ऐसे उल्लंघन के बारे में सूचना प्रदान करेगा। यह अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे उल्लंघनों को दर्शा भी सकता है।

4.5. पारस्परिक आदान-प्रदान

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी प्रमाणन निकाय द्वारा जैविक के रूप में प्रमाणित उत्पादों को अन्य प्रमाणन निकायों द्वारा भी जैविक के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

4.6. जैविक उत्पादों का आयात

4.6.1. किसी देश से जैविक उत्पादों के आयात की अनुमति तभी दी जाएगी यदि वह उत्पाद किसी प्रमाणन निकाय द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)के अन्तर्गत प्रमाणित है।

4.6.2. हालांकि, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और संबंधित निर्यातक देश के जैविक मानकों के बीच मानकों की समानता के आधार पर एक मान्यता करार के अन्तर्गत आयात किए गए जैविक उत्पादों के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि उनका पुन: सत्यापन घरेलू अधिनियम, नियमों और उनके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के साथ उनके अनुपालन के अध्यधीन भारत को आयात के संबंध में पुन: प्रमाणित किया जाए।

4.7. आयातित जैविक सामग्री का उपयोग

4.7.1 विनियमन 4.6 में निर्धारित शर्तों के अनुसार आयातित जैविक सामग्री का उपयोग भारत में बहु-घटक जैविक उत्पाद के विनिर्माण के लिए पुनः निर्यात हेतु, आयातक देश के विनियमों के अनुसार किया जा सकता है।

4.7.2. जैविक अवयवों के आयात से पहले तथा बहु-घटक उत्पाद के निर्माण में घटक के रूप में उनके उपयोग से पहले प्रमाणन निकाय से पूर्व अनुमोदन लिया जाना अनिवार्य है।

4.7.3. प्रमाणन निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन्हीं आयातित सामग्रियों का उपयोग किया गया है और उसी प्रतिशत में किया गया है जिसकी स्वीकृति दी गई है। जोखिम के आधार पर, प्रमाणन निकाय आयातित सामग्रियों का परीक्षण कर सकता है।

4.7.4. ऐसे मामलों में, अंतिम जैविक उत्पाद की लेबलिंग में संरचना के नीचे आयातित सामग्री को अलग से स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

4.7.5. इसके अलावा, आयातित सामग्री के संपूर्ण ट्रेसिबिलिटी दस्तावेज़, मूल देश, उस सामग्री की संरचना का प्रतिशत और प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज़ , प्रमाणन निकाय और ऑपरेटर के पास होना चाहिए और आवश्यकतानुसार निरीक्षण के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

एनपीओपी प्रक्रिया 2024 (समय-समय पर संशोधित) में विस्तृत प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।

4.8. आयातित जैविक सामग्री से बने उत्पाद का पुनः निर्यात

4.8.1 आयातित जैविक सामग्री से बने उत्पादों का पुनः निर्यात आयात करने वाले देश के नियमों के अनुसार होगा। निर्यातकों और प्रमाणन निकायों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आयातित सामग्री से बने उत्पाद उस देश के जैविक मानकों के अनुरूप हों।

4.8.2 जिन देशों के साथ मान्यता समझौता है, उनके लिए दूसरे पक्ष के जैविक सामग्री से निर्मित मूल्यवर्धित जैविक उत्पादों का पुनः निर्यात ऐसे समझौते के कार्य-क्षेत्र के अनुसार होगा।

4.8.3 पुनः निर्यात के लिए आयातित जैविक उत्पादों के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे, जिनमें एनपीओपी के अंतर्गत प्रमाणन निकाय द्वारा या आयात करने वाले देश के प्रमाणन निकाय द्वारा उनके विनियमन के अनुसार जारी जैविक

क्षेत्र और लेनदेन प्रमाणपत्र शामिल होंगे, जहां जैविक उत्पादों के लिए मान्यता समझौता है।

4.9. प्रचालक द्वारा उल्लंघन और प्रमाणन निकाय द्वारा जांच

4.9.1. अनुशासनिक कार्यवाही और प्रतिबंध:

i. प्रमाणन निकाय द्वारा और प्रचालकों द्वारा गैर-अनुपालनों की स्थिति में प्रतिबंधों और प्रतिबंध कैटालॉग की स्पष्ट नीति होगी।

ii. प्रमाणन निकायों के पास मानकों के मेजर और माइनर उल्लंघनों से निपटने के लिए उपायों सहित अनुशासनिक कार्यवाही (प्रतिबंध) का एक प्रलेखित दायरा होगा। प्रतिबंध कैटालॉग में बार बार किए जाने वाले विसंगति के लघु मामलों को विसंगति के बड़े मामलों में परिणत करने का प्रावधान होना चाहिए।

iii. उत्पादक समूह (Grower Group) के मामले में प्रतिबंध समस्त उत्पादक समूह पर लागू होना चाहिए, जहां किसानों के प्रतिनिधिक नमूने के आधार पर निरीक्षण यह दर्शाते हों कि आईसीएस उत्पादक समूह के लिए लागू प्रमाणन मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहा।

4.9.2. प्रमाणन को वापस लेना

जहां ऐसा कोई उल्लंघन जो जैविक सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता हो, पाया जाता है तब प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन के गैर-अनुकूल भाग को उत्पादन चक्र के समग्र भाग से बाहर कर दिया जाता है जो संबंधित उल्लंघन के कारण प्रभावित होता हो।

प्रचालक द्वारा किसी उल्लंघन के मामले में, प्रमाणन निकाय प्रचालक से किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रमाणन को वापस लेगा यदि जैविक सत्यनिष्ठा को प्रभावित करते हुए गंभीर गैर-अनुपालन देखा जाता हो। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानदंडों का गंभीर उल्लंघन अथवा बार-बार उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, प्रचालक का प्रमाणन समाप्त कर दिया जाएगा और प्रमाणन निकाय एपीडा को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा तथा उसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगा।

जहां ऐसा कोई उल्लंघन जो जैविक सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता हो, पाया जाता है तब प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन के गैर-अनुकूल भाग को उत्पादन चक्र के समस्त भाग से बाहर कर दिया जाता है जो संबंधित उल्लंघन के कारण प्रभावित होता हो।

4.9.3. प्रमाणन निकाय के निर्णय के विरुद्ध अपील

4.9.3.1. प्रथम अपील:

i. प्रचालक प्रमाणन निकाय के निर्णय के विरुद्ध इस निर्णय की सूचना दिए जाने के 30 दिनों के भीतर प्रमाणन निकाय की अपील समिति को अपील करेगा। इस अपील का निस्तारण दो महीने के भीतर किया जाएगा।

ii. प्रमाणन निकाय की इसके प्रमाणन संबंधी निर्णय के विरुद्ध इसके प्रमाणित प्रचालकों द्वारा अपीलों का संचालन करने के लिए नीति और कार्य-विधियां होंगी।

iii. प्रमाणन निकाय प्रमाणन के समय अपील संबंधी कार्य-विधियों के बारे में प्रचालकों को सूचित करेगा।

iv. अपीलीय/अपील समिति प्रमाणन संबंधी कार्यकलापों से और टकराव से मुक्त होंगे।

4.9.3.2. द्वितीय अपील

यदि प्रचालक प्रमाणन निकाय की अपील समिति के निर्णय से संतुष्ट न हों, तब यह ऐसे अपीलों की सुनवाई करने के लिए एनएबी द्वारा गठित एनएबी उप-समिति के पास द्वितीय अपील दायर कर सकता है। यह समिति इस अपील को सामान्यतया तीन महीने के भीतर निस्तारण करेगी। यदि और अधिक समय अपेक्षित हो, तब वह अपीलकर्ता को ऐसे विलंब के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्रदान करेगा।

4.9.4. शिकायत अभिलेख

प्रमाणन निकाय की इसके प्रचालन और प्रमाणित प्रचालकों विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करने के लिए नीतियां और कार्य-विधियां होंगी। यह प्रमाणन से संबंधित सभी शिकायतों और निदानात्मक कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। जब किसी शिकायत का निपटारा कर दिया जाता है तब प्रलेखित समाधान किया जाएगा और उसे शिकायतकर्ता तथा संबंधित पक्षक को अग्रेषित किया जाएगा।

4.9.5. अपील अभिलेख

प्रमाणन निकाय के पास अपने निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के विचारार्थ कार्यविधियां होंगी और यह सभी अपीलों का अभिलेख संधारित करेगा।

5 उत्पादक समूहों (Grower Groups) का प्रमाणन

5.1 कार्यक्षेत्र

उत्पादक समूह को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अध्याय 1 के खंड 30 में परिभाषित किया गया है।

5.2 उत्पादक समूहों के लिए अपेक्षाएं

i. उत्पादक समूह निम्नलिखित रूप में एक पंजीकृत कानूनी इकाई होगा:,

   क. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या प्रासंगिक राज्य सोसायटी अधिनियम/नियमों के तहत पंजीकृत सोसायटी,

   ख. समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)/कृषक उत्पादक कंपनी (एफपीसी),

   ग. सहकारी समिति,

ii. उत्पादक समूह में उत्पादकों को समान उत्पादन प्रणाली लागू करनी होगी।

iii. उत्पादक समूह के प्रत्येक सदस्य की भूमि या इकाई, जो लागू हो, भौगोलिक निकटता में होगी और अधिमानतः अधिकतम 50 किलोमीटर की परिधि के भीतर उसी जिले/सीमावर्ती जिलों के एक ही गांव या निकटवर्ती गांवों में होगी।

iv. उत्पादक समूह अपने उत्पादों का विपणन एकल इकाई के रूप में करेगा।

v. एक उत्पादक समूह में न्यूनतम 25 और अधिकतम 500 किसान शामिल होंगे। इसके बावजूद, जलकृषि (Aquaculture) के लिए न्यूनतम समूह का आकार 10 है। उत्पादक समूह में संख्या की समीक्षा समय-समय पर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा उत्पादक समूह के निष्पादन और राष्ट्रीय

जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) अपेक्षाओं के अनुपालन के आधार पर की जाएगी और तदनुसार राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा यथोचित संशोधन किया जाएगा।

vi. 4 हेक्टेयर (10 एकड़) या उससे अधिक भूमि वाले व्यक्तिगत फार्म भी उत्पादक समूह का हिस्सा हो सकते हैं, परंतु प्रमाणन निकाय द्वारा हर वर्ष उनका अलग से निरीक्षण किया जाएगा। ऐसे फार्म्स का कुल क्षेत्रफल समूह, कुल क्षेत्रफल के 50% से कम होगा।

vii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत उत्पादक समूह के प्रमाणन की आवश्यकताओं को लागू करने के लिए प्रत्येक उत्पादक समूह के पास एक आंतरिक नियंत्रण पद्धति (आईसीएस) होगी।

viii. आईसीएस वर्ष में दो बार उत्पादक समूह के सभी किसानों का 100% आंतरिक निरीक्षण करेगी।

5.3 राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत उत्पादक समूह (Grower Group) में पंजीकृत किसानों के लिए पूर्वापेक्षा (यह आवश्यकता कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विशिष्ट आईडी प्रणाली के औपचारिक संचालन के बाद लागू की जाएगी।)

i. जैविक खेती में रुचि रखने वाले किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराना होगा।

ii. किसान पंजीकरण के बाद एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी।

iii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए किसानों को उत्पादक समूह के आंतरिक नियंत्रण पद्धति (आईसीएस) को विशिष्ट आईडी उपलब्ध करानी होगी।

iv. विशिष्ट आईडी के माध्यम से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत पंजीकरण के दौरान, किसान की जानकारी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के केंद्रीकृत पोर्टल और किसान डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा और एप्लिकेशन आधारित इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से एनपीओपी डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

v. किसान की जानकारी के सफल सत्यापन और *"ट्रेसनेट"* को हस्तांतरण के बाद, उत्पादक समूह के पंजीकरण के लिए उत्तरवर्ती प्रक्रिया की जाएगी।

5.4 आंतरिक नियंत्रण पद्धति

i. आंतरिक नियंत्रण पद्धति या आईसीएस उत्पादक समूह (Grower Group) में सदस्य किसानों द्वारा संगठित नियंत्रण पद्धति के रूप में कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादक समूह द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

ii. उत्पादक समूह (Grower Group) की आईसीएस और कोई नामितव्यक्ति एनपीओपी के तहत अपेक्षानुरूप उत्पादक समूह के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसे व्यक्ति को आईसीएस प्रबंधक कहा जाएगा। आईसीएस प्रबंधक को अधिमानतः उत्पादक समूह का मौजूदा सदस्य होना चाहिए।

5.5 उत्पादक समूह (Grower Group) की आंतरिक नियंत्रण पद्धति)आईसीएस(का गठन, आवश्यकताएं और कर्तव्य

i. उत्पादक समूह के आईसीएस का कार्यालय उत्पादक समूह के स्थान पर या उसके निकट होना चाहिए। प्रमाणन निकाय इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईसीएस के कार्यालय का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगा। किसी भी समूह को एनओसी के माध्यम से स्वीकृति देने से पहले, प्रमाणन निकाय इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

ii. आंतरिक नियंत्रण पद्धति (आईसीएस) की स्थापना उत्पादक समूह के कामकाज के लिए की जाएगी और यह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगी।

iii. उत्पादक समूह के आईसीएस की परिभाषित संगठनात्मक संरचना होगी जिसमें एक संगठनात्मक चार्ट होगा तथा इसके कार्मिकों के लिए परिभाषित कार्य और दायित्व होंगे।

iv. उत्पादक समूह आईसीएस के संचालन और रखरखाव के लिए योग्य और अनुभवी कर्मियों की पहचान करेगा। यह पिछले रोजगार सहित कर्मियों के दस्तोवेजों का सत्यापन करेगा।

v. आईसीएस, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के ढांचे (फ्रेमवर्क) के अंतर्गत स्थानीय भाषा में आंतरिक मानक तैयार करेगा।

vi. आईसीएस के पास पर्याप्त आंतरिक निरीक्षक होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पादक समूह के सभी किसानों का वर्ष में दो बार 100% निरीक्षण किया जाए।

vii. प्रत्येक 50-60 किसानों पर कम से कम एक आंतरिक निरीक्षक होगा।

viii. आंतरिक निरीक्षण करने के लिए निरीक्षकों को मानकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

ix. सभी किसान अपने खेतों पर की जाने वाली गतिविधियों को नोट करने के लिए फार्म डायरी का रखरखाव करेंगे।

x. निरीक्षण के समय संबंधित किसानों के पास फार्म डायरी उपलब्ध होनी चाहिए।

xi. आईसीएस किसानों को अपेक्षित उत्पादन तथा उत्पादक समूह प्रमाणन आवश्यकताओं के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार होगी।

xii. उत्पादक समूह (Grower Group) के सदस्य किसानों के विवरण, जिसमें किसान का नाम, पिता/पति का नाम, खेत की भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल, खेत में उगाई जाने वाली फसलें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई किसान की विशिष्ट पहचान शामिल है, को उत्पादक समूह के आईसीएस कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।

xiii. उत्पादन समूह द्वारा आईसीएस के लिए एक नियमावली(Manual) तैयार किया जाएगा जिसमें आईसीएस और उत्पादन समूह के कामकाज के लिए नीति और कार्यविधि शामिल होगी। इसमें ग्रुप में सदस्यों को शामिल करने और ग्रुप से बाहर निकलने की प्रक्रिया, आईसीएस के साथ सदस्यों का करार भी शामिल होंगे। ऐसे आईसीएस नियमावली के लिए मॉडल प्रारूप राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रक्रिया 2024 में उपलब्ध है।

xiv. उत्पादक समूह (Grower Group) द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आईसीएस प्रबंधक जिम्मेदार होगा। ऐसा आईसीएस प्रबंधक आईसीएस के लिए संपर्क व्यक्ति होगा तथा उत्पादक समूह की भौगोलिक सीमाओं के भीतर का निवासी होगा।

xv. यदि किसान अपने आईसीएस को चलाने और संचालित करने में असमर्थ हैं तो ऐसे किसान आईसीएस के रूप में कार्य करने के लिए किसी बाहरी सेवा प्रदाता (service provider) के साथ अनुबंध कर सकते हैं। ऐसा सेवा प्रदाता एनपीओपी के अंतर्गत आईसीएस के सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करेगा और एनपीओपी के अंतर्गत आईसीएस पर लागू सभी उपबंध, जिनमें प्रतिबंध भी शामिल हैं, *यथावश्यक रूपांतरण* सहित ऐसे बाहरी सेवा प्रदाता पर लागू होंगे।

xvi. आईसीएस में बाह्य(External) सेवा प्रदाता (यदि कोई हो) की नियुक्ति के संदर्भ में शर्तें और प्रक्रिया होंगी जिसमे परिभाषित कार्य और दायित्व दिये गए होंगे।

xvii. इस प्रकार संविदापरक सेवा प्रदाता आंतरिक नियंत्रण पद्धति (आईसीएस) के रखरखाव, प्रशिक्षण, समन्वय और प्रमाणित उत्पादों के विपणन तथा प्रमाणन निकाय से प्रमाणन को सुकर बनाएगा। सेवा प्रदाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी अपेक्षित दस्तावेज आईसीएस कार्यालय में रखे जाएं।

5.6 सदस्यों द्वारा चूक(डिफ़ॉल्ट)

यदि किसी उत्पादक समूह (Grower Group) में कोई किसान राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत आवश्यकताओं का पालन करने में चूक करता है तो आईसीएस ऐसे किसान को उत्पादक समूह से हटा देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी चूक करने वाली इकाइयों की उपज इस समूह से उत्पन्न होने वाली उपज के साथ मिश्रित न हो। इसके अलावा, आईसीएस प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समूह के सभी पड़ोसी किसान आवश्यक संदूषण नियंत्रण उपाय करें।

उत्पादक समूह और उसके आईसीएस राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) प्रक्रिया 2024 का पालन करेंगे और समय-समय पर संशोधित प्रक्रियाओं में निर्धारित सभी दस्तावेजों को बनाए रखेंगे।

5.7 आईसीएस कार्मिक

उत्पादक समूह (Grower Group) अपने आईसीएस के लिए पदांकित कार्मिक रखेगा। आईसीएस के सभी कार्मिक समूह के भीतर से ही होंगे। यदि उत्पादक समूह संविदा व्यवस्था के माध्यम से आईसीएस चलाने के लिए किसी बाहरी सेवा प्रदाता को नियुक्त करता है तो आंतरिक निरीक्षक अधिमानतः समूह के भीतर से ही होने चाहिए।

आईसीएस में निम्नलिखित नामोद्दृष्ट कार्मिक होंगे:

5.7.1 आंतरिक नियंत्रण पद्धति प्रबंधक (आईसीएस प्रबंधक)

i. उत्पादक समूह एक आईसीएस प्रबंधक (अधिमानतः उत्पादक समूह के भीतर से) के रूप में कार्मिक को नामित करेगा जो आईसीएस के कामकाज और संचालन और एनपीओपी मानकों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। यदि आईसीएस प्रबंधक बाहर से अनुबंधित है, तो ऐसे आईसीएस प्रबंधक केवल उन उत्पादक समूहों का प्रबंधन करेंगे जो 50 किलोमीटर की भौगोलिक निकटता में कार्यरत हैं।

ii. आईसीएस प्रबंधक आईसीएस को विकसित और कार्यान्वित करेगा तथा आंतरिक निरीक्षणों के आयोजन, फील्ड स्टाफ, अनुमोदन स्टाफ और

प्रमाणन निकाय के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा। आईसीएस प्रबंधक निम्नलिखित के लिए कार्यविधि निर्धारित करेगा:

क. मौजूदा समूह में नये सदस्यों को शामिल करने हेतु अनुमोदन।

ख. निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर अननुरूपताओं की मेजर रेटिंग देना तथा अपर्याप्त दस्तावेजीकरण के मामले में उन्हें माइनर रेटिंग देना।

ग. चूककर्ता किसानों द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई के कार्यान्वयन का सत्यापन।

घ. समूह के चूककर्ता सदस्यों पर प्रतिबंध लगाना (समूह से निष्कासन, जैविक स्थिति को डाउनग्रेड करना सहित)

ङ आईसीएस प्रबंधक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को समूह द्वारा पूरी तरह से कार्यान्वित किया जाए।

5.7.2 आंतरिक निरीक्षक

आईसीएस अपने समूह से पर्याप्त संख्या में आंतरिक निरीक्षकों को नामित करेगा तथा प्रत्येक 50-60 किसानों पर कम से कम एक आंतरिक निरीक्षक होगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समूह के सभी किसानों का वर्ष में दो बार 100% निरीक्षण किया जाए।

निरीक्षको को आंतरिक निरीक्षण करने के लिए मानकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। आईसीएस आंतरिक निरीक्षकों का प्रोफाइल का रखरखाव करेगा।

5.7.3 अनुमोदन प्रबंधक/समिति

अनुमोदन संबंधी निर्णय लेने के लिए समूह के भीतर से तीन सदस्यीय अनुमोदन समिति को पदांकित किया जाएगा। अनुमोदन प्रबंधक/समिति को आईसीएस की जैविक प्रक्रिया, आंतरिक मानकों और एनपीओपी मानकों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

5.7.4 क्षेत्र अधिकारी

प्रत्येक उत्पादन क्षेत्र में एक क्षेत्र अधिकारी समूह में से चिह्नित किया जाएगा। क्षेत्र अधिकारी क्षेत्र विस्तार सेवाओं का आयोजन करके किसानों को प्रशिक्षण देंगे।

5.7.5 क्रय अधिकारी

खरीद अधिकारी की नामित किया जाएगा जो किसानों से सही उत्पाद की खरीद के लिए

जिम्मेदार होंगे। खरीद अधिकारी का आईसीएस (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली) की अच्छी तरह से जानकारी होना आवश्यक है।

5.7.6 गोदाम प्रबंधक

यदि अलग-अलग गोदाम हैं तो एक गोदाम प्रबंधक की आवश्यकता हो सकती है जो उपज को संभालने के लिए जिम्मेदार होगा। उचित कार्यान्वियन के लिए उसे आईसीएस की प्रक्रियाओं की अच्छी जानकारी होना चाहिए।

5.7.7 लेखा/अभिलेखपाल

आईसीएस के खातों और अभिलेखों के रखरखाव के लिए समूह में से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा।

5.8 सार्वजनिक सूचना

i. उत्पादक समूह (Grower Group) की आईसीएस अपने उत्पादक समूह के अंतर्गत किसानों की अद्यतन(updated) सूची का प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) सुनिश्चित करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

   क. किसान का पूरा नाम, पिता/पति का नाम सहित,

   ख. पिन कोड (लोकेशन) सहित पते,

   ग. उगाई गई फसल और/या उत्पाद विवरण, जो लागू हो,

   घ. कृषि जोतों का विवरण, उनकी लोकेशन सहित

   ङ जैविक स्थिति,

   च. अन्य विवरण और सूचना जो समय-समय पर निर्दिष्ट की जाए, आदि।

ii. ऐसी जानकारी को समय-समय पर नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाएगा और आईसीएस कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा।

iii. जैविक उत्पादन से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वियन तथा सत्यापन आदि के उद्देश्य के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों (केन्द्रीय/राज्य/स्थानीय) को सूचना तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए।

iv. एपीडा-राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) सचिवालय जैविक प्रमाणन प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए नियामक आवश्यकताओं के आधार पर समय-समय पर ऐसी जानकारी

मांग सकता है।

5.9 आंतरिक मानक

आंतरिक मानकों को आईसीएस प्रबंधक द्वारा जिस स्थान पर आईसीएस संचालन करता है वहाँ की स्थानीय भाषा में एनपीओपी मानकों के तहत तैयार किए जाएगा। यदि किसान अशिक्षित हैं तो आंतरिक मानकों में बेहतर समझ के लिए पाठ में चित्रण/ उदाहरण शामिल होंगे। आंतरिक मानकों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i. उत्पादन इकाई की परिभाषा

ii. रूपांतरण से कैसे निपटें

iii. रूपांतरण अवधि

iv. बफर जोन का रखरखाव

v. संपूर्ण उत्पादन इकाई के लिए कृषि उत्पादन मानदंड (जैसे बीज, पोषकतत्व प्रबंधन, कीट प्रबंधन, मृदा प्रबंधन, अनुमोदित इनपुट, बहाव की रोकथाम, पशुधन पालन प्रबंधन)

vi. हार्वेस्टिंग (Harvesting) और कटाई के बाद की प्रक्रियाएं

5.10 हित संघर्ष (Conflict of Interest)

आईसीएस कर्मियों को किसी भी प्रकार का हित संघर्ष नहीं रखेंगे जिससे जैविक प्रमाणन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो। सभी संभावित हित संघर्षों की आईसीएस को लिखित बयान में घोषणा करनी होगी। ऐसे मामलों में, आईसीएस उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी।

5.11 प्रमाणन

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अनुसार उत्पादक समूह (Grower Group) को प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणन प्रदान किया जाएगा।

प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादक समूह (Grower Group) के कार्यक्षेत्र प्रमाणपत्र में उल्लिखित पता उत्पादक समूह (Grower Group) और उसके आईसीएस का वास्तविक स्थान(लोकेशन) और पता होना चाहिए।

5.12 व्यापार

i. उत्पादक समूह (Grower Group) एकल इकाई के रूप में उत्पादों का विपणन करेगा।

ii. आईसीएस, समूह के सदस्य किसानों के संपूर्ण जैविक उत्पाद की खरीद के

लिए हर संभव प्रयास करेगा। यदि आईसीएस कुल उत्पाद बेचने में असमर्थ है, तो यह बची हुई मात्रा के लिए बाजार लिंकेज की व्यवस्था करेगा।

5.13 उपज अनुमान

आईसीएस द्वारा समूह में किसान के लिए प्रत्येक फसल का उपज का अनुमान लगाया जाएगा। यह गतिविधि विशेष रूप से कटाई के दौरान की जानी चाहिए और प्रमाणन निकाय द्वारा बाहरी निरीक्षण के दौरान अनुमान की प्रति-जांच की जानी चाहिए।

5.14 खरीद प्रक्रिया

समूह में किसानों से खरीद के लिए, आईसीएस को जैविक स्थिति (organic status), खरीदे गए उत्पाद का अनुपालन, उत्पाद समाधान (रिकॉन्सिलिएशन) आदि का सत्यापन करना होता है। आईसीएस को खरीद रिकॉर्ड का रखरखाव करना होगा और किसान को हस्ताक्षरित खरीद रसीद जारी करनी होती है। खरीदे गए उत्पादों (बैग) पर स्थिति के अनुसार जैविक या इन कनवर्जेन का लेबल होना चाहिए।

5.15 भंडारण और हैंडलिंग

उपज की हैंडलिंग के दौरान क्रय या गोदाम प्रबंधक राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ की जांच करेगा। भंडारण और हैंडलिंग के दौरान निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

i. संक्रमण (transition) के दौरान उत्पाद प्रवाह के सभी चरणों में जैविक उत्पाद की पहचान।

ii. जैविक उत्पादों को परिवर्तित उत्पादों से अलग करना।

iii. कंटेनरों का धूम्रीकरण, निर्विकिरण/आयनीकरण आदि निषिद्ध हैं।

iv. भंडारण के दौरान गोदाम में लोकेशन को 'जैविक' या 'इन-कनवर्जेन' के रूप में लेबल किया जाना होगा।

5.16 आईसीएस कार्मिकों का प्रशिक्षण

i. आईसीएस यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक आंतरिक निरीक्षक को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) आवश्यकताओं और जैविक प्रक्रियाओं में पारंगत किसी बाहरी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किया जाए।

ii. प्रशिक्षण की तिथि, पाठ्यक्रम सामग्री, प्रतिभागियों की सूची और फोटोग्राफ का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

5.17 किसानों का प्रशिक्षण

आईसीएस प्रबंधक समूह के किसानों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित करेगा:-

i. प्रत्येक किसान को जैविक खेती और समूह प्रमाणन आवश्यकताओं पर कम से कम एक प्रारंभिक सलाहकारी दौरा और प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।

ii. इसके अलावा, किसानों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय और राज्य एजेंसियों से प्रतिवर्ष एक नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

iii. प्रशिक्षण की तिथि, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रतिभागियों की सूची, फोटोग्राफ, वीडियो सहित दस्तावेजीकरण करना।

iv. प्रशिक्षण सत्र सरल और स्थानीय भाषा में होना चाहिए। बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण वीडियो और सचित्र ग्राफिक्स का भी उपयोग किया जाना चाहिए।

5.18 प्रमाणन निकायों द्वारा बाह्य(External) निरीक्षण

प्रमाणन निकाय यह सुनिश्चित करने के बाद आईसीएस का निरीक्षण करेंगे कि उत्पादक समूह (Grower Group) के सभी पंजीकृत सदस्यों के लिए कैलेंडर वर्ष/कार्यक्षेत्र चक्र में कम से कम दो बार आईसीएस द्वारा 100% आंतरिक निरीक्षण किया गया है।

प्रमाणन निकाय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) मानकों के अनुपालन के लिए कुशल आंतरिक नियंत्रण पद्धति हेतु उत्पादक समूह के मूल्यांकन हेतु कुछ खेतों का निरीक्षण करेगा।

प्रमाणन निकाय 4 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले खेतों के नमूने के अतिरिक्त 4 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले खेतों का अलग से निरीक्षण करेगा।

5.18.1 नमूनाकरण योजना (Sampling Plan)

निरीक्षण के लिए नमूनाकरण योजना जोखिम निर्धारण के लिए ध्यान में रखे जाने वाले निम्नलिखित कारकों पर आधारित होगी:

i. जोत (होल्डिंग) का आकार

ii. समूह में सदस्यों की संख्या

iii. उत्पादन प्रणाली और फसल प्रणाली के बीच समानता की डिग्री

iv. परस्पर मिश्रण

v. संदूषण

vi. समानांतर उत्पादन

vii. विभाजित उत्पादन

viii. स्थानीय खतरे

ix. उत्पादन योजना में रूपांतरण

x. समूह में नए सदस्यों का शामिल होना

xi. पिछले प्रमाणन इतिहास और प्रतिबंध

5.18.2 जोखिम निर्धारण

i. प्रमाणन निकाय द्वारा उत्पादक समूह (Grower Group) के सदस्यों के न्यूनतम नमूना आकार का निरीक्षण किया जाएगा।

ii. प्रमाणन निकाय उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों के अंतर्गत जोखिम के निर्धारण के लिए मानदंड स्थापित करेगा।

iii. निरीक्षण दौरे से पहले प्रमाणन निकाय द्वारा किए गए जोखिम निर्धारण के आधार पर नमूना निरीक्षणों की संख्या की योजना बनाई जाएगी।

iv. नमूने का आकार निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

क. उच्च जोखिम: 2 x किसानों की संख्या का वर्गमूल

ख. मध्यम जोखिम: 1.5 x किसानों की संख्या का वर्गमूल

ग. कम जोखिम: किसानों की संख्या का वर्गमूल (न्यूनतम 20 किसान)

v. नमूनाकरण योजना ऐसी होनी चाहिए कि सभी किसान बाह्य(External) निरीक्षण में शामिल हो जाएं तथा सत्यापन/अनुपालन न होने के संदेह के मामले को छोड़कर एक ही किसान का दोहराव न हो।

vi. प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित जोखिम का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

5.18.3 बाह्य (External) निरीक्षण

i. प्रमाणन निकाय इस अध्याय में निर्दिष्ट आवश्यकताओं, अध्याय 4 के अनुसार निरीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अध्याय 3 के अनुसार उत्पादन मानकों के अनुसार बाह्य(External) निरीक्षण करेगा। बाहरी निरीक्षण के दौरान प्रमाणन निकाय द्वारा देखे गए अननुपालन का समाधान करने के लिए उत्पादक समूह (Grower Group) को अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा।

ii. प्रमाणन निकाय अपनी अनुमोदन सूची के अनुसार निरीक्षण/जांच आदि

के दौरान अननुरूपता के आधार पर उत्पादक समूह (Grower Group) पर प्रतिबंध लगाएगा।

iii. प्रतिबंध निवर्तक(Dissuasive) होने चाहिए और पूरे उत्पादक समूह पर लागू होने चाहिए। जब किसानों के प्रतिनिधि नमूने के आधार पर निरीक्षण में गंभीर अननुपालन का संकेत मिलता है जो जैविक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करता है। यदि यह पाया जाता है कि उत्पादक समूह राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अनुरूप नहीं है, क्योंकि यह जैविक उत्पादन की सत्यनिष्ठा को प्रभावित कर रहा है, तो प्रमाणन निकाय द्वारा उत्पादक समूह का ट्रांजेक्शन प्रमाणपत्र (Transaction Certificate) तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

iv. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत प्रतिबंधित सभी उत्पादक समूहों (Grower Groups) की सूची प्रमाणन निकाय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

5.18.4 उत्पादक समूह (Grower Group) के सदस्यों द्वारा अननुपालन और आईसीएस द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

5.18.4.1 राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (ािपओीपनए) के लागू उपबंधों का पालन न करने की स्थिति में आईसीएस को अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने और सुधारात्मक या अल्पकारी उपाय करने का अधिकार होगा। इस प्रयोजनार्थ, आईसीएस राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (ािपओीपनए) सचिवालय द्वारा इस संबंध में तैयार की गई मॉडल प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए संदर्भ ले सकता है।

5.18.4.2. यदि आवश्यक हो, तो एनपीओपी आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए किसानों पर न्यूनतम आर्थिक जुर्माना (5000/- रुपये तक) लगाया जा सकता है। आर्थिक जुर्माना लगाते समय संबंधित किसान की कृषि जोत के क्षेत्रफल को ध्यान में रखा जाएगा। हालाँकि, स्वीकृति अवधि के दौरान पूर्ण अनुपालन के मामले में यह राशि आईसीएस द्वारा समायोजित की जा सकती है।

5.18.4.3. लगाए गए प्रतिबंधों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा (प्रतिबंध जारी किए गए किसानों की सूची, फाइलों में चिह्नित अननुरूपताओं का दस्तावेजीकरण)

5.18.4.4 जिन किसानों ने अपने खेतों पर प्रतिबंधित इनपुट का इस्तेमाल किया है, उन्हें पूर्ण रूपांतरण अवधि से गुजरना होगा (यदि वे उत्पादक समूह (Grower Group) में बने रहते हैं)। ऐसे मामलों में, यह सत्यापित करना आवश्यक है कि क्या ऐसे किसानों ने पहले ही उपज वितरित कर दी है और क्या ऐसी “अब प्रमाणित नहीं” उपज अन्य उपज के साथ मिल गई है। यदि ऐसा हुआ है तो प्रमाणन निकाय को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और मिश्रित उपज को आपूर्ति श्रृंखला से हटा दिया जाना चाहिए।

6 प्रतिबंध और अपील

6.1 प्रमाणन निकाय और/या ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन

6.1.1 प्रमाणन निकाय और/या ऑपरेटर की शिकायतें और जांच प्रक्रिया

i. किसी ऑपरेटर/प्रमाणन निकाय के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर एपीडा, सचिवालय, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी), संबंधित हितधारक(कों) से प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करके शिकायत की जांच करेगा।

ii. यदि कोई अननुरूपता देखी जाती है और विनियम 6.1.1(i) में किसी बात के होते हुए, यदि एपीडा को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत किसी ऑपरेटर और/या प्रमाणन निकाय द्वारा किसी भी बड़ी अननुरूपता के बारे में पता चलता है तो एपीडा उक्त ऑपरेटर और/या प्रमाणन निकाय को यथास्थिति, कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।

iii. ऑपरेटर/प्रमाणन निकाय को कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर जवाब देना होगा।

iv. इसके बाद एपीडा सभी रिकार्डों के साथ मामले को जांच के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)/बोर्ड की उप समिति के समक्ष रखेगा।

v. इसके बाद, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)/बोर्ड की उप समिति ऐसे ऑपरेटर/प्रमाणन निकाय को अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त अवसर देगी, जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई भी शामिल होगी। तथापि, बचाव के दूसरे विकल्प भी होंगे।

vi. यदि ऑपरेटर और/या प्रमाणन निकाय के विरुद्ध अननुरूपताओं की पुष्टि हो जाती है तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)इसकी उप समिति सकारण आदेश के माध्यम से उचित प्रतिबंध लगाएगी।

6.1.2 प्रतिबंध

i. यदि राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)/बोर्ड की उप समिति को पता चलता है

कि किसी ऑपरेटर/प्रमाणन निकाय ने कोई अननुरूपता की है तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)/बोर्ड की उप समिति ऐसी अननुरूपता की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यथोचित, ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध लगाने की शर्त अनुलग्नक-6(1) में निर्धारित की गई है।

6.1.3 अननुरूपता (non-conformity) की श्रेणियाँ

राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (पिओीपनए) के तहत, अननुरूपता को उनकी गंभीरता की डिग्री के आधार पर बड़ी या लघु अननुरूपता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, लगाए जाने वाले प्रतिबंध ऐसी अननुरूपता की प्रकृति, डिग्री और सीमा पर निर्भर होंगे।

6.1.4 लघु अननुरूपता (Minor non-conformity)

लघु अननुरूपता में निम्नलिखित शामिल होंगे,

क. प्रमाणन निकाय के मामले में, ऐसी अननुरूपता जो प्रत्यायन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को प्रभावित नहीं करती है और सुधार योग्य है,

ख. ऑपरेटर के मामले में, अननुरूपता तब होती है जब यह उत्पाद की जैविक स्थिति को प्रभावित नहीं करती है, जैसे दस्तावेजी आवश्यकताओं, प्रकटीकरण मानदंडों आदि का पालन न करना।

और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

i. समय पर सूचना प्रस्तुत न करना,

ii. उचित दस्तावेज़ नियंत्रण का प्रयोग करने में विफलता,

iii. आवश्यकताओं के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा और प्रबंधन समीक्षा करने में विफलता।

iv. हित संघर्ष और/या गोपनीयता पर दस्तावेजों/घोषणा की अनुपलब्धता,

v. शिकायतों और अपीलों आदि के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।

vi. सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का अपर्याप्त प्रकटीकरण

vii. किसी ऑपरेटर द्वारा सूचना का गलत प्रकटीकरण, या

viii. कोई अन्य अननुरूपता जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) समय-समय पर लघु अननुरूपता (Minor non-conformity) के रूप में घोषित कर सकता है।

6.1.5 प्रमुख अननुरूपता (Major non-conformity)

प्रमुख अननुरूपता में निम्नलिखित शामिल होंगे:

i. प्रमाणन निकाय के मामले में, अननुरूपता जो प्रत्यायन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और जो सुधार योग्य नहीं है,

ii. ऑपरेटर के मामले में, अननुरूपता तब होती है जब यह उत्पाद की जैविक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और सुधार योग्य नहीं है,

और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

i. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) मानकों का अनुपालन न करना,

ii. जानबूझकर गलत जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराना,

iii. प्रत्यायन स्थिति का गलत विवरण,

iv. समान अननुरूपताओं की पुनरावृत्ति,

v. पहले की गई बड़ी अननुरूपताओं आदि को सुधारने में विफलता, या

vi. कोई अन्य अननुरूपता जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) समय-समय पर बड़ी अननुरूपता के रूप में घोषित कर सकता है।

6.1.6 प्रतिबंधों की श्रेणियाँ

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) चूककर्ता प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर पर निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रतिबंध लगा सकता है:

i. आर्थिक दंड

ii. प्रत्यायन का निलंबन

iii. प्रत्यायन की समाप्ति

iv. प्रमाणन के दायरे में कमी

v. किसी भी अन्य अतिरिक्त दंड/सीमा का अधिरोपण

vi. उपर्युक्त (i) में उल्लिखित दंड के साथ-साथ (ii) से (iv) में उल्लिखित किसी भी दंड का संयोजन।

6.1.7 आर्थिक दंड लगाने के लिए

निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा :

i. अननुरूपता के परिणामस्वरूप चूककर्ता प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर

द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां कहीं भी मात्रात्मक हो;

ii. चूककर्ता प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को हुई या होने वाली संभावित हानि की राशि ,

iii. चूककर्ता प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन की बार-बार होने वाली प्रकृति, चाहे उल्लंघन चूककर्ता प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर की जानकारी के बिना किया गया हो,

iv. कोई अन्य प्रासंगिक कारक.

6.1.8 शास्तियों का अन्य दंडों में हस्तक्षेप न करना

i. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत लगाया गया कोई भी जुर्माना/ शास्ति किसी अन्य दंड/देयताओं को लागू करने से नहीं रोकेगा जिसके लिए चूककर्ता प्रमाणन निकाय और/या ऑपरेटर किसी अन्य कानून के तहत उत्तरदायी हैं।

ii. निलंबन अवधि के दौरान चूक करने वाले प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर को अननुपालन को सुधारने का अवसर दिया जाएगा। यदि चूक करने वाले प्रमाणन निकाय और/या ऑपरेटर निलंबन अवधि के दौरान अननुपालन को सुधारने में विफल रहते हैं और या जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो उक्त प्रमाणन निकाय की प्रत्यायन समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे मामले में, चूक करने वाले प्रमाणन निकायों और/या ऑपरेटर को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड/बोर्ड की उप समिति द्वारा तय की गई अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए, जो लागू हो, प्रत्यायन या प्रमाणन के लिए फिर से आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।

iii. आर्थिक दंड (यदि कोई हो) के अतिरिक्त, प्रमाणन निकाय को उस ऑपरेटर का प्रमाणन शुल्क वापस करना होगा जिसने समाप्ति से पहले छह महीने की अवधि के भीतर प्रमाणन किया है। प्रमाणन शुल्क की वापसी ऑपरेटर द्वारा आवेदन करने के एक सप्ताह के भीतर की जाएगी।

6.1.9 प्रमाणन निकाय/ऑपरेटर द्वारा अपील

i. यदि कोई प्रमाणन निकाय/ऑपरेटर किसी अननुरूपता का दोषी पाया जाता है तो उसे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (िबएनए) के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (िबएनए) द्वारा पारित निर्णय (संपूर्ण या आंशिक) के विरुद्ध अपील दायर करने का अधिकार होगा।

ii. ऐसी अपील वाणिज्य सचिव के समक्ष 'अपील प्राधिकारी' के रूप में दायर की

जाएगी।

iii. अपील प्राधिकारी उन मामलों में विलम्ब को माफ कर सकता है, जहां अपील ऊपर निर्दिष्ट निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद दायर की गई हो, केवल तभी जब ऐसे विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो।

iv. अपील प्राधिकारी कोई भी आदेश पारित करने से पहले प्रमाणन निकाय/ ऑपरेटर को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

v. अपील प्राधिकारी, अपील के प्रभावी निपटान के लिए, यदि आवश्यक हो तो, आगे की जांच भी कर सकता है।

vi. अपील प्राधिकारी अपील किए गए निर्णय या आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे उलटने के लिए आदेश पारित कर सकता है, या मामले को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (ाबएनए) को वापस भेज सकता है, ऐसे निर्देशों के साथ, यथोचित, जिसमें यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य प्राप्त करने के बाद नया निर्णय लेने का निर्देश भी शामिल है।

vii. *परंतु शर्त यह है कि* इस उपबंध के अंतर्गत अधिक मूल्य का जुर्माना बढ़ाने या लगाने संबंधी कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रमाणन निकाय/ऑपरेटर को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

viii. इस उपबंध के अंतर्गत अपील का निपटारा वांछनीय (Desirable) रूप से उसके दाखिल होने की तारीख से छह माह के भीतर किया जाएगा।

ix. अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

6.2 सेवा प्रदाता (Service provider) द्वारा आईसीएस का उल्लंघन

6.2.1 किसी बाह्य(External) सेवा प्रदाता (Service provider) द्वारा प्रबंधित उत्पादक समूह (Grower Group) के मामले में, इस अध्याय के उपबंध *यथावश्यक परिवर्तनों सहित* आईसीएस के बाह्य(External) सेवा प्रदाता पर लागू होंगे।

6.2.2 बाह्य(External) सेवा प्रदाता द्वारा उल्लंघन अनुलग्नक-6(1) में निर्धारित है और इसमें निर्दिष्ट अनुसार दंडनीय होगा।

अनुलग्नक-6(1)

प्रतिबंध लगाने की शर्तें

1. **प्रमाणन निकाय /आवेदक निकाय**

क्र. सं.	अननुरूपता की प्रकृति	निर्धारित प्रतिबंध
1	जहां प्रत्यायन प्राप्त करने के उद्देश्य से या प्रत्यायन प्राप्त करने के बाद , किसी प्रमाणन निकाय द्वारा जानबूझकर कोई गलत या भ्रामक जानकारी या दस्तावेज प्रदान किया गया पाया जाता है।	10 लाख (10,00,000) रुपए तक के जुर्माने से दण्डनीय। इसके अतिरिक्त, प्रमाणन निकाय को दी गई प्रत्यायन समाप्त की जा सकती है।
2	प्रत्यायन प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक निकाय द्वारा गलत जानकारी और/या दस्तावेज प्रदान किए गए हैं।	प्रत्यायन हेतु आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
3	जहां प्रमाणन निकाय प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय अवधि के भीतर सूचना और/या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है।	प्रत्यायन हेतु आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
4	यदि प्रमाणन निकाय एनपीओपी के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में विफल रहता है। (ऐसी विफलता के उदाहरणों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनुचित निरीक्षण और प्रमाणन, जैविक अभ्यास नहीं करने वाले ऑपरेटरों को स्कोप सर्टिफिकेट और/या लेनदेन प्रमाणपत्र जारी करना और अनुचित प्रभाव का प्रयोग करना, निष्पक्षता से समझौता ना करना और/या मिलीभगत तक सीमित नहीं होगा।)	अननुरूपता की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड लगाए जा सकते हैं : i. एक वर्ष तक की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है। ii. प्रमाणन के दायरे में कमी ; iii. नये ऑपरेटरों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाना। iv. प्रमाणन कार्यक्रम का दायरा सीमित करें। v. आर्थिक दंड जो पच्चीस लाख रुपए (रु. 25,00,000/-) तक बढ़ाया जा सकता है। vi. प्रत्यायन समाप्त की जा सकती है।

5	जहां प्रमाणन निकाय जैविक उत्पादन से संबंधित *ट्रेसनेट* पर दर्ज आंकड़ों को अद्यतन और सत्यापित करने में विफल रहता है, जिसमें उत्पाद की प्रकृति और मात्रा, खेत का क्षेत्र और संरक्षण श्रृंखला में उत्पादों की आवाजाही शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है।	पांच लाख रुपए (5,00,000/-) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
6	जहां प्रमाणन निकाय जानबूझकर ट्रेसनेट पर जैविक उत्पादन से संबंधित गलत डेटा को अपडेट या दर्ज करता है, जिसमें उत्पाद की प्रकृति और मात्रा, खेत का क्षेत्र और संरक्षण श्रृंखला में उत्पादों की आवाजाही शामिल है, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।	दस लाख रुपए (10,00,000/- रुपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
7	जब एक प्रमाणन निकाय किसी भी तरह से प्रमाणन की मान्यता की स्थिति या प्रमाणन के दायरे की गलत बयानी करता है जैसे कि "यह एनपीओपी के तहत मान्यता प्राप्त एक एजेंसी है जबकि वास्तव में यह नहीं है", तो इसे निलंबित या समाप्त कर दिया गया है लेकिन यह दावा करना जारी रखता है कि यह इसकी वेबसाइट और अन्य माध्यमों से मान्यता प्राप्त है, जैसे- कार्यक्षेत्र का झूठा प्रतिनिधित्व जो उसके पास नहीं है "।	दस लाख रुपए (10,00,000/- रुपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
8.	यदि प्रमाणन निकाय कोई अनुवर्ती अपराध करता है, चाहे वह पिछले अपराध के समान या समान प्रकृति का हो या किसी भिन्न प्रकार का हो।	अननुरूपता की गंभीरता के आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड लगाए जा सकते हैं : 1) दो वर्ष तक की अवधि के लिए निलंबन। 1) पच्चीस लाख रुपए (25,00,000/- रुपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। 2) प्रमाणन निकाय की प्रत्यायन की समाप्ति और तीन वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्यायन के लिए पुनः आवेदन करने से विवर्जित।

9	यदि प्रमाणन निकाय कोई ऐसा अपराध करता है जिसके लिए यहां कोई दंड का उपबंध नहीं है।	प्रत्यायन को उस अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जो उचित समझी जाए (एक वर्ष तक) दस लाख रूपए (10,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
10	जहां राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) ने उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार, दोषी प्रमाणन निकाय पर जुर्माना लगाया है, और उक्त दोषी प्रमाणन निकाय ऐसे जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहा है।	राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) ऐसे प्रमाणन निकाय को 5 वर्ष तक की अवधि के लिए काली सूची में डाल सकता है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) को ऐसे जुर्माने की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।
11	जहां दोषी प्रमाणन निकाय ने सिविल प्रकृति का कोई अपराध किया हो, जैसे अनुबंध-भंग, विश्वास-भंग आदि।	राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) को उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा।
12	जहां प्रमाणन निकाय बिना किसी उचित कारण के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) मानकों के तहत अपेक्षित किसी भी जानकारी का प्रकटन करने से इनकार करता है/विफल रहता है।	पांच लाख रूपए (5,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

13	जब किसी प्रमाणन निकाय ने अपने प्रमाणन कार्यक्रम में पर्याप्त सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है जिसके कारण गैर-अनुरूपता की सूचना बार-बार दी जा रही है।	पहली बार में: चेतावनी पत्र जारी करना। बाद के उल्लंघनों के लिए: i) प्रमाणन के दायरे को संशोधित किया जा सकता है; और/या ii) संचालन का क्षेत्र प्रतिबंधित किया जा सकता और/या iii) नए प्रचालकों के पंजीकरण पर ऐसी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिसे उचित समझा जाए; और / या iv) 5 लाख तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है v) 6 महीने तक की अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है।

2. **ऑपरेटर**

1	यदि कोई ऑपरेटर एनपीओपी के तहत निर्धारित मानकों का पालन करने में विफल रहता है।	दस लाख रूपए (10,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा, प्रमासणन एक वर्ष तक के लिए वापस लिया जा सकता है।
2	यदि प्रमाणित जैविक उत्पादों में निषिद्ध पदार्थों के अवशेषों की उपस्थिति के लिए ऑपरेटर (निर्यातिक, प्रोसेसर, उत्पादक समूह सहित उत्पादक या जंगली कलेक्टर सहित व्यापारी, जैसा भी मामला हो) की ओर से गैर-अनुरूपता दोहराई जाती है।	पांच लाख रूपए (5,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

3	यदि प्रमाणित जैविक उत्पादों में प्रतिबंम धित पदार्थों के अवशेषों की उपस्थिति के लिए अननुरूपता दोहराई जाती है।	दस लाख रूपए (10,00,000/- रूपए)तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक पर 3 वर्ष तक प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
4	यदि कोई ऑपरेटर उपरोक्त उपबंधों के अनुसार लगाए गए आर्थिक जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहता है।	राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) ऐसे ऑपरेटरों के साथ-साथ उनके प्रमो-टरों/मालिकों को अधिकतम 3 वर्षों के लिए काली सूची में डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) को ऐसे जुर्माने की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्-रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।
5	यदि किसी ऑपरेटर को जानबूझस कर/स्वेच्छा से कोई गलत या भ्रामक जानकारी या दस्तावेज प्रदान करते हुए पाया जाता है।	पांच लाख रूपए (5,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
6	ऐसे उत्पादों के लिए जो एनपीओपी के तहत प्रमाणित नहीं हैं, ऑपरेटर द्वारा 'इंडिया ऑर्गेनिक' प्रमाणन चिह्न का उपयोग करना।	दो लाख रूपए (2,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
7	यदि कोई प्रमाणित ऑपरेटर उत्तरव-र्ती अपराध (subsequent offence) करता है, चाहे वह पिछले अपराध के समान या समान प्रकृति का हो या किसी भिन्न प्रकार का।	दस लाख रूपए (10,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रचालक पर 3 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

3. **आईसीएस का बाह्य(External) सेवा प्रदाता, यदि कोई हो**

क्र. सं.	अननुरूपता की प्रकृति	निर्धारित प्रतिबंध
1	आईसीएस प्रबंधक, उत्पादकों आदि के गलत/अशुद्ध विवरण प्रस्तुत करना।	एक लाख रूपए (1,00,000/-) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
2	आईसीएस कार्यालय का अन्यथा कथन (Misrepresentation) ।	एक लाख रूपए (1,00,000/-) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
3	उत्पादकों के अशुद्ध/गलत पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना।	पांच लाख रूपए (5,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
4	उत्पादक समूह (Grower Group) के गलत कानूनी इकाई दस्तावेज़ प्रस्तुत करना।	पांच लाख रूपए (5,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।
5	राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा पाया गया कोई अन्य उल्लंघन या बार-बार उल्लंघन के मामले ।	पांच लाख रूपए (5,00,000/- रूपए) तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) सेवा प्रदाता को 3 वर्ष तक की अवधि के लिए काली सूची में भी डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) को ऐसे जुर्माने की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा।

7 जैविक प्रमाणन चिह्न

7.1 परिचय

जैविक प्रमाणन चिह्न - किसी उत्पाद पर "इंडिया ऑर्गेनिक लोगो" यह दर्शाता है कि उत्पाद को राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकाय द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया है। एनपीओपी के तहत जैविक के रूप में प्रमाणित सभी उत्पादों को यहां निर्दिष्ट शर्तों के अधीन इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का उपयोग करने का लाइसेंस दिया जाएगा।

ट्रेडमार्क- "इंडिया ऑर्गेनिक लोगो" का उपयोग करने का लाइसेंस राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन के आधार पर दिया जाएगा। "इंडिया ऑर्गेनिक" लोगो यह दर्शाएगा कि जैविक उत्पाद का उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेन-देन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत किया गया है।

ट्रेडमार्क "इंडिया ऑर्गेनिक" का स्वामित्व भारत सरकार के पास है। "इंडिया ऑर्गेनिक" लोगो का उपयोग करने का लाइसेंस ऐसे उत्पादकों, निर्माताओं, प्रोसेसर्स और निर्यात-कों को दिया जाएगा जिनके उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों द्वारा विधिवत् प्रमाणित हैं। "इंडिया ऑर्गेनिक" लोगो का उपयोग यहाँ निर्धारित/अधिसूचित विनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

7.2 इंडिया ऑर्गेनिक लोगो

i. **राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)** के अंतर्गत इंडिया ऑर्गेनिक लोगो नीचे दिया गया है:

इंडिया ऑर्गेनिक लोगो में उपर्युक्त सूचीबद्ध रंग विनिर्देश शामिल होने चाहिए

The Indian Organic Logo must comprise of the colour specifications listed below:-

C - 52 M - 8 Y - 100 K - 0	C - 0 M - 78 Y - 77 K - 0	C - 44 M - 11 Y - 0 K - 0

ii. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का प्रयोग काले और सफेद रंग में भी किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। अपवाद स्वरूप केवल प्राथमिक उत्पादन स्तर पर और ऐसी परिस्थितियों में जहां इसे रंग में लागू करना संभव न हो:

iii. काले और सफेद रंग में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के उपयोग के लिए प्रमाणन निकाय से पूर्व लिखित अनुमति मांगी जाएगी, जिसमें ऐसे अनुरोध का स्पष्ट औचित्य का उल्लेख किया जाएगा।

iv. काले और सफेद रंग में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का उपयोग केवल प्राथमिक उत्पादन स्तर पर और उन उत्पादों और कार्य-क्षेत्र के लिए किया जाएगा जिनके लिए लिखित में अनुमति दी गई है।

7.3 जैविक लोगो की अवधारणा

बल और ऊर्जा की नीली और मूंगा तरंगों द्वारा दर्शाए गए ब्रह्मांडीय और पृथ्वी बलों की लय का प्रतीक, 'इंडिया ऑर्गेनिक' लोगो प्रकृति के सार का प्रतीक है। ये बल पृथ्वी के पर्यावरण पर सामंजस्य में काम करते हैं और इस लय को हरे पौधे के विकास द्वारा सुदृढ़ और समर्थित किया जाता है। लोगो की अवधारणा में इस्तेमाल किए गए रंगों का एक विशेष महत्व है। नीले रंग में ब्रह्मांडीय बल सार्वभौमिक शुद्धता का प्रतीक है। हरे रंग का पौधा प्रकृति और रसायनों से अछूते प्राकृतिक उत्पादों के रंग का उपयोग करता है। नीली पृष्ठभूमि पृथ्वी के पर्यावरण का प्रतीक है जो जीवन के लिए अनुकूल है और प्रदूषण और हानिकारक रसायनों से भी मुक्त है। सतह पर उकेरा गया इंडिया ऑर्गेनिक वाहक को "ऑर्गेनिक" के रूप में प्रमाणित करता है और चिह्न के सभी वाहकों के लिए भारतीय संबंध भी स्थापित करता है। जैविक खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने के भारत के संकल्प की पुष्टि करने के लिए देवनागरी और रोमन लिपि में नीचे "जैविक भारत" शब्द उकेरे गए हैं। हमारे पर्यावरण के सभी तत्वों को खूबसूरती से संश्लेषित करते हुए, लोगो राष्ट्रीय जैविक मानकों के पूर्ण पालन का भी संचार करता है।

7.4 प्रमाणन ट्रेडमार्क 'इंडिया ऑर्गेनिक लोगो' के उपयोग को नियंत्रित करने वाले विनियम

निम्नलिखित विनियम, जिनमें कोई भी संशोधन और परिवर्धन शामिल हैं, केवल जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक और लेबल किए गए प्रमाणित उत्पादों पर प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस देने के लिए लागू होंगे।

7.4.1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को भारत जैविक प्रमाणन ट्रेडमार्क विनियम, 2024 कहा जाएगा।

7.4.2 परिभाषाएँ – इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

क. "आवेदक" का तात्पर्य किसी भी निर्माता, प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातिक से है जो प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रमाणन निकाय को आवेदन करता है।

ख. "प्रमाणन ट्रेडमार्क" का तात्पर्य इंडिया ऑर्गेनिक लोगो से है जैसा कि ऊपर विनियमन 7.2 (i) में दर्शाया गया है।

ग. "प्रमाणन निकाय" का तात्पर्य राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) की ओर से राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) को संचालित करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा प्रत्यायन प्राप्त और अधिकृत एजेंसी से होगा।

घ. "लाइसेंसधारी" / "अधिकृत उपयोगकर्ता" का तात्पर्य ऐसे आवेदक से है जिसे प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

ङ. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा नियुक्त निकाय से है ।

च. "राष्ट्रीय संचालन समिति" (एनएससी) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार समिति है और इसमें एपीडा, चाय बोर्ड, स्पाइसेज(Spices) बोर्ड, कॉफी बोर्ड, कृषि मंत्रालय आदि के सदस्य शामिल हैं और इसमें समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य निकाय भी शामिल हो सकता है।

छ. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)) भारत सरकार के एक कार्यक्रम को संदर्भित करता है जो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।

ज. "जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानक" का तात्पर्य राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में निहित मानकों से होगा।

झ. "विनियम" का तात्पर्य भारत ऑर्गेनिक लोगो के उपयोग को नियंत्रित करने वाले तत्काल विनियमों से होगा, जिन्हें समय-समय पर NAB द्वारा संशोधित किया जाता है। विनियमन उसी तरह सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले हैं जैसे भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुला है, विनियमन का

कोई भी संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि संशोधित विनियमन को भारतीय ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

ट. विनियमों में प्रयुक्त तथा इसमें परिभाषित न किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अंग्रेजी भाषा में निर्दिष्ट सामान्य अर्थ होगा।

7.4.3 भारत ऑर्गेनिक लोगो का उपयोग; अधिकृत उपयोगकर्ता

7.4.3.1 किसी उत्पाद को "जैविक उत्पाद" के रूप में निर्यात करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उसे राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के उपबंधों के तहत गठित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा अधिकृत प्रमाणन निकायों द्वारा जारी प्रमाणन ट्रेडमार्क के तहत उत्पादित, संसाधित और पैक किया गया हो।

7.4.3.2 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्रमाणन ट्रेडमार्क का एकमात्र, पूर्ण और अनन्य स्वामी है। प्रमाणन निकाय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अभिकरण (एजेंट) हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और प्रमाणन निकायों के बीच संबंध पार्टियों के बीच किए गए एजेंसी एग्रीमेंट की शर्तों द्वारा शासित होते हैं।

7.4.3.3 प्रमाणन निकाय, किसी आवेदक को प्रमाणन प्रदान करते समय, केवल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और ऐसे आवेदक को प्रदान किया गया कोई भी प्रमाणन अंततः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान और अधिकृत माना जाएगा।

7.4.3.4 **लाइसेंस का निरसन (Revocation):** प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने का लाइसेंस का प्रतिसंहरण किया जा सकता है यदि लाइसेंसधारी:

क. प्रमाणन ट्रेडमार्क की वैधता को चुनौती देता है; या

ख. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रमाणन ट्रेडमार्क में सभी अधिकार, शीर्षक और हित के एकमात्र, पूर्ण और अनन्य स्वामित्व तथा उससे संबद्ध सद्भावना को चुनौती देता है; या

ग. कोई ऐसा कार्य करता है, जिससे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारों तथा प्रमाणन ट्रेडमार्क या उससे संबद्ध सद्भावना को क्षति पहुंचती है।

7.4.3.5 भारत में प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए आवेदक को दिया गया लाइसेंस एक विशेषाधिकार है जो उसे अपनी इच्छा से दिया जाता है और यह कानूनी रूप से

लागू करने योग्य अधिकार, शीर्षक या हित का गठन नहीं करता है। हर समय यह अनुमति विनियमों में निहित अधिकारों, कर्तव्यों और प्रतिबंधों के अधीन है। प्रमाणन स्वीकार करके, लाइसेंसधारी यह स्वीकार करता है कि:

क. प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना प्रमाणन ट्रेडमार्क में किसी अधिकार, शीर्षक या हित का असाइनमेंट या अनुदान नहीं है।

ख . प्रति कोई अधिकार, शीर्षक या हित यहां दी गई अनुमति के आधार पर या प्रमाणन ट्रेडमार्क के किसी भी उपयोग के माध्यम से प्राप्त या दावा नहीं किया जा सकता है; कक

ग. प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग से प्राप्त सभी सद्भावना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लाभ के लिए है; तथा

घ. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय प्रमाणन ट्रेडमार्क का एकमात्र, पूर्ण और अनन्य स्वामी है।

7.4.3.6 **लाइसेंसधारी/अधिकृत उपयोगकर्ता का रजिस्टर:** प्रमाणन निकाय(ओं) के माध्यम से राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) लाइसेंसधारियों/अधिकृत उपयोगकर्ताओं का एक रजिस्टर का रखरखाव करेगा जो प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं।

7.5 लाइसेंस के लिए आवेदन करने का तरीका

7.5.1 प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन, निर्धारित फॉर्म 1 पर प्रमाणन निकाय को किया जाएगा।

7.5.2 लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ एक विवरण संलग्न किया जाएगा जिसमें निरीक्षण और परीक्षण की किसी योजना का विस्तृत विवरण होगा, जिसे आवेदक बनाए रखता है या प्रयोग में रहा है या बनाए रखने या प्रयोग में लाने का प्रस्ताव करता है और जो विनिर्माण या उत्पादन के दौरान उस उत्पाद या प्रक्रिया की गुणवत्ता को वि-नियमित करने के लिए तैयार की गई है जिसके लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।

7.5.3 प्रत्येक आवेदन पर व्यक्ति के मामले में आवेदक द्वारा या फर्म के मामले में फर्म के स्वामी, भागीदार या प्रबंध निदेशक द्वारा या फर्म की ओर से किसी घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। आवेदन पर

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम आवेदन पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थान पर स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

7.5.4 प्रमाणन निकाय द्वारा लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन प्राप्त होने पर, उसे प्राप्ति के प्राथमिकता क्रम में क्रमांकित किया जाएगा तथा उसकी पावती दी जाएगी।

7.5.5 प्रमाणन निकाय किसी भी आवेदक से उसके आवेदन में दिए गए किसी कथन के समर्थन में या उसे प्रमाणित करने के लिए प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई अनुपूरक सूचना या दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता है, और ऐसे निर्देश के अनुपालन न किए जाने पर प्रमाणन निकाय द्वारा आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वी-कृत किया जा सकता है।

7.5.6 लाइसेंस के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और लाइसेंस देने से पहले, प्रमाणन निकाय निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

क. इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि जिस उत्पाद या प्रक्रिया के संबंध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है वह एनपीओपी और एनएसओपी में निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप है;

ख. इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि आवेदक के पास नियमित निरीक्षण और परीक्षण की एक योजना है, जो पर्याप्त रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी चिह्नित उत्पाद या प्रक्रिया एनपीओपी और एनएसओपी में निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुरूप होंगे ;

ग. प्रमाणन निकाय के निरीक्षक को आवेदक के फार्म, प्रसंस्करण इकाई, कार्यालय, कार्यशाला, परीक्षण प्रयोगशाला या गोदाम तथा अन्य किसी परिसर का निरीक्षण करने तथा आवेदक द्वारा खंड (क) या खंड (ख) या दोनों के अधीन प्रस्तुत साक्ष्य के सत्यापन के लिए नमूना या नमूनों को लेने और उनका परीक्षण करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा करना;

घ. खंड (क) के प्रयोजन के लिए, आवेदक को ऐसे परीक्षण प्राधिकरण को नमूने प्रस्तुत करने का निर्देश दें, जिसे प्रमाणन निकाय उचित समझे। परीक्षण का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा; तथा

ङ. खंड (ग) और (घ) या दोनों के तहत प्राप्त किसी भी रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणन निकाय जैसा उचित समझे, आवेदक को उसके द्वारा उपयोग में लाई जा रही

विनिर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया में, या इसके अतिरिक्त, ऐसे बदलाव करने के लिए कह सकता है।

7.6 लाइसेंस की मंजूरी

7.6.1 यदि, अपेक्षित कौशल, संसाधन, उत्पादन, प्रसंस्करण, पिछले प्रदर्शन और लाइसेंस जारी करने के लिए प्रासंगिक पूर्ववृत्त को ध्यान में रखते हुए, प्रमाणन निकाय संतुष्ट है कि आवेदक प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है तो प्रमाणन निकाय किसी भी उत्पादन, विनिर्माण या कार्य में नियोजित प्रक्रिया के संबंध में आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद या उत्पादों के वर्ग के संबंध में प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग को अधिकृत करने के लिए फॉर्म 2 में लाइसेंस प्रदान करेगा, इन विनियमों में निर्दिष्ट ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन। प्रमाणन निकाय आवेदक को लाइसेंस प्रदान करने के बारे में सूचित करेगा ।

क. आवेदक प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने का हकदार होगा और इसका उपयोग ऐसे उत्पादों या सेवाओं तक सीमित रहेगा, जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में निर्धारित उत्पादों के मानदंडों और मानक विनिर्देशों को पूरा करेंगे। प्रमाणन ट्रेडमार्क को उत्पादों पर चिपकाया जा सकता है और/या पैकेजिंग या प्रचार सामग्री पर या विज्ञापन गतिविधियों के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है।

ख. उपर्युक्त प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने के अधिकार को वापस लेने की स्थिति में, प्रमाणपत्र या लाइसेंस प्रमाणन निकाय को वापस कर दिया जाएगा। प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार उसी समय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) और/या प्रमाणन निकाय के खिलाफ बिना किसी भी क्षतिपूर्ति दावे को जन्म दिए समाप्त हो जाता है।

ग. आवेदक को उपर्युक्त प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग का अधिकार इसे नियंत्रित करने वाले विनियमों के अनुसार है।

घ. जहां लाइसेंस के लिए आवेदन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसका लाइसेंस प्रमाणन निकाय द्वारा गलत जानकारी देने या प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग उस उत्पाद के अलावा किसी अन्य उत्पाद के संबंध में करने के कारण रद्द कर दिया जाता है जिसके लिए उसे लाइसेंस दिया गया है, वह प्रमाणन निकाय द्वारा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि के लिए पुनः आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा। किसी भी स्थिति

में, ऐसी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

7.6.2 राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में समय-समय पर निर्धारित फॉर्म 2 पर एक वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा तथा लाइसेंसधारी द्वारा फॉर्म 3 में घोषणा दी जाएगी।

7.6.3 प्रमाणन निकाय लाइसेंसधारी को एक माह का नोटिस देकर लाइसेंस की वैधता के दौरान लाइसेंस प्रदान किए गए किसी भी नियम व शर्तों में रूपांतरण कर सकता है।

7.6.4 जहां प्रमाणन निकाय, प्रारंभिक जांच के बाद, का यह विचार हो कि लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए, वहां वह आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हो तथा आवेदन को अस्वीकार करने से पहले आवेदक की ओर से दिए गए किसी तथ्य या स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है।

7.6.5 लाइसेंस उस अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा जिसके लिए इसे प्रदान किया गया है।

7.7 लाइसेंस की शर्तें-

7.7.1 प्रमाणन ट्रेडमार्क को इस तरह से लागू किया जाएगा कि यह उत्पादों या पैकेजिंग पर या उन वस्तुओं से संबंधित परीक्षण प्रमाणपत्रों पर एक अलग चिह्न के रूप में आसानी से दिखाई दे सके जिन्हें लेबल या कवर नहीं किया जा सकता है। प्रमाणन ट्रेडमार्क केवल उन उत्पादों के प्रकारों, ग्रेड, वर्गों, किस्मों, आकारों पर लागू किया जाएगा जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है। जिस तरीके से लाइसेंसधारक प्रमाणन ट्रेडमार्क रखने या उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, उसे प्रमाणन निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

7.7.2 जब किसी वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में प्रमाणन ट्रेडमार्क निर्दिष्ट किया गया है तो वैध लाइसेंस रखने वाले लाइसेंसधारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी विज्ञापन, बिक्री संवर्धन पत्रक, मूल्य सूची या इसी तरह के माध्यम से कोई सार्वजनिक दावा नहीं करेगा कि उसका उत्पाद प्रासंगिक प्रमाणन ट्रेडमार्क के अनुरूप है या प्रमाणन ट्रेडमार्क रखता है।

7.7.3 प्रत्येक लाइसेंसधारी, प्रमाणन निकाय की संतुष्टि के लिए, परीक्षण और निरीक्षण की योजना के माध्यम से अपने उत्पादन या प्रक्रिया की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करेगा और का रखरखाव करेगा, ताकि यह सुनिन

श्चित किया जा सके कि जिन वस्तुओं या प्रक्रियाओं के संबंध में प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग किया जा रहा है, वे प्रमाणन निकाय और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के प्रासंगिक मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हैं।

लाइसेंसधारी को परीक्षण और निरीक्षण का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और परीक्षण और निरीक्षण के लिए योजना में निर्दिष्ट ऐसे अन्य डेटा को रखना होगा, ताकि प्रमाणन निकाय की संतुष्टि के लिए यह स्थापित किया जा सके कि उत्पादन या प्रक्रिया का अपेक्षित नियंत्रण संतोषजनक ढंग से रखा गया है और रखा जा रहा है। ऐसे रिकॉर्ड, मांगे जाने पर, प्रमाणन निकाय को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

7.7.4 क. प्रमाणन निकाय द्वारा दिया गया कोई भी लाइसेंस उसके द्वारा निलंबित या निरस्त किया जा सकता है, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाता है कि:

i. किसी लाइसेंस के तहत प्रमाणन ट्रेडमार्क के साथ चिह्नित उत्पाद राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में निर्धारित संबंधित मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं करते हैं; या

ii. लाइसेंसधारी ने प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग ऐसी प्रक्रिया के संबंध में किया है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में निर्धारित प्रक्रियाओं और विनिर्देशों का अनुपालन नहीं करते है; या

iii. लाइसेंसधारी प्रमाणन निकाय को उन पर लगाए गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है; या

iv. लाइसेंसधारी लाइसेंस की किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहा है।

ख. प्रमाणन निकाय द्वारा किसी लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने से पहले, उसे लाइसेंसधारक को लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने के अपने इरादे की कम से कम चौदह दिन पहले सूचना देनी होगी।

ग. ऐसे नोटिस के प्राप्त होने पर, लाइसेंसधारी इसके प्राप्त होने के चौदह दिन के भीतर प्रमाणन निकाय को अपनी ओर से स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। यदि स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है तो प्रमाणन निकाय स्पष्टीकरण पर विचार कर सकता है और ऐसे स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन

के भीतर या नोटिस की समाप्ति से पहले, जो भी अधिक हो, लाइसेंसधारी को सुनवाई का अवसर दे सकता है।

घ. यदि कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्रमाणन निकाय नोटिस की अवधि समाप्त होने पर , उप-पैरा (सी) में निर्धारित अवधि की समाप्ति के 14 दिन के भीतर लिखित संचार द्वारा लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।

ङ. जहां लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया गया है, लाइसेंसधारी को मध्यस्थ के समक्ष किसी कार्यवाही के लंबित रहने के बावजूद प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए और यदि लाइसेंसधारी या उसके एजेंटों के पास स्टॉक में कोई ऐसी वस्तु है जिस पर अनुचित रूप से चिह्नांकन किया गया है तो लाइसेंसधारी या उसके एजेंट, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं पर प्रमाणन ट्रेडमार्क को हटाने, रद्द करने, विरूपित करने या मिटाने के लिए कदम उठाएंगे।

7.7.5 जब लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाता है तो प्रमाणन निकाय लाइसेंसधारी को लिखित रूप में सूचित करेगा और ऐसे निलंबन या रद्दीकरण को उस तरीके से प्रकाशित करेगा, जैसा कि प्रमाणन निकाय द्वारा उचित पाया जाए।

7.7.6 यदि, किसी भी समय,

क. उत्पाद अथवा विनिर्देशन की मदों की अनुरूपता का रखरखाव करने में कोई कठिनाई आती है या यदि परीक्षण उपकरण खराब हो जाता है तो लाइसेंसधारी द्वारा प्रमाणन निकाय को सूचना के अंतर्गत उत्पाद का अंकन रोक दिया जाएगा। दोषों के दूर होते ही अंकन फिर से शुरू किया जा सकता है और उसके तुरंत बाद अंकन की ऐसी बहाली के बारे में सूचना प्रमाणन निकाय को भेजी जानी चाहिए।

ख. प्रमाणन निकाय के पास पर्याप्त सबूत हैं कि प्रमाणन ट्रेडमार्क वाला उत्पाद निर्दिष्ट मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं हो सकता है, लाइसेंसधारी को ऐसे उत्पाद पर मार्किंग रोकने का निर्देश दिया जाएगा। प्रमाणन निकाय द्वारा उत्पाद पर मार्किंग की बहाली की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह स्वयं संतुष्ट हो जाए कि लाइसेंसधारी ने कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की है।

7.7.7 ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रमाणन निकाय का निर्णय, पंजीकृत डाक द्वारा लिखित रूप में, आवेदक या लाइसेंसधारी को, यथास्थिति, सूचित किया जाएगा ।

7.7.8 आवेदक या लाइसेंसधारी के अनुरोध पर विशेष रूप से किया गया निरीक्षण आवेदक या लाइसेंसधारी के खाते में प्रभार्य होगा। ऐसे विशेष निरीक्षण या निरीक्षणों के लिए शुल्क ऐसे होंगे जैसा प्रमाणन निकाय द्वारा तय किया जा सकता है।

7.7.9 जब प्रमाणन निकाय के निर्दिष्ट मानदंड और प्रक्रियाएं वापस ले ली जाती हैं और किसी अन्य मानदंड और प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्थापित नहीं की जाती हैं तो उसके संबंध में जारी किया गया कोई भी लाइसेंस ऊपर बताए गए निर्दिष्ट मानदंडों और प्रक्रियाओं की वापसी की तारीख से रद्द माना जाएगा और ऐसा कोई भी लाइसेंस लाइसेंसधारी द्वारा तुरंत प्रमाणन निकाय को सौंप दिया जाएगा। ऐसे रद्द किए गए लाइसेंस के मामले में, लाइसेंस शुल्क का एक हिस्सा, यदि अग्रिम भुगतान किया गया है तो लाइसेंस की अवधि के अनुपात में लाइसेंसधारी द्वारा देय किसी भी भविष्य के शुल्क के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा या प्रमाणन निकाय के निर्णयों के आधार पर लाइसेंस शुल्क का उक्त हिस्सा वापस किया जा सकता है।

7.7.10 किसी भी उत्पाद या प्रक्रिया के संबंध में निरीक्षण के मामले में निम्नलिखित प्रक्रियाएं लागू होंगी, जहां उस वस्तु या प्रक्रिया के संबंध में प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी किया गया है, या लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है।

क. जब प्रमाणन निकाय किसी आवेदक की प्रक्रिया या उत्पाद का निरीक्षण करने का प्रस्ताव करता है तो उसे, अधिमानतः, आवेदक को अपने दौरे की उचित सूचना देनी चाहिए। हालाँकि, जहाँ प्रमाणन निकाय किसी लाइसेंसधारी के परिसर का निरीक्षण करने का प्रस्ताव करता है, वहाँ ऐसी सूचना देना आवश्यक नहीं है;

ख. यदि निरीक्षण के दौरान प्रमाणन निकाय किसी उत्पाद, सामग्री या पदार्थ का एक या अधिक नमूना लेना चाहता है तो उसे आवेदक या आवेदक के प्रतिष्ठान से संबंधित किसी जिम्मेदार व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसा करना होगा ;

ग. प्रमाणन निकाय अपने विवेकानुसार, और यदि आवेदक या प्रतिष्ठान से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति इसकी मांग करता है तो डुप्लिकेट नमूने ले सकता है और आवेदक या ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को एक नमूना दे सकता है;

घ. प्रमाणन निकाय अपने विवेकानुसार, और यदि आवेदक या प्रतिष्ठान से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति इसकी मांग करता है तो प्रत्येक ऐसे नमूने को एक आवरण में

रख सकता है और प्रत्येक नमूने को संयुक्त रूप से सील कर सकता है। प्रमाणन निकाय द्वारा लिए गए नमूनों के मामले में जिन्हें इस तरह सील नहीं किया जा सकता है, ऐसे नमूनों पर उनकी पहचान स्थापित करने के लिए कुछ पहचान चिह्न लगाए जाएंगे ;

ङ प्रमाणन निकाय की रिपोर्ट में मुहरों की छाप और पहचान का विवरण दिया जाएगा। नमूनों पर पूरा विवरण देते हुए लेबल लगाया जाएगा; और

च. प्रमाणन निकाय किसी नमूने या नमूनों के लिए रसीद देगा तथा उस रसीद की एक प्रति अपने पास रखेगा जिस पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसकी उपस्थिति में नमूना लिया गया था।

7.7.11 प्रमाणन निकाय, आवेदक के किसी एजेंट के गोदामों या ऐसे किसी परिसर से या आवेदक या उसके एजेंट द्वारा खुले बाजार में बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं से प्रमाणन ट्रेडमार्क से चिह्नित उत्पादों के नमूने ले सकता है।

7.7.12 प्रमाणन निकाय प्रत्येक स्वीकृत लाइसेंस के संबंध में वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण दौरा की व्यवस्था करेगा।

7.7.13 प्रमाणन निकाय अपने द्वारा किए गए प्रत्येक निरीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

7.8 शुल्क

7.8.1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) सचिवालय को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शुल्क देय होगा।

7.8.2 प्रमाणन निकाय को लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क रसीद के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

7.8.3 किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई शुल्क या उसका कोई भाग वापस नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसमें अन्यथा उपबंध किया गया हो।

7.9 वचनबंध

लाइसेंस प्रदान किए जाने से पूर्व, आवेदक को इस आशय का एक वचनबंध हस्ताक्षरित करना होगा कि वह प्रत्यक्ष या निहित रूप से ऐसा कोई दावा नहीं करेगा कि प्रदान किया

जाने वाला लाइसेंस, लाइसेंस में निर्धारित उत्पादों या प्रक्रियाओं के अलावा किसी अन्य उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित है।

7.10 निगरानी और नियमित समीक्षा

क. लाइसेंस दिए जाने के बाद निगरानी दौरे किए जाएंगे। दौरे की आवृत्ति और सीमा प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

ख. निगरानी दौरे आवेदक को सूचित किए बिना भी किए जा सकते हैं , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले से मूल्यांकित प्रणालियां और प्रक्रियाएं कायम रखी जा रही हैं।

ग. विशेष पुनर्मूल्यांकन दौरा तब आवश्यक होगा जब आवेदक लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल हो या आवेदक के संगठन में महत्वपूर्ण रूपांतरण हुए हों। लाइसेंसधारक ऐसे विशेष दौरों की लागत के लिए उत्तरदायी होगा।

7.11 प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग

क. लाइसेंसधारी प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग केवल प्रमाणन निकाय द्वारा अधिकृत रूप में ही कर सकता है।

ख. किसी आवेदक को, जिसे इन विनियमों के अंतर्गत किसी निश्चित उत्पाद के लिए प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है, वह लाइसेंस का उपयोग केवल उसी विशेष उत्पाद के लिए करेगा।

7.12 प्रचार

क. प्रमाणन निकाय लाइसेंसधारियों की सूची का रखरखाव करेगा और उसे एपीडा को उपलब्ध कराएगा ;

ख. सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा;

ग. लाइसेंसधारी संभावित ग्राहकों, क्रेताओं या क्रय प्राधिकारियों को लाइसेंस का पूर्ण और सटीक विवरण सूचित करेगा;

घ. अपने परिसर में लाइसेंस प्रदर्शित करना होगा ;

ङ लाइसेंसधारी प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग अधिकृत रूप से करेगा ;

च. लाइसेंसधारक को दस्तावेजीकरण ब्रोशर या विज्ञापन मीडिया के माध्यम से यह बताना होगा कि जिस संगठन या स्थान पर लाइसेंस लागू होता है, उसका मूल्यांकन प्रमाणन निकाय द्वारा किया गया है और उसे मंजूरी दी गई है। ऐसे विज्ञापन में उन उत्पादों या प्रक्रियाओं से संबंधित मानकों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है और दिए गए अनुमोदन से उच्च स्तर की स्वीकृति निहित नहीं होनी चाहिए;

7.13 आवेदक के दायित्व

प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग हेतु लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदक के निम्नलिखित दायित्व होंगेः-

क. हर समय लाइसेंस की आवश्यकताओं का अनुपालन करना तथा इन विनियमों या इनमें किए गए किसी भी संशोधन का अनुपालन करना;

ख. केवल यह दावा करना कि उसके पास उस क्षमता के संबंध में लाइसेंस है जो लाइसेंस का विषय है और जो लाइसेंस आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों या प्रक्रियाओं से संबंधित है;

ग. उपयोग नहीं करेगा जिस पर प्रमाणन निकाय को आपत्ति हो और आवेदक के लाइसेंस के उपयोग के प्राधिकार के संबंध में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगा जो प्रमाणन निकाय की राय में भ्रामक हो;

घ. प्रमाणन निकाय को अनुमोदन के लिए वह फॉर्म प्रस्तुत करना जिसमें वह अपने लाइसेंस का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है या लाइसेंस का संदर्भ देने का प्रस्ताव करता है;

ङ लाइसेंस के निलंबन या समाप्ति पर, जैसा भी निर्धारित किया जाए, उसका उपयोग तत्काल बंद कर दिया जाएगा और सभी प्रचार और विज्ञापन सामग्री वापस ले ली जाएगी जिसमें इसका कोई संदर्भ हो ;

च. मूल्यांकन, लेखा परीक्षा या निगरानी के प्रयोजनों के लिए प्रमाणन निकाय के निरीक्षक को पहुँच की अनुमति देना। लाइसेंसधारक लाइसेंस में शामिल उत्पादों या प्रक्रियाओं में दोषों के आरोपों से उत्पन्न होने वाली क्षेत्र की समस्याओं के जवाब में की गई सभी कार्रवाइयों का पूरा विवरण देगा और प्रमाणन निकाय के निरीक्षक को ऐसे विवरणों को सत्यापित करने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक

रिकॉर्ड और दस्तावेजों तक पहुँच की अनुमति देगा ;

छ. लाइसेंस द्वारा कवर किए गए उत्पादों या प्रक्रियाओं के लिए संचालन जारी रखने का सबूत पेश करना आवश्यक होगा। लाइसेंसधारक को प्रमाणन निकाय को तीन महीने से अधिक समय तक ऐसे संचालन में रुकावट के बारे में लिखित रूप में सूचित करना होगा। छह महीने या उससे अधिक समय तक लाइसेंस बंद रहने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, प्रमाणन निकाय के पास एक नया आवेदन दर्ज किया जाएगा और नया लाइसेंस देने से पहले मूल्यांकन दौरा आवश्यक होगा ;

ज. प्रमाणन निकाय को उसके द्वारा निर्धारित तरीके से सभी वित्तीय बकाया का भुगतान करना होगा, यहां तक कि लाइसेंस की समाप्ति या निलंबन की अवधि के लिए भी।

7.14 लाइसेंस का अभ्यर्पण (surrender)

लाइसेंसधारक द्वारा किसी भी समय प्रमाणन निकाय को लिखित रूप में लाइसेंस का अभ्यर्पण किया जा सकता है। अभ्यर्पण के मामले में, लाइसेंसधारक को लाइसेंस को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रमाणन निकाय को वापस करना होगा।

7.15 प्रमाणन निकाय के अधिकार

प्रमाणन निकाय अपने विवेकानुसार:

क. लाइसेंस देने से मना करना या उसका कार्य-क्षेत्र बढ़ाना या लाइसेंस के दायरे को कम करने के लिए उसे रद्द करना या बदलना, बशर्ते कि इनकार, रद्द करना या बदलना प्रमाणन निकाय के निरीक्षक की सिफारिश हो, जिसके बारे में प्रमाणन निकाय द्वारा गठित समिति का निर्णय निर्णायक होगा। अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत या रद्द करने से इनकार करना, निगरानी और नियमित समीक्षा के दौरान मूल्यांकन/लेखा परीक्षा पर प्रमाणन निकाय के निरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित होगा। ऐसे निर्णयों को लाइसेंसधारक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा;

ख. प्रमाणन निकाय को लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार होगा यदि निम्नलिखित के अननुपालन के पर्याप्त आधार हों:

i. यदि प्रमाणन निकाय द्वारा निगरानी से प्रासंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप

न होने का प्रमाण मिलता है, परंतु तत्काल समाप्ति आवश्यक नहीं समझी जाती है;

ii. यदि लाइसेंस, संबंधित दस्तावेजों के अनुचित उपयोग को प्रमाणन निकाय की संतुष्टि के अनुसार ठीक नहीं किया जाता है ;

iii. यदि प्रमाणन निकाय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का कोई उल्लंघन हुआ है;

iv. यदि लाइसेंसधारी प्रमाणन निकाय के प्रति वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है; और

v. लाइसेंसधारी और प्रमाणन निकाय के बीच प्रक्रियाओं, नियमों या औपचारिक रूप से सहमत किसी अन्य आधार पर।

ग. जहां किसी लाइसेंस को उसकी वैधता की अवधि की समाप्ति पर निलंबित या रद्द कर दिया गया है, वहां लाइसेंसधारी पैरा 16 के अनुसार किसी अपील के लंबित रहने के बावजूद लाइसेंस का उपयोग तुरंत बंद कर देगा और लाइसेंस तथा संबंधित दस्तावेज प्रमाणन निकाय को वापस कर देगा।

घ. जहाँ लाइसेंसधारी उचित समयावधि में किसी भी कमी को दूर करने में असमर्थ है, जिसके कारण लाइसेंसधारी इस योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असमर्थ है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में लाइसेंस रद्द करने के लिए लाइसेंसधारी को नए लाइसेंस के अनुदान के लिए इन विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक नया आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

7.16 लाइसेंस का दुरूपयोग

निम्नलिखित के तुरंत बाद भारत जैविक प्रमाणन ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए लाइसेंस का प्रदर्शन या अन्यथा उपयोग करना बंद नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने लाइसेंस का दुरूपयोग किया है :

क. राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रत्यायन का अभ्यर्पण, निलंबन, वापसी या समाप्ति ;

ख. लाइसेंस का अभ्यर्पण, निलंबन या निरस्तीकरण ;

ग. लाइसेंसधारी प्रमाणन निकाय द्वारा दी गई सलाह के अनुसार परिवर्तनों को

लागू करने में विफल रहा है।

भारत जैविक प्रमाणन चिह्न के उपयोग हेतु लाइसेंस के दुरूपयोग के मामले में, लाइ-सेंसधारी पर लागू कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है।

7.17 अपील

इस अध्याय के अंतर्गत प्रमाणन निकाय के किसी आदेश से उत्पन्न होने वाली कोई भी अपील राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) के समक्ष होगी तथा ऐसे आदेश की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर दायर की जाएगी। यदि पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) उन मामलों में विलंब को माफ कर सकता है, जहां अपील 30 दिन की समाप्ति के बाद दायर की गई हो।

अपील का निपटारा करते समय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) का निर्णय अंतिम होगा तथा उससे संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा

फॉर्म I

जैविक उत्पाद प्रमाणन चिह्न विनियम 2024 के अंतर्गत

प्रमाणन ट्रेड मार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन

*मैं/हम _____

स्थान पर व्यवसाय रत हैं तथा हमारे व्यवसाय की शैली _____ है। हम एतद्द्वारा उस उत्पाद/प्रक्रिया के संबंध में इंडिया ऑर्गेनिक लोगो प्रमाणन का उपयोग करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं जो नीचे सूचीबद्ध राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानक के मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुरूप है:

a) **उत्पाद _____ प्रकार

आकार _____ग्रेड

जैविक उत्पादों के लिए मानकों के संबंधित मानदंड

b) ** प्रक्रिया_____ जैविक उत्पाद मानकों संबंधी मानदंड

2. उपरोक्त उत्पाद पूर्ण प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है

_____स्थान का नाम

(पता)

* जो लागू न हो उसे काट दें

** (क), (ख) के अंतर्गत दो मदों में से केवल एक को ही एक आवेदन द्वारा कवर किया जा सकता है। अन्य को काट दें।

3. क) मेरी/हमारी फर्म के शीर्ष प्रबंधन की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं. नाम पदनाम

ख) मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि उपरोक्त संरचना में कोई भी रूपांतरण होते ही प्रमाणन निकाय को सूचित किया जाएगा।

4. मैं/हम एतद्द्वारा फर्म अथवा पंजीयक, सोसायटी/कंपनी/उद्योग निदेशक (लघु उद्यम इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की सत्यापित प्रति/फोटोकॉपी या फर्म के नाम और उसके उत्पादन स्थान को प्रमाणित करने वाले अन्य समान दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं/रहे हैं।

1. क) मेरे/हमारे पास संलग्न सूची के अनुसार तथा जैविक उत्पाद मानकों के मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षण व्यवस्था है।

अथवा

ख) जैविक उत्पाद मानकों के मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार निम्नलिखित परीक्षण व्यवस्थाएं अभी भी की जानी हैं:

अथवा

ग) प्रत्यायनप्राप्त प्रयोगशाला के विवरण

नाम कार्य

a) हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे ट्रेड-मार्क / ब्रांड नाम निम्नानुसार हैं:

b) मैं/हम ट्रेड-मार्क / ब्रांड नाम के साथ इंडिया ऑर्गेनिक लोगो प्रमाणन का प्रयोग करना चाहता हूं/चाहते हैं :

c) भारत जैविक प्रमाणन चिह्न के साथ उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ट्रेड-मार्क (कों) /ब्रांड नाम (मों) का पंजीकरण संख्या और दिनांकः

अथवा

पंजीकरण न होने की स्थिति में, मैं/हम ट्रेड-मार्क (कों) ब्रांड नाम(मों) के समर्थन में प्रचार/पैकिंग सामग्री आदि के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करता हूं/करते हैं।

5. उक्त उत्पाद/प्रक्रिया के उत्पादन आंकड़े तथा उसका मूल्य मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं अनुमान के अनुसार निम्नानुसार है:

   पिछले वर्ष से

   _____

   तक

   _____

   वर्तमान वर्ष से

   _____

   _____ तक

   (अनुमान)

6. उक्त उत्पाद/प्रक्रिया की जैविक उत्पाद मानक के संबंधित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए।

   *मैंने/हमने संलग्न विवरण में वर्णित निरीक्षण और परीक्षण की योजना का उपयोग किया है/करने का प्रस्ताव किया है। सभी निरीक्षणों और परीक्षणों के नियमित रिकॉर्ड विवरण में बताए गए प्रारूप में रखे जा रहे हैं/रखे जाएंगे। मैं/हम अपने निरीक्षण और परीक्षण की योजना को संशोधित, संशोधित या परिवर्तित करने का भी वचन देता हूं/देते हैं ताकि इसे समय-समय पर आपके द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले नियमों के अनुरूप बनाया जा सके।

   **मेरे/हमारे पास वर्तमान में निरीक्षण और परीक्षण की कोई योजना नहीं है। तथापि, मैं/हम प्रमाणन निकाय द्वारा अनुशंसित किसी भी योजना को लागू करने का वचन देता हूं/देते हैं।

7. यदि प्रमाणन निकाय द्वारा कोई प्रारंभिक जांच की जाती है तो मैं/हम प्रमाणन निकाय को मेरे/हमारे अधीन सभी उचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सहमत हूं/हैं तथा मैं/हम प्रमाणन निकाय द्वारा अपेक्षित होने पर परीक्षण के लिए शुल्क सहित उक्त जांच के सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए भी सहमत हूं/हैं।

मैं/हम अनुरोध करते हैं कि स्थान का प्रारंभिक निरीक्षण निम्नलिखित द्वारा किया जाए।
_____(तारीख इंगित करें)

अथवा

जैसे ही आवेदित उत्पाद का उत्पादन शुरू हो जाएगा और मैं/हम नमूने लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं/हम प्रारंभिक निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त समय, तारीख आदि की सूचना दे देंगे ।

8. क) प्रमाणित किया जाता है कि पहले मैंने/हमने आवेदन किया था और आवेदन संख्या थी। यह लाइसेंस के रूप में परिपक्व नहीं हुआ क्योंकि _____

ख) प्रमाणित किया जाता है कि पहले मेरे/हमारे पास सीएमएस/टी, संख्या _____ थी जो प्रमाणन निकाय के पत्र संख्या _____ दिनांकः _____ द्वारा व्यपगत/निरस्त हो गई।

ग) मुझे/हमें कभी भी प्रमाणन निकाय द्वारा जैविक उत्पाद मानकों के मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले हमारे किसी भी कार्य के लिए चेतावनी/सलाह नहीं दी गई है।

अथवा

और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए मुझे/हमें प्राप्त चेतावनी/सलाह का विवरण निम्नानुसार है:

_____
_____

9. मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि यदि आवेदन पत्र में दी गई उपरोक्त जानकारी में से कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन तत्काल अस्वीकार कर दिया जाए।

10. यदि लाइसेंस प्रदान किया जाता है और जब तक यह प्रभावी रहेगा, मैं/हम लाइसेंस की सभी शर्तों और निर्धारित विनियमों का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं। लाइसेंस के निलंबित

या निरस्त होने की स्थिति में, मैं/हम लाइसेंस द्वारा कवर किए गए किसी भी उत्पाद पर प्रमाणन चिह्न का उपयोग तुरंत प्रभाव से बंद करने और सभी प्रासंगिक विज्ञापन मामलों को वापस लेने और तत्काल प्रभाव से उपरोक्त विनियमों के उपबंधों को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य कदम उठाने का भी वचन देता हूं/देते हैं। हम उपरोक्त विनियमों में निहित प्रत्येक उपबंध का अनुपालन करने का भी वचन देते हैं, जहाँ हमें लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

दिन _____ दिनांकः _____

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पदनाम _____

कृते _____

_____

(फर्म का नाम)

फॉर्म 2

प्रमाणन ट्रेडमार्क - "इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के उपयोग के लिए लाइसेंस

लाइसेंस संख्या सीएमएस –

1. इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के प्रमाणन ट्रेडमार्क से संबंधित विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों की हैसियत से, प्रमाणन निकाय एतद्द्वारा प्रदान करता है .....

   (इसके बाद लाइसेंसधारी कहा जाए) इसके साथ प्रथम अनुसूची के प्रथम कॉलम में उल्लिखित इंडिया ऑर्गेनिक लोगो प्रमाणन ट्रेडमार्क का उपयोग करने लिए यह इस लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस लाइसेंस का प्रयोग उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में उल्लिखित उत्पाद/प्रक्रिया पर या उसके संबंध में किया जा सकेगा, जो जैविक उत्पाद मानक के संबंधित मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पादित या संसाधित किया जाता है।

2. इस लाइसेंस में उपर्युक्त विनियमों में निर्धारित अधिकार और दायित्व शामिल हैं।

3. यह लाइसेंस ..... से .....तक वैध होगा।

4. यह लाइसेंस ..... को इस शर्ताधीन प्रदान किया जा रहा है कि ..... जैविक उत्पाद (प्रमाणन) विनियम, 2012 में निहित उपबंधों के अधीन अनुपालन करने के लिए सहमत है।

   ..... को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित किया।

   कृते प्रमाणन निकाय

पहली अनुसूची

प्रमाणन चिह्न (1)	उत्पाद (2)

फॉर्म 3 घोषणा

सेवा में,

अध्यक्ष

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी)

.....

मैं/हम, ... , ... घोषणा करता हूं/करते हैं कि हमें इंडिया ऑर्गेनिक लोगो के उपयोग के लिए लाइसेंस संख्या ..... दिनांकः ..... प्रदान किया गया है, और हम.....

कृषि उत्पाद के लिए इंडिया ऑर्गेनिक लोगो प्रमाणन ट्रेडमार्क मार्च 2012 के विनियमों के अधीन रहने का वचन देते हैं।

दिनांकः

_____

नोट: यह एनपीओपी 2024 (8वां संस्करण) का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण की सामग्री को अंतिम माना जाएगा।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग